20वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

दृष्टिकोण

"विभिन्न ग्राहक क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य–सत्कार संबंधी उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में अग्रणी बनने के साथ–साथ ग्राहक संतुष्टि का निरंतर उच्च स्तर बनाए रखना."

मिशन

"आईआरसीटीसी आतिथ्य–सत्कार सेवाओं, यात्रा और पर्यटन, बोतलबंद पेयजल तथा इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्रों में यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स और सेवाएं उपलब्ध करवाकर स्वयं को अग्रणी साबित करेगा, जिसके लिए भारतीय रेलवे तथा गैर–भारतीय रेलवे संबंधी सेवाओं, जैसे एक लचीले बिजनेस पोर्टफोलियो का निर्माण करना, जो आरोह्य है और कड़ी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, को लक्ष्य बनाया गया है।'

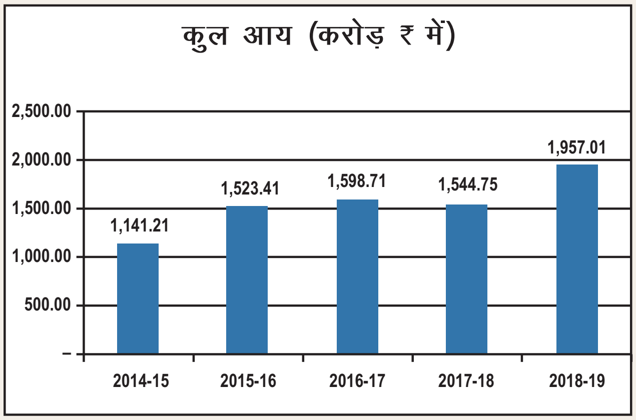

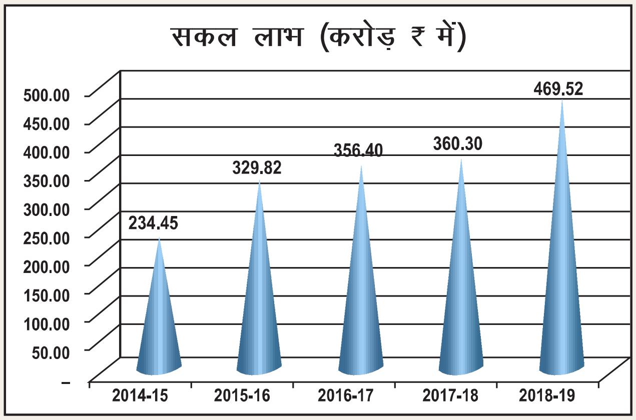

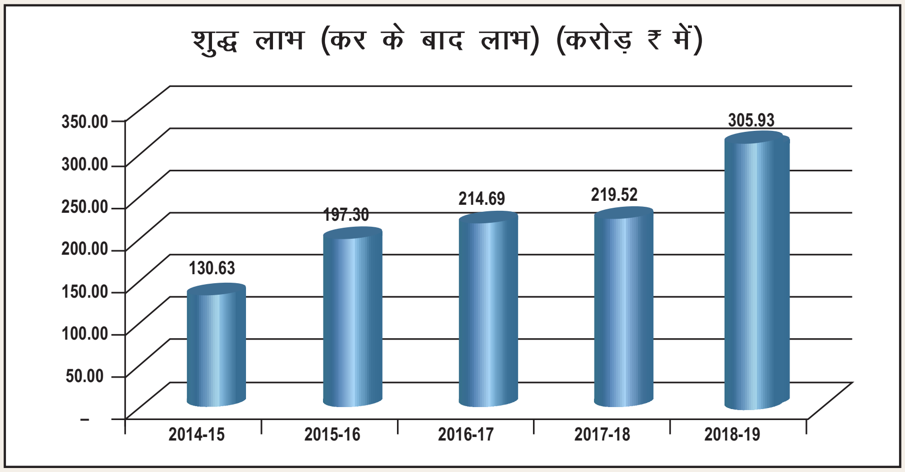

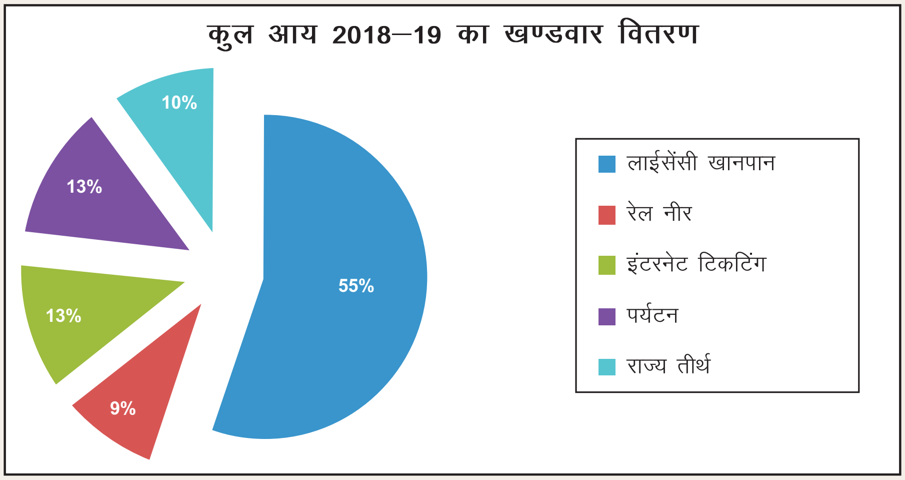

निदेशक मंडल (आम सभा के दिन)

श्री एम.पी. मल्ल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती रजनी हसीजा
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) 18.05.2018 से
निदेशक, खानपान सेवाएं का अतिरिक्त प्रभार
02.07.2019 से

श्री नरेन्द्र
कार्यकारी निदेशक (एफ) (पीपीपी), रेलवे बोर्ड
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
19.08.2019 से

श्री नीरज शर्मा
कार्यकारी निदेशक (पीएम), रेलवे बोर्ड
(12.07.2018 से)

श्रीमती स्मिता रावत
कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एण्ड टी)
रेलवे बोर्ड

डॉ. रबी नारायण बोहिदर
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. धीरज शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती कनक अग्रवाल
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
स्वतंत्र निदेशक

श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती
स्वतंत्र निदेशक

सुश्री सरिता देशपांडे
स्वतंत्र निदेशक

आईआरसीटीसी की 20वीं वार्षिक आम बैठक

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)
पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय
11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23311263-64, फैक्स : 011-23311259
सीआईएन : U74899DL1999GOI101707

20वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

विषय–सूची

प्रलेख	पृष्ठों संख्या
दस वर्ष की वित्तीय सूचना	1
अध्यक्ष का संबोधन	2 - 4
निदेशकों की रिपोर्ट	5 - 35
निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध	
(i) अनुबंध – क : प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	36 - 46
(ii) अनुबंध – ख : कॉरपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट।	47 - 63
(iii) अनुबंध – ग : कॉरपोरेट सामजिक दायित्व एंड सतत् विकास पर रिपोर्ट	64 - 71
(iv) अनुबंध – घ : वार्षिक प्रतिफल का निष्कर्ष (फॉर्म नं एमजीटी–9)	72 - 78
(v) अनुबंध – ड़ : 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखा रिपोर्ट (फॉर्म नं एमआर–3)	79 - 81
(vi) अनुबंध – च : निदेशक रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट	82 - 86
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्टें एवं रिपोर्ट के अनुबंध	87 - 95
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	96
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	97
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह एवं इक्विटी शेयर में परिवर्तन विवरण	98 - 100
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां	101 - 113
तुलन–पत्र और लाभ और हानि लेखा के साथ संलग्न टिप्पणियां	114 - 150
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	151

निदेशक मण्डल

श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) 18.05.2018 से
निदेशक (खानपान सेवाएं) का अतिरिक्त प्रभार 02.07.2019 से

श्री वी. श्रीराम, निदेशक (खानपान सेवाएं) 30.06.2019 तक
श्री नरेन्द्र, ईडी/एफ (पीपीपी), रेलवे बोर्ड
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 19.08.2019 से

श्री नीरज शर्मा, कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड
(12.07.2018 से)

श्रीमती स्मिता रावत, कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी), रेलवे बोर्ड

डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक
डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती कनक अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक
प्रो. सचिन चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक (10.10.2017 से)
श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती, स्वतंत्र निदेशक (13.10.2017 से)
सुश्री सरिता देशपांडे, स्वतंत्र निदेशक (29.03.2018 से)

पूरक सूचना

मुख्य वित्त अधिकारी

श्री अजय श्रीवास्तव

कम्पनी सचिव

श्रीमती सुमन कालरा

सांविधिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स सर्वा एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
1011–1014, 10वां तल, आर जी ट्रेड टॉवर,
नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

आंतरिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स के.एस. चौधरी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
212, एम.जे. शॉपिंग सेंटर, 3, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092

लागत लेखा–परीक्षक

मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स,
सी4ई/135, जनक पुरी, नई दिल्ली–110058

सचिवीय लेखा–परीक्षक

मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कम्पनी,
कम्पनी सचिव,
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054

बैंकर्स

1. एचडीएफसी बैंक
2. आईसीआईसीआई बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
6. कॉरपोरेशन बैंक
7. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. सिंडीकेट बैंक
9. केनरा बैंक
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. आंध्रा बैंक
13. इण्डियन बैंक
14. आईडीबीआई बैंक
15. सिटी बैंक
16. एक्सिस बैंक
17. स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18. यस बैंक
19. यूको बैंक
20. फेडरल बैंक
21. कर्नाटका बैंक
22. इन्ड्सइन्ड बैंक
23. कोटक महिन्द्रा बैंक
24. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
25. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
26. इलाहाबाद बैंक
27. करूर वैश्य बैंक
28. इण्डियन ओवरसिज़ बैंक
29. आरबीएल बैंक लिमिटेड
30. साऊथ इण्डियन बैंक
31. आईडीएफसी बैंक
32. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय

11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस,
बी–148, बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली–110001

इंटरनेट टिकटिंग सेन्टर

नया परिचालन सेन्टर, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय,
आईआरसीए परिसर, चेम्सफोर्ड रोड,
नई दिल्ली–1100055

पर्यटन कार्यालय

एम–13, पुंज हाऊस, ब्लॉक–एम, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली–110001

रेल नीर संयंत्र

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :
उत्तर रेलवे का वायरलेस स्टेशन एरिया,
नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई,
दिल्ली–110041

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :
लोको कॉलोनी, साऊथ आर.पी.एफ. बैरक्स, खगौल,
दानापुर–801105

रेलनीर संयंत्र, पालूर :
पालूर रेलवे स्टेशन, गाँव एवं डाकखाना पालूर,
तालुक चेंगलपट्टू
जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु –603101

रेलनीर संयंत्र, अम्बरनाथ :
जीआईपी डैम के समीप एडिशनल एमआईडीसी,
पोस्ट आनन्द नगर, अम्बरनाथ (पूर्व),
जिला– थाने, महाराष्ट्र–421506

रेलनीर संयंत्र, अमेठी :
प्लाट नं. सी–11 व 12,
यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र
टकरिया, गौरीगंज, जिला– अमेठी

रेलनीर संयंत्र, पारास्सला :
रेलवे यार्ड, न्यू पारास्सला रेलवे स्टेशन,
केरला–695502

रेलनीर संयंत्र, बिलासपुर :
प्लॉट नं. 22/23, सेक्टर–बी, सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र,
जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़–495004

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर जोन :
रेलयात्री निवास, भू–तल,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
अजमेरी गेट साइड, नई दिल्ली–110002

पूर्व जोन :
पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग,
3 कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता–700001

पश्चिम जोन :
दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग,
सेन्ट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल,
मुम्बई–400001

दक्षिण जोन :
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9 मैक निकोलस रोड,
चेटपेट, चेन्नै–600031

दक्षिण–मध्य जोन :
तीसरा तल, ऑक्सफोर्ड प्लाजा,
सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद,
आंध्र प्रदेश–500003

दस वर्षीय आंकड़े

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009 – 10	2010–11	2011–12*	2012–13*	2013–14*	2014–15*	2015–16**	2016–17**	2017–18**	2018-19**
1	कुल आय	721.97	764.93	554.11	719.69	954.70	1,141.21	1,523.41	1598.71	1544.75	1957.01
2	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	614.63	620.69	462.83	611.24	810.52	906.76	1,193.58	1,242.31	1,184.45	1,487.49
3	परिचालन मार्जिन	107.34	144.24	91.28	108.45	144.18	234.45	329.82	356.40	360.30	469.52
4	ब्याज खर्च	0.03	0.30	–	–	–	–	1.81	2.54	2.91	2.35
5	मूल्यहरास	12.55	14.15	14.74	16.04	16.77	20.42	21.22	22.41	23.66	28.64
6	कर पूर्व लाभ	94.76	129.79	76.54	92.41	127.41	214.03	306.79	331.45	338.98	475.93
7	कर बाद लाभ	63.05	60.79	48.54	58.84	72.01	130.63	197.30	214.69	219.52	305.93
8	घोषित लाभांश	12.61	12.16	9.71	11.77	14.40	26.13	75.45	84.68	88.81	122.37
9	इतर परियोजनाएं आरक्षित	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	सामान्य आरक्षित को स्थानांतरण	45.00	45.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
11	अन्य आरक्षित	–	2.00	–	–	–	–	–	–	–	–
12	आरक्षित एवं सरप्लस	142.76	191.41	226.70	271.77	326.92	424.25	680.57	738.34	905.37	907.02
13	शुद्ध अचल परिसंपत्तियां (ग्रास ब्लाक)	126.84	135.18	178.76	203.12	213.52	276.84	310.69	337.62	336.63	356.35
14	वस्तु सूची	7.79	6.21	5.45	9.08	9.53	9.54	8.26	6.58	7.41	7.89
15	विदेशी मुद्रा आय	13.48	13.27	12.53	11.06	11.80	21.89	35.23	47.51	37.59	33.54
16	शेयर पूंजी	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	160.00
17	नियोजित पूंजी	151.72	195.05	204.97	210.67	320.35	456.74	768.33	853.19	948.68	986.27
18	सरकारी निवेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	शुद्ध मूल्य	162.76	211.41	246.70	291.77	346.92	444.25	700.57	778.34	945.37	1,067.02
20	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ (% में)	62.46	66.54	37.34	43.86	39.77	46.86	39.93	38.85	35.73	48.26
21	नियोजित पूंजी पर परिचालन मार्जिन (% में)	70.75	73.95	44.53	51.48	45.01	51.33	42.93	41.77	37.98	47.61
22	शेयर पूंजी पर कर के बाद लाभ (% में)	315.25	303.95	242.70	294.19	360.05	653.15	986.48	536.73	548.80	191.21
23	आय पर व्यय (% में)	85.13	81.14	83.53	84.93	84.90	79.46	78.35	77.71	76.68	76.01
24	कर्मचारियों की संख्या	2,645	1,934	1,762	1,725	1,672	1,511	1,483	1,494	1,464	1,509
25	प्रति कर्मचारी आय	0.27	0.40	0.31	0.42	0.57	0.76	1.03	1.07	1.06	1.30
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02
27	वर्तमान अनुपात	1.13	1.22	1.23	1.20	1.45	1.55	1.96	1.80	1.60	1.55
28	डेब्ट/इक्विटी अनुपात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	निवेश	2.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*आंकडें तुलन पत्र के संशेधित अनुसूची VI के प्रपत्र के अनुसार हैं।

**आंकडे भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के अनुसार है

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी की 20 वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी सितंबर, 1999 से शुरू होने के बाद से इन दो दशकों में विकसित होकर 20 गौरवशाली वर्षों को पूरा किया है जो सभी आतिथ्य सेवाओं के लिए एक विंडो समाधान प्रदान करने वाले एकमात्र ऐसी पीएसयू के रूप में जानी जाती है। आईआरसीटीसी के निदेशक मंडल की ओर से मैं आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। आपकी उपस्थिति वास्तव में कंपनी के साथ आपकी भागीदारी और समर्थन का एक सच्चा प्रमाण है।

आपकी कंपनी ने बहुआयामी विकास देखा और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अग्रणी सफलता हासिल की। अपनी कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होना मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, निदेशकों, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के साथ, आपको परिपत्रित की गई की गई है। मैं आपकी अनुमति से इसे आपके द्वारा पढ़ लिया गया मान लेता हूं।

वित्तीय विशेषताएं

मुझे आपकी कम्पनी द्वारा 2019 में समाप्त वित्त वर्ष प्राप्त की गई निम्नलिखित उपलब्धि को साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है:–

- कम्पनी का टर्नओवर 2018–19 में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,868 करोड़ (लगभग) हो गया, जबकि 2017–18 में यह 1471 करोड़ रू. (लगभग) था।
- कम्पनी ने पिछले वर्ष के 339 करोड़ रूपये की तुलना में 476 करोड़ रूपये (लगभग) कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया। जो कि 40.40 प्रतिशत अधिक है।
- आपकी कम्पनी ने मौजूदा प्रत्येक शेयरधारक को 3:1 का अर्थात् प्रत्येक एक शेयरधारक को तीन शेयर बोनस शेयर के रूप में जारी किए तद्नुसार अधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रूपये से बढ़कर 250 करोड़ रूपये हो गई।
- पूंजीगत पुन सरंचना पर डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कम्पनी ने विर्त्त वर्ष 2018–19 के लिए अब तक सर्वाधिक 122.37 करोड़ रूपये (जिसमें भारत सरकार को पहले भुगतान किए 60 करोड़ रू. का अंतरिम लाभांश शामिल हैं।) के लाभांश की सिफारिश की है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा परीक्षा पर आपकी कम्पनी को शून्य टिप्पणी प्राप्त हुई है।

शेयरों को सूचीबद्ध/आपीओ

भारत सरकार द्वारा आईआरसीटीसी के शेयरों की सूचीबद्ध की घोषणा के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगभग 12.50 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी को प्रतिशत विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है और कम्पनी ने 21 अगस्त, 2019 को सेबी को अपना मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा करा दिया है।

एमओयू निष्पादन

कम्पनी को आशा है कि स्व–मूल्यांकन के आधार पर होगा वर्ष 2018–19 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ''उकृष्ट'' रेटिंग मापदंडों की उपलब्धियों के लिए प्राप्त होगी।

मैं अब इस अवसर पर उपस्थित पर सदस्यों को 2018–19 के दौरान कम्पनी के क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन के बारे में संक्षिप्त रूप से रखना चाहता हूं।

1. खानपान और आतिथ्य:

31 मार्च 2019 तक आईआरसीटीसी ने लगभग 300 गाड़ियों जिसमें राजधानियों, शताब्दियों, दूरंतों, तेजस, गातिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस सहित गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं का प्रबंधन किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में 16 फूड प्लाजा और 49 फास्ट फूड यूनिट शुरू, इस प्रकार पूरे भारतीय रेलवे में 254 परिचालित यूनिटों का प्रबंधन किया गया। आपकी कंपनी ने ई–कैटरिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया वित्त वर्ष 2017–18 में औसत दैनिक बुकिंग 11,859 भोजन की थी जबकि वर्तमान में यह औसतन 17,600 भोजन प्रति दिन है।

आपकी कंपनी ने आधुनिक उपकरणों के साथ पेंट्री कारों को फिर से डिजाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू की है और ड्राफ्ट डिजाइन रेल कोच फैक्टरी कपूरथला को भेज दिया गया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपने संचालन में लागू करके गाड़ियों में भोजन कैसे बनाया जाता है, को आपकी कंपनी ने यात्रियों को किचन का सीधा प्रसारण देखने की अनुमति दी है इस दिशा में अन्य उपायों में मेनू ऑन रेल्स ऐप, पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनें आदि शामिल है।

आपकी कंपनी का खानपान से राजस्व 2017–18 के 729 करोड़ रू. (लगभग) की तुलना में बढ़कर 1065 करोड़ रू. (लगभग) हो गया है।

2. रेल नीर:

नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ, अमेठी, परास्साला और बिलासपुर संयंत्रों में रेल नीर का कुल उत्पादन पिछले वर्ष की 20.20 करोड़ बोतलों के कुल उत्पादन के मुकाबले 21.50 करोड़ बोतल रहा।

दिल्ली, पटना, पालूर, अंबरनाथ, अमेठी, परास्साला और बिलासपुर में स्थित वर्तमान परिचालित संयंत्रों के अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में हापुड़, सानंद, नागपुर और भोपाल में चार नए संयंत्र स्थापित किए। कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2019–20 में भुसावल, जागी रोड, जबलपुर और संक्रिल में रेल नीर संयंत्र स्थापित करने की है।

31 मार्च 2019 तक, आपकी कंपनी ने संचयी रूप से 1956 वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई हैं। ए–1, ए, बी और सी श्रेणी के 1194 स्टेशनों में से, कुल 619 स्टेशनों पर वाटर वेन्डिंग मशीनें लगाई गई है जो कि ए–1 श्रेणी के स्टेशनों का लगभग 97 प्रतिशत है।

2018–19 में रेल नीर क्षेत्र से राजस्व 180 करोड़ रू. (लगभग) रहा जबकि 2017–18 में यह 167 करोड़ रू. (लगभग) था।

3. यात्रा और पर्यटन:

आपकी कंपनी, आज, विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में अग्रणी यात्रा और पर्यटन कंपनियों में से एक बन गई है। रेल पर्यटन के अलावा, कंपनी ने कई अन्य पर्यटन व्यवसायों में तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक पर्यटन बाजार में निरंतरता के लिए विविधीकरण किया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेज, लैंड टूर पैकेज, होटल बुकिंग, कस्टमाइज्ड और एलटीसी टूर आदि आईआरसीटीसी अपनी विशिष्ट पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com पर एक ही स्थान पर विभिन्न पर्यटन उत्पादों के प्रदर्शन और बुकिंग के लिए है।

घरेलू और इनबाउंड और आउटबाउंड पर्यटन के अलावा, इस वर्ष, आपकी कंपनी ने थीम आधारित पर्यटक गाड़ियों, जैसे श्री रामायण यात्रा पर्यटन गाड़ी, यूनिटी एक्सप्रेस, समानता एक्सप्रेस और टेम्पल राम सेतु एक्सप्रेस पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आपकी कंपनी एमआईसीई के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय के लिए **समीक्षा संगोष्ठी 2019, मिशन रफ्तार 2022** सहित के विभिन्न प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

पर्यटन क्षेत्र से राजस्व (राज्य तीर्थ क्षेत्र सहित) 2017–18 के 399 करोड़ रू. (लगभग) की तुलना में 2018–19 में 453 करोड़ रू. (लगभग) रहा।

4. इंटरनेट टिकटिंग:

2018–19 के दौरान, आईआरसीटीसी की ई–टिकटिंग सेवा से ऑनलाइन बुक किए गए भारतीय रेलवे के आरक्षित टिकटों का 70 प्रतिशत हो गया है जिसने दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल ई–कॉमर्स साइटों को पीछे छोड़ दिया है। 2018–19 के दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से औसतन 7.78 लाख से अधिक टिकट प्रतिदिन बेचे गए।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को टिकट प्रणाली के लिए वेबसाइट, विपणन, संचालन और बिक्री के बाद सेवाओं पर किए गए 88 करोड़ रू. के वार्षिक व्यय की प्रतिपूर्ति की। वित्तीय वर्ष 2019–20 से सर्विस चार्ज के एवज में वार्षिक प्रतिपूर्ति की छूट के बाद, रेल मंत्रालय के निर्देश पर आपकी कंपनी ने सेवा शुल्क को सुविधा शुल्क के रूप में बहाल करने का प्रस्ताव दिया है। बहाल सुविधा शुल्क कम करके गैर–वातानुकूलित श्रेणी के लिए 15/–रू. और वातानुकूलित श्रेणी के लिए 30/–रू. लिया जाएगा और यह 1 सितंबर 2019 से प्रभावी होगा। इस संबंध में रेल मंत्रालय को सूचित किया गया है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा इस क्षेत्र के अन्तर्गत की गई नई पहलों में अर्द्धसैनिक बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स (एनएसजी) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (सीआरपीएफ) के लिए ई–टिकटिंग, पुश नोटिफिकेशन, एएसके दिशा (चैट बॉट) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के अन्तर्गत शामिल किए हैं।

इंटरनेट टिकटिंग क्षेत्र से वर्ष 2017–18 के 204 करोड़ रू. (लगभग) की तुलना में 2018–19 में 239 करोड़ रू. (लगभग) का राजस्व प्राप्त किया।

5. कॉर्पोरेट अभिशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

आईआरसीटीसी में कॉर्पोरेट अभिशासन का लक्ष्य हर हितधारक हमारे ग्राहक, निवेशक, विक्रेता–साझेदार और समुदाय के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के अनुपालन पर ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त हुई है।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशकों की रिपोर्ट में एक अलग खंड जोड़ा गया है और सचिवीय लेखा परीक्षा के अतिरिक्त प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

कंपनी की सीएसआर नीति, सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की है। आईआरसीटीसी ने इस वर्ष सीएसआर गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर विशेष जोर दिया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी वर्ष 2018–19 के सीएसआर बजट 6. 54 करोड़ रू. को पूरी तरह से खर्च करने में सफल रही और इसमें कोई राशि शेष नहीं रही।

6. आभार

अन्त में, मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं विशेष करके अपने सम्मानित शेयरधारकों को उनके विश्वास और मुझे, निदेशक मंडल और कंपनी को समग्र रूप से मूल्यवान समर्थन देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपका निरंतर समर्थन हमें उसी तरह प्राप्त होता रहेगा जिस तरह से आप वर्षों से हमें देते रहे हैं।

मैं, भारत सरकार, विशेष रूप से रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और क्षेत्रीय रेलों, सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सभी राज्य सरकारों, विभागों की एजेंसियों / संस्थानों और हमारे साझेदारों को उनकी मदद और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं।

मैं निदेशक मंडल के अपने सभी सहयोगियों को संगठन में सुशासन संस्कृति बनाने और बोर्ड की जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी आईआरसीटीसी टीम को उनकी निष्ठा, कठोर परिश्रम, प्रतिबद्धता और समर्पण को यहां रेखांकित करना चाहता हूं। मैं कंपनी को बाहरी चुनौतियों के लिए अधिक टिकाऊ और लचीला बनाने में आपके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं। मैं इस अवसर पर अन्य सभी पूर्ववर्तियों को अमूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

धन्यवाद।

हस्ता./–
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 अगस्त, 2019

(टिप्पणी: इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का अंग न समझा जाए)

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयर धारक,

निदेशक मंडल आपकी कंपनी के व्यापार एवं परिचालन की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ –साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कम्पनी का विस्तृत वित्तीय और परिचालन निष्पादन रिपोर्ट में दिया गया गया है।

1. वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश वित्त वर्ष 2017–18 के निष्पादन की तुलना में नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% वृद्धि / (कमी)
टर्नओवर	1,868.23	1,471.17	26.99
कुल आय	1,957.01	1,544.75	26.69
कर पूर्व लाभ	475.93	338.98	40.40
कर के लिए प्रावधान	170.00	119.46	42.31
कर के बाद लाभ	305.93	219.52	39.36
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित	35.00	35.00	-
लाभांश (2018–19 के अन्तरिम लाभांश 60 करोड़ रू. सहित और 2017–18 का शून्य)	122.37	88.81	37.78
आरक्षित एवं सरप्लस	907.02	905.37	0.18
शुद्ध मूल्य	1,067.02	945.37	12.87
प्रतिशेयर आय (रूपयों में)	19.12	13.72	39.36

क. पूंजीगत संरचना – अधिकृत और बढ़ी हुई शेयर पूंजी में वृद्धि

2018-19 के दौरान कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी शेयरधारकों और रेल मंत्रालय के अनुमोदन से 50 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रू. हुई।

कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ हुई। यह 3:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने जिसका विवरण नीचे के पैरा में दिया है के कारण बढ़ गई। 31 मार्च 2019 को अधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 250 करोड़ और 160 करोड़ थी। कम्पनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के और इसके नामितियों के पास है।

ख. बोनस जारी करना

28 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी 97 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने 3:1 के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव की सिफारिश की, अर्थात, 120 करोड़ की आरक्षित राशि के पूंजीकरण द्वारा प्रति एक शेयर के लिए तीन इक्विटी शेयर, बशर्ते कि शेयरधारकों और रेलवे मंत्रालय का अनुमोदन हो।

उचित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 98 वीं बैठक में शेयरधारकों को उपरोक्त अनुपात में बोनस शेयर आवंटित किए। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 40 करोड़ से बढ़ कर 160 करोड़ हुई।

ग. लाभांश

निवेश और सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग के दिनांक 27 मई 2016 में दिए गए दिशा निर्देशों में वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का न्यूनतम लाभांश शुद्ध पूंजी का 5 प्रतिशत या करोपरांत लाभ का 30 प्रतिशत जो भी अधिक हो, होना चाहिए।

तद्नुसार, निदेशक मंडल ने प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ रूपए का 150% (15/– रू. प्रति शेयर) के अन्तर्गत 60 करोड़ रू. का अन्तरिम लाभांश की घोषणा की। इस अंतरिम लाभांश का भारत सरकार को जनवरी 2019 में

भुगतान किया गया। बोनस शेयर को 3:1 के अनुपात में आबंटित करने के कारण कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी मार्च 2019 में 40 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ रू. हो गई। निदेशक मंडल ने अन्तिम लाभांश (अन्तरिम लाभांश सहित) 62.36 करोड़ रू. (लगभग) (3.89 रू. प्रतिशेयर) अर्थात् प्रदत्त शेयर पूंजी 160 करोड़ रू. का 38.98% की सिफारिश की थी। इससे वर्ष 2018–19 के लिए कुल लाभांश राशि 122.37 करोड़ रू. (अनुमानित) जो कि प्रदत्त शेयर पूंजी का 76.48% है, 2018–19 के लिए करोपरांत लाभ 40% और 31 मार्च 2019 को शुद्ध पूंजी 11.47% है।

अन्तिम लाभांश आगामी आम सभा में शेयर धारकों के अनुमोदन के पश्चात वित्त मंत्रालय को भुगतान किया जाएगा।

घ. रेल मंत्रालय के राजस्व में योगदान

वर्ष के दौरान कम्पनी ने रेल मंत्रालय के राजस्व में भी पिछले वर्ष के 188.15 करोड़ रूपए की तुलना में कुल 316.38 करोड़ रूपए का अंशदान किया। रेल मंत्रालय के राजस्व में किए गए अंशदान में ढुलाई प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेन्स फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लांभाश शामिल हैं।

ङ. आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/शेयरों की सूचीबद्ध

केन्द्रीय बजट 2017 में आपकी कम्पनी के शेयरों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई थी तथापि कम्पनी के इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए डीआईपीएएम ने मैसर्स क्रॉफोर्ड बेले एंड कम्पनी को कानूनी सलाहकार के रूप में, आईडीबीआई कैपिटल मार्किट्स एंड सिक्योरिटी लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड और यस सिक्योरिटी लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में; तथा मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को जारी करने के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया है। शेयरों की सूचीबद्धता प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं जून 2019 में फिर से शुरू हो गई है और कम्पनी सेबी के पास ड्राफ्ट रेंड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

आगामी आइपीओ के मद्देनज़र, कम्पनी ने दोनों डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। ''भारत के राष्ट्रपति के खाते को डीमैटरियलाइज्ड रूप में खोला गया है और भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयरधारण करने वालों को नामित शेयरधारकों के डीमैट खाते खोलने की प्रक्रिया चल रही है।

2. परिचालनिक निष्पादन

वर्ष 2018–19 के दौरान क्षेत्रवार परिचालनिक निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:–

क. खानपान एवं आतिथ्य सत्कार

ख. यात्रा एवं पर्यटन

ग. इंटरनेट टिकटिंग

घ. बेतलबंद पीने का पानी (रेल नीर)

(क) खानपान एवं अतिथि सत्कार :–

आईआरसीटीसी के खानपान और अतिथि सत्कार के क्षेत्रवार कार्य निम्न प्रकार विभाजित है:

खानपान एवं आतिथ्य–सत्कार

- **ई–खानपान**
- **चल खानपान**
  - राजधानी, शताब्दी एवं दूरंतों (आरएसडी)
  - मेल एक्सप्रेस
  - गाड़ियां साइड वेन्डिंग (टीएसवी)
  - पेन्ट्री कार डवलपमेन्ट
- **स्थैतिक खानपान**
  - फूड प्लाजा
  - फूड प्लाजा इकाइयां
  - अल्पाहार कक्ष
  - जन आहर
  - सेल किचन
- **अन्य इकाइयां**
  - एक्जिक्यूटिव लाऊंज
  - विश्राम कक्ष

1. रेलवे खानपान

i. चल खानपान

31.03.2019 को आईआरसीटीसी 19 राजधानी, 02 तेजस 01 गतिमान, 01 वंदेभारत, 22 शताब्दी, 19 दूरंतों, 296 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान 01 तेजस, 01 वंदेभारत, 01 राजधानी और 13 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों शुरू की है।

खानपान नीति–2017 के अनुसार आईआरसीटीसी को भोजन तैयार करने और भोजन वितरण में प्राथमिक रूप से अन्तर करके अलग–अलग करना होगा। आईआरसीटीसी नई किचनों की स्थापना और वर्तमानों का उन्नयन अपने पर्यवेक्षण में भोजन तैयार करने के लिए कर रहा है। इन किचनों में आधुनिक खानपान उपकरण और स्वचालित ट्रे सिलिंग पैकिंग मशीनें भी लगाई जाएगी। प्रस्तावित नई/उन्नयन किचनों का विवरण बिन्दु (v) में उल्लिखित बेस किचन में दिया गया है।

ii. ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी)

आईआरसीटीसी बिना पैंट्री कार वाली मेल/एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रबंधन करता है। 31 मार्च, 2019 तक, 1600 से अधिक गाड़ियों थीं, जिन पर लाइसेंसियों को सेक्शनल टीएसवी अनुबंध प्रदान किए गए थे।

मार्च 2020 तक 100 गाड़ियों को कवर करने वाले लगभग 100 सेक्शनों के अनुबंधों को निष्पादित करने की योजना बनाई गई है।

iii. पेन्ट्री कार डिजायन एवं विकास

आईआरसीटीसी आधुनिक उपकरणों सहित पेन्ट्रीकारों का पुनः डिजायन की प्रक्रिया में है। होटल प्रबंधक संस्थान (आईएचएम) पूसा, नई दिल्ली को डिजायन बनाने के लिए नियुक्त किया था। डिजायन का ड्राफ्ट रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को विचारार्थ भेज दिया गया है। राजधानी और दूरंतों एक्सप्रेस (एलएचबी रेक) की पेन्ट्रीकरों की रि–डिजाइन में मुख्य विशेषताओं में सभी आधुनिक उपस्कर पूर्णतः वातानुकूलित एलएचबी कोच, सूखे ओर पेरीशेबल मदों के लिए उचित भंडारन सुविधा, सर्वोत्तम भोजन तैयार करने की सुविधा जिसमें कोम्बी–ओवन, बराट पैन, डीप फ्रायर, इंडक्शन हीटर आदि कर्मचारियों के लिए पर्याप्त शायिकाएं (24) उचित एक्जॉस्ट चिमनी, उपयुक्त कूड़ेदान आदि होंगे।

वर्ष 2019–20 में आईआरसीटीसी रेलवे से डिजायन अनुमोदन के पश्चात 10 नई पेन्ट्रीकारों को बनाने की योजना बनाई गई है।

iv. स्थैतिक खानपान

31 मार्च 2019 को आईआरसीटीसी ने 169 अल्पाहार कक्षों, 57 जनआहार, 27 सेल किचनों का प्रबंधन कर रहा है। ये यूनिटें रेलवे प्लेटफार्मों पर स्थापित हैं और कम बजट का खाद्य पदार्थ बिक्री कर रहे हैं। इन यूनिटो में बेचे जाने वाली मदों की सूची मूल्य सहित रेलवे बोर्ड/आईआरसीटीसी द्वारा दी गई है। ये यूनिटें सामान्यतः प्लेटफार्म पर यात्रियों को मदें बिक्री करती हैं और कभी कभी चलती गाड़ी में भी आपूर्ति करती है।

v. बेस किचन

31 मार्च 2019 को आईआरसीटीसी, नई दिल्ली, हावड़ा, अहमदाबाद, पटना, मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई सीएसटी, बल्हारशाह, नागपुर, बालासोर, सियालदाह और खड़गपुर जंक्शन की "बेस किचनों का प्रबंधन कर रही है। नई दिल्ली और हावड़ा बेस किचन विभागीय रूप से संचालित की जा रही है। अन्य स्थानों पर इनके संचालन के लिए सेवा प्रदात्ताओं की नियुक्ति की गई है। भोजन के नमूनों की जांच प्रक्रिया का माननीकीकरण ओर कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु इन किचनों में तृतीय पक्ष भोजन संरक्षण पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 2018–19 के दौरान खानपान नीति 2017 को ध्यान में रखते हुए 30 बेस किचनों का उन्नयन किया गया।

यात्री अनुभव में एकरूपता लाने के उद्देश्य से कम्पनी ने अपनी बेस किचन में भोजन उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नई तकनीक शुरू की है। नई प्रणाली में बेस किचन में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क स्थापित करना शामिल है।

खानपान नीति 2017 के अनुसार, आईआरसीटीसी को गाड़ियों में स्वास्थ्यकारी भोजन के हस्तांतरण के लिए आधुनिक बेस किचन स्थापित करने हैं। तदनुसार 54 स्थानों पर ग्रीन फील्ड बेस किचन और ब्राउन फील्ड बेस किचन स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान की गई है। इन 54 स्थानों में से 36 मौजूदा (विश्राम कक्षों / सेंट्रल किचन / जन आहर) को किचन यूनिट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है और रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली भूमि पर 18 नए किचन स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

vi. फूड प्लाजा / फास्ट फूड इकाइयां / फूड कोर्ट

वर्ष के दौरान 31 मार्च 2019 तक कम्पनी ने 16 फूड प्लाजा और 49 फास्ट फूड इकाईयों को चालू किया इससे प्रबंधित की जाने वाली कुल इकाइयों की संख्या 290 हो गई है। 2018–19 के दौरान कम्पनी ने 20 फूड प्लाजा एवं 69 फास्ट फूड यूनिटों का ठेका भी दिया। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान फूड प्लाजा / फास्ट फूड यूनिट से कुल अनुमानित आय 64.30 करोड़ रूपए रही। इस व्यवसाय में प्रसिद्ध ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए रणनीतिक पहल की गई है।

फूड प्लाजा, आगरा

फूड प्लाजा, रांची

वित्त वर्ष 2019–20 में आईआरसीटीसी ने लगभग 50 फूड प्लाजा / फास्ट फूड यूनिटों को शुरू करने की योजना बनाई है।

vii. ई–कैटरिंग

इस समय कम्पनी की ई–खानपान सेवा 325 स्टेशनों पर उपलब्ध है। इस सेवा को गाड़ी के यात्री वेबसाइट www.ecatering.irctc.co.in और टेलीफोन कॉल 1323, मोबाइल एप "फूड ऑन ट्रैक" जो कि दोनों एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है से प्राप्त कर सकते हैं। **ई–खानपान के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान औसतन दैनिक बुकिंग 11859 भोजन थी।**

कम्पनी ने डोमिनोज, हल्दीराम, सबवे, श्रवण भवन, अद्यार आनन्द भवन आदि जैसे प्रसिद्ध एफ एंड बी ब्रांडों को इस परियोजना में शामिल किए हैं।

कम्पनी ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के और अधिक एफ एंड बी ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाएं हैं। यह वर्तमान खानपान सुविधाओं को पसंद और विकल्प के प्रस्ताव हेतु किया जा रहा है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ई–कैटरिंग के प्रत्येक आदेश पर यात्रियों को सिस्टम जनित इनवॉइस जारी किए जाते हैं, जो भारतीय रेलवे पर अपनी तरह का पहला है। वितरण तंत्र को 9 प्रमुख स्टेशनों – नई दिल्ली, झांसी, नागपुर, इटारसी, भोपाल, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर और पंडित दीन दयाल उपाध्याय पर भी प्रबंधित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यात्रियों को उनकी यात्रा शुरू करने से पहले भोजन बुक करने के लिए आमंत्रित करने के लिए एसएमएस भेजे जाते हैं। 2019–20 के दौरान ई–कैटरिंग के तहत क्षेत्रीय व्यंजनों की अधिक विशिष्टताओं को शामिल करने और प्रतिदिन 20,000 तक बुक किए गए भोजन की औसत संख्या तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

viii. एक्जीक्यूटिव लाऊंज

रेल मंत्रालय के द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुसार आईआरसीटीसी को एक्ज़िक्यूटिव लाऊंज के लिए बुनियादी ढ़ांचे में निवेश करने के लिए कहा गया था तद्नुसार, आईआरसीटीसी के द्वारा विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, विजयवाड़ा, आगरा कैण्ट एवं जयपुर, अहमदाबाद, मदुरै एवं सियालदाह में 08 एक्ज़िक्यूटिव लाऊंज शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 03 और स्टेशनों जिनमें वाराणसी जंक्शन, हजरत निजामुद्दिन और नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड), वित्त वर्ष 2019–20 में शुरू होने की संभावना है।

एक्जिक्यूटिव लाऊंज, जयपुर

एक्जिक्यूटिव लाऊंज, विजयवाड़ा

एक्जिक्यूटिव लाऊंज, आगरा

ix. विश्राम कक्ष

रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष को पुनर्निर्मित करके संचालित और अनुरक्षण करने के लिए शासनादेश दिया है। तदनुसार आईआरसीटीसी ने सभी ए–1 और ए श्रेणी के स्टेशनों में विश्राम कक्षों को पुनःनिर्मित, संचालन और अनुरक्षण का कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों का पैनल बनाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। आईआरसीटीसी ने इनमें से 19 स्टेशनों के विश्राम कक्षों के पुनःनिर्मित, संचालन और अनुरक्षण के काम के लिए ठेके प्रदान किए हैं। इनमें से बिलासपुर, जयपुर, काचीगुडा, मदुरई, तिरुपति, उडुपी और वडोदरा शुरू कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2019–20 में 25 और विश्राम कक्षों को शुरू किया जाएगा।

05 अक्तूबर 2018 को कछेगुडा में विश्रामगृह का उद्घाटन

x. **बजट होटल**

कम्पनी इस समय निम्न दो रेल यात्री निवासों जिंजर रेल यात्री निवास, नई दिल्ली और सम्पथ रेल यात्री निवास, हावड़ा और दो बीएनआर होटलों को पुरी और रांची में परिचालित कर रही है।

वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी ने एक और बजट होटल का निर्माण लखनऊ में शुरू किया है।

एमओयू लक्ष्य 2018–19 और प्राप्त उपलब्धियां

i. **पायलट प्रोजेक्ट ''राजस्व निगरानी को सक्षम करने के लिए आईआरसीटीसी सेंट्रल सर्वर से जुड़े डेटा नेटवर्क के माध्यम से फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों के लिए एक बिलिंग प्रणाली स्थापित करना:** कैटापडी में फूड प्लाजा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और अंबूर और जोलारपेट्टे रेलवे स्टेशनों पर दो फास्ट फूड इकाइयों के माध्यम से जो उनके बिलिंग सिस्टम को आईआरसीटीसी के केंद्रीय सर्वर से जोड़ा गया था। गतिविधि को 31 दिसंबर, 2018 को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

ii. **गैर–एसबीडी राजधानी, शताब्दी और दुरंतो गाड़ियों में ट्रॉलियों का कार्यान्वयन:** आईआरसीटीसी ने अगस्त 2018 में 32 गैर–एसबीडी राजधानी, शताब्दी और दुरंतो गाड़ियों के लाइसेंस इन शर्तों के साथ दिए गए थे कि इनमें ट्रॉलियां शुरू की जाएगी। 31.10.2018 तक गाड़ियों में यात्रियों के लिए ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि कुछ ट्रालियों को बाद में सुरक्षा के मुद्दों के संबंध में जोनल रेलवे की आपत्तियों के कारण बंद कर दिया गया था क्योंकि राजधानी और दुरंतो गाड़ियों में इसके लिए विशेष रूप से पार्किंग की जगह नहीं है।

iii. आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित गैर–एसबीडी राजधानी, शताब्दी और दुरंतो गाड़ियों में मौजूदा एल्युमिनियम कैसरोल को बगासे आधारित बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में बदलनाः आईआरसीटीसी ने 32 गैर–एसबीडी राजधानी, शताब्दी और दुरंतो गाड़ियों के लाइसेंसधारियों को इस शर्त के साथ लाइसेन्स प्रदान किए गए थे, कि लाइसेंसधारी इन गाड़ियों में एल्युमीनियम कैसरोल के स्थान पर अगस्त 2018 माह से बगासे आधारित बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का उपयोग करेंगे। लाइसेंसधारियों ने सितंबर 2018 में बैगासे आधारित बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में भोजन की आपूर्ति शुरू की और धीरे–धीरे एल्युमीनियम कैसरोल की जगह ले रहे हैं 31 अक्टूबर 2018 तक बगासे आधारित बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में बदलाव का लक्ष्य हासिल किया गया।

<u>गुणवत्ता नियंत्रण शासन</u>

***(i)* ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण**

आईआरसीटीसी में तृतीय पक्ष वाली व्यावसायिक एजेन्सियों द्वारा संतुष्टि सर्वेक्षण करके भोजन और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। आईआरसीटीसी ने ऐसी 7 (सात) एजेन्सियों को 3 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया है। वित्त वर्ष 2018–19 में तृतीय पक्ष वाली व्यावसायिक एजेन्सियों द्वारा 362 गाड़ियों और 263 फास्ट फूड / फास्ट फूड यूनिटों का सर्वेक्षण किया।

***(ii)* भोजन संरक्षा ऑडिट**

जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भोजन की संरक्षा के प्रभाव को देखते हुए आईआरसीटीसी द्वारा संरक्षा ऑडिट तृतीय पक्ष एजेन्सी से कराई जिसे राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड संस्थाओं के प्रमाणन के लिए (एनएबीसीबी) मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2018–19 के दौरान मैसर्स टी.यू.वी. इंडिया (प्रा.) लिमिटेड द्वारा फूड प्लाजा / फास्ट फूड यूनिटों और गाड़ियों की भोजन संरक्षा जांच की गई।

***(iii)* शिकायतों पर नज़र रखना और शिकायत निवारण**

कई स्रोतों से उत्पन्न भारी मात्रा में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, आईआरसीटीसी ने खानपान शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) विकसित की है, जो गाडियों और स्टेशनों की शिकायतों को जोनों और कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा ऑनलाइन निवारण (लगभग 80–90%) को सक्षम बनाता है।

***(iv)* ऑनबोर्ड निगरानी**

आईआरसीटीसी ने खानपान सेवाओं की बारीकी से निगरानी करने के लिए गाड़ीवार ऑनबोर्ड पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। निगरानी के अलावा, पर्यवेक्षकों को ऑनलाइन साधनों के माध्यम भी सौंपे गए हैं, जो बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों से प्रतिक्रिया लेने का कार्य करता है।

ख. यात्रा एवं पर्यटन

भारत, अपने समृद्ध और विविध ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ, दुनिया के कई आकर्षक पर्यटन स्थलों का गंतव्य है। देश का भूगोल और भौगोलिक स्थिति में दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने की अद्‌भुत क्षमता है।

बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं के संदर्भ में वैश्वीकरण और देश में समग्र विकास के साथ, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन 2003 से प्रति वर्ष 3 मिलियन से बढ़कर 2018 में 11 मिलियन से अधिक हो गए हैं और विश्लेषकों को भारत में 2028 तक सालाना 30 मिलियन से अधिक पर्यटक आने का अनुमान है साथ ही, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के घरेलू पर्यटकों का दौरा भारत में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन क्षेत्र में अब देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है, लाखों नौकरियां देने में सहायक हुआ है और हर साल अरबों डॉलर का अर्जन करता है।

विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने ''यात्रा और पर्यटन–वैश्विकरण आर्थिक प्रभाव 2019 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का कुल योगदान 17.33 लाख करोड़ रू. (247 बिलयन अमेरिकी डॉलर) था जो कि 2018 में देश का सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% था आगे अनुमान लगाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में 2029 में कुल योगदान 35.94 लाख करोड़ रू. (511.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% का योगदान देगा।

आईआरसीटीसी का वर्ष 2018–19 के दौरान पर्यटन व्यवसाय निम्न प्रकार से विस्तृत रूप से वर्गीकृत हैं:–

आईआरसीटीसी पर्यटन उत्पाद और सेवाए

- **घरेलू टूर पैकेज**
  - रेल टूर पैकेज
  - अवकाश पैकेज
  - चार्टर्ड गाड़ी/ कोचों का पैकेज
  - इच्छानुसार टूर पैकेज
  - एलटीसी टूर
  - घरेलू एयर पैकेज
  - शैक्षिक टूर
- **इनंबाउंड पर्यटक लक्षित टूर**
  - महाराजा एक्सप्रेस
  - बुद्धिस्ट स्पेशल पर्यटक गाड़ी
  - मजेस्टिक राजस्थान पर्यटक गाड़ी
- **सामूहिक पर्यटन**
  - भारत दर्शन/ आस्था सर्किट गाड़ी
  - राज्य विशेष पर्यटक गाड़ी
  - चुनाव विशेष वातानुकूलित पर्यटक गाड़ियां
  - थीम आधरित पर्यटक गाड़ियां
  - रामायण एक्सप्रेस
  - एकता एक्सप्रेस
  - समानता एक्सप्रेस
  - रामसेतु एक्सप्रेस
- **आउटबाउंड टूर पैकेज**
- **एयर टिकट और कॉरपोरेट यात्रा**
  - एयर टिकिटिंग
  - कॉरपोरेट यात्रा
- **अन्य पर्यटन गतिविधियां इवेंट प्रबंधन**
  - चार्टर्ड गाड़ियों ओर कोचों की बुकिंग
  - एयर चार्टर्ड व्यवसाय
  - हिल एण्ड हेरिटेज चार्टर्ड
  - सलून टूर और चार्टर्स
  - आवास सुविधा के लिए ऑनलाइन आरक्षण।
  - ग्लास टॉप कोच
  - क्रुज पैकेज

आईआरसीटीसी यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय

आज आईआरसीटीसी बाजार में अग्रणी यात्रा और पर्यटन कंपनियों में से एक बन गई है जो विविध पर्यटन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। रेलवे पीएसयू होने के भरोसे के साथ आईआरसीटीसी रेल पर्यटन में विशेषज्ञता रखती है और वर्तमान में, इस क्षेत्र में बाजार में शीर्ष स्थल पर है। रेल पर्यटन के अलावा, आईआरसीटीसी ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पर्यटन बाजार में बने रहने के लिए विभिन्न अन्य पर्यटन व्यवसायों में भी विविधता हासिल की है।

आईआरसीटीसी के विभिन्न पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रों में लक्जरी गाड़ी टूर महाराजा एक्सप्रेस, बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी, भारत दर्शन विशेष पर्यटक गाड़ी, रेल टूर पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेज, लैंड टूर पैकेज, होटल बुकिंग, कार रेंटल, कस्टमाइज्ड और एलटीसी टूर और इवेन्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं। विभिन्न पर्यटन उत्पादों की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com एकल स्थान पर प्रदर्शन और विभिन्न पर्यटन उत्पादों की बुकिंग हेतु उपलब्ध है।

आईआरसीटीसी के यात्रा और पर्यटन व्यापार से आय वर्ष 2017–18 के 189.36 करोड़ रुपये की तुलना में 36.27% बढ़कर 2018–19 में 258.05 करोड़ रू. रही। आईआरसीटीसी के राज्य तीर्थ पर्यटन व्यवसाय में 2017–18 के 210.59 करोड़ रू. की तुलना में 2018–19 में 7.6 प्रतिशत की कमी होकर 194.57 करोड़ रू. रही।

1. घरेलू पर्यटन

(i) **रेल टूर पैकेज** – यह आईआरसीटीसी का पूर्ण समावेशी रेल टूर पैकेज है, जिसमें उचित मूल्यों पर बाह्य एवं वापसी रेल यात्रा के लिए कन्फर्म रेल आरक्षण के साथ पैकेज में सड़क मार्ग यात्रा, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थलों की सैर करवाना शामिल है। वर्ष के दौरान कुल 9606 पर्यटकों ने आईआरसीटीसी के इस टूर का लाभ उठाया।

(ii) **अवकाश पैकेज** – आईआरसीटीसी अवकाश पैकेज (सड़क पैकेज) जिसमें सड़क मार्ग यात्रा, आवास, भोजन, और दर्शनीय स्थलों की सैर शामिल है, का भी संचालन कर रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 33,725 यात्रियों ने आईआरसीटीसी टूर पैकेज का लाभ उठाया।

(iii) **चार्टर्ड कोच और गाड़ी के साथ पैकेज** – यह पूर्ण समावेशी रेल टूर पैकेज है जिसमें आईआरसीटीसी गाड़ी यात्रा चार्टर्ड कोच और गाड़ी द्वारा व्यवस्था करती है। 2018–19 के दौरान आईआरसीटीसी ने 12 रेल टूर पैकेज का संचालन चार्टर्ड गाड़ी/कोचों के साथ किया और इसमें कुल 610 यात्रियों ने लाभ उठाया।

(iv) **इच्छानुसार टूर पैकेज** :– आईआरसीटीसी के ग्राहकों की मांग को बेहतर तरीके से पूरी करना कस्टोमाइज टूर पैकेज में स्पष्ट झलकता है। ये पैकेज बजट, लग्ज़री स्तर, रूची के स्थान आदि को ध्यान में रखकर पहले से बनाए हुए है। वर्ष के दौरान कुल 6768 पर्यटकों ने इस पैकेज का लाभ उठाया।

(v) **अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)**

भारत सरकार द्वारा एलटीसी टूर परिचालन के लिए प्राधिकृत तीन पीएसयू में से एक आईआरसीटीसी भी है। आईआरसीटीसी सरकारी कर्मचारियों को सामान्य एलटीसी पैकेज और स्वयं की इच्छा पर एलटीसी पैकेज प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी ने 57 यात्रियों को एलटीसी पैकेज सेवा प्रदान की।

(vi) **घरेलू एयर पैकेज**

छुट्टियों पर जाने के लिए लोगों के सीमित समय के कारण एयर पैकेज दिन–प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। आईआरसीटीसी ने सभी जोनों से अधिक घरेलू वायु पैकेजों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया है और तदनुसार शिरडी, गोवा, दिल्ली, तिरुपति, गंगटोक, दार्जिलिंग, कालीम्पोंग, अंडमान और निकोबार, लद्दाख, श्रीनगर, कश्मीर, मुंबई, मैसूर, कूर्ग, बैंगलोर आदि जैसे विभिन्न स्थानों के लिए पैकेजों का संचालन किया। वर्ष के दौरान, लगभग 4,527 यात्रियों ने 270 घरेलू एयर पैकेज टूर में यात्रा की।

(vii) **शैक्षणिक टूर**

आईआरसीटीसी ने अपनी ''सीखने के लिए भ्रमण करें'' योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ–साथ निजी स्कूलों के साथ गठबंधन किया है। वर्ष 2018–19 के दौरान 3,09,863 विद्यार्थियों (जिसमें 2,70,091 विद्यार्थी स्थानीय दिल्ली के टूर भी शामिल हैं) ने शैक्षणिक भ्रमणों के अन्तर्गत यात्रा की।

2. इनबाउंड पर्यटन लक्ष्यित टूर

क. महाराजा एक्सप्रेस

महाराजा एक्सप्रेस ने लग्ज़री पर्यटन में आईआरसीटीसी की ब्रांड छवि को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। वर्ष 2010 में शुरू की गई महाराजा एक्सप्रेस को 2012 से 2018 तक लगातार विश्व की अग्रणी लग्ज़री पर्यटन गाड़ी के रूप में विश्व पर्यटन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। महाराजा एक्सप्रेस 4 विभिन्न यात्रा कार्यक्रमों पर चलायी जाती है जिनमें से तीन में 7 रात/8 दिन वाले हैं जबकि एक में 3 रात/4 दिन वाले हैं। इन यात्रा कार्यक्रम में अजन्ता, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, बालासिनौर, ग्वालियर, खजुराहो, वाराणसी और लखनऊ जैसे स्थान शामिल हैं। यात्रा कार्यक्रम प्रस्थान तिथियों सहित गाड़ी की वेबसाइट www.the-maharajas.com पर अपलोड कर दी गई है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, कुल 1,149 भुगतान किए गए पर्यटकों ने 32 ट्रिप में महाराजा एक्सप्रेस की सेवाओं का लाभ उठाया, जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1,040 एमओयू लक्ष्य था (वित्त वर्ष 17–18 के 945 यात्रियों की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 10% वृद्धि हुई)

ख. बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ीः

बुद्धिस्ट सर्किट विशेष पर्यटक गाड़ी को आईआरसीटीसी के द्वारा परिचालित किए जाने के 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पूर्णतः वातानुकूलित गाड़ी 07 रात और 08 दिन का पैकेज है जिसमें भारत में और नेपाल स्थित लुम्बिनी के प्रमुख बुद्धिस्ट स्थलों का भ्रमण कराता है। इस आला दर्जे का पर्यटक उत्पाद का विश्व भर के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का संरक्षण प्राप्त है। लुम्बिनी और श्रावस्ती के लिए सड़क यात्रा दूरी कम करने तथा पर्यटकों को अधिक सुविधा के लिए आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2018–19 में गोरखपुर और गोंडा के स्थान पर क्रमशः नौतनवा और बलरामपुर हाल्ट को शामिल किया। वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी ने बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी के 08 ट्रिप परिचालित किए। उत्पाद में सुधार करने और आने वाले वर्षों में अधिक व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए, दिसंबर 2018 में एक नया संशोधित पर्यटक अनुकूल एलएचबी रेक लगाया गया है। बौद्ध सर्किट गाड़ी के नए रेक

में दो डाइनिंग कार, वैक्यूम बायो–टॉयलेट, एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स, सिक्योरिटी लॉकर्स, साइड में बैठने की सुविधा के साथ संशोधित 2एसी कोच, ऑन–बोर्ड हाउसकीपिंग एवं सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी, दुर्घटना बीमा सुविधा, फुट मसाजर और मिनी लाइब्रेरी आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषताएं हैं। वेबसाइट पर यात्रा कार्यक्रम के साथ प्रस्थान की तारीख को www.irctcbuddhisttrain.com. पर अपलोड कर दिया गया है। वर्ष के दौरान कुल 408 पर्यटकों ने इस गाड़ी से यात्रा की जबकि 2017–18 में 252 ने यात्रा की थी।

ग. मैजेस्टिक राजस्थान पर्यटक गाड़ी

आईआरसीटीसी ने भी अपने नए उत्पाद मैजेस्टिक राजस्थान पर्यटक गाड़ी को ''सितंबर 2019 से परिचालन की योजना बनाई है। आईआरसीटीसी ने मिड–सेगमेंट के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए गाड़ी टूर पैकेज की व्यवस्था की है। प्रारंभ में 4 रात/5 दिन के दो टूर पैकेजों को राजस्थान के विभिन्न रियासत शहरों जैसे जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर के साथ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल देखने का विकल्प भी है। गाड़ी की वेबसाइट www.majestictouristtrains.com पर प्रस्थान की तारीखों के साथ यात्रा कार्यक्रम अपलोड किए गए हैं।

3 आउटबाउंड टूर पैकेज:

देश में आउटबाउंड पर्यटक बाजार की संभावनाओं को समझते हुए, आईआरसीटीसी ने दुनिया भर के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए आउटबाउंड टूर पैकेज शुरू किए हैं। 2018–19 के दौरान 9164 पर्यटकों ने आउटबाउंड टूर पैकेज का लाभ उठाया जिससे 27.38 करोड़ रू. का राजस्व मिला जबकि वित्त वर्ष 2017–18 में 3308 पर्यटकों से 23.06 करोड़ रू. था इससे 18.73 प्रतिशत राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई और आईआरसीटीसी ने 2018–19 के लिए एमओयू के लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय एयर पैकेज मे राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक (उत्कृष्ट) को पार कर दिया है।

4. एयर टिकटिंग और कॉरपोरेट यात्रा

क .ऑनलाइन एयर टिकटिंग:

आईआरसीटीसी ने अपनी एयर टिकटिंग माइक्रो साइट www.air.irctc.co.in अत्याधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों और अन्य ऑनलाइन ट्रेवल एजेन्ट (ओटीए) की तुलना में सर्वाधिक न्यूनतम सुविधा शुल्क पर घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए हवाई टिकटें बुक की जा सकती हैं

एयर टिकटिंग के लिए एन्ड्रॉइड और आईओएस प्रयोगकर्त्ताओं के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है। आईआरसीटीसी ने प्रत्येक यात्रियों को 50 लाख रू. के विदेश दुर्घटना बीमा प्रदान करने की पहल की है। इस वेबसाइट के माध्यम से वित्त वर्ष 2017–18 के औसत 3748 की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में औसतन 4676 एयर टिकट प्रतिदिन बुक करके 24.76% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जिससे 2018–19 के लिए एमओयू लक्ष्य में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक (उत्कृष्ट) एयर टिकट की बुकिंग को बढ़ोत्तरी को पार कर दिया है।

ख. कॉर्पोरेट यात्रा व्यवसाय:

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेटों को संपूर्ण यात्रा सेवा, जिनमें एयर टिकटिंग, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय होटलों की बुकिंग, वीजा सुविधा, बीमा और विदेशी मुद्रा विनिमय जैसी सुविधाएं शामिल है, प्रदान करती है। आईआरसीटीसी ने 64 पीएसयू/मंत्रालयों/सरकारी संस्थानों के साथ समझौता किया है।

5. सामूहिक पर्यटन

क. भारत दर्शन/आस्था सर्किट विशेष गाड़ी :

आईआरसीटीसी की सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन उत्पादों में भारत दर्शन पर्यटन गाड़ी है जिसके लिए कम्पनी आमजन को ध्यान में रखकर विशेष पर्यटक गाड़ी टूर पैकेज देती है। ये गाड़ियां पूरे देश के चारों ओर विभिन्न शहरों में संचालित होती है और

विभिन्न पर्यटन स्थलों की विभिन्न सर्किटों को जाती है। गैर वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में टूर पैकेज आकर्षक मूल्य 900 रूपए + लागू जीएसटी प्रतिदिन प्रति पर्यटक है। टूर पैकेज रेल और सड़क यात्रा, सभी भोजन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और आवास शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा सभी पर्यटकों का 10 लाख रू. राशि का दुर्घटना बीमा भी होता है। आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2018–19 में 99 भारत दर्शन गाड़ियों के ट्रिप परिचालित किए जबकि वित्त वर्ष 2017–18 में भारत दर्शन/आस्था सर्किट

पर्यटक गाड़ियों 85 ट्रिप थे। इस प्रकार आईआरसीटीसी ने समझौता ज्ञापन 2018–19 के लक्ष्य भारत दर्शन और आस्था गाड़ियों के ट्रिप 15 प्रतिशत (उत्कृष्ट) बढ़ाने के लक्ष्य को पार कर दिया।

ख) राज्य विशेष गाड़ियां

आईआरसीटीसी इन गाड़ियों को संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से चलता है। सरकारें इसके लिए लाभ प्राप्त करने वाले लोगों का चयन करती है जिसमें अधिकतर वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इस टूर में भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड की राज्य सरकारों के साथ गठबंधन करके उनके लिए राज्य विशेष गाड़ियां चलाई। वर्ष के दौरान कुल 1,50,753 पर्यटकों ने 170 फेरों में सेवा का लाभ उठाया।

ग) चुनाव विशेष गाड़ियां:

आईआरसीटीसी को वित्त वर्ष 2013–14 से आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में सेना और अर्धसैनिक बलों को ड्यूटी पर ले जाने का कार्य सौंपा गया था। आईआरसीटीसी को चुनाव विशेष गाड़ियों के संचालन के लिए एकल खिड़की बुकिंग नामित किया गया था। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आईआरसीटीसी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक विधान सभा चुनाव के लिए 248 गाड़ियां परिचालित की गई।

घ) वातानुकूलित पर्यटक गाड़ी:

बौद्धिस्ट विशेष पर्यटक गाड़ी के पारंपरिक रेक का उपयोग करते हुए, आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2018–19 में वातानुकूलित पर्यटक गाड़ी टूर पैकेज संचालित किया। वातानुकूलित पर्यटक गाड़ी की पहली यात्रा कोचिवली से संचालित की गई। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, आईआरसीटीसी ने कुल 665 यात्रियों के लिए 4 एसी पर्यटक गाड़ी टूर संचालित किए।

ङ) थीम आधारित पर्यटक गाड़ियां

i) रामायण एक्सप्रेस

आईआरसीटीसी ने भगवान राम के स्थानों को कवर करने वाली चार विशेष पर्यटक गाड़ियों का शुभारंभ और संचालन किया, जिसे ''रामायण एक्सप्रेस'' नाम दिया गया है। जबकि एक गाड़ी तमिलनाडु के मदुरै, दो नई दिल्ली से और चौथी राजकोट से संचालित की गई। गंतव्य में अयोध्या (यूपी), नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम आदि स्थानों को कवर किया गया है। चेन्नई से कोलंबो के लिए विमान द्वारा श्रीलंका जाने वाली स्लिप यात्रा भी अतिरिक्त शुल्क पर यात्रियों को दी गई। इस मूल पैकेज के श्रीलंका चरण अशोक वाटिका (हक्कागाला वानस्पतिक उद्यान) जैसे प्रसिद्ध स्थानों और मुन्नेश्वरी, मुन्नावरम, हनुमान मंदिर, कलनीया विभीषण मंदिर और महल, चाय बागानों और हाथी अनाथालय सहित प्राचीन काल के मंदिर भी शामिल हैं। ये गाड़ी सभी समावेशी टूर पैकेज के रूप में संचालित की गई और 1884 यात्रियों को सेवा प्रदान की गई।

ii) यूनिटी एक्सप्रेस

सरदार वल्लभ भाई पटेल (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में, आईआरसीटीसी के माध्यम से रेलवे ने ''यूनिटी एक्सप्रेस'' नामक एक विशेष पर्यटक गाड़ी चलाई। प्रस्तावित पैकेज में सभी समावेशी टूर पैकेज राजकोट से चलकर रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, शिरडी और शनि सिंगनापुर स्थानों को शामिल किया गया था। गाड़ी ने 498 यात्रियों को सेवाएं प्रदान की।

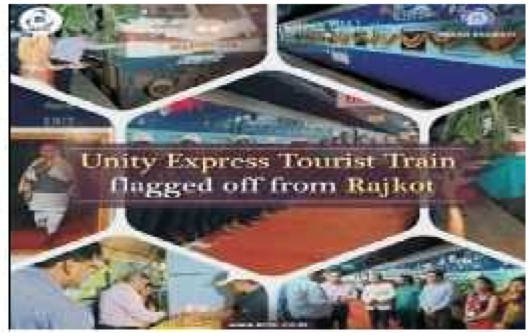

iii) समानता एक्सप्रेस

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की स्मृति में ''समानता एक्सप्रेस पर्यटक गाड़ी का संचालन मुंबई से किया गया, जिसमें उनके जीवन और भगवान बुद्ध से जुड़े सभी प्रमुख स्थान शामिल थे। चैत्यभूमि (मुंबई) – महू (इंदौर) – बोधगया (गया) – सारनाथ (वाराणसी) – लुम्बिनी (नौतनवा) – कुशीनगर (गोरखपुर) – दीक्षाभूमि (नागपुर) को कवर करते हुए यह सबसे सस्ती सभी समावेशी टूर पैकेज में से एक था। वर्ष के दौरान 553 पर्यटकों ने इस टूर का लाभ उठाया।

iv) राम सेतु एक्सप्रेस

आईआरसीटीसी का एक और अद्वितीय टूर पैकेज तमिलनाडु राज्य में स्थित मंदिरों को कवर करता है। चेन्नई (तांबरम रेलवे स्टेशन) से संचालित ''रामसेतु एक्सप्रेस– तमिलनाडु मंदिर यात्रा'' के नाम पर पैकेज है। इस एकलौते मंदिर टूर के द्वारा तमिलनाडु के 18 मंदिरों की समृद्ध वास्तुकला और इतिहास को देखने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। पैकेज में 228 यात्रियों को सेवाएं प्रदान की गई हैं।

6. अन्य पर्यटन गतिविधियां

क. इवेंट मैनेजमेंट :

आईआरसीटीसी ने इवेन्ट मैनेजमेंट व्यवसाय में कदम रखा है और भारतीय रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों के लिए विभिन्न सम्मेलन, कार्यक्रमों ओर प्रोत्साहन पैकेजों का संचालन और आयोजन कर रहा है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 9 कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रबंधन किया और इससे 1.80 करोड़ रू. की आय हुई।

इवेंट मैनेजमेंट के व्यवसाय क्षेत्र में संभावना को समझते हुए, आईआरसीटीसी खुद को एक पूर्ण इवेन्ट प्रबंधन कंपनी के रूप में स्थापित करने की योजना बना रही है और इवेन्ट से संबंधित आयोजनों (मीटिंग्स, प्रोत्साहन टूर, सम्मेलन और प्रदर्शनी–एमआईसीई) को आयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय, इसके पीएसयू और देश भर में अन्य सरकारी और निजी संगठनों के लिए सेवाएं प्रस्तावित कर रही है।

ख. चार्टर गाड़ी और कोच की बुकिंग

आईआरसीटीसी ने विभिन्न ग्रुपों के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में 700 (142 गाड़ियां और 558 कोचों) चार्टर परिचालित किए। आईआरसीटीसी को भारत भर में एफटीआर गाड़ियों/कोच की बुकिंग के लिए सिंगल विंडो एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है ओर 18.05.2018 को एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल का विकास और लॉंच किया गया है। रेल मंत्रालय ने चार्टर के आधार पर सभी गाड़ियों और कोचों के लिए एकल खिड़की बुकिंग सुविधा देने के लिए आईआरसीटीसी को नामित किया है। ऑनलाइन चार्टर बुकिंग का अगला चरण ग्राहकों/उपयोगकर्त्ताओं के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ एफटीआर गाड़ियों/कोचों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट www.ftr.irctc.co.in विकास के अन्तर्गत है।

ग. एयर चार्टर व्यवसाय

आईआरसीटीसी ने एयर चार्टर के एक नए बिजनेस सेगमेंट में कदम रखा है। प्रायोगिक आधार पर, आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2018– 19 के दौरान रेल मंत्रालय को सेवा प्रदान की और 4 एयर चार्टर्स संचालित किए। प्रारंभ में व्यवसाय सरकारी ग्राहकों तक ही होगा और बाद में बाजार में स्थिर होने के बाद बढ़ाया जाएगा।

घ. हिल एंव हैरिटेज चार्टर

आईआरसीटीसी सक्रिय रूप से भारत की 5 हिल रेलवे को बढ़ावा दे रही है जिसमें नीलगिरी माऊन्टेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका–शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे और माथरन रेलवे हैं। आईआरसीटीसी कालका–शिमला, नीलगिरी माउन्टेन रेलवे और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हिल चार्टड चला रही है। आईआरसीटीसी ने हाल ही में भारतीय रेलवे के रतलाम मंडल के पट्टलपानी कालकेड के धरोहर सैक्शन के लिए पैकेज लांच किया है।

ड. लग्ज़री रेलवे सैलून कार

रेल मंत्रालय ने अपने लग्ज़री सैलून कोचों के अपने बेड़े की बुकिंग खोलने का निर्णय किया है और इस विशेष रेल उत्पाद के विपणन और बुकिंग के कार्य को आईआरसीटीसी को सौंपा है। एक सैलून कार में आम तौर पर एक बैठक कक्ष, दो वातानुकूलित बेडरूम हैं – एक दो बेड वाला कक्ष और दूसरा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कूपे के जैसा, अटैच बाथरूम सहित, पर्यटकों की मांग के अनुसार परिचर, खानपान, पिक और ड्रॉप जैसी वैकल्पिक सेवाओं की व्यवस्था की जा सकती है। वित्त वर्ष 2018– 19 के दौरान, आईआरसीटीसी ने यात्रियों को पैकेज सेवा प्रदान करने के लिए बैक–एंड सेवा प्रदाता को सूचीबद्ध किया है। भारतीय रेलवे ने 2 पूर्णतः वातानुकूलित और 5 आंशिक वातानुकूलित सैलून कार आबंटित किए हैं, जिनमें से केवल 2 पूर्णतः वातानुकूलित आईआरसीटीसी के लिए व्यवहार्य और परिचालन योग्य हैं। वित्त वर्ष 2018– 19 में, आईआरसीटीसी ने 20 सैलून कारों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। आईआरसीटीसी ने रेलवे से सभी पांच जोनल कार्यालयों में चार्टर्ड परिचालन और सैलून कार टूर के लिए पूर्णतः वातानुकूलित 5 सैलून कार प्रदान करने का अनुरोध किया है।

च. स्टेशनों पर विश्राम कक्षों और होटलों की ऑनलाइन बुकिंग:

रेल यात्री जिनकी कन्फर्म पीएनआर है वे 498 रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी के टूरिज़्म पोर्टल पर विश्राम कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी के होटलों और एक्जीक्यूटिव लाऊंज को भी ऑनलाइन बुकिंग कराने की सुविधा पर्यटन पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। आईआरसीटीसी ने विभिन्न प्रसिद्ध ऑनलाइन होटल समेकनकर्त्ताओं के साथ ग्राहकों के लिए होटल बुकिंग के लिए गठजोड़ किया है।

छ. कांच की छत वाले कोच:

आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष के दौरान पर्यटन मंत्रालय की सहायता से कांच की छत वाले कोचों की योजना लागू की है।

ज. आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप्स:

आईआरसीटीसी ने अपना उपयोगकर्त्ता अनुकूल यात्रा एवं पर्यटन मोबाइल ऐपों आईआरसीटीसी एयर और आईआसीटीसी टूरिज़्म मोबाइल अनुप्रयोग 31 मई 2016 को शुरू किया गया। आईआरसीटीसी ऐप का अनुप्रयोग पहले से एन्ड्रॉइड और आईओएस प्रयोगकर्त्ताओं के लिए उपलब्ध है। रेल और एयर टिकटिंग और आईआरसीटीसी टूरिज़्म को शामिल करते हुए आईआरसीटीसी का एकीकृत एप रेल कनेक्ट के नाम से 10.01.2017 को जारी किया गया। 31 मार्च 2019 तक आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप के एक करोड से अधिक डाऊनलोड हो चुके हैं और इस ऐप पर नियमित रूप से पैकेज बुक हो रहे हैं। **महाराजा एक्सप्रेस** के लिए एक एप एंड्रॉइड के साथ आईओएस के लिए विकसित किया है ताकि, मेहमानों की फीडबैक प्रणाली की रिकॉर्डिंग और ऑफ बोर्ड भ्रमण को प्रचार सरल हो सके एप में विस्तृत यात्रा कार्यक्रम, गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग आदि भी है।

i) पर्यटन पोर्टल:

आधुनिक तकनीक के युग में जहां इंटरनेट, वेबसाइट और ऐप दुनिया पर शासन कर रहे हैं, आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के रूप में बढ़ने की क्षमता को महसूस किया है। आईआरसीटीसी ने अपने पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com को लॉन्च किया और ग्राहकों को सम्पूर्ण ऑनलाइन यात्रा समाधान पेश कर रहा है। पोर्टल को फ्रेंचाइज इंण्डिया द्वारा वर्ष 2015 से 2018 तक लगातार चार वर्षों तक इंडियन ई–रिटेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पोर्टल पर पर्यटक गाड़ियां, एयर टिकटों, रेल, वायु या लैण्ड टूर पैकेजों, होटल, सैलून कारों, वातानुकूलित पर्यटक गाड़ियों, इवेन्ट मैनेजमेन्ट आदि की ऑनलाइन बुकिंग प्रदान करता है। यह अन्य ओटीए के द्वारा प्रदान उपयोगकर्त्ता अनुकूल और सुविधाओं के समान हैं, आईआरसीटीसी ने अपनी पर्यटन वेबसाइट में सुधार किया है।

नए पर्यटन उत्पादों जैसे कला कुंड –पाताल पानी पैकेज, ऑनलाइन होटल बुकिंग, ई–टिकटिंग की माइक्रोवेबसाइट लिंक, पंचतख्त एक्सप्रेस, रामायण यात्रा गाड़ियां, समानता एक्सप्रेस, यूनिटी एक्सप्रेस गाड़ियां, टेम्पल राम सेतु एक्सप्रेस, बुद्धिस्ट सक्रिट गाड़ी का नया रेक आदि शामिल हैं, नए पोर्टल के संस्करण में ग्राहकों को बुकिंग के लिए शामिल किया जा रहा है।

अत्यंत विविधता युक्त पर्यटन उत्पाद आईआरसीटीसी को पर्यटन के क्षेत्र में विकास का बृहत अवसर प्रदान करता है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी मौजूदा व्यवसायी क्षेत्रों के विस्तार और सुव्यवस्थितता के साथ–साथ नई उत्पाद सेवाओं को पेश करके आगामी वर्षों में पर्यटन व्यवसाय की और बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। जिसमें निम्न विशिष्ट क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा :–

1. **क्रूज पैकेज:** आईआरसीटीसी विश्व भर में बड़े क्रूज पैकेज के लिए क्रूज लाइनर्स के साथ पैकेज लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईआरसीटीसी क्रूज में सीटों/कमरों को ब्लॉक करेगा और उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचेगा।
2. **रिवर क्रूज पैकेज:** आईआरसीटीसी भारत में लक्जरी रिवर क्रूज की पेशकश करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ भी समझौता करने जा रही है। ये टूर पहले चरण में महाराजा एक्सप्रेस के अपने मेहमानों को प्रदान करेगी। जून 2019 के लिए पहला क्रूज पैकेज दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया है।
3. **कार्गो बिजनेस:** आईआरसीटीसी कार्गो बिजनेस में शामिल होकर खुद को लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में शामिल कर लेगा। आईआरसीटीसी रेल–आधारित पर्यटन उत्पाद लाइन से बाहर व्यापार प्रोफाइल भी बढ़ाएगा। आईआरसीटीसी ने मैसर्स स्काई टच एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कार्गो बिजनेस के लिए करार किया है।
4. **वातानुकूलित पर्यटक गाड़ियां** : आईआरसीटीसी बुद्धिस्ट गाड़ी के पारम्परिक रेकों को अधिक वातानुकूलित पर्यटक गाड़ियों के संचालन के लिए उपयोग करेगा और पूरे भारत में विभिन्न पर्यटक मार्गों को लॉन्च और संचालित करेगा।
5. **विदेशी मुद्रा, वीजा और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बीमा:** आईआरसीटीसी मुख्य रूप से आईआरसीटीसी के आउटबाउंड टूर पैकेज ग्राहकों को लक्षित करने और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए इन व्यवसायों को शुरू करेगा।
6. **एडवेंचर टूरिज्म:** आईआरसीटीसी एडवेंचर टूर पैकेज लॉन्च और संचालित करने की योजना बना रहा है। इस प्रकार की पहली बाइकिंग टूर बैंगलोर से मेघालय और दूसरी दिल्ली से भविष्य में संचालित की जाएगी। आईआरसीटीसी ने साहसिक पर्यटन जैसे बाइकिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण आदि शुरू करने और संचालित करने की योजना बनाई है।

ग. इंटरनेट टिकट

आईआरसीटीसी की ई–टिकटिंग सेवा बाजार में आने के बाद से मजबूती से आगे बढ़ रही है और अब भारतीय रेलवे पर आरक्षित टिकटों के 70% ऑनलाइन बुक किए गए हैं, 2018–19 के दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से औसतन प्रतिदिन 7.78 लाख से अधिक टिकट बेचे गए थे। यह साइट 2345 बजे से 0020 बजे तक 35 मिनट के अलावा चौबीस घंटे टिकटों की बुकिंग सेवा रहती है।

सेवा प्रभार:

आईआरसीटीसी द्वारा गैर–वातानुकूलित श्रेणी के लिए 20/–रू. तथा वातानुकूलित श्रेणी के लिए 40/–रू. प्रति ई–टिकट का नाममात्र सेवा प्रभार पहले लिया जाता था और रेल मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर 2016 को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसे वापस ले लिया गया था और इसे अभी तक समाप्त रखा गया है।

सेवा प्रभार वापस लेने के परिणामस्वरूप 2018–19 के दौरान आईआरसीटीसी के कारोबार में 804 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। 23.112016 से 31.03.2019 तक ई–टिकटों पर सेवा प्रभार नहीं वसूलने के कारण 1718 करोड़ रू के राजस्व की हानि हुई। इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली के अनुरक्षण और संचालन के लिए रेल मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 में 88 करोड़ रू. की प्रतिपूर्ति की है।

टिकटों पर सेवा प्रभार वापस लेने के परिणाम स्वरूप इस सेगमेंट से आय कम हो गई है, डेटा मुद्रीकरण, खुदरा प्रबंधन आदि द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन योजनाओं के साथ वेबसाइट की पूरी क्षमता का लाभ लेने के प्रयास किए जा रहा है।

आय

क. बुक किए गए ई–टिकट और यात्रियों की संख्याः

वर्ष 2017–18 के दौरान 2466 लाख की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 2841 लाख टिकट बुक किए गए। वर्ष 2017–18 के कुल 4340 लाख यात्रियों की तुलना में वर्ष के दौरान 4949 लाख यात्रियों की बुकिंग की गई । वर्ष के दौरान यात्री से टिकटों का अनुपात 1:74:1 था।

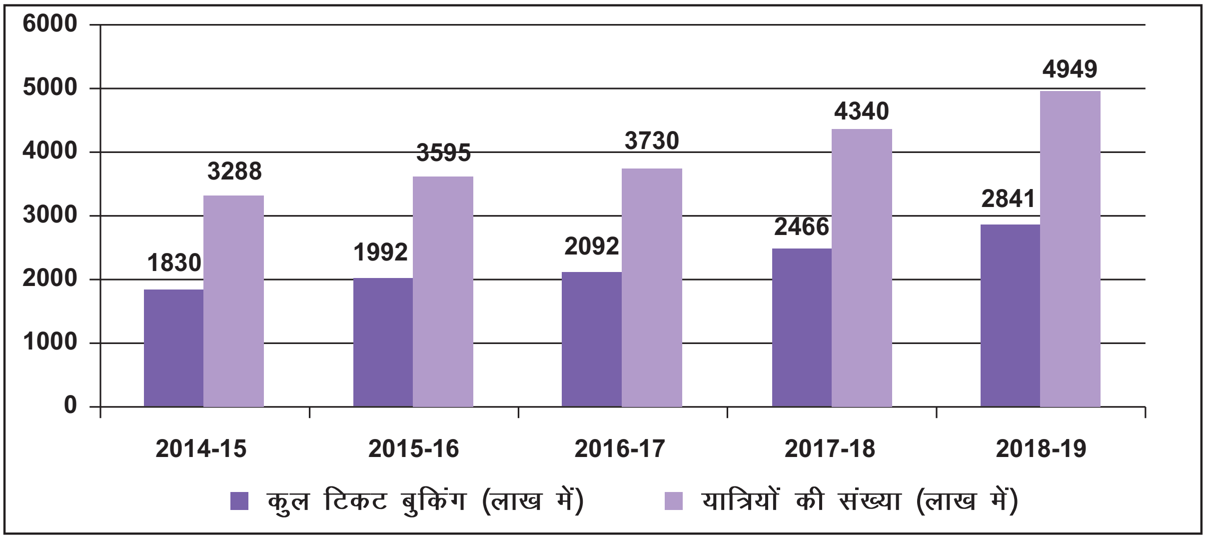

ख. ई–टिकट राजस्व संग्रहः

वर्ष 2018–19 के दौरान, कुल 32,069 करोड़ रूपए ई–टिकटिंग राजस्व के तहत उपयोगकर्ताओं से टिकट किराया एकत्र किया गया जो कि पिछले वर्ष के 28,475 करोड़ रूपए की तुलना में 12.62% की बढ़ोत्तरी हुई।

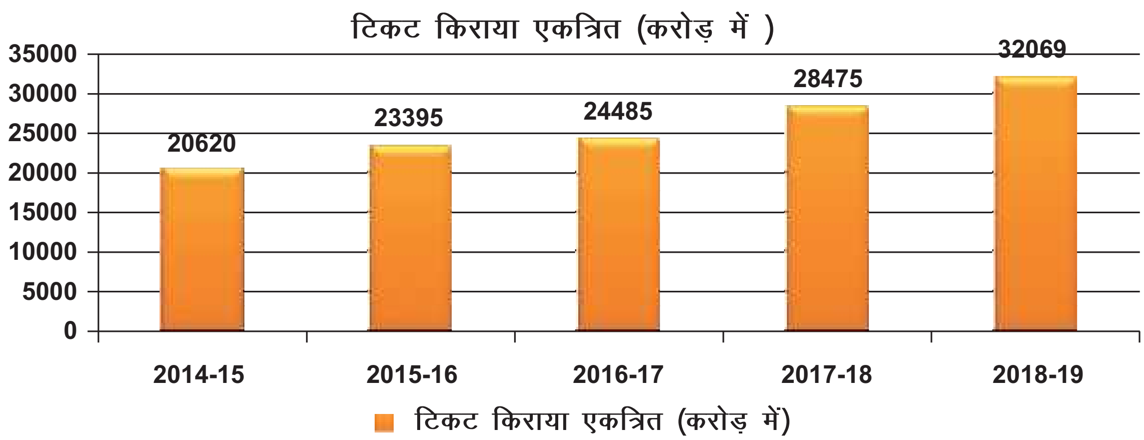

2018–19 के लिए एमओयू लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं.	लक्ष्य	उपलब्धि का स्तर
1	ई–टिकटिंग में रोलिंग डिपोजिट योजना (आरडीएस) प्रक्रिया 30.09.2018 तक	30.06.2018 को उपलब्धि प्राप्त की।
2	आईआरसीटीसी की स्वयं की पेमेन्ट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को 31.12.2018 तक लांच करना।	17.10.2018 को उपलब्धि प्राप्त की ।

2018–19 के दौरान की गई नई पहल

- ई–टिकटिंग वेबसाइट के लिए नया यूजर इंटरफेस 14–जून –2018 को लॉन्च किया गया
- उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतीक्षा सूची टिकटों की पुष्टि भविष्यवाणी सुविधा। (15 जून –18 से)
- दृष्टिबाधितों और दिव्यांगजनों उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल ऐप पर ई–टिकट बुकिंग सुविधा।
- वेबसाइट पर बुक नाउ पे लेटर (15 दिनों के बाद) की सुविधा।
- ई–टिकट बुक करने के लिए दृष्टिबाधितों की सहायता के लिए 'टॉकबैक' सुविधा शामिल करना (26 अक्टूबर 2018 से)
- ई–टिकट बुकिंग के लिए **डेबिट कार्ड पर शून्य लेनदेन शुल्क**।
- रेलवे और गृह मंत्रालय के बीच अर्धसैनिक बलों के वारंटों के आदान–प्रदान को समाप्त करने के लिए सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए ई–टिकटिंग सेवा की सुविधा दी जानी है।
    - **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ई–टिकटिंग सेवा** (04 जुलाई 2018 को शुरू की गई)
    - **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ई–टिकटिंग सेवा** (11 जुलाई 2018 को शुरू की गई)।
- **पुश अधिसूचनाएँ** – उपयोगकर्ता व्यस्तता और प्रतिधारण उपकरण जो वेब और ऐप का उपयोग करता है, अधिसूचनाओं को पुश करने के लिए एक संचार चैनल के रूप में आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं के लिए वर्ष के दौरान शुरू किया गया।
- **एएसके दिशा** (चैट बॉट): आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर आधारित एक अभिनव समाधान 11 अक्टूबर 2018 को शुरू की गई। यह बिना किसी समय अंतराल के तुरंत अपने प्रश्नों के उत्तर देकर वेबसाइट और मोबाइल ऐप आगंतुकों की मदद करता है और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करता है और व्यापार को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाने में मदद करता है, नए व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देता है और नवाचार को बढ़ावा देता है।

- **आईपे: आईपे** आईआरसीटीसी का स्वयं का भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म की अवधारणा की जा रही है और वर्तमान में इसे आंतरिक लेनदेन के लिए संभावित व्यापार अवसर को समझने और मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक आधार पर खोला गया है। प्रायोगिक के पूरा होने और उद्योग में परिचालन उपयोगिता और तकनीकी मजबूती का मूल्यांकन करने के बाद, व्यवसाय के अन्य अवसरों को देखते हुए, उत्पाद को अन्य बाजार क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है।
- **रेल ई–टिकट के साथ शिरडी के लिए ऑनलाइन दर्शन पास की बुकिंग** आईआरसीटीसी ई–टिकटिंग वेबसाइट से दिनांक 23.01.2019 से शुरू की गई।
- **गाड़ी में खाली सीट चार्ट** मॉड्यूल में उपयोगकर्ताओं को गाड़ी आरक्षण चार्ट में खाली, बुक और आंशिक रूप से बुक किए गए बर्थ की पूरी जानकारी देखने के लिए 27 फरवरी 2019 से व्यवस्था की गई है।

इंटरनेट टिकटिंग की मुख्य विशेषताएं (2018–19)

- बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या 2841 लाख थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.21 % अधिक थी।
- वर्ष के दौरान ऑनलाइन ई–टिकटिंग से कुल प्राप्त टिकट किराया 32,069 करोड़ रूपए था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12. 62% अधिक था।

- 31 मार्च, 2019 तक मोबाइल ऐप (एण्ड्रॉइड) डाऊनलोड की कुल संख्या 3.15 करोड़ थी ।
- मोबाइल बुकिंगः – औसत मोबाइल ऐप बुकिंग 2017–18 के 1.32 लाख टिकटों की तुलना में 2018–19 के दौरान 2.79 लाख टिकटें प्रति दिन रही।
- वर्ष 2018–19 के दौरान एजेंटों (वेब सेवा माडल) द्वारा बुक की गई कुल ई–टिकटें 20% रही।
- प्रीमियम भुगतान पर वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा 01.09.2018 से शुरू की गई। इससे पूर्व रेल यात्रियों को मुफ्त बीमा प्रदान किया जाता था । वर्ष के दौरान 35 करोड़ यात्रियों ने बीमा सुविधा का लाभ उठाया।

घ. बोतलबंद पीने का पानी (रेल नीर)

31 मार्च, 2019 तक आईआरसीटीसी के 07 संयंत्र परिचालित हैं जो कि दिल्ली, पटना, पालूर, अम्बरनाथ, अमेठी, पारासल्ला और बिलासपुर में हैं, इनमें से अमेठी और पारासल्ला पीपीपी योजना के तहत चल रहे हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना में रेल नीर संयंत्रों का कार्यनिष्पादन निम्न प्रकार है:

वित्त वर्ष	उत्पादन (बोतल करोड़ों में	टर्नओवर (करोड़ रु. में)	संयंत्र उपयोगिता (प्रतिशत)
2018-19	21.50	188.00	83%
2017-18	20.20	175.00	82%

गुणवत्ताः रेल नीर संयंत्र, दानापुर, नांगलोई, पालुर और अम्बरनाथ आईएसओ 9001–2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण और रेल नीर संयंत्र, अम्बरनाथ 22000:2015 प्रमाणीकरण के साथ मान्यता प्राप्त है।

रेल नीर बोतलबंद पेयजल का मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम से स्पष्ट है कि रेल नीर की गुणवत्ता कीटनाशक अवशेष के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) मानदंडों के अनुरूप है।

2018–19 के दौरान रेल नीर के हापुड, सांन्द, नागपुर एवं भोपाल में चार संयत्र स्थापित किए गए जिससे एमओयू लक्ष्य 2018.19 को उत्कृष्ट श्रेणी में प्राप्त हुआ।

प्रौद्योगिकी / क्षमता उन्नयनः

- डिजाइन प्रति कृति और नकली पानी की परिणामी बिक्री का मुकाबला करने के लिए, रेल नीर की बोतल पर सुरक्षा विशेषता के रूप में एक होलोग्राम लगाया गया।
- रेल नीर वितरण परिचालन निगरानी के लिए हैंडहेल्ड टर्मिनलों (एचएचटी) का उपयोग।
- रेल नीर कैरीइंग और फॉरवर्डिंग एजेंसियां (सीएफए) को हैंडहेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) के माध्यम से इनवॉइसों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। लाइसेन्सियों को लाइव रिकॉर्ड और गाड़ियों और खानपान इकाइयों को स्टॉक की बिक्री और आपूर्ति के समाधान हो सके। इसने बिल निपटारे की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, सटीक और वास्तविक समय में होता है। इसके परिणामस्वरूप रिकॉनसिलेक्शन के लिए स्टेशनरी और समय में बचत हुई है। आईआरसीटीसी सर्वर के साथ उपर्युक्त डेटा को ऑनलाइन जोड़कर रेल नीर परिचालन के कार्यनिष्पादन का आंकलन करने के लिए निर्णय लेने वाले टूल बनाने का प्रस्ताव है।

भविष्य की क्षमता और योजनाः

- ✓ भारतीय रेलवे पर पैक किए गए पेयजल की औसत दैनिक आवश्यकता लगभग 18 लाख बोतलें / प्रतिदिन है। आईआरसीटीसी की औसत उत्पादन क्षमता सात कार्यरत संयंत्रों में 6.8 लाख बोतलें प्रतिदिन हैं। दस और संयंत्रों को चालू करने के साथ, क्षमता प्रति दिन औसतन 14 लाख बोतलों तक बढ़ जाएगी ये 2020–21 तक परिचालित होगी इससे भारतीय रेलवे की 85% मांग पूरी हो पाएगी।
- ✓ हापुड, सांन्द, नागपुर और भोपाल में नए स्थापित संयंत्र वाणिज्यिक रूप से परिचालित हो गए हैं। नागपुर संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन शीघ्र शुरू हो जायेगा।
- ✓ तीन ओर संयंत्र जागी रोड, संक्रेल और जबलपुर पूर्ण होने के अग्रिम चरण में हैं और अक्तूबर 2019 से उत्पादन शुरू होने की संभावना है।
- ✓ इसके अलावा तीन और संयंत्र भूसावल, ऊना एवं विजयवाडा निर्माणाधीन है और 2019–20 के दौरान चालू कर दिए जाएंगे।
- ✓ आईआरसीटीसी ने एनटीपीसी के सिमाध्री पावर प्लांट परिसर में रेल नीर संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता किया है। जिसमें स्रोत शोधित पानी एनटीपीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। एनटीपीसी ने एक फ्यूल गैस आधारित सागर जल (एफजीएसडब्ल्यू) विलवणीकरण (डीसैलिनेशन) प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से डिस्टिल्ड जल का उत्पादन होता है और खनिज और ओजोनेशन के बाद बोतल भरने के लिए उपयुक्त बना दिया जाता है।ये संयंत्र पर्यावरण अनुकूल हैं क्योंकि कच्चे पानी को जमीन से निकाला नहीं जाता है।

प्रौद्योगिकी / क्षमता उन्नयन

वाटर वेन्डिंग मशीन

रेल मंत्रालय में आईआरसीटीसी को **वाटर वेन्डिंग मशीनों** के माध्यम से रेल यात्रियों को शुद्ध, ठंडा पेयजल सस्ती दरों (5/–प्रति 1 लीटर की दर से) पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए थे ताकि, प्लास्टिक की बोतलों की कम खपत से प्रदूषण कम किया जा सके और रोजगार उत्पन्न हो सके।

31 मार्च 2019 तक आपकी कम्पनी ने संचयी रूप से कुल 1956 वाटर वेडिंग मशीनों को लगाया। श्रेणी ए–1, ए, बी और सी के कुल 1194 स्टेशनों में से कुल 619 स्टेशनों पर वाटर वेन्डिंग मशीनों को लगा दिया है जिससे लगभग 97 प्रतिशत ए–1 श्रेणी के स्टेशन कवर हो गए हैं।

3. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास कंपनी में लोगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण है ताकि वे अपने व्यापार को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सके। आईआरसीटीसी में, मानव संसाधन (एचआर) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने पर ध्यान देने वाले लोगों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने में सक्षम है। । यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और पुरस्कार कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

31 मार्च, 2019 तक, कंपनी के पास निम्नलिखित विवरणों के साथ 2250 कर्मचारियों की कुल श्रमशक्ति थी:

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
नियमित कर्मचारी	1395
प्रतिनियुक्ति पर	50
अनुबंध / जैड टी ओ	64
परामर्शदाता	51
आऊटसोर्स	657
प्रशिक्षु	33

कंपनी के नियमित कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों, विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और प्रतिशत का उल्लेख नीचे किया है:–

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	नियमित कर्मचारियों की सं. का कुल %
महिला कर्मचारी	131	5.8
अनुसूचित जाति कर्मचारी	271	12.85
अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	73	3.47
अन्य पिछड़ा वर्ग	341	16.14
दिव्यांग कर्मचारी	05	0.24
भूतपूर्व सैनिक	NIL	—

भारत सरकार ने समय–समय पर आरक्षण संबंधी नीतियां जारी की हैं, जिनमें विशिष्ट पदों के लिए सीधी भर्ती के साथ–साथ पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आईआरसीटीसी केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत आरक्षण नीतियों का कड़ाई से अनुपालन करती है।

2018–19 के लिए एमओयू लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां

क्र.सं.	लक्ष्य	उपलब्धियों की स्थिति
1	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर्मचारियों की कुल संख्या के 2.5% से 10% तक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के डीपीई के दिनांक 17.05.2018 के दिशानिर्देशों का अनुपालन।	उपलब्धि प्राप्त की गई। 33 प्रशिक्षु नियुक्त किए गए जो कि कुल कर्मचारियों की संख्या का 2.5% है।
2	ऑनलाईन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का नियमित अद्यतन करना।	उपलब्धि प्राप्त की गई। ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली 30 नवम्बर 2018 को अद्यतन की गई।
3	मानव संसाधन लेखा परीक्षा की सिफारिशों पर निदेशक मंडल के निर्णयों को लागू करना।	मानव संसाधन का बाह्य लेखा परीक्षा स्वतंत्र फर्म मैसर्स सिम्पली एचआर द्वारा किया गया और इसकी सिफारिशों को निदेशक मंडल को 20 दिसम्बर 2018 को प्रस्तुत किया गया।

कर्मचारी कल्याणः

संगठन के मानव संसाधन के महत्व को समझते हुए, मानव संसाधान विभाग ने 2018–19 के दौरान निम्नलिखित कल्याणकारी कदम उठाए हैः

- **व्यापक समूह बीमा योजनाः** प्रतिनियुक्ति सहित सभी कर्मचारियों के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसमें प्राकृतिक मृत्यु भी शामिल है, पहले कवर की गई आकस्मिक मृत्यु के अलावा, कवरेज राशि मूल वेतन का 60 महीने है।
- **चिकित्सा बीमा योजनाः** आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगे सभी संविदा कर्मचारियों को स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा का लाभ दिया गया है। इस योजना में ईएसआईसी कवरेज वाले कर्मचारियों को 400/–रू. प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति और अन्य के लिए 800/– रू. की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- **अंशदायी कल्याण योजनाः** कर्मचारी/कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक मदद का विस्तार करने के लिए, असामयिक/अचानक मृत्यु के मामले में, आईआरसीटीसी अंशदायी कल्याण योजना सभी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से 50/– रू. प्रतिमाह द्वारा शुरू की गई है।
- **सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजनाः** डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, पीआरएमएस योजना को रेलवे मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2018 में 15 साल की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए अनुमोदित किया गया है।
- **फास्ट ट्रैक प्रमोशन पॉलिसीः** योग्य और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को त्वरित पदोन्नति देने के लिए डीजीएम (ई 4), एएम (ई 2) और कार्यकारी (ई 0) के स्तर के लिए सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) शुरू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत की गई डब्ल्यू 6 और डब्ल्यू 5 के श्रेणियों के पदों के लिए एलडीसीई आयोजित की गई जिससे 350 वर्कमैनों को लाभ प्राप्त हुआ।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी में औद्योगिक सद्भाव बनाए रखा गया और मानव दिवस की कोई हानि नहीं हुई। कम्पनी में सशक्तिकरण, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण और प्रबंधन में भागीदारिता के द्वारा प्रभावी कार्य संस्कृति स्थापित की गई है।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 197 (12) जिसे कम्पनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां) नियम 2014 के नियम 5(2) के अन्तर्गत पढ़ा जाए में प्रत्येक कम्पनी को कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक दिए जाने वाले का नाम और अन्य विवरण कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में देना होता है।

तथापि भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के 05 जून 2015 के जारी अधिसूचना में सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 197 की व्यवस्था से छूट दी गई है।

आपकी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है अतः ऐसा विवरण निदेशक रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित नहीं है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (आईटी) और उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)

वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के तहत निम्नलिखित पहल की गईः

- संगठन का सभी आधिकारिक डेटा को डिजिटल रूप में सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है और इसे प्रयोगकर्ता सही नियंत्रण से देख सकता है।
- फील्ड अधिकारियों को गाड़ियों में निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा कैप्चर करने और यात्रियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए टैबलेट प्रदान किए गए थे। उच्च प्रबंधन के लिए एक डैशबोर्ड भी प्रदान किया गया है ताकि सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की जा सके।
- लगभग 25 किचन संचालन की नियमित निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस है; और माननीय रेलमंत्री के डैशबोर्ड "रेल दृष्टि" से भी जुड़े है।
- रसोई के परिचालन कार्य की निगरानी और सेवाओं में बेहतरी के लिए पहचान की गई विसंगतियों का पता लगाने के लिए लगभग 16 रसोईघरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एलएफडी के माध्यम से इन सभी स्थानों की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है।

5. सतर्कता

आईआरसीटीसी का सतर्कता विंग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि सीवीसी, रेलवे बोर्ड सतर्कता और संगठन के साथ सीधे रूप में समन्वय करता है। इसे विभिन्न औचक जांच करने के लिए जनादेश और समय–समय पर विभिन्न अन्य विभागों के अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच, संगठन में कदाचार, भ्रष्टाचार और अनुचित/गैरकानूनी व्यावसायिक आचरण का समय पर पता लगाने की जिम्मेदारियों के साथ सौंपा गया है। यह सतर्कता प्रशासन, नीति और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में आईआरसीटीसी प्रबंधन और रेलवे बोर्ड सतर्कता के साथ समन्वय करता है। आईआरसीटीसी की सतर्कता विंग का प्रमुख पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को कॉर्पोरेट कार्यालय में एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, 3 सतर्कता अधिकारी और 2 सतर्कता निरीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है। कार्यक्षेत्रों में सतर्कता से संबंधित मामले को संभालने के लिए विभिन्न जोनों में 5 सतर्कता अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग का ही एक अंग है जो कि पादर्शिता, स्वस्थ प्रक्रिया, अच्छा व्यवसाय आचरण को संस्कृति को मजबूती से पालन करने में प्रयासरत और संगठन में सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देना है। सर्तकता विभाग का ध्यान देने योग्य क्षेत्र में कार्य संस्कृति में सतर्कता के द्वारा रोकथाम और निगरानी तथा चौकसी रखना है। इसके अलावा पारदर्शिता को बढ़ाकर और विवेक का क्षेत्र घटाकर स्वस्थ प्रणाली और प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

2018–19 के दौरान, सतर्कता विभाग ने 39 शिकायतों की विस्तृत जांच की और खानपान और ई टिकट क्षेत्र में 128 निवारक/औचक जांच की विभिन्न स्रोतों से ईमेल के माध्यम से प्राप्त लगभग 201 शिकायतों पर कार्रवाई की गईं। इस तरह के कदाचार और भ्रष्टाचार की घटनाओं को संबंधित विभाग को लाइसेंसधारकों और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सूचित किया गया, इसके परिणामस्वरूप 5,19,29,747 रू. का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग की सिफारिश पर विभिन्न विभागों विशेष रूप से खरीद, खानपान और ई टिकट क्षेत्र में कदाचार के मामलों को कम करने के लिए प्रणाली सुधार लागू किए गए। सीवीसी के शासनादेश के अन्तर्गत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सतर्कता विभाग की गतिविधियों और कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करते हैं। शिकायतों के और अनुशासत्मक कार्रवाई की पहचान की गई और उनका निपटान प्राथमिकता की आधार पर किया गया। इसके अलावा सतर्कता विभाग ने एक कर्मचारी के विरूद्ध बढी शास्ती, दो कर्मचारियों के विरूद्ध लघुशास्ती और छह कर्मचारियों के विरूद्ध अन्य मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। मुख्य सर्तकता अधिकारी की अध्यक्षता में सभी जोनों के सतर्कता अधिकारीयों के साथ दिनांक 28 मार्च 2019 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रणाली सुधार के लिए सतर्कता विभाग ने सेवा में कमी, निर्धारित संरक्षा/पर्यावारणीय उपायों और रेल नीर संयंत्रों में स्टॉक समाधान, ई–निविदा प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए ठोस और कड़ी कार्रवाई की नीति का सुझाव/निर्देश विभागों को दिए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 29 अक्टूबर, 2018 से 03 नवंबर, 2018 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय '' भ्रष्टाचार उन्मूलन–नया भारत का निर्माण'' था। ''पारदर्शिता, जवाबदेही नियमों–कानून का पालन करते हुए निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया जिसमें सरकार और उसके संगठनों के कामकाज के सभी क्षेत्रों में प्रभावी और कुशलता शामिल थी। कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में निदेशक/खानपान सेवाएं द्वारा सीवीसी/रेलवे बोर्ड/आईआरसीटीसी आदि के लेख, परिपत्र/पत्र आदि सहित एक सतर्कता प्रकाशन जारी किया गया। अपील संदेशों के साथ बैनर और पोस्टर कार्य स्थलों, खानपान इकाइयों, गाड़ियों आदि में प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताए जैसे निबंध लेखन, पोस्टर बनाना, परिचर्चा, क्विज आईआरसीटीसी के कॉर्पोरेट, क्षेत्रीय और आचंलिक कार्यालयों में आयोजित किए गए।

कर्मचारियों को विभिन्न नियमों/विनियमों जिसका दिन प्रतिदिन कामकाज के दौरान पालन करना आवश्यक होता है से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम/कार्यशाला/सेमिनार आयोजित किए गए। जनता में अधिक जागरूकता लाने और भागीदारी बनाने के लिए, आयोग ने "सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" की एक परिकल्पना की। आईआरसीटीसी के इंटरनेट टिकटिंग सेंटर ने सप्ताह के दौरान आईआरसीटीसी ई–टिकट उपयोगकर्ताओं को लगभग 1.08 करोड़ ई–मेल भेजे, जिसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन की सूचना और ई–टिकटिंग प्रक्रिया, ई–कैटरिंग के माध्यम से खाने की बुकिंग में क्या करें, क्या न करें ताकि धोखाधड़ी/भ्रष्ट्राचार से बचा जा सके और सीवीसी की वेबसाइट पर ई–शपथ लेना बताया गया।

सत्यनिष्ठ समझौता

आईआरसीटीसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सत्यनिष्ठ समझौता कार्यक्रम को ऐसे उद्देश्य के साथ लागू किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी कंपनी या सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से किया जाए। आईआरसीटीसी द्वारा सत्यनिष्ठ समझौता को अपनाने से स्वस्थ व्यवसाय प्रथाओं को स्थापित करने में मदद मिली है। सार्वजनिक खरीद/अनुबंधों में पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने सत्यनिष्ठ समझौता को अपनाया है। सीवीसी के अनुमोदन से आईआरसीटीसी में एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किया गया है। सत्यनिष्ठ समझौता के लिए एक समन्वयक भी नियुक्त किया गया है जो अब सभी निविदाओं में उपयोग किया जा रहा है जो कि पहचान की सीमा मूल्य से परे हैं।

6. व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी/चौकसी तंत्र की स्थापना

चौकसी तंत्र की स्थापना के संबंध में प्रकटीकरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में **परिशिष्ट– ''ख''** में शामिल किया गया है।

7. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आईआरसीटीसी का मानना है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) किसी भी देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और इसलिए, इसने सीएसआर को अपनी लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना दिया है। आपकी कंपनी को अनुपालन वैधानिक से अधिक है और कंपनी के कार्य केंद्रों के आसपास और बड़े पैमाने पर समाज के स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने का प्रयास करती रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी वित्त वर्ष 2018–19 में परियोजनाओं/गतिविधियों पर 6.88 करोड़ रू. (पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत) का व्यय किया है।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) और 135 (2) के साथ पढ़ा जाए, में आवश्यक सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **परिशिष्ट– ''ग''** पर लगी है।

8. अनुपालन

8.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिनियम, 2005 को नागरिकों के लिए व्यावहारिक **सूचना के अधिकार** का शासन स्थापित करके लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचनाओं तक सुरक्षित पहुंच कर पारदर्शिता और जबावदेही का बढ़ावा देना है। सूचना के अधिकार के आवेदनों को त्वरित रूप में निपटान करने के लिए आईआरसीटीसी प्रत्येक आवेदन का एक यूनिक पंजीकरण नम्बर (यूआरएन) देता है और इसका उत्तर संबंधित मुख्य जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा से पूर्व दिया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्यवस्था के अनुरूप कॉरपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने जनसूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं। मुख्य जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों की सूची आईआरसीटीसी की वेबसाइट अर्थात् www.irctc.com पर उपलब्ध है। आईआरसीटीसी ने आरटीआई एमआईएस पोर्टल को ऑनलाइन आरटीआई कर दिया है और ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों का निपटान आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आरटीआई मामलों का तेजी से निपटान हो रहा है।

वर्ष 2018–19 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 2056 आवेदन प्राप्त हुए जिनका समय पर निपटारा कर दिया गया।

विवरण	अन्य लोक प्राधिकारी से अनुच्छेद 6(3) के अन्तर्गत स्थानांतरित प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकारी को अनुच्छेद 6(3) के अन्तर्गत स्थानांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जिनमें आवेदन/अपील खारिज़ किए गए	निर्णय जिनमें आवेदन/अपील का उत्तर दिया गया।
आवेदन	107	2024	384	28	1587
प्रथम अपील	0	167	2	0	165

8.2 राष्ट्रपति के निर्देश

वर्ष के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ ।

8.3 राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन में निगम राजभाषा के कार्यान्वयन पर लगातार बल देता आया है। कम्पनी में राजभाषा के प्रयोग को बढाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है। कम्पनी ने राजभाषा के प्रयोग–प्रसार के लिए कई प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, बैठकें, विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि आयोजित की हैं। राजभाषा में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान के लिए कई प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं लागू है।

14 सितम्बर 2018 से 20 सितम्बर 2018 तक कॉरपोरेट कार्यालय में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा हिंदी–प्रश्न मंच, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता और हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। दिनांक 15 जून 2018 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने कॉरपोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में समिति ने कार्यालय में राजभाषा का प्रयोग संतोषजनक पाया।

8.4 कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम 2013 (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) और उसके अन्तर्गत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की किसी घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करती है। अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए आईआरसीटीसी के कॉरपोरेट कार्यालय के साथ–साथ कम्पनी के जोनल कार्यालयों में अपेक्षित संरचना के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति(यां) का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

8.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्‌यमों से प्रापण (एमएसई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्‌यमों (एमएसई) के लिए आपूर्ति नीति आदेश 2012 में कुल खरीद का न्यूनतम 20% खरीद एमएसई फर्मों तथा 20% में से कम से कम 4% एससी/एसटी फर्मों से खरीद की जानी आवश्यक है। वित वर्ष 2018–19 के दौरान एमएसई फर्मों से कुल का 13.55 प्रतिशत ही खरीद पाना संभव हुआ।

कम्पनी एमएसई से 25% खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगी। इस 25% में से एससी/एसटी फर्मों से 4% तथा महिला स्वामित्व वाली एमएसई से न्यूनतम 3% खरीद का लक्ष्य 2019–20 में प्राप्त करने का सभी संभव प्रयास करेगी।

9 कम्पनी अधिनियम 2013 का अनुपालन

9.1 जमा

समीक्षाधीन आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी (जमा स्वीकार करना) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अन्तर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया या कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है। अतः कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(5)(V) के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना **शून्य** है।

9.2 ऋण एवं दी गई गारंटियों, किए गए निवेश और दी गई प्रतिभूतियां का विवरण

वर्ष के दौरान कम्पनी ने, कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत किसी प्रकार का ऋण, निवेश या कोई गांरटी नहीं दी गई है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना **शून्य** है।

9.3 संबंधित पार्टियों के साथ संविदा और करार

आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने, कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अन्तर्गत किसी प्रकार की संविदा/करार/लेनदेन नहीं किया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 और उप–धारा के खंड (एच) और कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म एओसी–2 में दी जाने वाली अपेक्षित सूचना **शून्य** है।

9.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाई है जो आकार, स्तर और परिचालन की जटिलता के अनुरूप है। आंतरिक लेखा परीक्षा कम्पनी की समग्र आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य का दायरा सुपरिभाषित है और इसमें कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण व्यवसायों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त स्वतंत्र व्यावसायिक फर्म के द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की व्यवस्था के अनुसार मैसर्स यूसीसी एंड ऐसासिएट एलएलपी, चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट को आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण (आईएफसी) के कार्य के प्रमाणीकरण हेतु नियुक्त किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण **अनुबंध–''क''** प्रबंधन विचार विमर्श और विशलेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

9.5 जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने निदेशक मण्डल स्तर की एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित है और इसकी सरंचना आयोजित बैठकों और कार्यक्षेत्र का विवरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

कम्पनी में बोर्ड स्तर से नीचे की भी समिति गठित की है जिसमें समूह महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों की एक समिति है जिसे मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) सहयोग करते हैं। समिति का कार्य आईआरसीटीसी के विशिष्ट व्यवसाय संबंधी क्षेत्रों में जोखिमों का पता लगा कर कम्पनी में उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना है। लेखा परीक्षा समिति आवधिक रूप से आईआरसीटीसी में जोखिम मूल्यांकन करती है और न्यूनतम प्रक्रिया बनाती है।

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति वेबसाइट www.irctc.com पर भी उपलब्ध है। कम्पनी का जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को अधिक मजबूत करने के लिए कम्पनी के ईआरएम फ्रेमवर्क तैयार करेन के लिए उपरोक्त उल्लेखित विशेषज्ञ विजन 360 मनेजमन्ट कन्सलटिंग (प्रा.) लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। बोर्ड स्तर से नीचे की जोखिम प्रबंधन प्रणाली समिति की त्रैमासिक बैठक में विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई और उन पर विचार–विमर्श किया गया। पहचान किए गए प्रमुख जोखिम नीचे दिए गए हैः–

1. परिचालन जोखिम
2. सरकार की नीति बदलने के जोखिम
3. मानव संसाधन जोखिम
4. व्यवसाय निरंतर जोखिम

9.6 महत्वपूर्ण एवं सामग्रीपरक आदेश

नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा प्राधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा सामग्रीपरक आदेश नहीं पारित किए गए जिससे कम्पनी की वर्तमान स्थिति अथवा उसके भावी परिचालनों पर कोई प्रभाव पड़े।

9.7 सचिवीय मानक

कम्पनी ने लागू सचिवीय मानको यथा निदेशक मंडल की बैठकों और आम सभा से संबंधित क्रमशः एसएस–1 और एसएस–2 का अनुपालन किया है।

10 ऊर्जा संरक्षण, टेक्नॉलाजी समाहन और विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि के संबंध में विवरण

ऊर्जा संरक्षण, टेक्नॉलाजी समाहन और विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि के संबंध में विवरण कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(3) (एम) के अन्तर्गत प्रकटन अपेक्षित है जो निम्न प्रकार है :

आईआरसीटीसी अपने परिचालनों, उत्पादों एवं सेवाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों को न्यूनतम करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहता है इसके लिए ऐसी प्रक्रिया, कार्य विधियों, सामग्रियों और उत्पादों का प्रयोग करता है जिससे प्रदूषण नहीं होता, कम होता और नियंत्रित रहता है। संबंधित पर्यावरणी कानूनों का अनुपालन किया जाता है। सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम की गई है।

(क) टेक्नोलॉजी समाहन

इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	स्तर
(क)	आयातित टेक्नोलॉजी का विवरण	शून्य
(ख)	आयात का वर्ष	लागू नहीं
(ग)	क्या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समाहित कर लिया गया है	लागू नहीं
(घ)	यदि पूरी तरह समाहित नहीं किया गया है तो वे क्षेत्र बताएं जहां समाहन नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है,	लागू नहीं

(ख) अनुसंधान और विकास पर किया गया खर्च

आपकी कम्पनी की उपस्थिति इस क्षेत्र में नहीं होने के कारण विशिष्ट अनुसंधान परियोजना नहीं है। तथापि अपने व्यवसाय क्षेत्र में तकनीकी क्षमता में सुधार और सक्षमता में वृद्धि, कुछ उपायों और तकनीकी विकास किया है तथा नवपरिवर्तनशील प्रणाली शुरू की गई।

(ग) विदेश मुद्रा अर्जन और व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष के दौरान वास्तविक अंत प्रवाह के अन्तर्गत अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष के दौरान वास्तविक बाह्य प्रवाह के अन्तर्गत खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है:

(करोड़ रू. में)

विवरण	2018-19	2017-18
विदेशी मुद्रा अर्जन	33.54	37.59
विदेशी मुद्रा व्यय		
विदेश यात्रा पर होने वाला खर्च	0.67	0.33

11 निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की नीति

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ–साथ अनुच्छेद 134 (3) (पी) के प्रावधानों में सरकारी कंपनियों को औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन छूट को अधिसूचित किया है यह उन सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होगा जिनके निदेशकों का मूल्यांकन कम्पनी के प्रशासनिक रूप से प्रभारी मंत्रालय द्वारा स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है। आपकी कंपनी प्रत्येक वर्ष रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करती है, जो कंपनी के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन मानकों का निर्धारण करती है। भारत सरकार के साथ एमओयू के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी और निदेशक मंडल का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन किया जाता है।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष और गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के संपूर्ण सदस्यों और मूल्यांकन तंत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों में छूट दी है, जो कि सरकारी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित है।

उपरोक्त को देखते हुए, इस तरह के विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

12 अभिन्न रिपोर्ट

निम्न टेबल में उल्लिखित रिपोर्ट प्रासंगिक उप परिशिष्टों सहित निदेशक रिपोर्ट का आंतरिक भाग है और क्रमशः उनके अनुबंधों में रखा गया है।

रिपोर्ट का नाम	परिशिष्ट
प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	क
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	ख
सीएसआर और धारणीयता गतिविधियां की वार्षिक रिपोर्ट	ग
वार्षिक विवरण का सार	घ
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	ड़
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट (लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर)	च

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में कम्पनी के कार्यकलापों, इसकी कानूनी स्थिति और स्वतंत्रता, व्यवसाय वातावरण, मिशन एवं उद्देश्य, दृष्टिकोण, क्षेत्रवार परिचालन निष्पादन, शक्ति, अवसर, बाध्यता, रणनीति, जोखिम और चिंता के साथ–साथ मानव संसाधन और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली आदि में कम्पनी के काम काज का परिदृश्य हैं। **(अनुबंध–''क'')**

कॉरपोरेट अभिशसान रिपोर्ट में कम्पनी का कॉरपोरेट अभिशासन में कम्पनी के महत्वपूर्ण मूल्यों , निदेशक मंडल और इसकी समितियों की सरंचना विवरण जिनमें वर्ष 2018–19 के दौरान और बाद में शामिल हुए निदेशकों का प्रोफाइल, उपस्थिति, निदेशकों आदि का पारिश्रमिक अन्य संबंधित प्रकटीकरण और शेयरधारकों की सामान्य सूचना। **(अनुबंध–''ख'')** इसमें निम्नलिखित पूरक अनुपालन प्रमाण पत्र भी हैः–

i. वर्ष 2018–19 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जिसमें निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों से आचार संहिता और महत्वपूर्ण मूल्य के अनुपालन की घोषणा की प्राप्ति हुई है। **(अनुबंध ख–1 पर संलग्न है।)**

ii. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त), का प्रमाणपत्र जिसमें वित्तीय कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरण का सत्य और निष्पक्ष, अपेक्षित अनुपालनता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाणिकता के संबंध में है। **(अनुबंध ''ख–2 पर संलग्न)** और

iii. कॉरपोरेट अभिशासन पर प्रैक्ट्सिंग कम्पनी सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित अुनपालन प्रमाणपत्र **(अनुबंध–''ख–3''** पर संलग्न है।**)**

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता गतिविधियों में कम्पनी की संक्षिप्त रूप से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता नीति, सीएसआर समिति की संरचना, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ, निर्धारित सीएसआर खर्च और वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं आदि पर खर्च का विवरण **(अनुबंध–''ग'')**

कम्पनी (प्रबंकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं परिलब्धियों) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसार आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु कम्पनी सचिवों की एक स्वतंत्र प्रैक्टिसिंग फर्म मैसर्स अखिल रोहतगी कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है। **(अनुबंध–घ)**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण का सार निर्धारित फार्म एमजीटी–9 में निदेशक रिपोर्ट के रूप में संलग्न है। **(अनुबंध–''ङ'')**

13. समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में स्थापित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में प्राप्त परिणामों के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा' के रूप में मूल्यांकित किया गया है।

वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने के समझौता ज्ञापन पर 20 मई, 2019 को कम्पनी और रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

14. पुरस्कार और उपलब्धियां

आईआरसीटीसी सर्वांगिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है और इसे प्राप्त पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची में स्पष्ट दिखाई देता है:

1. आईआरसीटीसी के पर्यटन वर्टिकल को नई दिल्ली के जे डब्ल्यू मैरियट में आयोजित एक समारोह में '' लीज़र एण्ड ट्रैवल ई–रिटेलर ऑफ द ईयर'' श्रेणी में भारत ई–रिटेल अवार्ड्स 2018 से सम्मानित किया गया है।
2. आईआरसीटीसी के ''नेक्स्ट जेनरेशन ई–टिकटिंग सिस्टम'' को ''इंडिया कंटेंट लीडरशिप– अवार्ड्स 2018'' के लिए श्रेणी, वेबसाइट कंटेंट अवार्ड्स 'के अन्तर्गत 18.99 लैटीट्यूड लोअर परेल, मुंबई में इंकसेल सॉल्यूशंस द्वारा प्रदान किया गया।
3. आईआरसीटीसी ने द ललित होटल, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित डून एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड्स 2018 को जीतकर स्वयं को गौरावन्वित किया है। ब्रैडस्ट्रीट के प्रकाशन भारत के शीर्ष सार्वजनिक उपक्रमों के खनन, विनिर्माण और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की उपलब्धियों को मान्यता देता है।
4. आईआरसीटीसी को बेंगलुरु में आयोजित एक शानदार समारोह में शहरी पर्यटन में इसके पर्यटन वर्टिकल को बेस्ट ऑफ द इयर के रेल प्रोडक्ट की श्रेणी में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
5. आईआरसीटीसी को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ष के लीज़र एण्ड ट्रैवल ई रिटेलर श्रेणी के अन्तर्गत 16 वें वार्षिक फ्रेंचाइज अवार्ड और स्टार रिटेलर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है।
6. आईआरसीटीसी को 31 अक्टूबर 2018 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित स्मार्ट टेक्नोलॉजी समिट 2018 में ''डिजिटल लीडरशिप अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस'' के अन्तर्गत ''डिजिटल लीडर अवार्ड्स'' से सम्मानित किया गया है।
7. आईआरसीटीसी के स्वामित्व वाली और संचालित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित महाराजा एक्सप्रेस को पुर्तगाल के लिस्बन में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड के लिए आयोजित शानदार समारोह में लीडिंग लग्जरी ट्रेन' के लिए सातवीं बार (2012–18) चुना गया।
8. आईआरसीटीसी रेल ई–टिकटिंग वेबसाइट ने 18.99 लैटीट्यूड, लोअर परेल, मुंबई में इंक्स्पेल सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल समिट एंड अवार्ड्स 2018 में एक विशेषज्ञ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ई–कॉमर्स वेबसाइट का पुरस्कार जीता।
9. आईआरसीटीसी को नई दिल्ली के ताजमहल होटल में आयोजित एक शानदार समारोह में नियोक्ता ब्रांडिंग संस्थान, नोएडा द्वारा नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स 2018 से सम्मानित किया गया है।
10. देश भर के लाखों यात्रियों द्वारा अपनी ई–टिकट बुकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल एप्लिकेशन ''आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट'' को ई–गवर्नेंस 2018 – 2019 (स्पेशल जूरी अवार्ड) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

15. संयुक्त उपक्रम / सहायक कम्पनियां

कम्पनी का एक मात्र संयुक्त उपक्रम कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ 50:50 इक्विटी भागीदारी करके रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के नाम के साथ अधिग्रहण, साज सज्जा, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर लग्ज़री गाड़ी का परिचालन करने, हॉलीडे पैकेजों के विपणन के उद्देश्य से 27 नवम्बर 2008 को स्थापना करके और ऐसी लग्ज़री गाड़ियों का आन्तरिक हिस्सा बने।

तद्नुसार एक लग्ज़री गाड़ी जिसमें 23 कोच थे, का कम्पनी के द्वारा निर्माण, साजसज्जा और फंड की व्यवस्था और महाराजा एक्सप्रेस के नाम से विपणन और संचालन, परिचालन करने हेतु लग्ज़री पर्यटन गाड़ी को 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन हेतु रॉयल इंडिया रेल टुर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) की लीज़ पर दी गई तथापि इक्विटी भागीदारी के मध्य कुछ समस्याएं होने के कारण लग्ज़री गाड़ी की लीज़ समाप्त कर ली गई और संयुक्त उपक्रम करार दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायलय ने आईआरसीटीसी को इस लग्ज़री गाड़ी को परिचालित करने की अनुमति प्रदान की है।

कॉक्स एण्ड किंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम करार की बहाली के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही की शुरूआत की। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मध्यता बहस के स्तर पर है। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड आरआईआरटीएल ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आरआईआरटीएल के नाम को हटाने के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायलय में अपील दायर की है जो कि बहस के लिए सूचीबद्ध है।

आईआरसीटीसी ने रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के खिलाफ नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (पूर्व कम्पनी लॉ बोर्ड) में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 388 बी 397, 398, 399 और 403 के अर्न्तगत याचिका दायर की है याचिका न्यायधीन है। संयुक्त उपक्रम का विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों के नोट 37.3 और 45 में दिया गया है। आरआईआरटीएल ने भी जुलाई 2013 में बिना अनुमोदन के बोर्ड और आम बैठक नही करने के लिए एनसीएलटी से अनुमति ले ली है।

16. वित्तीय विवरणों का समेकन

जैसा कि ऊपर पैरा में उल्लेख किया गया है कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ बकाया विवाद के चलते वित्तीय वर्ष 2010–11 से कम्पनी के साथ बोर्ड की बैठकें और आम बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत धारा 129 (3) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के समेकन का कार्य नहीं किया जा सका जिसे कि 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरण के लेखों पर टिप्पणी के नोट 45 में स्पष्ट और प्रकटन किया जा चुका है।

17. लेखा परीक्षक

17.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स सर्वा एसोसिएट्स, को वित्त वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया। सांविधिक लेखा परीक्षक को वर्ष 2018–19 के लिए लेखा परीक्षा शुल्क लागू करों सहित तथा जेब खर्च के लिए 10.45 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

17.2 सचिवीय लेखा परीक्षा

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं परिलब्धियां) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आईआरसीटीसी ने सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए, कम्पनी सचिवों की एक स्वतंत्र प्रैक्टिसिंग फर्म मैसर्स अखिल रोहतगी, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया।

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–''ङ''** के रूप में संलग्न है।

17.3 आंतरिक लेखा परीक्षक

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य देखने के लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट फर्म, मैसर्स के. एस. चौधरी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट को नियुक्त किया है। इस फर्म के कार्य क्षेत्र और किए जाने वाले कार्यों का विवरण प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में संलग्न है।

17.4 लागत लेखा परीक्षक

चूंकि आईआरसीटीसी व्यवसाय क्षेत्र की कम्पनी होने के कारण कम्पनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित नए लागत लेखा परीक्षा नियम के अन्तर्गत नहीं आती है तथापि कम्पनी ने लागत लेखा परीक्षक मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्वैच्छिक आधार पर रेल नीर संयंत्र द्वारा अनुरक्षित लागत रिकॉर्ड की लागत लेखा परीक्षा कराई है।

18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की पूरक लेखा परीक्षा की है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

19. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करता है:–

(i) वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का समुचित स्पष्टीकरणों सहित अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विपथन नहीं किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे, ताकि, उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी कार्यों की स्थिति का तथा कंपनी के लाभ एवं हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके;

(iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं; और

(v) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उचित प्रणालियां खोज निकाली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी और उनका संचालन प्रभावी ढंग से हो रहा था।

20. निदेशक और महत्वपूर्ण प्रबंकीय कर्मचारी (केएमपी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (खानपान सेवाएं), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), मुख्य वित्त अधिकारी और कम्पनी सचिव कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मी (केएमपी) है।

पिछली वार्षिक आम सभा के पश्चात् निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं:–

पद से हटे:

(i) **श्री वी. श्रीराम वेंकटाचलम** (डीआईएन 07445220) निदेशक (खानपान सेवाएं) दिनांक 30 जून 2019 से अधिवर्षिता के कारण पद से हटें।

निम्नलिखित निदेशक रिपोर्ट की तारीख को पदभार संभाल रहे थे:

क्र.सं.	विवरण	नियुक्ति का तिथि
1.	श्री महेंद्र प्रताप मल्ल (डीआईएन 02316235) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	18 सितम्बर 2017 से
2.	श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन–08083674) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	18 मई 2018 से
3.	श्रीमती स्मिता रावत (डीआईएन: 07670758) अंशकालिक सरकारी निदेशक	08 दिसम्बर 2016 से
4.	श्री नीरज शर्मा (डीआईएन–08177824) अंशकालिक सरकारी निदेशक	12 जुलाई 2018 से
5.	डॉ. रबी नारायाण बोहिदर (डीआईएन 00637818) अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से
6.	डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएन 07683375) अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से
7.	श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएन 00074469) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	31 जनवरी 2017 से
8.	**प्रो. सचिन चतुर्वेदी** (डीआईएन–07960871) अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक	10 अक्तूबर 2017 से
9.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती** (डीआईएन–07965899) अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक	13 अक्तूबर 2017 से
10.	**सुश्री सरिता देशपाण्डेय** (डीआईएन–08098222) अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक	29 मार्च 2018 से

21. आभार

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए सतत् प्रयासों के लिए प्रशंसा करते हैं। निदेशक मण्डल कम्पनी को दिशानिर्देश एवं सहयोग करने के लिए भारत सरकार, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग का धन्यवाद करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परिक्षक और लागत लेखा परीक्षक को उनसे प्राप्त सृजनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने बहुमूल्य ग्राहकों और लाइसेन्सधारियों को उनके बेहतर संरक्षण के लिए धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

दिनांक: 26.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध –क

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1) उदयोग का स्वरूप एवं विकास

1.1 आर्थिक परिद्श्य

आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 की घोषणा 4 जुलाई, 2019 को, सुश्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई। वित्त वर्ष 20 के लिए सर्वेक्षण में 7 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 19 में 6.8 प्रतिशत थी। अधिक से अधिक लाभ, रोजगार सृजन और बढ़ी हुई उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सक्षम करने पर ध्यान दिया हैं। 2024–2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था होने के लिए, 8 प्रतिशत की स्थायी वास्तविक जीडीपी विकास दर की आवश्यकता है।

सेवा क्षेत्र न केवल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख क्षेत्र है, बल्कि इसने महत्वपूर्ण विदेशी निवेश प्रवाह को भी आकर्षित किया है, जिससे निर्यात के साथ–साथ बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का सेवा क्षेत्र व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाओं, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं और निर्माण से जुड़ी सेवाओं जैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल करता है। सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख तत्व है। इस क्षेत्र ने 2018–19 में भारत के सकल मूल्य वर्धित वर्तमान मूल्य में 54.17 प्रतिशत का योगदान दिया है।

1.2 औद्योगिक परिदृश्य

1.2.1 खानपान

भारतीय खाद्य सेवा क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान असाधारण वृद्धि देखी है और इसका तेजी से विस्तार जारी है। यह बढ़ती युवा और कामकाजी जनसंख्या के उच्च प्रतिशत डिस्पोजेबल आय में वृद्धि के कारण हो सका है। संगठित रिटेल स्पेस की उपलब्धता ने विभिन्न प्रारूपों में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के विकास को प्रोत्साहित करने में उद्योग की मदद की है।

फिक्की–पीडब्लूसी, 'खुदरा खाद्य सेवा उद्योग के बदलते परिदृश्य' की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित रुझान हैं जो भारतीय खाद्य सेवा उद्योग को आकार देंगेः

1. विशिष्ट संस्कृति भोजन तेजी से संगठित और स्वच्छ सेट–अप में मौजूद होगा
2. खाद्य तकनीक 'असंगठित' को संगठित करती रहेगी', उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना, खाद्य नवाचार और दक्षता बढ़ाना।
3. रेस्तरां तेजी से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उपभोक्ता जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे
4. सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ संबंध बढ़ना जारी रहेगा।
5. स्वास्थ्य और अच्छी देखभाल उपभोक्ताओं की वरीयताओं में उच्च स्तर पर जारी रखेंगे
6. पारंपरिक पैकेजिंग अभिनव खाद्य पैकेजिंग के लिए रास्ता बनाएगी

मोर्डोर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, भारत खाद्य सेवा बाजार पूर्वानुमानित अवधि (2019 – 2024) के दौरान 10.3 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करते हुए, 2024 तक 20.95 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है।

भारतीय भोजन सेवा बाजार का सारांश

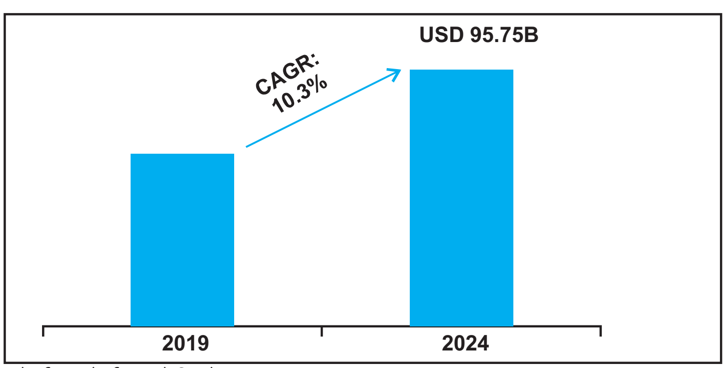

सोर्स : मोर्डर इंटेलिजेन्स

1.2.2 पर्यटन :

श्रेष्ठ भारत	ठोस मांग	वर्ष 2028 तक भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की संख्या 30.5 मिलियन होने की संभावना है। भारत में वर्ष 2020 में चिकित्सा पर्यटन 09 बिलियन यूएसडॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
	आकर्षक अवसर	भारत में आला पर्यटन उत्पादों की विविधता है इनमें क्रूज, साहसिक, स्वास्थ्य, खेल, एमआईसीई, पर्यावरण, पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण एवं धार्मिक पर्यटन है।
	नीतिगत प्रोत्साहन	स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत देश में 13 थीम आधारित सर्किटों को पर्यटन अवसरंचना के विकास के लिए चयन किया गया है।
	विविधतापूर्ण आकर्षण	भारत भौगोलिक विविधता, आकर्षक समुद्रतट, 30 विश्व धरोहर स्थल और 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र है।

Source: www.ibef.com

भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारत में सेवा क्षेत्र के बीच विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में उभरा है। भारत में पर्यटन समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, पारिस्थितिकी में विविधता, इलाकों और देश भर में फैले प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों पर विचार करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के अलावा एक संभावित बड़े रोजगार उत्पादक भी है। 2018 के दौरान, पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय प्रति वर्ष 4.70 प्रतिशत बढ़कर 28.59 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जनवरी 2019 के दौरान विदेशी मुद्रा आय 2.55 बिलियन यूएस डॉलर थी।

भारत सबसे अधिक डिजिटल एडवांस पर्यटक देश है जो कि यात्रा की योजना, बुकिंग और अनुभवों के लिए डिजिटल टूल प्रयोग करता है। भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ती डिस्पोजेबल आय ने घरेलू और आउटबाउंड पर्यटन के विकास का समर्थन करना जारी रखा है।

भारत में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने 2017 में देश में उत्पन्न कुल रोजगार के अवसरों में से 8 प्रतिशत दिए थे, उसी वर्ष के दौरान लगभग 41.6 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया। 2028 तक यह संख्या 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़कर 52.3 मिलियन रोजगार हो जाने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाएं देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, क्योंकि यह 2020 तक भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लगभग 47 प्रतिशत और 2022 तक 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।

भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग में देश की क्षमता का एहसास किया है और भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

भारत सरकार द्वारा भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में भी जाना जाता है, का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया। यह 182 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया में सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है। इससे देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और भारत को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने की उम्मीद है।
- भारत सरकार दुनिया के अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 2020 तक 1 प्रतिशत और 2025 तक 2 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए काम कर रही है।
- बजट 2019–20 के अन्तर्गत सरकार ने स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटक सर्किटों के विकास के लिए 1,160 करोड़ रू.(160.78 मिलियन यूएस डॉलर) आवंटित किए हैं।
- बजट 2019–20 के अन्तर्गत, सरकार ने स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटक सर्किट के विकास के लिए 160.50 करोड़ रू.(22.25 मिलियन यूएस डॉलर) आबंटित किए हैं।

1.2.3 पीने का पैक किया/बोतलबंद पानी :

पैक किया पीने का पानी सतह, जमीन या समुद्र सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया पानी है और इसका शोधन, डीकैन्टेशन, फिल्टरेशन (ऐरियेशन, मैम्बरन फिल्टर, कार्टिज फिल्टर, सक्रिय कार्बन फिल्टरेशन सहित), डिमिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे उपचार के अधीन किया जाता है।

भारत में बोतलबंद पानी का बाजार 2023 के अंत तक 403.06 बिलियन रूपए तक पहुंचने का अनुमान है जबकि इसकी मौजूदा मूल्य 160 बिलियन रू. 2018 से 20.75% की कम्पाउन्डिंग वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) तक विस्तारित हो सकती है।

रिसर्च और मार्केट्स के ''बोतलबंद पानी का बाजार भारत (2018–2023) की रिपोर्ट के अनुसार बाजार 2023 तक 35.53 बिलियन लीटर तक पहुंचने की संभावना है, जो 2018 से 2023 तक 18.25: सीएजीआर पर विस्तार करेगा।

स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में वृद्धि और स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण भारत में बोतलबंद पानी बाजार का विकास हुआ है।

भारत में, बोतलबंद पानी चार मुख्य प्रकार के एसकेयू – एक लीटर की बोतलें, दो लीटर की बोतलें, 500 मिलीलीटर की बोतलें, 250 मिलीलीटर की बोतलें, पाउच और 15–20 लीटर के बैरल में बेचा जाता है।

व्यक्तिगत बिक्री के अलावा, भारत में बाजार के व्यवसायियों ने हाल ही में एयरलाइंस, फिल्म थिएटर और होटल के साथ साझेदारी के माध्यम से संस्थागत बिक्री की ओर झुकाव किया है। इस तरह की साझेदारी अंततः बाजार में उत्पाद की पैठ बढ़ा रही है, जिसके बाद भारत में समग्र बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है।

भारत में वैश्विक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 2017 में 8.6% प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

इसके अलावा, बढ़ती आबादी के बीच अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ–साथ प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि भारत में बोतलबंद पानी की मांग पैदा कर रही है।

पर्यटक बोतलबंद पानी को सामान्य नल के पानी की तुलना में पसंद करते हैं। 2015–2025 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों की दर 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे, भारत में बोतलबंद पानी की बिक्री बढ़ना अनुमानित है।

2) एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण :–

शक्तियां

- अखिल भारतीय उपस्थिति
- एकल खिड़की पर सभी अतिथि सत्कार सेवाओं का समाधान उपलब्ध कराने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
- भारतीय रेल का समर्थन
- पेशेवर कर्मचारियों का आधार
- प्रतिदिन सर्वाधिक देखी जाने वाली वेबसाइट
- प्रसिद्ध ब्रांड नाम
- 21 मिलियन से अधिक ग्राहकों का डाटाबेस
- विस्तृत एजेन्ट नेटवर्क
- भारतीय रेलवे के चार्टर्ड व्यवसाय की एकल खिड़की एजेन्सी

कमजोरियां

- रेलवे पर सर्वाधिक आश्रित
- लाभ के लिए केवल एक ही क्षेत्र पर आश्रित
- निजी क्षेत्र की तुलना में निर्णय लेने में कम स्वतंत्रता
- सरकारी व्यवसाय से अधिकतम राजस्व शेयर
- प्रक्रियात्मक देरी के कारण बाजार में बदलाव में देरी पर प्रतिक्रिया

अवसर

- अतिथि सत्कार एवं पर्यटन क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर
- ऑनलाइन व्यवसाय में वृद्धि
- आईटी और ई–गर्वनेन्स
- अन्य सरकारी निकायों के साथ संयुक्त उपक्रम
- मोबाइल खानपान में विदेशी रेलवों और मोबाइल
- विदेशी रेलवे और चल खानपान प्रदात्ताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मानक के साथ बेंचमार्क करने के लिए बहुआयामी सहयोगी समझौते

चिंता वाले क्षेत्र

- खानपान और इंटरनेट टिकटिंग पर समय–समय पर नीति–निर्देश जारी किया जाना।
- रेलवे खानपान अत्याधिक असंगठित क्षेत्र के साथ बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा
- उच्च बाजार प्रतिस्पर्धा

3) परिदृश्य

आईआरसीटीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र की खानपान और आतिथ्य इकाई है। इसके व्यापार क्षेत्रों में यात्रा और पर्यटन, इंटरनेट टिकटिंग और बोतलबंद पेय जल (रेल नीर) शामिल हैं जो रेल यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों को एक ही छत के नीचे मूल्य वर्धित उत्पाद और एकीकृत सेवाएं प्रदान करती है।

अपने हितधारकों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न पहलों की योजना बनाई है, जिसके कार्यों में रसोई इकाइयों के नवीनीकरण/उन्नयन करने के लिए निर्माण शामिल है, अधिक गाड़ियों को ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) सेवाओं प्रदान करना, कम से कम 02 रिवर क्रूज व्यवसाय को भागीदारों के सहयोग से सचांलन पहल, प्रचार, लॉन्चिंग और मार्केटिंग करना, पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय एयर पैकेज से राजस्व में वृद्धि करना, सभी ग्राहकों को धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली को शुरू करना, सभी प्रकार के इवेंटों जैसे प्रदर्शनियों, खेल समारोह आदि के लिए स्वयं टिकटिंग बुकिंग इंजन का निर्माण, बिल भुगतान के लिए यूटीलिटी शुरू करना या आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सेवाएं हेतु हेतु कम से कम 03 बिलर्स के साथ जुड़ना, पायलट परियोजनाओं सहित सेवाएं प्रदान करके नए स्टार्ट–अप का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र (यूएन)/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करना – सार्क देशों के साथ गठजोड़ करना और देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य संगठनों के साथ–साथ सुविधा केन्द्रों को खोलना अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से/कंसोर्टियम बोली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध क्रूज कम्पनियों के साथ टाई–अप करके भारत में महत्वपूर्ण जलमार्गों में क्रूज शुरू करने की योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) योजना के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ समन्वय से आईआरसीटीसी द्वारा ठेकेदारों के कर्मचारियों को पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता (आरपीएल) का प्रशिक्षण प्रदान करना, संरचनात्मक प्रवेश की डिजायनिंग और नई भर्तियों के लिए ऑन–बोर्डिंग नीति, कर्मचारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम जो वेब आधारित शिक्षण आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ उच्च पदों के लिए अपने तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं का निर्माण करने के लिए होगी।

कंपनी मौजूदा व्यावसायिक लाइनों के विस्तार के साथ–साथ नए उत्पादों अर्थात क्रूज पैकेज, रिवर क्रूज पैकेज, कार्गो बिजनेस, एयर पैकेज, इवेंट मैनेजमेंट ऑनलाइन एयर–टिकटिंग, कॉरपोरेट यात्रा, मैजेस्टिक टूरिस्ट गाड़ियां, वातानुकूलित पर्यटन गाड़ियों का विस्तार करके पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी ने इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रही है ताकि ग्राहकों को सॉफ्टवेयर में सुधार करके ग्राहकों को बेहतर बुकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। आईआरसीटीसी टिकटिंग पोर्टल पर आसानी से पहुंच हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च करके और मोबाइल ई–वॉलेट के माध्यम से बुकिंग हो सके।

रेल नीर के बारे में, कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की परित्यक्त खानों में उपलब्ध पानी और एनटीपीसी थर्मल संयंत्रों में अस्वीकृत उत्पादित पानी का उपयोग करने की संभावना का पता लगाएगी।

4) जोखिम और चिंताएं

4.1 खानपान

कम्पनी का खानपान व्यवसाय मुख्यत रेलवे पर ही निर्भर है। 2001 से व्यवसाय नीति में बार–बार बदलाव से यह अवसर से अधिक जोखिम हो गया है। एक नई खानपान नीति से रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी के बीच एक नया प्रोटोकॉल समझौता स्थापित हो जाने से काफी हद तक भारतीय रेलवे पर आतिथ्य और खानपान सेवाओं के स्तर में उन्नयन होगा।

वर्तमान में जोखिम और चिन्ताओं में निम्न शामिल है:

क) गाड़ी खानपान कारोबार में प्रवेश करने के लिए उच्च बाधाएं व्यवसाय में मौजूदा भागीदारों में देखी गई है।

ख) भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी की एफ एंड बी उद्योग के पुराने से नए भागीदारों को शामिल करने में असमर्थ स्थितियां ताकि भारतीय रेल में खानपान सेवा क्षमता को बढ़ा सके।

ग) बुनियादी ढांचों का उन्नयन रूका रहने से विशेषकर करके मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में पेन्ट्रीकार का प्राचीन डिजायन एक चुनौती है। ये ऐसी चुनौती है जिसे शीघ्र दूर की जानी चाहिए। विशेषकर के ऑनबोर्ड और ऑफ बोर्ड सेवाओं को अलग–अलग किया जाना है यह विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर करेगा।

घ) ठेकों के स्ट्रक्चर का संशोधन किया जाए ताकि बोली में अत्याधिक छूट का जोखिम मूल उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता पर बोली मापदण्ड पर बल दिया जाए।

ड़) प्रस्तावित मेन्यू की दरों का पुर्ननिर्धारण हो ताकि मूल्य ऐसे हो जो वहन योग्य अर्थात् न्यूनतम कीमत जो सेवा प्रदान कर सके।

मंत्रालय द्वारा नीतियों में की गई पहलों और आईआरसीटीसी के द्वारा सक्रिय कार्रवाई करते हुए तथा भारतीय रेलवे की फील्ड यूनिटों को सुनिश्चित करना है कि भारतीय रेलवे पर खानपान सेवाओं का वातावरण अच्छे के लिए बना सके।

4.2 इंटरनेट टिकटिंग

भारतीय रेलवे के लिए इंटरनेट टिकटिंग सेवा कम्पनी के लिए लाभ अर्जित करने का मुख्य स्रोत था कम्पनी गैर वातानुकूलित श्रेणी के लिए प्रति टिकट 20/– रू. और वातानुकूलित श्रेणी पर प्रति टिकट 40/– रू. सेवा प्रभार सहित नाम मात्र का सेवा प्रभार प्राप्त करता था। सेवा प्रभार का राजस्व भारतीय रेलवे के साथ 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है। ई–टिकटिंग पर सेवा प्रभार को 23.12.2016 से समाप्त कर दिया था जो कि अभी भी समाप्त है।

यदि सेवा प्रभार बहाल नहीं किया गया तो इससे कॉरपोरेशन के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे कम्पनी के टर्नओवर के साथ–साथ कर पूर्व लाभ और करोपरांत लाभ घटेगा।

रेलवे के राजस्व पर भी इसका प्रभाव ऑनलाइन ईटिकटिंग सेवा प्रभार से शेयर घटने और लाभांश भुगतान कम होने से असर पढ़ेगा। आईटी विभाग के लचीलापन के साथ–साथ आईआरसीटीसी द्वारा किए जा रहे नए कार्यों और कम राजस्व वाले यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों पर भी असर पड़ेगा।

4.3 पर्यटन :

पर्यटन उद्योग घरेलू के साथ –साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्याधिक प्रतिस्पर्द्धी है। आर्थिक मंदी और भारत के साथ दुनिया में राजनैतिक घटनाओं के कारण भारत में पर्यटन को प्रभावित कर सकती है। प्राकृतिक आपदाओं, नीतिओं और रेलवे द्वारा पर्यटन पैकेज के लिए लागू प्रभारों और गाड़ियों में बदलाव भी कारक हैं जो कम्पनी के इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है।

पर्यटन उद्योग में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता पर्यटन उद्योग में अनैतिक अभ्यास, उचित विपणन और आईआरसीटीसी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा, निजी प्रदात्ताओं की तुलना में कम लचिलापन भी कम्पनी के प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है जिसे कम्पनी के इस क्षेत्र में किसी भी नीति, प्रक्रियाओं और रणनीति को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.4 रेल नीरः

जोखिम और चिंताओं में निम्न शामिल हैं:–

क) गलत निर्देशित अंत–उपयोग के कारण प्राकृतिक पानी की कमी को विशिष्ट पानी खपत में सुधार करने के लिए कुशल औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से करने की आवश्यकता है।

ख) हॉल ही के वर्षों में नकली ब्रांन्डेड पानी बेचने वाली कई कम्पनियों ने बाजार में कदम रखा है। ये उत्पादन गुणतवत्ता और स्वच्छता मानकों को बनाएं नहीं रखते हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं का बोतलबंद पानी पर विश्वास खो रहा है। जिससे समग्र बिक्री प्रभावित हो रही है।

ग) रेलवे स्टेशनों पर जहां रेल नीर की पहुंच नहीं है वहां उपभोग के लिए शामिल ब्रांडों का क्यूसी परीक्षणों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

घ) आईआरसीटीसी द्वारा ओ एंड एम ऑपरेटर के द्वारा व्यापक आधार पर अपेक्षित मुख्य रूप से अनुबंध ढांचे की खराब बेंचमार्किंग के कारण वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाए हैं जिससे अत्यधिक ओ एंड एम भुगतान में वृद्धि हुई है।

ङ) वाटर वेन्डिंग व्यवसाय में व्यावसायिक प्रसार से क्यूसी मानकों को लागू करना एक चुनौती है विशेषकर के भारतीय रेलवे के नेटवर्क में जहां बड़े पैमाने पर पानी की गुणवत्ता भिन्न होने से स्थल पर गुणवत्ता जांच की आवृत्ति बढ़ाना है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए प्लांट की क्षमता में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि से व्यवसाय श्रेणियों में संभावनाएं बढ़ाई जा सकती है और छोटे स्टेशनों जो सड़क से दूरस्थ हैं, में रेल नीर आपूर्ति के लिए रेल यातायात को आपूर्ति चेन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

5) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास सभी कार्यात्मक और परिचालनिक क्षेत्रों में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। जिसमें प्रबंधन की नीतियों का अनुसरण करने, परिसम्पतियों की सुरक्षा, धोखा–धड़ी और गलतियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा रिकार्ड की सत्यता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वितीय सूचना तैयार करना सहित अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल तरीके से चलाने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक अंग के रूप में विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभवी चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट के द्वारा कम्पनी के संबंधित अधिकारियों के समन्वय के साथ की जाती है।

वर्ष के दौरान कम्पनी का आंतरिक लेखा परीक्षा मैसर्स के. एस. चौधरी एंड कम्पनी चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा किया गया जिन्हें इस कार्य के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 179 और इसके द्वारा बनाए नियमों के अन्तर्गत आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

आंतरिक लेखा परीक्षा में, वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कम्पनी के परिचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को, शामिल किया गया है। इससे आंतरिक नियंत्रणों, भुगतान और खर्च की छानबीन करके और कम्पनी के वितीय और तकनीकी रिकार्ड की जांच की समीक्षा करके कम्पनी के कारोबार और परिचालन की सत्यता और कुशलता को सुधारने में मदद मिलती है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों और की गई कार्रवाइयों की रिपोर्टों का एक सारांश निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और लेखा परीक्षा की सिफारिशों को विधिवत रूप से पालन किया जाता है।

6. परिचालनिक कार्यनिष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कुल राजस्व 1,54,474.65 लाख रूपए से बढकर 195,701.26 लाख रूपए होकर 26.69 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2018–19 के दौरान कर पूर्व लाभ 33897.72 लाख रूपए से 47592.64 लाख रूपए होकर 40.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कर उपरांत लाभ 30,592.99 लाख रूपए से 21951.95 लाख होकर 39.36 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। प्रमुख वित्तीय मानकों का वित्त वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 का तुलनात्मक निष्पादन निम्नलिखित हैः–

(लाख रू. में)

विवरण वित्त	2018–19	2017–18
बिक्री का टर्नओवर	1,86,823.57	1,47,116.73
ब्याज, मूल्यह्रास आपवादिक मदें और कर पूर्व लाभ (ईबीआईडीटीए)	46,952.34	36,030.02
घटाएंः ब्याज और वित्तीय प्रभार	234.86	290.76
घटाएंः मूल्यह्रास	2863.96	2366.11
आपवादिक मदों से पहले कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	43,853.52	33,373.15
आपवादिक मदेंः घाटा (–)/प्राप्ति(+)	3739.12	524.57
आपवादिक मदों के बाद कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	47,592.64	33,897.72
घटाएंः कर के लिए व्यवस्था	16,999.65	11,945.77
कर उपरांत लाभ (पीएटी)	30,592.99	21,951.95
लाभांश (इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में) नकद आधार पर	93.01	117.96
अंतिम लाभांश – नकद आधार पर	55.51	117.96
शुद्ध मूल्य	1,06,701.87	94,536.86
प्रतिशेयर आय (रूपयों में)	19.12	13.72

6.1 कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

कम्पनी के वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 का वित्तीय निष्पादन लेखा परिक्षित विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया गया हैः–

(क) परिचालन से राजस्व (लाख रू. में)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
क.	**उत्पादों की बिक्री**			
	(i) रेल नीर (पीने का बोतलबंद पानी)	17,202.28	16,225.25	6.02
	(ii) खानपान	2,952.94	26,443.99	-88.83
	-भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री			
	(iii) गैर रेलवे व्यवसाय			
	-खानपान से आय	552.52	866.98	-36.27
	-अन्य सेवाओं से आय	13.00	2.26	475.22
	कुल – उत्पादों की बिक्री	**20,720.74**	**43,538.48**	**-52.41**

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
ख.	**सेवा की बिक्री**			
	i) इंटरनेट टिकटिंग			
	लाइसेन्स शुल्क से आय–कॉल सेन्टर	21.17	135.24	-84.35
	विज्ञापन/एसबीआई को–ब्रैन्डिड कार्ड एवं लॉयलटी कार्ड से आय	9,923.77	10,280.37	-3.47
	आईएटीए/आरटीएसए/इन्टरनेट कैफे आदि से प्राप्त आय	4,399.09	1,240.10	254.74
	अर्जित सेवा प्रभार–भारतीय रेलवे टिकटों	5.85	5.54	5.60
	सेवा प्रभारों के प्रतिपूर्ति से आय	8,800.00	8,000.00	10.00
	(क)	**23,149.88**	**19,661.25**	**17.74**
	ii) खानपान सेवाओं से आय			
	-खानपान एवं समग्र सेवा प्रदान करने से प्राप्त आय एवं–ऑन बोर्ड खानपान एवं अन्य सेवाओं राजधानी/शताब्दी/प्रीमीयम गाड़ियों से प्राप्त आय	51,613.15	16,782.74	207.54
	कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क आदि से प्राप्त आय			
	कंसेशन शुल्क से प्राप्त आय	2,604.52	377.32	590.27
	लाइसेन्सी शुल्क से प्राप्त आय	38,203.33	21,620.00	76.70
	उपयोगकर्त्ता प्रभार आय–फूड प्लाजा	51.50	88.92	-42.08
	लाईसेन्स शुल्क–फूड प्लाजा से प्राप्त आय	6,389.59	5,207.57	22.70
	(ख)	**98,862.09**	**44,076.55**	**124.30**
	iii) पर्यटन			
	- यात्रा एवं टुअर आय	38,017.61	35,025.63	8.54
	- उपयोगकर्त्ता प्रभार से आय–रेल यात्री निवास	141.03	131.80	7.00
	- लाइसेन्सी शुल्क से आय–रेल यात्री निवास	389.96	169.72	129.77
	- महाराजा एक्सप्रेस – राजस्व	5,382.75	4,381.92	22.84
	(ग)	**43,931.35**	**39,709.07**	**10.63**
	(II) कुल–सेवाओं की बिक्री (क+ख+ग)	**1,65,943.32**	**1,03,446.87**	**60.41**
	अन्य परिचालनिक आय			
	रद्दी की बिक्री – रेल नीर	40.62	28.33	43.38
	रद्दी की बिक्री – खानपान	12.83	1.59	706.92
	रद्दी की बिक्री– गैर रेलवे खानपान	0.89	0.37	140.54
	लाईसेन्स शुल्क – रेल नीर	105.17	101.09	4.04
	(III) कुल अन्य परिचालन आय	**159.51**	**131.38**	**21.41**
	परिचालन से प्राप्त राजस्व (सकल) (I+II+III)	**1,86,823.57**	**1,47,116.73**	**26.99**

(ख) अन्य आय (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
ब्याज आय			
- एफडीआर एवं टीडीआर से ब्याज आय (सकल)	5,088.18	4,568.12	11.38
- ब्याज आय–अन्य	107.29	7.41	1,347.91
- मुचुअल फंड से लाभांश आय	637.28	388.89	63.87
(क)	**5,832.75**	**4,964.42**	**17.49**
अन्य गैर–परिचालनिक आय			
ठेकों के जुर्मानों और दण्ड से प्राप्तियां	1,103.85	986.65	11.88
सर्वड फरोम इण्डियां स्कीम के अन्तर्गत डयूटी क्रेडीट लाइसेन्स से आय	98.84	72.82	35.73
- विविध आय	1842.25	1334.03	38.09
(ख)	**3,044.94**	**2,393.50**	**27.22**
कुल (क+ख)	**8,877.69**	**7,357.92**	**20.65**

(ग) व्यय (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
खानपान सेवाओं का व्यय	63,191.55	23,266.58	171.60
पर्यटन का व्यय	30,900.81	30,520.42	1.25
उत्पादन एवं प्रत्यक्ष व्यय	6,126.54	6,714.52	-8.76
कर्मचारी हित लागतें	19,505.80	19,215.15	1.51
वित्तीय लागत	234.86	290.76	-19.23
मूल्यह्रास एवं ऋण मुक्ति व्यय	2,863.96	2,366.11	21.04
अन्य व्यय	16,612.64	12,983.48	27.95

(घ) निवर्तमान / वर्तमान परिसम्पतियां (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
निवर्तमान परिसम्पतियां			
(क) परिसम्पतियां प्लांट और उपस्कर	14,704.91	15,564.37	-5.52
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4,037.71	765.26	427.63
(ग) निवेश सम्पत्ति	2,765.59	2,761.56	0.15
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	754.80	656.39	14.99
(ड़) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	0.32	0.32	-
(ii) ऋण	239.17	205.88	16.17
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8.06	96.65	-91.66
(च) आस्थगित कर परिसम्पतियां (शुद्ध)	8,171.99	6,362.27	28.44
(च) अन्य निवर्तमान परिसम्पत्तियां	2,287.20	1,202.52	90.20

(लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
वर्तमान परिसम्पतियां			
(क) वस्तुसूचियां	788.87	740.60	6.52
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तिया			
i. व्यवसाय प्राप्तियां	58,173.44	55,092.40	5.59
ii. नगद और नकद समकक्ष	46,006.95	49,315.89	-6.71
iii. उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक अधिशेष	67,996.60	34,071.36	99.57
iv. ऋण	835.15	898.62	-7.06
v. अन्य	3,473.00	1,706.54	103.51
(c) वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	1,008.46	828.21	21.76
(d) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	47,589.94	59,736.93	-20.33
कुल	**2,58,842.17**	**2,30,005.78**	**12.54**

(ड़) निवर्तमान / वर्तमान देयताएं (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
निवर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	1,472.24	2,423.18	-39.24
(ख) व्यवस्थाएं	4,616.09	5,846.98	-21.05
(ग) अन्य निवर्तमान देयताएं	581.01	693.45	-16.21
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यवसाय देयताएं	19,092.24	15,082.60	26.58
(ii) अन्य	60,742.92	51,070.06	18.94
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	61,715.65	60,025.11	2.82
(ग) प्रावधान	1,375.34	327.54	319.90
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	2,544.79	-	
कुल	1,52,140.29	1,35,468.93	12.31

(च) नगदी प्रवाह (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
परिचालनिक गतिविधियों से शुद्ध नकदी	49,903.56	2,362.62	2,012.21
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (इस्तेमाल किया)	(35,272.75)	4,020.63	(977.29)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(17,939.75)	(5,679.06)	215.89
वर्ष के अन्त में नकदी और नकदी समतुल्य	**46,006.95**	**49,315.89**	**(6.71)**

(छ) रेल मंत्रालय के साथ वर्ष 2018–19 के लिए समझौता ज्ञापन

वास्तविक आंकड़ों का समझौता ज्ञापन के वित्तीय लक्ष्यों की तुलना नीचे दर्शाई गई है:– **(लाख रू. में)**

समझौता ज्ञापन के प्रतिमान	एमओयू 2018–19 (उत्कृष्ट रेटिंग के लिए)	2018–19 के वास्तविक आंकड़ें
परिचालन से राजस्व (करोड़ रू. में)	1,400.00	1780.24
परिचालन से राजस्व का प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (शुद्ध)	11.20	14.70
पीएटी/शुद्ध मूल्य (%)	13.52	24.72
कैपेक्स (करोड में)	60	65.55
व्यवसाय प्राप्तियां (शुद्ध) परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या (सकल)	98	119.27

(7) क्षेत्र–वार निष्पादन

आईआरसीटीसी के चार प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में खानपान, पर्यटन, इंटरनेट टिकटिंग और बोतलबंद पीने का पानी ''रेल नीर'' हैं। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इन क्षेत्रों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(अनुमानित लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	% में परिवर्तन
क्षेत्रवार राजस्व			
खानपान	1,06,510.64	72,924.11	46.06
रेल नीर	18,029.05	16,690.99	8.02
इंटरनेट टिकटिंग	23,905.39	20,425.32	17.04
पर्यटन	25,804.57	18,935.98	36.27
राज्य तीर्थ	19,457.49	21,059.00	(7.60)
क्षेत्रवार लाभ			
खानपान	14,738.87	12,554.93	17.40
रेल नीर	3,340.17	3,338.03	0.06
इंटरनेट टिकटिंग	16,134.57	10,058.35	60.41
पर्यटन	2,777.66	-1,230.87	325.67
राज्य तीर्थ	4915.89	4,753.01	3.43

(8) मानव संसाधन के क्षेत्र में वास्तविक विकास, नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित औद्योगिक संबंध

आईआरसीटीसी अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति यानी मानव संसाधन की ताकत में विश्वास करता है। आईआरसीटीसी ने संगठन के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्देश्यों और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए अपनी मानव संसाधन रणनीति प्रणाली और प्रक्रियाओं का आपस में ध्यान रखकर अपनाया और संशोधित किया है। आईआरसीटीसी का मानव संसाधान उन कर्मचारियों के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में कार्य करना है जो कंपनी की भविष्य की जरूरतों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच एक संबंध बनाकर संगठन की मुख्य क्षमता में योगदान करने हैं। आईआरसीटीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ मानव पूंजी को आकर्षित करने, हासिल करके तैनात करके नियुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

ब्रेक–अप के साथ कर्मचारियों की संख्या के संबंध में विवरण रिपोर्ट में कहीं और उल्लेख किया गया है।

(9) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण।

पर्यावरण बचाव एंव संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास पर खर्च, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित सूचना रिपोर्ट में कहीं ओर दी गई गई है।

(10) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता

आईआरसीटीसी के पास कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013, सीएसआर नियम व सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निदेशों के अनुरूप एक सुपरिभाषित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत् विकास नीति मौजूद है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत् विकास (एसडी) के संबंध में अलग एक अध्याय अनुबंध 'ग' के रूप में संलग्न है।

(11) चेतावनी परक कथन

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण और निदेशक की रिपोर्ट जिसमें कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण और अनुमानों का वर्णन है, एक दूरदर्शी एवं प्रगतिपरक कथन है और वे लागू कानूनों और विनयमों के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक आंकड़े बताये गए या अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं जो आर्थिक नीतियों, सरकारी नीतियों, और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर कर सकते हैं। पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे अग्रगामी कथनों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर न करें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता. /–
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2019

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख''

कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कम्पनी का कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन

कम्पनी का कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन, निम्न प्रकार हैः–

''पारदर्शिता, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके अंत में हितधारकों के मूल्य को बढा़ना है, जिससे न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन हो, बल्कि संपूर्ण संगठन के नैतिक आचरण को भी बढ़ावा मिले''

कम्पनी इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन के लिए करती हैः–

- उत्कृष्टता और परिवर्तन लाने की उत्कृष्ट अभिलाषा
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता
- सभी व्यक्तियों की मान मर्यादा और उनकी सामर्थ्य का सम्मान
- प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन करना
- अनुक्रिया में तत्परता सुनिश्चित करना
- सीखने, सृजनशीलता और मिलजुलकर काम करने को बढ़ावा देना
- निष्ठावान और आईआरसीटीसी में होने का गौरव

1. निदेशक मंडल

1.1 निदेशक मंडल की संख्या

आईआरसीटीसी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत यथापरिभाषित एक ''**सरकारी कम्पनी**'' है और इसकी 100% प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रपति और उनके नामितों (रेल मंत्रालय के माध्यम से) के स्वामित्व के अन्तर्गत है।

कम्पनी के विधान अनुच्छेद के अनुसार कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास हैं।

कम्पनी के विधान अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मंडल में तीन से कम या 15 से अधिक निदेशक नहीं होने चाहिए। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकते हैं।

1.2 निदेशक मंडल की संरचना

इस विषय पर कम्पनी अधिनियम 2013 व इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर 2010 में जारी डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना में 31 मार्च 2019 को पालन किया गया है।

31 मार्च 2019 को निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक (रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि) और छः अंशकलिक निदेशक (गैर–सरकारी) (स्वतंत्र) निदेशक हैं। सरंचना का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	स्थिति
पूर्णकालिक निदेशक		
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** (डीआईएनः 02316235)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलन** (डीआईएन :07445220)	निदेशक (खानपान सेवाएं)
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा** (डीआईएन :08083674)	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
अंश कालिक सरकारी निदेशक		
4.	**श्रीमती स्मिता रावत** (डीआईएनः07670758)	कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी), रेलवे बोर्ड
5.	**श्री नीरज शर्मा** (डीआईएनः08177824)	कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन) रेलवे बोर्ड

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	स्थिति
अंश–कालिक (गैर–सरकारी) निदेशक		
6.	**डॉ. रबी नारायण बोहीदर**(डीआईएनः 00637818)	स्वतंत्र निदेशक
7.	**डॉ. धीरज शर्मा**(डीआईएनः 07683375)	स्वतंत्र निदेशक
8.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** (डीआईएनः 00074469)	स्वतंत्र निदेशक
9.	**प्रो.सचिन चतुर्वेदी** (डीआईएनः 07960871)	स्वतंत्र निदेशक
10.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती**(डीआईएनः 07965899)	स्वतंत्र निदेशक
11.	**सुश्री सरिता देशपांडे**(डीआईएनः 08098222)	स्वतंत्र निदेशक

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मण्डल में निम्नलिखित बदलाव हुएः

1. रेल मंत्रालय के आदेश सं. 2018/ई(0)II/5/9 दिनांक 24 मई 2018 के अनुसार श्री बी. प्रशांत कुमार बलसावर, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड को दिनांक 25 मार्च 2018 से निदेशक मंडल से सदस्यता समाप्त हो गई क्योकि उनकी नियुक्ति भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केन्द्र लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हुई।
2. रेल मंत्रालय के पत्र सं. 2016/ई(0)II/40/18 दिनांक 18 मई 2018 के अनुसार श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन 08083674) को कम्पनी के निदेशक मंडल में दिनांक 18 मई 2018 से निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) के रूप में नियुक्त किया गया।
3. रेल मंत्रालय के आदेश सं. 2004/पीएल/49/1 दिनांक 26 जून 2018 के अनुसार श्री नीरज शर्मा (डीआईएन 08177824) को कम्पनी के निदेशक मंडल में दिनांक 12 जुलाई 2018 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

1.3 निदेशक की आयु और कार्यकाल :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है ये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा रेल मंत्रालय द्वारा अगले आदेश किए जाने तक नियुक्त किए जाते हैं, जो भी पहले हो।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल में नामित सरकारी निदेशक नामित किए जाने वाले प्राधिकारी के विवेक पर अथवा रेल मंत्रालय में अधिकारी के कार्यभार से पद मुक्त हो जाने तक रहते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इनकी निदेशक मंडल और समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के कारण निर्णय लेने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये निदेशक मंडल द्वारा गठित विभिन्न समितियों जिनमें लेखा परीक्षा समिति, मनोयन एवं पारिश्रमिक समिति, सीएसआर एवं एसडी समितियों, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति आदि के सदस्य होते हैं।

2. बोर्ड की बैठकों/समिति की बैठकों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कम्पनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में होती है। बैठक के दौरान अर्थपूर्ण विचार विमर्श और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सभी सदस्यों को सामान्यतः कम से कम 7 दिन पूर्व अग्रिम में व्याख्यात्मक विवरणों सहित विस्तृत कार्य सूची की टिप्पणियां परिपत्रित की जाती है।

तथापि जब कभी अत्यावश्यक मामलों पर विचार–विमर्श किया जाना होता है तो सभी निदेशकों/सदस्यों की सहमति से अल्प सूचना पर बैठकें बुलाई जाती है अथवा किसी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में परिपत्र द्वारा संकल्पों को पारित भी कर दिया जाता है और उनकी पुष्टि के लिए उन्हें निदेशक मंडल/समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और आपवादिक मामलों में या जहां ऐसा करना संभव न हो या मदें जब कभी कार्य सूची की मद के लिए कोई प्रलेख गोपनीय होने के कारण संलग्न करना व्यावहारिक नहीं होता तो उसे उपस्थित बोर्ड/समिति के अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति के साथ बैठक के दौरान पटल पर रख दिया जाता है।

अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र के लिए निदेशक मंडल/समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगली बैठक में संबंधित बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिससे निर्णयों की प्रभावी समीक्षा में सहायता मिलती है।

2.1 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

बोर्ड के सदस्यों के पास कम्पनी से संबंधित पूरी सूचना होती है। बोर्ड/समिति के सदस्य ऐसे किसी भी मामले को कार्य सूची में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वंत्रत हैं जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। जब कभी आवश्यक होता है, प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक के दौरान बोर्ड/समिति द्वारा जिस विषय पर विचार विमर्श चल रहा होता है, उस संबंध में अतिरिक्त सूचना देने के लिए बुला लिया जाता है। बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना मे निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं:

1. वार्षिक परिचालन परियोजनाएं तथा बजट एवं कोई नई सूचनाएं।
2. पूंजीगत बजट और कोई नई सूचनाएं।
3. कम्पनी का और इसके परिचालनिक विभागों अथवा व्यवसाय क्षेत्रों के परिणाम।
4. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
5. बोर्ड स्तर से तत्काल नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और उनकी परिलब्धियों से संबंधित सूचनाएं जिसमें मुख्य वित्त अधिकारी और कम्पनी सचिव की नियुक्तियों या उन्हें पद से हटाए जाने संबंधी सूचना शामिल हैं।
6. प्रमुख निवेश, संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनियों का गठन।
7. कम्पनी को लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन की तिमाही आधार पर समीक्षा।
8. ऐसा कोई भी मामला, जिसमें बड़े आकार के सार्वजनिक अथवा उत्पाद दायिता के दावों की संभावना हो, जिनमें कोई ऐसा निर्णय अथवा आदेश शामिल हो जिसके द्वारा कम्पनी के आचरण पर रोक लगाई गई हो अथवा किसी अन्य उद्यम के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी हो, जिससे कम्पनी के फलितार्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
9. ऐसे लेन देन जो कम्पनी की साख, ब्रैंड इक्विटी, अथवा बौद्धिक सम्पदा से जुड़े हुए हों।
10. फंड निवेश की. त्रैमासिक रिपोर्ट।
11. निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
12. कम्पनी अधिनियम–2013 अथवा लागू नियमों और विनियमों अथवा डीपीई के द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देश के अन्तर्गत अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।

3. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकों का आयोजन किया गया। कॉरपोरट अभिशासन पर डीपीई के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत निदेशक मंडल की दो बैठकों के मध्य अधिकतम समय तीन माह से कम था। 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	बोर्ड की बैठकों की सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्य की संख्या	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	92वीं	27 अप्रैल, 2018	10	9
2.	93वीं	24 जुलाई, 2018	11	10
3.	94वीं	24 अगस्त, 2018	11	10
4.	95वीं	15 नवम्बर, 2018	11	8
5.	96वीं	20 दिसम्बर, 2018	11	11
6.	97वीं	28 फरवरी, 2019	11	10
7.	98वीं	29 मार्च, 2019	11	9

4. 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी 31 मार्च 2019 को समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता

क्र. सं.	निदेशक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली आम सभा की बैठक में उपस्थिति (27.09.2018) को आयोजित	31.03.2019 को अन्य निदेशक की आयोजित बैठक	2019 तक पिछली वार्षिक आम सभा की बैठक में सदस्य/अध्यक्ष	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक							
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल (डीआईएन 02316235)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम (डीआईएन 07445220)** निदेशक (खानपान सेवाएं)	7	5	उपस्थित	शून्य	शून्य	1 (हितधारक सम्बंध समिति
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन 08083674)** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (18.05.2018 से)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
अंश कालिक सरकारी निदेशक							
4.	**श्री प्रशांत कुमार बलसावर (डीआईएन 07189241)** भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड (24.05.2018 तक)	1	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**श्रीमती स्मिता रावत (डीआईएन 07670758)** कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी) रेलवे बोर्ड	7	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**श्री नीरज कुमार शर्मा (डीआईएन 08177824)** कार्यकारी निदेशक (पीएम), रेलवे बोर्ड (12.07.2018 से)	6	5	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
अंश–कालिक (गैर सरकारी) स्वतंत्र निदेशक							
7.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर (डीआईएनः 00637818)**	7	7	उपस्थित	i. उडिसा टूरिज़्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि.	1 (लेखा परीक्षा समिति)	शून्य
8.	**डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएनः 07683375)**	7	6	उपस्थित	i. दि पंजाब स्टेट कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन (राज्य स्वामित्व कॉपरेटिव सोसाइटी) ii. एलकीम लेबोरेट्रीज लि. iii. नार्बाड कंशलटेन्सी सर्विस प्रा. लि.	1 (हितधारक सम्बंध समिति)	1 लेखा परीक्षा समिति

11.	**श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएनः 00074469)**	7	7	उपस्थित	i. खादी हमारा मंत्र फाऊन्डेशन ii. क्वाय इनटेक प्रा. लि.	शून्य	2 (लेखा परीक्षा समिति एवं हितधारक सम्बंध समिति
12.	**प्रो. सचिन चतुर्वेदी (डीआईएनः 07960871)**	7	6	अनुपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
13.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती (डीआईएनः07965899)**	7	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)
14.	**सुश्री सरिता देशपांडे (डीआईएनः 08098222)**	7	7	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

*इनमें निजी कम्पनी, सेक्शन 8 कम्पनियां और विदेशी कम्पनियां शामिल नहीं है।

** सीमा की गणना के उद्देश्य से केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/हितधारक सम्बंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यताएं शामिल की गई है।

Note: 1. निदेशकों/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पदों का कम्पनी के साथ धन संबंधी अथवा लेन देन नहीं होता है।

2. कम्पनी या कोई भी निदेशक एक साथ 20 (बीस) से अधिक कम्पनियों के निदेशक पद पर कार्यरत नहीं है। निदेशक मण्डल का कोई भी निदेशक सभी उन कम्पनियों जिनमें निदेशक हैं की 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 समितियों से अधिक का अध्यक्ष नहीं है।

3. निदेशक और सदस्यता/अध्यक्षता होना संबंधित निदेशकों के द्वारा दिए गए प्रकटन के आधार पर है।

5. निदेशकों द्वारा प्रकटनः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 184 के अर्न्तगत निदेशकों ने प्रकटन किया है कि वे आपस में एक–दूसरे के संबंधी नहीं है। सरकार के द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक रेल मंत्रालय के पदाधिकारी हैं और वे संस्थापकों से संबंधित है। चूंकि आईआरसीटीसी की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) के स्वामित्व में है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) में अपेक्षित है कि निदेशकों का दो तिहाई का कार्यकाल रोटेशन में सेवा निवृत्ति में आम सभा निर्धारित की जाती है, को आम सभा में कम्पनी मामलों के मंत्रालय की दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना के द्वारा कम्पनी को छूट प्राप्त है। कम्पनी मामलों के मंत्रालय के अभी हाल के दिनांक 05 जुलाई 2017 की अधिसूचना में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैराग्राफ IV जो स्वतंत्र निदेशकों के आचरण के संबंध में है और जिससे कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक(कों) की नियुक्ति को शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन किया जाना होता था, इस पर सरकारी कम्पनियों को छूट दी गई है।

उपरोक्त को देखते हुए, मद रोटेशन पर सेवानिवृत्ति और निदेशकों की नियुक्ति मद को आम सभा की बैठक के नोटिस में शामिल नहीं किया गया है।

6. बोर्ड की समितियां

कम्पनी के कामकाज के लिए बेहतर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्यों से निदेशक मंडल ने कुछ मामलों को बोर्ड की समितियों को प्रत्यायोजित किया है। बोर्ड की उप समितियों का विवरण निम्नलिखित हैः

1. लेखा परीक्षा समिति;
2. मनोयन एवं पारिश्रमिक समिति;
3. सीएसआर और एसडी समिति;
4. हितधारक संबंध समिति;
5. जोखिम प्रबंधन समिति;
6. आईपीओ समिति
7. निवेश समिति;
8. कार्यकारी बोर्ड समिति;
9. प्रशासनिक समिति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की उपरोक्त वर्णित उप–समितियों को कम्पनी के निदेशक मंडल में बदलाव होने के कारण समय–समय पर पुर्नगठित किया गया।

6.1 लेखा परीक्षा समिति

क. विचारार्थ विषय:

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय संक्षेप में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नज़र रखना कम्पनी के लेखा परीक्षक का शुल्क की बोर्ड को सिफारिश करना; सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन; बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना; बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरण की समीक्षा; लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और उसका कार्य निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पदकता की समीक्षा करना तथा उस पर नज़र रखना; सम्बद्ध पक्षों के साथ कंपनी के किसी लेन–देन का अनुमोदन अथवा पहले के या आगामी आशोधनों का अनुमोदन; अन्तर कॉरर्पोरेट ऋण एंव निवेश की संवीक्षा; आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन; लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा के साथ चर्चा; व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना; मुख्य वित्तीय अधिकारी (यदि बोर्ड स्तर से नीचे के स्तर की नियुक्ति है तो) की नियुक्ति का अनुमोदन आदि और कम्पनी अधिनियम, डीपीई के दिशानिर्देशों और सेवी के द्वारा समय–समय पर जारी विनियमन के अनुसार कोई अन्य कार्य।

ख. सरंचना बैठकें, एवं उपस्थिति

31 मार्च 2019 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र. स.	निदेशक का नाम	स्थिति
1.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**डॉ. धीरज शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती कनक अग्रवाल,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 4(चार) बैठकें आयोजित हुई। कम्पनी अधिनियम और कॉरपोरेट अभिशासन पर डी.ई.पी. के दिशा निर्देशों के तहत वर्ष के दौरान किसी भी दो बैठकों के बीच चार माह/120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं था।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	लेखा परीक्षा समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की स्वीकृत संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	47वीं	27 अप्रैल, 2018	4	4
2.	**48वीं**	24 अगस्त, 2018	4	4
3.	**49वीं**	19 दिसम्बर, 2018	4	4
4.	**50वीं**	28 मार्च, 2019	4	4

वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकें	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1.	**डॉ. रबी नारायण बोहीदर,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4	100
2.	**डॉ. धीरज शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4	100
3.	**श्रीमती कनक अग्रवाल,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4	100
4.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	3	75

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रित होते हैं।

इन बैठकों में जब कभी आवश्यक होता है, समूह महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख, सांविधिक लेखा परीक्षक/लागत लेखा परीक्षक भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं। समिति को आवश्यक जानकारी देने के लिए जब कभी आवश्यक होता है, वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया जाता है।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल ने स्वीकार कर लिया गया है।

6.2 मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति

क. विचारार्थ मदें

मनोनयम एवं पारिश्रमिक समिति की संक्षिप्त विचारार्थ मदों में वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और कार्यपालकों और गैर–संगठित पर्यवेक्षकों को सार्वजनिक उपक्रम विभाग की सिफारिशों के अनुसार वितरण के लिए पॉलिसी का निर्णय लेना शामिल है, वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के नीचे एक स्तर) और अन्य कर्मचारियों के लिए अनुलाभ/भत्ते से संबंधित मानव संसाधान नीतियों की गणना और अनुशंसा निदेशक मंडल को करना, उपयुक्त नीतियों और प्रणालियों को तैयार करने में यह सुनिश्चित करना की कोई कर्मचारी भारत या विदेशों में किसी भी लागू कानून का उल्लंघन न करें। निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्यायोजित और या कानून के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित द्वारा ऐसी अन्य गतिविधियों निष्पादन के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति में भाग ले सकते हैं।

ख. सरंचना, बैठकें एवं उपस्थिति

क्र. स.	सदस्यों के नाम	स्थिति
1.	**डॉ. धीरज शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कम्पनी सचिव समिति की सचिव है।

निदेशक (खानपान सेवाएं) और समूह महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में स्थाई आमंत्रित सदस्य है।

वर्ष 2018–19 के दौरान 2 (दो) बार मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित की गई। विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र. सं.	मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की स्वीकृत संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	13	27 अप्रैल, 2018	4	4
2.	14	19 दिसम्बर, 2018	4	4

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित समिति की बैठकों का विवरण और सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकें	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1.	**डॉ. धीरज शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2	100
2.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2	100
3.	**श्रीमती कनक अग्रवाल,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2	100
4.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2	100

निदेशकों और कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक

आईआरसीटीसी, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, इसमें कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यावधि और पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी के विधान अनुच्छेद के अन्तर्गत रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	वेतन	अनुलाभ	अन्य लाभ*	निष्पादन पुरस्कार	पीएफ में अंशदान	एनपीएस में योगदान	स्टॉक विकल्प	कुल
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	42,63,998	7,07,530	41,61,419	11,46,815	3,11,479	2,59,566	–	**1,08,50,807**
2.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	39,63,685	8,37,705	1,42,880	13,67,958	3,06,014	2,55,012	–	**68,73,254**
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (18.05.2019 तक)	31,61,295	13,99,100	1,75,006	1,27,439	2,80,184	2,33,487	–	**53,76,511**
4.	**श्रीमती सुमन कालरा** कम्पनी सचिव	17,41,634	4,24,444	-	1,73,413	1,55,869	1,29,890	–	**26,25,250**
5.	**श्री अजय श्रीवास्तव** समूह महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	23,56,313	11,38,169	1,20,000	1,25,000	1,23,607	2,60,710	–	**41,23,799**
	कुल	**1,54,86,925**	**45,06,948**	**45,99,305**	**29,40,625**	**11,77,153**	**11,38,665**	**–**	**2,98,49,621**

***कम्पनी के द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प उपलब्ध या पेशकश नहीं की गई क्योंकि कम्पनी के इक्विटी शेयर केवल भारत सरकार के पास हैं।**

#इसमें वित्त वर्ष 2018–19 में 37,09,009/– रू. चिकित्सा प्रतिपूर्ती शामिल है।

सरकारी निदेशकों को पारिश्रमिक:

सरकारी निदेशकों को कम्पनी के द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

अंशकालिक (गैर–सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारश्रमिक नही दिया जाता। उन्हें केवल कम्पनी अधिनियम 2013 में निर्धारित सीमा और उसके नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड की अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए केवल 15000/– रूपए का बैठक शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड बैठकें	समिति की बैठक	
1.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	1,05,000	1,95,000	3,00,000
2.	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	90,000	2,40,000	3,30,000
3.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** स्वतंत्र निदेशक	1,05,000	1,05,000	2,10,000
4.	**प्रो.सचिन चतुर्वेदी** स्वतंत्र निदेशक	90,000	1,35,000	2,25,000
5.	**श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती** स्वतंत्र निदेशक	90,000	90,000	1,80,000
6.	**सुश्री सरिता देशपांडे** स्वतंत्र निदेशक	1,05,000	90,000	1,95,000
	कुल	**5,85,000**	**8,55,000**	**14,40,000**

6.3 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास समिति

क. विचारार्थ मदें:

कंपनी की सीएसआर और एसडी समिति के संक्षिप्त विचारार्थ मदों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर नीति, सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले व्यय की समीक्षा और निदेशक मंडल को अनुशंसा करना, कंपनी के सीएसआर पहल पर रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता, सतत विकास के संबंध में, कार्य के दायरे में सतत विकास नीति दिशानिर्देशों और लघु, मध्यम और दीर्घकालिक एसडी योजना, संगठनों के व्यापार लक्ष्यों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रुझानों के साथ एसडी परियोजनाओं/गतिविधियों के संरेखण की निगरानी।

ख. सरंचना बैठक और उपस्थिति

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्र. सं.	सदस्य	समिति में स्थिति
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्रीमती स्मिता रावत,** अंश–कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	**डॉ. धीरज शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	**प्रो. सचिन चतुर्वेदी,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6.	**सुश्री सरिता देशपांडे,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

श्री अनूप श्रीवास्तव, समूह महाप्रबंधक (सुरक्षा) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत् विकास समिति के नोडल अधिकारी तथा समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की 6 (छः) बैठकें आयोजित हुई। विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र.सं.	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति सदस्यों की संख्या	उपस्थिति सदस्यों की संख्या
1.	20वीं	**27 अप्रैल, 2018**	5	5
2.	21वीं	**24 जुलाई, 2018**	6	6
3.	22वीं	**24 अगस्त, 2018**	6	6
4.	23वीं	**20 दिसम्बर, 2018**	6	6
5.	24वीं	**28 फरवरी, 2019**	6	5
6.	25वीं	**28 मार्च, 2019**	6	5

समिति की आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकें	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	6	5	83.33
2.	**श्री स्मिता रावत** अंश–कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	6	6	100
3.	**डॉ. श्री रबि नारायण बोहीदर** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6	100
4..	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6	100
5..	**प्रो. सचिन चतुर्वेदी** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	5	83.33
6.	**सुश्री सरिता देशपांडे** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.04.2018 से)	5	5	100

6.4 हितधारक संबंध समिति/शेयर धारकों की परिवाद समिति

क. विचारार्थ विषयः

हितधारक संबंध समिति के विचारणीय विषयों में तिमाही आधार पर कम्पनी के शेयरधारकों से प्राप्त परिवादों के निवारण की स्थिति प्रस्तुत करने, शेयरधारकों की शिकायतों को हल करने, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों, इक्विटी शेयरों के आबंटन, अनुमोदन की रिपोर्टिंग शामिल है; इक्विटी शेयर, डिबेन्चर या किसी अन्य प्रतिभूतियों का स्थानांतरण या हस्तांतरण, डुप्लिकेट प्रमाण पत्र और विभजित/समेकन/नवीनीकरण आदि नए प्रमाणपत्र जारी करना।

ख. सरंचना बैठकें एवं उपस्थिति

31 मार्च 2019 को समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः–

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति
1.	**डॉ. धीरज शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्रीमती कनक अग्रवाल,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलन,** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कम्पनी सचिव समिति की सचिव हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हितधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

6.5 जोखिम प्रबंधन समिति

क. विचारार्थ विषयः

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति के संक्षिप्त विचारणीय विषयों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और मूल्यांकन और कंपनी की नीति, किसी भी नई व्यावसायिक योजनाओं और प्रक्रियाओं में शामिल संभावित जोखिम के होने की समीक्षा और सिफारिश, किसी बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना, जोखिम प्रबंधन नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करना, संगठन के व्यापक जोखिम पोर्टफोलियो की समीक्षा, जोखिम प्रबंधन तकनीकों में सुधार और प्रबंधन में जागरूकता बढ़ाने का सुझाव देना, प्रबंधन के क्रमिक स्तरों तक नीतियों और मानकों का सम्प्रेषण सुनिश्चित करना आदि।

ख. सरंचना बैठकें एवं उपस्थिति

31 मार्च 2019 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैंः–

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति
1.	**महेन्द्र प्रताप मल्ल,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम,** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य
4.	**श्री नीरज शर्मा,** अंश–कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
5.	**डॉ. धीरज शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6.	**प्रो. सचिन चतुर्वेदी,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

समिति की बैठक में श्री अनूप श्रीवास्तव समूह महाप्रबंधक (सुरक्षा), मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में और विधि अधिकारी स्थायी आमंत्रित सदस्य है।

श्रीमती सुमन कालरा कम्पनी सचिव समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	जोखिम प्रबंधक समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति में सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	3 (तीसरी)	24 जुलाई, 2018	4	4
2.	4 (चौथी)	19 दिसम्बर, 2018	6	5
3.	5 (पांचवी)	28 मार्च, 2019	6	4

समिति की बैठकों के आयोजन एवं सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकें	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	3	3	100
2.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य	3	2	66.67
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (24.07.2018 से)	2	2	100
4.	**श्री प्रशांत कुमार बलसावर** अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (24.05.2018 तक)	0	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	**श्री नीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (24.07.2018 से)	2	0	—
6	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3	100
7	**प्रो. सचिन चतुर्वेदी** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3	100

अन्य कार्यात्मक समितियां:

6.6 आईपीओ समिति

निदेशक मंडल ने 28 जुलाई 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की 87वीं बैठक में कंपनी के विधान के अनुसार आईआरसीटीसी की आईपीओ समिति में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (खानपान सेवाएं), निदेशक (पर्यटन और विपणन) और श्रीमती कनक अग्रवाल स्वतंत्र निदेशक को शामिल करके गठन किया गया था ताकि निदेशक मंडल की ओर से समिति के अनुमोदित विचारार्थ विषयों से आईपीओ से संबंधित मामलों पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आईपीओ समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

6.7 निवेश समिति

डीपीई दिशानिदेशों के अनुसार आईआरसीटीसी की निवेश समिति का गठन इस प्रयोजन के लिए शक्तियों के वित्तीय प्रत्यायोजन के अनुसार अधिशेष निधि को अल्पकाल के लिए लगाने के वास्ते निवेश संबंधी निर्णय करती है। समिति द्वारा लिए गए निर्णय को आईआरसीटीसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), और निदेशक (खानपान) होते हैं। बैठकों का आयोजन जब कभी आवश्यक हो, किया जाता है और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं।

6.8 कार्यपालक बोर्ड समिति

कार्यपालक बोर्ड का गठन आईआरसीटीसी में ई–6 और उससे नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, समाहन और पदोन्नति के अवसरों के संबंध में नीति (नीतियां) तैयार करने और उसका प्रारूप बनाने और इसके अलावा यह समिति, आंतरिक विश्लेषण के लिए नए कार्यों, व्यावसायिक क्षेत्रों की वृद्धि और कम्पनी परिचालनिक निष्पादन के आंतरिक प्रयोजनों आदि पर भी विचार करेगी।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) हैं।

कार्यपालक बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 6 (छ) बैठकें आयोजित की गईं जो 25 मई 2018, 15 जून 2018, 02 जुलाई 2018, 08 अगस्त 2018, 04 सितम्बर 2018 एवं 05 फरवरी 2019 को आयोजित की गई। बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालकों को भी कार्यपालक बोर्ड की बैठकों में यथा आवश्यक होने पर आमंत्रित किया जाता है।

6.9 प्रशासनिक समितियां

प्रशासनिक समिति का गठन करंट या एफडीआर बैंक खातों को खोलना और बंद करने के मामलों के अनुमोदन और रेल नीर परियोजनाओं के लिए कार्यात्मक पूंजी सुविधा के लिए वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क हेतु तथा आबकारी, आयकर और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकरण तथा कम्पनी की ओर से कागज़ातों को हस्तांतरित और निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए किया गया है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं निदेशक (खानपान सेवाएं) होते हैं।

श्रीमती सुमन कालरा, कम्पनी सचिव समिति की सचिव हैं। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशासनिक समिति की 3 (तीन) बैठकें 30 मई 2018, 20 जुलाई 2018 और 20 नवम्बर 2018 को आयोजित की गई और समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

6.10 शेयर हस्तांतरण समिति

निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की ओर से कम्पनी सचिव को एक सदस्यीय समिति के रूप में शेयर हस्तांतरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि वे जब भी इसके लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध प्राप्त होंगे तो उसका अनुपालन करेंगे। रेल मंत्रालय के निर्देश पर वर्ष 2018–19 के दौरान तीन बार अर्थात् 11 अप्रैल 2018, 23 जुलाई 2018 एवं 13 मार्च 2019 को शेयर हस्तांतरण किए गए।

7. स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठकः

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनूसूची–IV की अपेक्षाओं के पालन और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के द्वारा गैर सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) की भूमिका और उत्तरदायित्व पर एक अलग से बैठक दिनांक 30 जनवरी 2019 को आयोजित की गई। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया और बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किया गया।

स्वतंत्र निदेशकों के घोषणा–पत्र

स्वतंत्र निदेशकों को घोषणा वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सभी स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल की पहली बैठक जिसमें उन्होंने निदेशक के रूप में भाग लिया, में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मापदण्ड के अनुसरण में घोषणापत्र दिया गया।

8. आम सभा की बैठकें

i. वार्षिक आम सभा (एजीएम)

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों (एजीएम) का विवरण निम्न प्रकार हैः

एजीएम	वित्तीय वर्ष	दिनांक	दिन	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
17वीं	2015-16	27.09.2016	मंगलवार	1200 बजे	सम्मेलन कक्ष, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	नहीं
18वीं	2016-17	20.09.2017	बृहस्पतिवार	1100 बजे	सम्मेलन कक्ष, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	नहीं
19वीं	2017-18	27.09.2018	बृहस्पतिवार	1500 बजे	समिति कक्ष, कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	हां i. कम्पनी के विधान में ऑबजेक्ट क्लॉज में संशोधन को मंजूरी देना ii. कम्पनी के विधान में नए विधान का अंगीकार करना।

i. असाधारण आम सभा

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी ने 29 मार्च 2019 को अपनी दूसरी असाधारण आम सभा (ईजीएम) आयोजित की, जिसमें शेयरधारकों ने 3:1 के अनुपात में कम्पनी के मौजूदा शेयरधारकों को पूरी तरह से भुगतान किए जाने वाले बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी अर्थात् 10/– रू. के तीन बोनस शेयर 10/–रू. प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए आरक्षित और कम्पनी के अधिशेष से 120 करोड़ रू. के पूंजीकरण द्वारा मौजूदा शेयरधारकों को जारी करना।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित की गई कम्पनी की असाधारण आम सभा (ईजीएम) का विवरण निम्नानुसार हैः–

एजीएम	वित्तीय वर्ष	दिनांक	दिन	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
द्वितीय	2018-19	29.03.2019	शुक्रवार	1100 बजे	समिति कक्ष, कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	नहीं

9. प्रकटन

I. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 में सभी अपेक्षाओं का आईसीएसआई के द्वारा जारी सचिवीय मानकों और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

II. कंपनी के निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों अथवा कंपनियों और फर्मों आदि जिनमें वे प्रत्यक्ष अथवा उनके संबंधियों के माध्यम से निदेशक के रूप में और/या साझेदार इच्छुक है, के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

III. ऐसी किसी भी मद का खर्च, जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं हैं, बही खातों में नहीं डाला गया है। व्यक्तिगत प्रकृति का कोई भी खर्च निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिए खर्च नहीं किया गया है।

IV. कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों को मॉनिटर करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड को इस संबंध में सूचना दी जाती है ताकि कंपनी पर लागू सभी नियमों का उचित अनुपालन हो सके।

V. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 में अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

VI. पिछले तीन वर्षों के दौरान, लागू कानूनों के अंतर्गत पालन न होने के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई है।

VII. कम्पनी आवधिक रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं से जुड़ें जोखिमों के संबंध में बोर्ड को सूचित करती रहती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रबंधन विचार विमर्श ओर विश्लेषण रिपोर्ट में ''जोखिम और चिंताएं'' नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं।

VIII. **निगरानी तंत्रः**– कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुपालन में कम्पनी पुष्टि करती है कि व्हिसल ब्लोअर नीति के अन्तर्गत अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को गैर कानूनी या अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीधे देने के लिए आईआरसीटीसी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अर्न्तगत निगरानी तंत्र मौजूद है। यहां अपने सभी व्यवसाय गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। कम्पनी पुष्टि करती है कि किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति से मिलने से रोका नहीं गया है।व्हिसल ब्लोअर नीति कम्पनी वेबसाइट www.irctc.com पर उपलब्ध है।

IX. वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय का विवरण वर्ष 2018–19 में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय खर्चों का प्रतिशत 10.94 प्रतिशत रहा।

10. संचार व्यवस्था के साधन

लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेन्स मेनुअल और बोर्ड चार्टर, भारतीय रेल और आईआरसीटीसी के मध्य एमओयू कार्य–निष्पादन, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स, सीएसआर एवं धारणीयता नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, धोखाधड़ी पता करने और बचाव नीति आदि इस उदेद्श्य से आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.com पर अपलोड़ किए गए हैं और वेबसाइट से इसे डाऊनलोड किया जा सकता है।

विभिन्न विभागों की निविदाएं, दी गई निविदाओं/संविदाओं का ब्यौरा अन्य अधिकारिक न्यूज रिलीज के साथ भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

11. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

परम्परा के अनुसारं, बोर्ड में नए निदेशक के शामिल होने पर, कंपनी के दृष्टिकोण, मिशन, रणनीतिक दिशा, मूल मूल्यों, वित्तीय मामलों और व्यावसायिक संचालन के संबंध में औपचारिक प्रशिक्षण और ओरियन्टेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशरों, रिपोर्ट और आंतरिक नीति, वार्षिक रिपोर्ट, मेमोरैंडम और आर्टीकलों ऑफ एसोसिएशन, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच एमओयू, जो उन्हें प्रक्रियाओं, प्रथाओं और जोखिम प्रोफाइल से परिचित कराने में मदद करते हैं, कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए बाहरी प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

i. श्रीमती सरिता देशपांडे, स्वतंत्र निदेशक ने "सीपीएसई के नए नियुक्त गैर–सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण" पर डीपीई द्वारा आयोजित दिनांक 18 एवं 19 फरवरी, 2019 तक का ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया।

12. लेखा परीक्षा की शर्तें

कंपनी इस बात के लिए प्रयासरत रही है कि बिना शर्त वाली वित्तीय विवरणियां प्रयोग में लाई जाना सुनिश्चित करे।

13. शेयरधारियों के लिए सामान्य सूचना

(क) चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक

दिनांक: 28th अगस्त 2019

समय: 1630 बजे

स्थान : समिति कक्ष, कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001

(ख) 31.03.2019 को शेयर होल्डिंग का प्रतिशत

श्रेणी	लिए गए शेयरों की संख्या	लिए गए शेयरों का प्रतिशत
केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) भारत के राष्ट्रपति और इसके नामितों के नाम	16,00,00,000	100
कुल	**16,00,00,000**	**100**

(ग) संयंत्रों के स्थान/परिचालन इकाइयां

रेलनीर संयंत्र और विभिन्न राज्यों में स्थित जोनल कार्यालयों की सूची कंपनी की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार का पता (इस रिपोर्ट में शामिल कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित मामलों के संबंध में)

कंपनी सचिव, आईआरसीटीसी
11th वां तल, बी–148, स्टेट्समैन हाऊस,
बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नं. 91-11-23327746
ई–मेल का पता: companysecretary@irctc.com
Website: www.irctc.com

14. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और श्री अजय श्रीवास्तव, समूह महाप्रबंधक (वित्त–II), मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 26 जुलाई 2019 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की 51वीं बैठक में और तत्पश्चात् उसी दिन निदेशक मंडल की 100वीं बैठक में, प्रस्तुत किया गया था। लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **अनुबंध – "ख–2"** में संलग्न है।

15. कॉरपोरेट अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा रेटिंग :–

आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में रिपोर्ट विनिर्दिष्ट प्रारूपों में रेल मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए डीपीई द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन मार्गनिर्देश 2010 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गई थी।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने कॉरपोरेट अभिशासन की कोटि में आईआरसीटीसी को वर्ष 2017–18 में **''उत्कृष्ट''** की श्रेणी में रखा है। स्वयं निर्धारण के आधार पर कम्पनी वर्ष 2018–19 में उत्कृष्ट रेटिंग की उपलब्धि की आशा करती है।

16. कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी मार्गनिर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित कम्पनी के द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र मैसर्स बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स प्रैक्टसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया है, को इस रिपोर्ट के **अनुबंध–''ख–3''** के रूप में संलग्न किया गया है।

17. सचिवीय लेखा परीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और इसके बाद के नियमों के अन्तर्गत मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कम्पनी प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। वित्त वर्ष 2018–19 की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षा पर टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुबंध–ड़ के रूप में संलग्न है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2019

अनुबंध "ख-1"

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा।

मैं, एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन दल ने पुष्टि की है कि उन्होंने 2018–19 के दौरान आचरण संहिता और कंपनी के प्रमुख मूल्यों का अनुपालन किया है।

हस्ता. / –
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2019

अनुबंध "ख-2"

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

i. मैने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोशन लि. के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह की समीक्षा की है और अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि:

(क) इन विवरणों में कोई वास्तविक असत्य विवरण शामिल नहीं है या न ही किसी वास्तविक तथ्य को छिपाया गया है या दिग्भ्रमित किए जाने वाले विवरण निहित हैं;

(ख) इन विवरणों में कपंनी मामलों का सही एवं निष्पक्ष परिदृश्य एक साथ प्रस्तुत किया गया है और ये प्रचलित लेखांकन मानकों, लागू नियमों एवं विनियिमों के अनुरूप हैं।

ii. मेरी जानकरी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी, किसी धोखाधड़ी वाले लेन–देन, गैर कानूनी या कंपनी के आचरण संहिता के उल्लंघन वाली गतिविधियों में, शामिल नहीं रही है।

iii. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कपंनी के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आन्तरिक नियंत्रण की संकल्पना और संचालन संबंधी कमियों, यदि कोई हों, जो हमारी जानकारी में हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों, से अवगत करा दिया है।

iv. हमने लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है कि:–

क. वर्ष 2018–19 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

ख. वर्ष 2018–19 के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

ग. ऐसी किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना की जानकारी हम लोगों को नहीं है और न ही कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका वाले किसी प्रबंधन या कर्मचारी की कोई संलिप्तता है।

हस्ता. / –
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
डीआईएन: 02316235

हस्ता. / –
(अजय श्रीवास्तव)
समूह महाप्रबंधक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2019

अनुबंध – ''ख–3''

बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकेट ए/3,
सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
फोन : 011–27931217
मोबाइल : 9811387946
ई–मेल : balikasharma@gmail.com

कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण,
11वां तल, बी–148, स्टेट्स्मैन हाऊस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001
सीआईएन यू74899डीएल1999जीओआई101707

हमने हमने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, **इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड** द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं और उन्हें लागू करने तक का ही हमारी जांच का दायरा रहा है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप कंपनी ने, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की व्यवहार्यता के लिए न तो किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा निपटाए गए कंपनी के मामलों के संबंध में उनकी दक्षता या कार्यकुशलता का प्रमाण है।

हस्ता./–
बालिका शर्मा एवं एसोसिएट
कम्पनी सचिव
एफसीएस नं. 4816
सी.पी.नं. 3222

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.07.2019

निदेशकों की रिपोर्ट – अनुबंध – ''ग''

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता के संबंध में रिपोर्ट

1. कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की नीति का संक्षिप्त वर्णन जिसमें शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों की रूप रेखा का वर्णन और सीएसआर नीति और परियोजना अथवा कार्यक्रमों के वेबलिंक का संदर्भ शामिल है।

क. कम्पनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त वर्णन।

दृष्टिकोण

''सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के जीवन को प्रभावित करने अग्रणी रहने के लिए आईआरसीटीसी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के माध्यम से समय के क्षितिज में एक सतत्, समावेशी विकासात्मक परिवर्तन की दिशा में काम कर रहा है।''

मिशन

''आईआरसीटीसी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की अनुसूची VII के अन्तर्गत शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं में स्वयं को एक अग्रणी रूप में स्थापित करेगा। सीएसआर और सतत् पहल के माध्यम से आईआरसीटीसी सीएसआर और सतत् नीति के मूल्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।''

सीएसआर नीति दस्तावेज (मैनुअल) में एक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आईआरसीटीसी के दर्शन को शामिल किया गया है और बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा निर्देशों और तंत्र का पालन करता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी द्वारा सीएसआर परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिएए सीएसआर प्रस्तावों का विश्लेषण और चयन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई की सहायता से वैज्ञानिक कार्यप्रणाली तैयार की गई है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में से सीएसआर गतिविधियों परियोजनाओं का चयन करते समय, कंपनी उन मुद्दों को प्राथमिकता देती है जो राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण हैं जैसे शौचालय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, आदि का प्रावधान।

वित्त वर्ष 19 के लिए आपकी कंपनी ने डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार आकांक्षा जिलों में स्वास्थ्य देखभाल और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सीएसआर एंड सतत् गतिविधियों की दिशा में कई पहल की है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान की गई गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

i. आकांक्षात्मक जिलों का विकास :

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित आंकाक्षा जिलों को **''स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल''** के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की:

क. मणिपुर, चंदेल

ख. त्रिपुरा, धलाई

ग. मध्य प्रदेश, विदिशा

घ. छत्तीसगढ़, कोरबा

ङ. झारखंड, रांची

च. ओडिशा, गजपति

छ. उत्तर प्रदेश, बलरामपुर

ज. हरियाणा, मेवात

झ. मध्य प्रदेश, छतरपुर

ञ. ओडिशा, कंधमाल

ट. उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती

वित्त वर्ष 2018–19 में स्कूल शिक्षा'' के तहत मणिपुर के चंदेल जिले में ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूती के लिए 22,50,000/–रू. और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों के प्रावधान के लिए 15,00,000/–रू. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए जारी किए।

ii. विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पीईटी बोतल क्रशरः

आईआरसीटीसी ने सफलतापूर्वक 57.23 लाख रू. की कुल लागत से हावड़ा मंडल, हैदराबाद मंडल, रांची मंडल, दिल्ली मंडल, विजयवाडा मंडल, लखनऊ मंडल और मुंबई मंडल में 50 पीईटी बोतल क्रशरा मशीनें लगाई।

iii. भारत के संसद भवन में गोल्फ कार्ट का प्रावधानः

दिव्यांग कर्मचारियों की सहायता करने और स्वच्छता और पर्यावरण का समर्थन करने के लिए भारत के संसद भवन में 9,26,800/– रू. की कुल लागत पर दो गोल्फ कार्ट प्रदान किए गए।

iv. ''एकल विद्यालय'' के लिए वित्तीय सहायता

आईआरसीटीसी ने ''एकल विद्यालय'' के परिचालन लागत के लिए गैर सरकारी संगठन भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से ''एकल अभियान'' शीर्षक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की। उत्तराखंड में आकांक्षा जिले उधमसिंह नगर में एकल अभियान के तहत एकल विद्यालय एनजीओ द्वारा स्थापित किए गए थे। भारत लोक शिक्षा परिषद को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता 20,00,000/–रू. थी।

v. उद्यमिता मॉडल के माध्यम से प्रकृति अनुकूल स्वच्छता प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके ग्रामीण बिहार और पश्चिम बंगाल में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

आईआरसीटीसी ने उद्यमशीलता मॉडल के माध्यम से प्रकृति के अनुकूल स्वच्छता प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके ग्रामीण बिहार और पश्चिम बंगाल में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पहल की। 10,00,000/–रू. की कुल लागत वाली परियोजना को गैर–सरकारी संगठन सर्व सेवा समिति संस्था के माध्यम से निष्पादित किया गया।

vi. जल शोधक और रेफ्रिजरेटर का प्रावधानः

कंपनी ने 'प्रयास' उत्तर रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर पहल करके घर छोड़कर आए बच्चों के लिए हॉट एंड कोल्ड वाटर डिसपेंसिंग सुविधा के साथ वाटर प्यूरिफायर प्रदान किया। कंपनी ने भारतीय रेलवे महिला कल्याण संगठन की स्वयं सहायता समूह की मसाला चक्की यूनिट और सेनेटरी नैपकिन इकाइयों की महिला श्रमिक की भी सहायता की है।

vii. अंध विद्यालय ब्रेल प्रिंटिंग के लिए एम्बॉसर खरीदने व हिंदी सॉफ्टवेयर और प्रसारण के लिए वित्तीय सहायता

आईआरसीटीसी ने 5,90,000/–रू. की कुल लागत पर जनता आदर्श अंध विद्यालय के लिए ब्रेल प्रिंटिंग के लिए एम्ब्रोजर हिंदी सॉफ्टवेयर और प्रसारण सहित खरीद के लिए निधि की व्यवस्था सामाजिक अधिकारिता और शिक्षा के अन्तर्गत पहल की।

viii. सौर लैंप के वितरण के लिए ''प्रियाली'' को वित्तीय सहायताः

पर्यावरण का समर्थन करने और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिएए आईआरसीटीसी ने ''प्रियाली'' परियोजना के अन्तर्गत परिचय फाउंडेशन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000/–रू. की कुल लागत के सौर लैंप प्रदान किए।

ix. रेल नीर संयंत्रों के पास गांवों का विकास :

कंपनी द्वारा रेल नीर संयंत्रों के पास के गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, स्कूलों में शौचालय और आरओ वाटर प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर देने की पहल की।

पहले चरण में, रेल नीर संयंत्र अमेठी के पास गांवों को सोलर स्ट्रीट लाइट और वाटर कूलर आरओ वाटर प्यूरीफायर के साथ प्रदान किए गए। रेल नीर प्लांट, पालूर और रेल नीर प्लांट, बिलासपुर के पास गांवों में लड़कियों के स्कूलों और मंदबुद्धि बच्चों के सरकारी स्कूलों के लिए शौचालय की व्यवस्था कराई। विभिन्न स्थानों पर परियोजनाओं की कुल लागत 38,89,350/–रू. थी।

x. खेल को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता:

स्वस्थ भारत मिशन का अनुसरण करते हुए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने नूरुल अमीन स्टेडियम, नागांव (असम) के उन्नयन के लिए नॉगॉन्ग स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 50,00,000/–रू. को उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में खेल के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने की पहल के अन्तर्गत प्रदान किए गए। आईआरसीटीसी ने सत्या फाउंडेशन को कुश्ती और कबड्डी गद्दों की खरीद के लिए 22,00,000/–रू. भी प्रदान किए।

xi. राष्ट्रीय धरोहर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता:

कम्पनी ने राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली में सीएसआर पहलों के अन्तर्गत डिजायनर बैचों और गार्डन केनोपी की व्यवस्था की गई।

xii. परियोजना 'कुपोषण से सुपोषण' के लिए किचन स्थापना हेतु मूलभूत ढांचे के लिए सहायता:

कम्पनी ने गैर–सरकारी संगठन –श्री कामता प्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति को उनकी परियोजना कुपोषण से सुपोषण की ओर के लिए 4–5 किचनों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। परियोजना की कुल लागत 20,00,000/– रू. थी।

xiii. कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता:

आईआरसीटीसी ने रोटरी अंबाला कैंसर और जनरल अस्पताल को अपनी नई आईसीयू सुविधा के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 16,91,000/–रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की।

xiv. थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) के रोगियों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन केन्द्र हेतु उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रयोजित किया:

रांची (झारखंड) और मेवात (हरियाणा) में एक एनजीओ – द विशिंग फैक्ट्री के माध्यम से थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) के रोगियों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन केंद्र की स्थापना के लिए 32,00,000/–रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

xv. स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीएसआर निधियों का योगदान:

"स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर निधि का आबंटन" के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने सीएसआर निधि के 33 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षित राशि से अधिक आबंटित किया। आईआरसीटीसी ने इस वर्ष स्वच्छ भारत कोष में 1,68,10,381/–रू. का योगदान दिया।

xvi. नमामि गंगे कोष को सीएसआर निधियों का योगदान:

जल संसाधनों और हमारी नदियों के संरक्षण के लिए आईआरसीटीसी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 1,68,10,381/–रू. स्वच्छ गंगा निधि में योगदान की पहल की।

सीएसआर नीति का वेब लिंक :

कंपनी की सीएसआर नीति वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.irctc.com/DownloadDocuments?workflow=getFile&doc_cat_id=5&doc_id=2251&get_file_name=IRCTC_CSR_n_SD_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

2. आईआरसीटीसी सीएसआर और सतत् विकास समितियां

कम्पनियों के पास सीएसआर और सतत् विकास कार्यसूची के लिए दो स्तरीय संगठन संरचना है और नीचे उल्लिखित समयबद्ध तरीके से गतिविधियों के कार्यान्वयन और धन के उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है:

(i) टीयर-I: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति और,

(ii) टीयर-II: नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति से नीचे

टीयर-I: बोर्ड स्तर सीएसआर और सतत विकास समिति (बीएलसी)

31 मार्च 2019 को संरचना:

श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी	:	अध्यक्ष
श्रीमती स्मिता रावत, कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी), रेलवे बोर्ड एवं अंश–कालिक सरकारी निदेशक	:	सदस्य
डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
प्रो. सचिन चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
सुश्री सरिता देशपांडे, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य

टीयर-II: बोर्ड स्तर से नीचे की समिति की संरचना:

स्तर-II बोर्ड स्तर से नीचे की समिति में तीन सदस्य होते हैं (जिसमें अध्यक्ष के रूप में नोडल अधिकारी) दूसरा सदस्य, शुरू की जाने वाली परियोजना की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभाग का प्रतिनिधि तथा तीसरा एक सदस्य वित्त विभाग से होता है।

3. विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर के बजट की गणना के उद्देश्य से निम्न प्रकार रहा है:–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख रू. में)	औसत शुद्ध लाभ
1	2015-16	30681	32702
2	2016-17	33237	
3	2017-18	34189	

4. निर्धारित सीएसआर खर्च: (उपर्युक्त क्र.सं. 3 पर राशि का लाभ का 2 प्रतिशत)

वर्ष 2018–19 के लिए आईआरसीटीसी का बजट 654 लाख रू. अर्थात् विगत वित्त वर्ष का औसत 20% शुद्ध लाभ।

5. वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर की मद में खर्च की गई राशि का विवरण

(क) वित्त वर्ष के दौरान कुल खर्च की जाने वाली राशि — 678.29 इसमें वित्त वर्ष 2017–18 के खर्च नहीं की गई राशि 24.24 लाख रू. भी शामिल हैं

(ख) खर्च न की गई राशि — शून्य

(ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान जिस प्रकार राशि खर्च की गई उसका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	चिन्हित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके अन्तर्गत परियोजना आती है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (बजट) की राशि	परियोजना या कार्यक्रम पर वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च की गई राशि		वर्ष 2018–19 के दौरान खर्चा (लाख रू. में)	31.03.019 तक संचयी खर्च (लाख रू. में)	प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा खर्च की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे	कुल (लाख रू.में)	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रू.में)	(2) ऊपरि खर्च (लाख में)			
(I)	आकांक्षात्मक जिले								
1.	मणिपुर, चन्देल	शिक्षा	चन्देल	22,50,000	22,50,000	–	22,50,000	22,50,000	जिला आयुक्त, चन्देल
2.	मध्य प्रदेश, विदिशा	स्वास्थ्य देखभाल	विदिशा	15,00,000	15,00,000	–	15,00,000	15,00,000	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, विदिशा
(II)	अन्य गतिविधियां								
1.	संसद भवन के लिए दो गोल्फ कार्ट	स्वच्छता एवं पर्यावरण	नई दिल्ली	9,26,800	9,26,800	–	9,26,800	9,26,800	प्रत्यक्ष (मैनी मैटीरियल मूवमेन्ट प्रा. लि.)
2.	विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 50 पीईटी बोतल क्रशर मशीनों की आपूर्ति एवं स्थापना	पर्यावरण	विभिन्न स्टेशन	57,23,000	57,23,000	–	57,23,000	57,23,000	प्रत्यक्ष (अवन्ति बिजनेस मशीन लि. (21,74,740/–रू.) शेरेड्डर एंड शेरेडिंग कम्पनी (35,48,260/–रू.)}
3.	एकल अभियान के अन्तर्गत एकल विद्यालयों के संचालन के लिए भारत लोक शिक्षा परिषद को वित्तीय सहायता	शिक्षा	उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड	20,00,000	20,00,000	–	20,00,000	20,00,000	एनजीओ–बीएसएलपी
4.	उद्यमी हिप मॉडल के माध्यम से प्राकृतिक अनुकूल स्वच्छता तकनीक लागू करके ग्रामीण बिहार एवं पश्चिम बंगाल में स्वच्छता सरंचना को मजबूत बनाना।	स्वच्छ एवं पर्यावरण	ग्रामीण बिहार एवं पश्चिम बंगाल	10,00,000	10,00,000	–	10,00,000	10,00,000	एनजीओ–सर्व सेवा समिति संस्थान

क्र. सं.	चिन्हित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके अन्तर्गत परियोजना आती है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (बजट) की राशि	परियोजना या कार्यक्रम पर वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च की गई राशि		वर्ष 2018–19 के दौरान खर्चा (लाख रू. में)	31.03.019 तक संचयी खर्च (लाख रू. में)	प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा खर्च की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे	कुल (लाख रू.में)	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रू.में)	(2) ऊपरि खर्च (लाख में)			
5.	नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्रयास परियोजना के लिए वाटर प्यरिफायर की खरीद	पीने का पानी	नई दिल्ली	48,500	35,500	–	35,500	35,500	प्रत्यक्ष – ट्रूमैन इनोवेशन्स प्रा. लि.
6.	भारतीय रेलवे महिला कल्याण संगठन की मसाला चक्की और सेनेट्री नेपकीन की महिला कामगारों के लिए 01 रेफ्रीजरेटर की खरीद	पीने का पानी	नई दिल्ली	22,500	22,500	–	22,500	22,500	प्रत्यक्ष – आर. के. विजन
7.	विदयालयों के लिए सॉफ्टवेयर सहित ब्रेल प्रिटिंग के लिए ईम्बोसर एवं प्रसारण प्रणाली की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	सामाजिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा	नई दिल्ली	5,90,000	5,90,000	–	5,90,000	5,90,000	जनता आदर्श अंध विद्यालय
8.	प्रियाली सौलर लैम्प वितरण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	सामाजिक सशक्तिकरण एवं पर्यावरण	ओडिसा	5,00,000	5,00,000	–	5,00,000	5,00,000	परिचय फाऊंडेशन
9.	आईआईटी बॉम्बे के द्वारा 2018–2023 के लिए विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार करवाना		परामर्शदात्री	8,53,612	8,53,612	–	8,53,612.	8,53,612.	आईआईटी बॉम्बे
10.	रेल नीर प्लांट अमेठी के नजदीक के गांवों के लिए सौलर स्ट्रीट लाईटों की व्यवस्था।	सामाजिक सशक्तिकरण एवं पर्यावरण	अमेठी	6,25,000	6,25,000	–	6,25,000	6,25,000	प्रत्यक्ष–मैच्यूर मीडिया इण्डिया प्रा. लि.
11.	अमेठी में 05 वाटरवेन्डिंग मशीन/वाटरकूलर और आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना	पीने का पानी	अमेठी	7,67,500	7,67,500	–	7,67,500	7,67,500	प्रत्यक्ष–मैच्यूर मीडिया इण्डिया प्रा. लि.
12.	रेल नीर, बिलासपुर संयंत्र में शौचालय कॉम्पलेक्स का निर्माण	स्वच्छता एवं पर्यावरण	परसादा (बिलासपुर)	9,96,500	8,96,850	–	8,96,850	8,96,850	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस
13	मैसर्स सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑरगेनाइजेशन (एनजीओ) तमिलनाडु ब्रांच के द्वारा 8 लाख रू. प्रति शौचालय की दर से दो शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता एवं पर्यावरण	पालूर	16,00,000	16,00,000	–	16,00,000	16,00,000	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस
14	नूरूल अमीन स्टेडियम, नौगांव (आसाम) का खेल मूलभूत ढांचा उन्नयन हेतु नौगांव खेल संघ को वित्तीय सहायता	खेलकूद मूलभूत ढांचा	आसाम	50,00,000	50,00,000	–	50,00,000	50,00,000	नौ गांव खेल संघ
15	06 कुश्ती, कबड्डी गद्दों, मोबाइल वेन, 02 लैपटॉप एवं प्रिटरों आदि के लिए परियोजना प्राईड बागपत को वित्तीय सहायता	खेलकूद मूलभूत ढांचा	बागपत	22,00,000	22,00,000	–	22,00,000	22,00,000	सत्या फाऊन्डेशन

क्र. सं.	चिन्हित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके अन्तर्गत परियोजना आती है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (बजट) की राशि	परियोजना या कार्यक्रम पर वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च की गई राशि		वर्ष 2018–19 के दौरान खर्चा (लाख रू. में)	31.03.019 तक संचयी खर्च (लाख रू. में)	प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा खर्च की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे	कुल (लाख रू.में)	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रू.में)	(2) ऊपरि खर्च (लाख में)			
16	साल्टीघाट कैम्पस में मैसर्स वॉइस ऑफ वर्ड इन्क्लूसिव स्कूल और इन्क्लूसिव लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर एव उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	सामाजिक सशक्तिकरण	पश्चिम बंगाल	15,00,000	2,64,498	–	2,64,498	2,64,498	वॉइस ऑफ वर्ल्ड
17	रामेश्वरम एवं मदूरै रेलवे स्टेशनों के लिए दो पीईटी बोटल क्रशर मशीनों की खरीद	पर्यावरण	रामेश्वरम और मदूरै रेलवे स्टेशन	60,00,000	2,28,920	–	2,28,920	2,28,920	प्रत्यक्ष – अवन्ति बिजनेस मशीन्स
18	राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली में आगतुक बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए 15 डिजाइनर गार्डन बैंच, 35 सादी गार्डन बैंच और 10 गार्डन कनोपी की व्यवस्था	राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण	नई दिल्ली	12,98,590	12,33,690	–	12,33,690	12,33,690	प्रत्यक्ष – महेन्द्र एंड सन्स
19	मध्य प्रदेश में 125 कार्यशालाओं परियोजना 'कुपोषण से सुपोषण की ओर' के अन्तर्गत श्री कामता प्रसाद स्मारक शिक्षण समिति को कुपोषण से सुपोषण के लिए 4–5 किचनों के लिए मूलभूत ढांचों की व्यवस्था	भूख गरीबी एवं कुपोषण उन्मूलन	मध्य प्रदेश	20,00,000	20,00,000	–	20,00,000	20,00,000	कामता प्रसाद स्मारक शिक्षण समिति
20	पश्चिम जोन में स्वास्थ्य जांच कैम्प	स्वास्थ्य देखभाल	महाराष्ट्र	1,00,000	1,00,000	–	1,00,000	1,00,000	
21	जनरल अस्पताल एवं रोटरी अम्बाला कैन्सर एवं जनरल अस्पताल की नई आईसीयू के लिए उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	अम्बाला	16,91,000	16,91,000	–	16,91,000	16,91,000	रोटरी अम्बाला कैन्सर एवं जनरल अस्पताल
22	मेवात (हरियाणा) और रांची (झारखंड) के मरीजों के लिए इन्फ्यूजन पम्प और ब्लड फिल्टर की व्यवस्था हेतु विशिंग फैक्ट्री को वित्तीय मदद	स्वास्थ्य देखभाल	मेवात, रांची	32,00,000	32,00,000	–	32,00,000	32,00,000	दी विशिंग फैक्ट्री
23	स्वच्छ भारत कोष	स्वच्छता एवं पर्यावरण	नई दिल्ली	1,68,10,381	168,10,381	–	168,10,381	168,10,381	स्वच्छ भारत कोष
24	नमामि गंगे कोष	स्वच्छता एवं पर्यावरण	नई दिल्ली	168,10,381	168,10,381.	–	168,10,381	168,10,381	नमामि गंगे कोष
	वित्त वर्ष 2018–19 में कुल खर्च की गई राशि				**688,29,632**	**–**	**688,29,632**	**688,29,632**	

*यहां दिखाई गई राशि लगाई गई परियोजनाओं का खर्च है जिसमें आगे बढाई गई परियोजना भी शामिल है। (इसमें पिछले वर्ष में खर्च नहीं हुए बजट भी शामिल है)

6. यदि कम्पनी ने पिछले तीन वर्ष या उसके किसी अंश के दौरान शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि का खर्च नहीं किया तो कम्पनी अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसा न करने का कारण बताएगीः—

कोई नहीं

7. दायित्व घोषणा

कम्पनी का निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और उसकी मॉनिटरिंग कम्पनी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का अनुपालन सीएसआर उद्देश्य और कम्पनी की नीति के अनुसार की गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अनूप श्रीवास्तव)
सीएसआर नोडल अधिकारी

(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02316235

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2019

निदेशकों की रिपोर्ट – अनुबंध – ''घ''

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरण सार

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

सीआईएन	**यू74899डीएल1999जीओआई101707**
पंजीकरण की तारीख	**27 सितम्बर 1999**
कम्पनी का नाम	**इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड**
कम्पनी की कोटि/उपकोटि	**कम्पनी शेयरों द्वारा लिमिटेड/सरकारी कम्पनी**
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क का विवरण	**11वां तल, बी–148, स्टेट्स्मैन हाऊस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001 टेलि. नं.: 011–23311263–64, फैक्स नं.: 011–233311259 ईमेल: companysecretary@irctc.com**
क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	**जी नहीं**
पंजीकार और अन्तरण एजेन्ट, यदि कोई हो, का नाम पता और सम्पर्क विवरण	**लागू नहीं**

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की सभी व्यावसायिक गतिविधियां नीचे दर्शायी गई है:

क्र. सं.	मुख्य उत्पादन/सेवाओं का नाम एवं उनका विवरण	उत्पादन/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	इंटरनेट टिकटिंग	–	12.34%
2	खानपान एवं आतिथ्य सरकार	–	54.99%
3	यात्रा एवं पर्यटन	–	13.32%
4	राज्य तीर्थ	–	10.04%

III. होल्डिंग, सहायक एवं एसोसिएट कम्पनी के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग, सहायक/एसोसिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू होने वाली धारा
1	**रॉयल इंडिया रेल टुअर्स लिमिटेड*** भूतल, एसटीसी, बिल्डिंग, (जवाहर व्यापार भवन), 1-टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001	**यू60100डीएल2008 पीएलसी185285**	**एसोसिएट**	50%	कम्पनी अधिनियम 2013 का 2(6)

** इक्विटी साझेदारी के बीच विवाद के कारण आईआरसीटीसी ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ करार 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया था और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 397 और 398 के अन्तर्गत कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई तथा मामला कोर्ट में न्यायधीन हैं आगे आरआईआरटीएल ने कम्पनी लॉ बोर्ड से बिना सीएलबी के अनुमोदन से बोर्ड और आम बैठक आयोजित नहीं करने के लिए 2013 में अनुमति प्राप्त कर ली है।*

IV. शेयर होल्डिंग का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

i. कोटिवार शेयर होल्डिंग

शेयर धारकों की कोटियां	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2018)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2019)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत / हिन्दू अविभाजित परिवार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) केन्द्रीय सरकार	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	15,99,99,944	56	16,00,00,000	100%	300.00
ग) राज्य सरकार(रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) निकाय निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) बैंक / वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप+जोड़ (क) (1):–	**0**	**4,00,00,000**	**4,00,00,000**	**100%**	**15,99,99,944**	**56**	**16,00,00,000**	**100%**	**300.00**
(2) विदेश									
क) विदेशों में रहने वाले भारतीय–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) अन्य–व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) निकाय निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक / वितीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	
उप–जोड़ (क) (2);–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रोमोटरों की कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क) (1) + (क)(2)	**0**	**4,00,00,000**	**4,00,00,000**	**100%**	**15,99,99,944**	**56**	**16,00,00,000**	**100%**	**300.00**
ख पब्लिक शेयर होल्डिंग									
(1) **संस्थान**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) म्युचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकार (रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) वेन्चर कैपिटल फंड्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) बीमा कम्पनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छ) एफआईआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ज) फॉरन वेन्चर कैपिटल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झ) अन्य(स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप जोड़ (ख) (1):–	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
2. गैर सांस्थानिक									
क) निकाय / निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) ओवरसीज़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) 1 लाख रुपये तक की नाम मात्र शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नाम मात्र शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप जोड़ (ख)(2):–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सकल जोड़ (क+ख+ग)	**0**	**4,00,00,000**	**4,00,00,000**	**100%**	**15,99,99,944**	**56**	**16,00,00,000**	**100%**	**300.00**

*** प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं तो कृपया उल्लेख करें)**

ii. प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग (01.04.2018)			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग (31.03.2019)			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/त्रुटिग्रस्त रखे गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	गिरवी/त्रुटिग्रस्त रखे गए शेयरों का प्रतिशत कुल शेयरों का भारित	
1	भारत के राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा नामित	4,00,00,000	100%	0.00	16,00,00,000	100%	0.00	0.00
	कुल	**4,00,00,000**	**100%**	**0.00**	**16,00,00,000**	**100%**	**0.00**	**0.00**

iii. प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं तो कृपया उल्लेख करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	12,00,00,000	100%	4,00,00,000	100%
2.	दिनांक 29.03.2017 वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/वृद्धि के कारणों को बोनस शेयर जारी करना	12,00,00,000	100%	16,00,00,000	100%
3.	वर्ष के अंत में	4,00,00,000	100%	16,00,00,000	100%

iv. पहले 10 शेयरहोल्डरों की शेयरहोल्डिंग का स्वरूप (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक पहले 10 शेयरहोल्डरों के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं			
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी के कारणों को बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)				
3.	वर्ष के अंत में				

v. निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशकों और केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी के कारणों को बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	0	0.00	0	0.00
3.	वर्ष के अंत में	0	0.00	0	0.00

V. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की, बकाया ब्याज/प्रोदभूत, परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित, ऋणग्रस्तता

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्त वर्ष (01.04.2018) के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूलधन				
ii) देय ब्याज परंतु अदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– वृद्धि		**शून्य**		
– कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष (31.03.2019) के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूलधन की राशि				
ii) देय ब्याज परंतु अदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		पूर्ण–कालिक निदेशक			
		श्री एम. पी. मल्ल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री वी. श्रीराम निदेशक (खानपान सेवाएं)	श्रीमती रजनी हसीजा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अर्न्तनिहीत उपबंधों के अनुसार वेतन	59,81,858	58,92,669	38,02,405	**1,56,76,932**
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत पर अनुलाभ की राशि	7,07,530	8,37,705	13,99,100	**29,44,335**
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3.	उदयम इक्विटी	–	–	–	–
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप - अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	–
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
	1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	37,09,009	–	–	**37,09,009**
	2. विद्युत खर्च	97,650	22,880	21,006	**1,41,536**
	3. टीएडीके	3,54,760	1,20,000	1,54,000	**6,28,760**
	कुल (क)	**1,08,50,807**	**68,73,254**	**53,76,511**	**2,31,00,572**
	अधिनियम के अनुसार सीमा*	लागू नहीं			

*कम्पनी कार्य मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 से छूट प्राप्त है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (रु. में)

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवण	निदेशकों के नाम						कुल राशि
1.	स्वतन्त्र निदेशक	डॉ. रबी नारायण बोहिदर	डॉ. धीरज शर्मा	श्रीमती कनक अग्रवाल	श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती	प्रो. सचिन चतुर्वेदी	सुश्री सरिता देशपांडे	
क.	बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	3,00,000	3,30,000	2,10,000	1,80,000	2,25,000	1,95,000	**14,40,000**
ख.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)	**3,00,000**	**3,30,000**	**2,10,000**	**1,80,000**	**2,25,000**	**1,95,000**	**14,40,000**
2.	**गैर–कार्यकारी निदेशक**	**श्री नीरज शर्मा (12.07.2019 से नियुक्त)**			**सुश्री स्मिता रावत**			**कुल राशि**
क)	बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	शून्य			शून्य			शून्य
ख)	कमीशन	शून्य			शून्य			शून्य
ग)	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य			शून्य			शून्य
	कुल (2)	शून्य			शून्य			शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	**शून्य**			**शून्य**			**14,40,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**लागू नहीं**						
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा*	**लागू नहीं**						

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी			कुल राशि (रु. में)
		मु.क.अ.@	सुश्री सुमन कालरा कम्पनी सचिव	श्री अजय श्रीवास्तव मु.वि.अ.*	
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अर्न्तनिहित उपबंधों के अनुसार वेतन	–	22,00,806	28,65,630	**50,66,436**
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत पर अनुलाभ की राशि	–	4,24,444	11,38,169	**15,62,613**
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	**–**
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	**–**
3.	उद्यम इक्विटी	–	–	–	**–**
4.	कमीशन				
	– लाभ के % के रूप				
	– अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	**–**
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	**–**
	1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	–	–	
	2. विद्युत खर्च	–	–	–	–
	3. टीएडीके	–	–	1,20,000	**1,20,000**
	कुल	**–**	**26,25,250**	**41,23,799**	**67,49,049**

@ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता है।

VII. जुर्माना/सजा/अपराध का

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड/ सजा/समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो, (विवरण दिया जाए)
क. कम्पनी					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समाधान					
ख. निदेशक					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समाधान					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समझौता					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: **02316235**

दिनांक : **26.07.2019**
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2019 को कम्पनी के शेयरधारकों का विवरण

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	डीमैड फॉर्म में लिए गए शेयरों की संख्या	भौतिक रूप से लिए गए शेयरों की संख्या	राशि प्रति शेयर	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	15,99,99,944	–	10/-	99.999965%
2	श्री वी.के. यादव अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	–	8	10/-	0.000005%
3	श्री गिरीश पिल्लै सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	–	8	10/-	0.000005%
4	श्री विजय कुमार वित्त आयुक्त (एल/ए), रेलवे बोर्ड	–	8	10/-	0.000005%
5	श्री विश्वेश चौबे सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड	–	8	10/-	0.000005%
6	श्री सुशांत कुमार मिश्रा सचिव, रेलवे बोर्ड	–	8	10/-	0.000005%
7	श्री अनुराग अपर सदस्य (टीटी), रेलवे बोर्ड	–	8	10/-	0.000005%
8	श्री सुनील माथुर अपर सदस्य (टी एण्ड सी), रेलवे बोर्ड	–	8	10/-	0.000005%
	कुल	**15,99,99,944**	**56**		**100%**

निदेशकों की रिपोर्ट – अनुबंध–''ङ''

सीएस

अखिल रोहतगी एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
फोन : 011-23926504, 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi.co.secy@gmail.com
csdelhi84@gmail.com

फार्म नं. एमआर-3

सचिवीय लेखा रिपोर्ट

समाप्त वित्त वर्ष 31 मार्च 2018 के लिए

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कम्पनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,
11वां तल, स्टेट्स्मैन हाऊस,
बी–148, बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001

हमने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, (जिसे एतद्पश्चात कम्पनी के रूप में जाना जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट कार्यविधियों का पालन करने के संबंध में कॉरपोरेशन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट के आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर मेरे द्वारा अपना मत व्यक्त किए जाने के लिए यथोचित आधार प्राप्त हो।

हमारे द्वारा कम्पनी के खातों कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए फॉर्म और विवरणों और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड का सत्यापन करने तथा सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेन्टों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान नीचे दी गई सांविधिक व्यवस्थाओं का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में एतद्पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अध्ययधीन यथोचित व्यापक आधार वाली प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र की व्यवस्था है।

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अनुसार इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रखी गई वहीखातों किताबों, कागज़ातों कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए फॉर्म और विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम;

(ii) सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रक्ट्स (विनियमन) एक्ट 1999 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते क्योंकि कम्पनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमन इस पर लागू नहीं होंगे क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के उक्त अधिनियम के कोई उपबंध/विनियमन /नियम लागू नहीं होते क्योंकि इसमें कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक कर्ज शामिल नहीं था।

(iv) डिपॉज़िटरीज़ एक्ट 1996 उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमन और उपनियम लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी के शेयर में उक्त अधिनियम में उल्लिखित किसी भी डिपोज़िटरी में पंजीकृत नहीं है।

(v) सिक्योरिटीज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित विनियम और मार्ग निदेश लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं है।

(vi) अन्य लागू नियम, कानून और मार्गनिदेश नीचे उल्लिखित हैं:

क. ''सार्वजनिक उद्यम विभाग'', भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के मार्गनिदेश

ख. खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसके नियम और विनियमन

ग. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009

घ. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

ड़. शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट

च. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

छ. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

ज. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

झ. कार्यस्थल पर महिलाओं का शारीरिक शोषण अधिनियम 2013

ञ. यथा लागू पर्यावरण नियम

ट. यथा लागू श्रम कानून

हमने समय– समय से प्रभावी आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों को लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमें दी गई व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार कम्पनी ने ऊपर उल्लित सभी अधिनियमों,नियमों, विनियमों, मार्ग निदेशाों को व्यवस्थाओं का पालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड, कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के यथोचित संतुलन के साथ गठित किया गया है। आलोच्य अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय रहते सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थी तथापि कुछ मामलों में बैठकें कम समय में सूचना देकर आयोजित की गई थी और परंतु इसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के संबंध में लागू व्यवस्थाओं का पालन किया गया है। इसके अलावा, बैठक के आयोजन और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची की मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

बैठकों में अधिकांश निर्णय पूर्ण बहुमत से लिए गए हैं। प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि बोर्ड में विचारविमर्श के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कार्यवृत्त की किसी भी मद पर किसी भी सदस्य द्वारा विरोध नहीं जताया गया।

हम यह भी रिपोर्ट करते है कि हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और मार्गनिदेशों को मॉनिटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने दिनांक 29.03.2019 को 10 रू. प्रत्येक के 120,000,000 बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जो कि 3:1 के अनुपात में 1,200,000,000 रूपए संचित हुए।

कृते अखिल रोहतगी एंड कम्पनी
कम्पनी सेक्रेट्रीज
एफआरएन: P1995DE072900

हस्ता./–
दीपक कुमार
पार्टनर
एफसीएस नं. 10189
सीपी नं. 11372

दिनांक : 02.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

सीएस

अखिल रोहतगी एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
फोन : 011-23926504, 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi.co.secy@gmail.com
csdelhi84@gmail.com

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,
11वां तल, स्टेट्स्मैन हाऊस,
बी–148, बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट निम्न के साथ पढ़ी जाएः

1. सचिवीय रिपोर्ट का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. सचिवालयीन रिकॉर्डों की विषय वस्तु की सत्यता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और कार्यविधिओं का अनुसरण किया है। इसका सत्यापन हमने परीक्षण के आधार पर किया था ताकि, सचिवालयीन रिकॉर्डों में सही तथ्यों का दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं कार्यविधियां हमारे मत के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उनकी उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटित होने वाली घटनाओं आदि के संबध में प्रबंधन से अभ्यावेदन से प्राप्त किए हैं।
5. कॉरपोरेट के उपबंधों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी के भविष्य में अर्थक्षम होने और न ही कम्पनी के कार्यों को प्रबंधन द्वारा संचालित करने की कारगरता अथवा प्रभावोत्पदकता के संबंध में आश्वासन हैं।

कृते अखिल रोहतगी एंड कम्पनी
कम्पनी सेक्रेट्रीज
एफआरएनः P1995DE072900

हस्ता./–
दीपक कुमार
पार्टनर
एफसीएस नं. 10189
सीपी नं. 11372

दिनांक : 02.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–''च''

निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट

(वर्ष 201–18 के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का प्रबंधन द्वारा उत्तर

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें	क. ग्राहकों के साथ ठेकों से प्राप्त राजस्व पर भारतीय लेखा मानक 115 के संबंध में, कंपनी रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से एकीकरण शुल्क वार्षिक रखरखाव प्रभार के साथ (गैर वापसी योग्य एक बार का शुल्क) लेती है। यह शुल्क टिकट बुकिंग आदि की मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकता हैं। प्रबंधन की राय है कि एकीकरण शुल्क के लिए पार्टियों के साथ समझौता आम तौर पर एक से तीन वर्ष के लिए होता है, और बाद में वार्षिक रखरखाव अनुबंध को नवीनीकृत बिना किसी एकीकरण शुल्क के किया जाता है।	कंपनी रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से एकीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य एक बार का शुल्क) वार्षिक रखरखाव शुल्क के साथ लेती है जो टिकट बुकिंग आदि की मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन की राय है कि एकीकरण शुल्क के लिए पार्टियों के साथ समझौता आम तौर पर एक से तीन वर्ष के लिए होता है, और बाद में वार्षिक रखरखाव किया जाता है, अनुबंध को नवीनीकृत बिना किसी एकीकरण शुल्क के और यह केवल आईआरसीटीसी के विवेक पर होता है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसार वर्तमान लेखांकन व्यवहार कंपनी के द्वारा निर्णय के अनुरूप है।
	चूंकि आईआरसीटीसी के विकल्प में नवीकरण एकतरफा है, ऐसे एकीकरण शुल्क एक से तीन साल की प्रारंभिक अनुबंध अवधि से अधिक आय के रूप में स्थगित नहीं किए जाएंगे। हमारी राय में, एकीकरण शुल्क और वार्षिक रखरखाव अनुबंध का अनुबंध अलग–अलग अनुबंध नहीं हैं, इसलिए एक समय में राजस्व को पहचानने के बजाय अपेक्षित अनुबंध अवधि में एकीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य एक बार का शुल्क) की आय का परिशोधन किया जाए। पिछले रुझान ने संकेत दिया है कि शायद ही कोई मामला है जहां अनुबंध को आईआरसीटीसी द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया था। हमारे विचार में, एक से तीन वर्ष के प्रारंभिक अनुबंध के आधार पर पूरी राशि अर्जित करने के बजाय एक बार के एकीकरण शुल्क को अनुमानित अनुबंध अवधि (अनुमानित 20 वर्षों के पिछले रूझान पर आधारित) से अधिक राजस्व के रूप में मान्यता दी जाए। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संकलित की गई पिछली सूचना के आधार पर उपरोक्त एकीकरण प्रभारों के आस्थगन के कारण राजस्व में 6.65 करोड़ रुपये की कमी आई है और 31 मार्च 2019 तक अन्य इक्विटी में आरक्षित और अधिशेष सहित 31.41 करोड़ रू. शामिल हैं।	इसके अलावा, चूंकि आईआरसीटीसी के विकल्प में नवीकरण एकतरफा है, इसलिए इस तरह के एकीकरण शुल्क एक से तीन साल की प्रारंभिक अनुबंध अवधि से अधिक आय के रूप में स्थगित नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार एकीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व को कॉरपोरेशन भारतीय लेखांकन मानक 155 के आधार पर असहमत है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(क)	हमें वह सारी सूचना व व्याख्याएं प्राप्त हो गई है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थी सिवाए रेलवे और तृतीय पक्षीय पार्टियों को प्राप्य/देय अधिशेष पुष्टिकरण को छोड़कर। इसके अतिरिक्त हमें बताया गया कि पार्टीबार प्राप्य/देय ईआरपी प्रणाली में अनुरक्षित वित्तीय खातों में समाधान नहीं हुआ है।	व्यवसाय प्राप्तियां/व्यवसाय देयता का लगभग 75% बकाया क्षेत्रीय रेलों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे लेखा–जोखा नकद आधार पर रखता है और इस लिए रेलवे द्वारा किसी निश्चित तिथि तक प्राप्तियों/देयताओं की पुष्टि नहीं कर सकती है, तथापि संबंधित क्षेत्रीय रेलों के साथ नियमित समाधान बैठक रेलवे से समाधान और बकाया वसूली के लिए की जाती है। इसके अलावा, पार्टी वार प्राप्य और देय बहीखाता का समाधान नहीं हो सका क्योंकि पहले की वित्तीय प्रणाली से वर्तमान वित्तीय प्रणाली ओरेकल में पूर्व लेनदेन का अंतर आ रहा है। इसे नवीनतम ईआरपी के संस्करण के कार्यान्वयन के दौरान पिछले लेन–देन की पहचान करके समाधान किया जाएगा।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ख)	हमारी राय में, आंतरिक नियंत्रण के साथ–साथ आंतरिक ऑडिट प्रणाली कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की आवधिक समीक्षा के लिए मजबूत एमआईएस विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है जो ऑडिट के दौरान त्रुटियों और चूक को कम कर सके। गाड़ी और मालभाड़ा अग्रेषण एजेन्टों के द्वारा वस्तुओं और बिक्री के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उपयोग को लागू किया जाना चाहिए ताकि ऐसी पार्टियों के माध्यम से बिक्री वसूली के लिए समाधान हो सके।	क. आंतरिक लेखा परीक्षा एक प्रतिष्ठित पेशेवर फर्म द्वारा किया जाता है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास सूचीबद्ध है और कंपनी के संचालन के अनुरूप कार्य के विस्तृत क्षेत्र के अनुसार लेखा परीक्षा की जाती है। ख. निम्नलिखित के अनुसार निगम में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी तरह से है: – i. कंपनी स्वेच्छा से लागत लेखा परीक्षा एक प्रतिष्ठित लागत लेखाकार फर्म द्वारा करा रही है जबकि कॉरपोरेशन को लागत लेखा परीक्षा लागू नहीं है; ii. प्रणाली सुधार और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विशेष ऑडिट को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक की सिफारिश पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रतिष्ठित पेशेवर फर्मों द्वारा किया गया है और लेखा परीक्षक की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। iii. निगम में विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विभिन्न कर लेखा परीक्षकों आदि से कराई जाती है; iv. निगम में लेनदेन एसओपी (शक्तियों की अनुसूची) के प्राधिकृत के अनुसार की जा रही है; v. धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए निगम में व्हिसल ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी रोधी नीति और सतर्कता विभाग जैसी नीतियां हैं और निगम में कोई धोखाधड़ी का पता नहीं चला है। vi. कंपनी की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय मामलों/आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें करती है। आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए लेखा परीक्षक की सिफारिश पर विचार किया जाएगा और अनुपालन किया जाएगा।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ग)	कुछ गाड़ियों में खानपान सेवा को अनबंडलिंग/आंशिक अनबंडलिंग मॉडल के अन्तर्गत प्रबंधित किया जा रहा है, जिससे भोजन तैयार करने और भोजन परोसने के अनुबंध अलग–अलग हैं। कंपनी के प्रबंधन के विचार से भोजन एक निश्चित दर पर खरीदा जाता है और लाइसेंसधारी से कोई लाइसेंस शुल्क प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए कंपनी खानपान नीति के संदर्भ में भारतीय रेलवे को देय राजस्व के किसी भी हिस्से को देय नहीं हैं (भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच विभागीय खानपान मॉडल में 15:85 अनुपात और लाइसेंसधारी मॉडल के मामले में 40:60 के अनुपात में राजस्व का बंटवारा अपेक्षित है।) इसके अलावा, सीमित निविदा देने की प्रथा को पूर्ण–निविदा में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि, कम्पनी से जुड़े योग्य विक्रेताओं की संख्या बढ़ सके।	पुरानी खानपान नीति के अन्तर्गत विभागीय खानपान व्यवसाय पर राजस्व का बंटवारा इस व्यवसाय में समग्र लाभप्रदता के आधार पूरे भारत के आधार पर किया जाना था। उपर्युक्त के अनुसार निगम ने अनबंडलिंग/आंशिक अनबंडलिंग मॉडल पर प्रबंधित गाड़ियों के राजस्व में रेलवे को हिस्सेदारी देने की छूट के लिए रेलवे को लिखा गया है। इसलिए इस का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है। इसके अलावा, चूंकि आईआरसीटीसी नई खानपान नीति के अनुसार नए बेस किचन/ मौजूदा बेस किचन को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत है, इसलिए कॉर्पोरेशन ने पैनल में रखी गई पार्टियों से केवल शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए अर्थात् केवल 03 महीने या 06 महीने के लिए हैं जो वर्तमान स्थिति के अनुसार है। इसके अलावा, खुली निविदाओं के माध्यम से निविदाएं देने की प्रथा निगम द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई है और निगम की टीएसवी, आरएसडी, स्थैतिक इकाई, रिटायरिंग रूम, जन अहार के लिए खुली निविदाएं पहले से ही प्रक्रिया में हैं।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(घ)	हमारी राय में, वर्तमान ईआरपी प्रणाली को अपग्रेड करने के साथ–साथ कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जिसके कारण लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने में रूकावटें होती हैं। इसके लिए विरासत लेन–देन की पहचान और समाधान की भी आवश्यकता होगी, जिसके बारे में कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय प्रणाली से डेटा के वर्तमान में ओरेकल में माइग्रेशन के बाद से वित्तीय लेनदेन परिचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित विरासत लेनदेन में रेलवे से/के लिए बकाया है। इसके अलावा, तृतीय पक्ष पार्टी एप्लिकेशन/ पोर्टल्स के माध्यम से निष्पादित लेन–देन के बीच समाधान के साथ–साथ खातों की किताबों में पोस्ट की गई वित्तीय जानकारी के साथ मैनुअल रूप से डेटा नहीं रखा गया था और तदनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी पर निर्भरता रखी गई थी और परीक्षण के आधार पर सत्यापित किया गया था। हमारी राय में सभी तृतीय पक्ष पार्टी एप्लिकेशन/ पोर्टल्स के बीच सूचना हस्तांतरण पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और सत्यापन के लिए दस्तावेज होना चाहिए।	ईआरपी का अपने नवीनतम संस्करण में उन्नयन प्रगति पर है। विरासत लेनदेन का प्रशिक्षण और पहचान नए संस्करण के कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग होगा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा। इसके अलावा निगम का इरादा उद्योगों से विशेषज्ञ की सेवाए लेना है ताकि नियंत्रण को मजबूत किया जा सके।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ङ)	वित्तीय विवरणों में परिलक्षित बैंक शेष खातों की पुस्तकों के अनुसार कहा गया है और कंपनी के बैंक खातों में क्रिस्टलीकृत वित्तीय भुगतानों और प्राप्तियों की पोस्टिंग के अधीन हैं, लेकिन पुष्टिकरण/ समाधान के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त	वर्तमान में, लेखांकन समाधान मासिक आधार पर बैंक खातों से जमा/डेबिट किए गए और आईआरसीटीसी लेनदेन डेटा के साथ उपलब्ध रिकॉर्ड के बीच किया जाता है। यदि राशि दोनों अभिलेखों में मेल खाती है और कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो यह माना जाता है कि समाधान अंतिम है। हालांकि, अगर

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
	लेन–देन का लेन–देन समाधान कम्पनी के इंटरनेट टिकटिंग विभाग में रेलवे की ओर से बढ़ी मात्रा में संभाली जा रही टिकटों की बुकिंग और रद्दीकरण के कारण कई बैंकों के साथ नहीं हो सका है। (नोट नं 38 देखें)	यह पाया जाता है कि इन रिकॉर्डों के बीच कोई मिलान नहीं होता है, तो असाधारण लेनदेन का पता लगाने के लिए लेनदेन स्तर का समाधान स्थापित किया जा रहा है। तत्पश्चात बेमेल लेनदेन या अन्य की वसूली के लिए संबंधित बैंकों के साथ नियमित आधार पर समन्वय किया जाता है। लेन–देन की मात्रा बहुत बड़ी है। वर्तमान में, भुगतान गेटवे और नेट बैंकिंग/एटीएम सह डेबिट कार्ड (एनगेट टिकट सेवा 43 बैंक के साथ) के माध्यम से दैनिक आधार पर लगभग 8 से 9 लाख लेनदेन हो रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों को पहले ही वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 में प्रकटन किया गया है। उक्त नोट का प्रकटन वित्त वर्ष 2012–13 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की सलाह पर वित्तीय विवरणों में किया जा रहा है।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(च)	एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत विक्रेताओं को देय भुगतान को पूरी तरह से पहचान और अलग नहीं किया गया है और 31 मार्च 2019 तक पूरी बकाया राशि एमएसएमई विक्रेताओं के अलावा अन्य व्यवसाय देय के अन्तर्गत दिखाई गई है। इसके अलावा, एमएसएमई विक्रेताओं ने पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट की और विलंबित भुगतान पर ब्याज प्रावधान को वर्ष के दौरान अन्य व्यापार भुगतानों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है।	एमएसएमई के रूप में लेनदारों को अलग–अलग किया जा रहा है, इस प्रकार एमएसएमई के लिए बकाया पूरी राशि व्यवसाय देय के अन्तर्गत रिपोर्ट की जाती है।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(छ)	जीएसटी के साथ–साथ क्रेडिट स्वीकार्यता के तहत देयताएं दाखिल किए गए रिटर्न के साथ समाधान के अधीन हैं। लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न के साथ वित्तीय लेनदेन और इस पर जीएसटी देयता का समाधान नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमें बताया गया है कि रेलवे के भुगतान पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, प्रतिपूर्ति दावे आदि सहित विभिन्न प्रावधानों के कारण देयता का आकलन किया जा रहा है और विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत लेखा परीक्षा के समापन से पहले उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।	रेलवे को भुगतान पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, प्रतिपूर्ति दावे आदि सहित विभिन्न प्रावधानों के कारण देयता का आंकलन किया जा रहा है और जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा वर्ष के विचाराधीन निष्कर्ष से पहले उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ज)	हमारी राय में, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में उल्लिखित जारी किए गए नियम को छोड़कर संबंधित नियम के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है सिवाए निम्न बताए गए को :– i) भारतीय लेखाकरण मानक 31 के संबंध में संयुक्त उपक्रमों के लिए यथा अपेक्षित मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी मैसर्स रॉयल इंडियन रेल टूअर लिमिटेड के साथ चल रही मुकदमेबाजी के	i. मामला मध्यस्थताधीन है और वित्त वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरणों के नोट नं 37.3 और 45 में तथ्यों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इस नोटों में वित्त वर्ष 2011–12 से वित्तीय विवरणों में सांविधिक प्राधिकारियों की सलाह पर प्रकटन किया जा रहा है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
	कारण वित्तीय लेखा 2010–11 से तैयार नहीं हो सके हैं और इसलिए कम्पनी न तो समेकित वित्तीय विवरण दे रही हैं और न ही संयुक्त कम्पनी के वित्तीय स्थिति का प्रकटन कर पा रही है। कम्पनी के पास उपलब्ध कानूनी मत के आधार पर और संयुक्त उपक्रम करार को समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का मत है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड अपेक्षित राहत पाने के लिए मध्यस्थता वाले खण्ड का सहारा नहीं ले सकती है। इस समय इसके परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किए जा सकते। (नोट सं. 37.3 और 45 को देखें । भारतीय मानक 37 के संबंध में व्यवस्थाएं, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां है।	
	ii) वैट कमीशनर के दिनांक 23 मार्च 2006 के आदेशों में गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं को बिक्री समझकर वैट लगाया गया है। कम्पनी के तर्क को अपीलीय प्राधिकारी और माननीय उच्च न्यायलय ने स्वीकार नहीं किया है और माननीय उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका विचारधीन है। कम्पनी की दूरदर्शी नीति के रूप में वैट दायित्व प्रदान किया जा रहा है लेकिन संबंधित वैट इनपुट और उस समय के सेवा कर के भुगतान में से केवल एक ही कर लागू हो सकता है। ऐसा वैट इनपुट की राशि 11.19 करोड़ रू. है जो कि अन्य वर्तमान परिसम्पत्ति के रूप में वैधानिक प्राधिकारियों के पास बकाया बताई गई है। यदि कम्पनी के विरूद्ध निर्णय आता है तो पूर्ण वैट उत्तरदायित्व (कुल या शुद्ध आधार पर जो भी लगाया जाएगा) ब्याज सहित कम्पनी के द्वारा व्यय की पूरी राशि जमा करानी होगी और सेवा कर की वापसी के लिए अलग से दावा दायर करना होगा (नोट सं. 37.4 देखें)	ii. मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पास लंबित है और इसे वित्त वर्ष 2018–19 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट सं. सं. 37.4 में पहले से ही प्रकटन किया गया है। शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन पहले से ही दायर किया जा चुका है। इस नोट को वित्तीय विवरणों में वित्त वर्ष 2014–15 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की सलाह पर प्रकटन किया जाता रहा है और मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की ग्राहयता के बारे में वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने कानूनी राय ली है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता. /–
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2019

सर्वा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

1011-1014,10वां तल, आरजी ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस
पीतमपुरा, दिल्ली–110005, फोनः 011-42502244, 3562
ईमेलः info@serva.in; वेबसाईटः www.serva.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण,

भारतीय लेखा मानक पर स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेलवे केटरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') भारतीय लेखामानक पर स्टैण्ड अलोन वित्तीय विवरणों व इसके साथ संलग्न 31 मार्च, 2019 को मौजूद तुलन पत्र, उस समय समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण, (अन्य महत्वपूर्ण आय सहित) नकदी प्रवाह विवरण, समाप्त वर्ष में इक्विटी में बदलाव विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे आगे स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखाकरण प्रणाली वित्तीय विवरण कहा गया है।) शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गई व्याखाओं के अनुसार उपर्युक्त स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखारकरण सिद्धांतों जिनमें भारतीय लेखामानक शामिल हैं, के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैंः जिसमें कम्पनी की स्टैण्ड अलोन भारतीय लेखामानक 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति और इसकी वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य महत्वपूर्ण आय, इसका नकदी प्रवाह और इस तिथि को वर्ष में इक्विटी बदलाव को दर्शाता है।

मत का आधार

हमने कम्पनी लेखा परीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। हमारी जिम्मेदारी उन मानकों के अन्तर्गत है जिसे वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी के सेक्शन में वर्णन किया हुआ है। हम कम्पनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

ग्राहकों के साथ ठेकों से प्राप्त राजस्व पर भारतीय लेखा मानक 115 के संबंध में, कंपनी रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से एकीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य एक बार का शुल्क) वार्षिक रखरखाव प्रभार के साथ लेती है। यह शुल्क टिकट बुकिंग आदि की मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकता हैं। प्रबंधन की राय है कि एकीकरण शुल्क के लिए पार्टियों के साथ समझौता आम तौर पर एक से तीन वर्ष के लिए होता है, और बाद में वार्षिक रखरखाव अनुबंध को नवीनीकृत बिना किसी एकीकरण शुल्क के किया जाता है।

चूंकि आईआरसीटीसी के विकल्प में नवीकरण एकतरफा है, ऐसे एकीकरण शुल्क एक से तीन साल की प्रारंभिक अनुबंध अवधि से अधिक आय के रूप में स्थगित नहीं किए जाएंगे।

हमारी राय में, एकीकरण शुल्क और वार्षिक रखरखाव अनुबंध का अनुबंध अलग–अलग अनुबंध नहीं हैं, इसलिए एक समय में राजस्व को पहचानने के बजाय अपेक्षित अनुबंध अवधि में एकीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य एक बार का शुल्क) की आय का परिशोधन किया जाए। पिछले रुझान ने संकेत दिया है कि शायद ही कोई मामला है जहां अनुबंध को आईआरसीटीसी द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया था। हमारे विचार में, एक से तीन वर्ष के प्रारंभिक अनुबंध के आधार पर पूरी राशि अर्जित करने के बजाय एक बार के एकीकरण शुल्क को अनुमानित अनुबंध अवधि (अनुमानित 20 वर्षों के पिछले रूझान पर आधारित) से अधिक राजस्व के रूप में मान्यता दी जाए।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संकलित की गई पिछली सूचना के आधार पर उपरोक्त एकीकरण प्रभारों के आस्थगन के कारण राजस्व में 6. 65 करोड़ रुपये की कमी आई है और 31 मार्च 2019 तक अन्य इक्विटी में आरक्षित और अधिशेष सहित 31.41 करोड़ रू. शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) (''अधिनियम'') में उल्लिखित लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार इन निर्धारित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत सम्बंधित नियमों के साथ पढ़ा जाए में स्टैन्डअलोन भारतीय लेखाकरण मानक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी

की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन जिनमें अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और कम्पनी की इक्विटी शेयर में बदलाव की सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हैं।

जिम्मेदारी में कपंनी की परिसम्पत्तियों और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिततओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, यथोचित लेखाकरण नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, व्यावहारिक और भरोसेमंद निर्णय लेने एवं अनुमान तैयार करने और सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित जो लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावी रूप से परिचालित किए जा रहे थे, के तौर तरीके शामिल हैं और ये किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से मुक्त हैं भले ही वह धोखाधड़ी के कारण हों अथवा भूलवश हों।

वित्तीय विवरणों का तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए वर्तमान चिंता, प्रकटीकरण के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार होता है। संबंधित मामलों और लेखांकन के चिंता के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या कम्पनी को बंद करने या बंद करने का इरादा रखता है, संचालन या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की अनदेखी करने के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां :–

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक रूप से मुक्त हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। यह गलत वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्रीपरक गलत विवरण मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचान करना और उनका आकलन करना चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटन की तर्कशीलता का मूल्यांकन।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं। हम उन लोगों से भी चर्चा करते हैं जिन्होंने अभिशासन के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट की रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') के अनुसार जिसे धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है। हम अनुबंध 'क' के रूप में एक विवरण दे रहे हैं जो आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के संबंध में विनिर्दिष्ट विवरण है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार यथा अपेक्षित हमारी रिपोर्ट निम्नलिखित हैः

   क. हमें वह सारी सूचना व व्याख्याएं प्राप्त हो गई है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थी सिवाए रेलवे और तृतीय पक्षीय पार्टियों को प्राप्य/देय अधिशेष पुष्टिकरण को छोड़कर। इसके अतिरिक्त हमें बताया गया कि पार्टीबार प्राप्य/देय ईआरपी प्रणाली में अनुरक्षित वित्तीय खातों में समाधान नहीं हुआ है।

   ख हमारी राय में, आंतरिक नियंत्रण के साथ–साथ आंतरिक ऑडिट प्रणाली कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की आवधिक समीक्षा के लिए मजबूत एमआईएस विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है जो ऑडिट के दौरान त्रुटियों और चूक को कम कर सके। गाड़ी और मालभाड़ा अग्रेषण एजेन्टों के द्वारा वस्तुओं और बिक्री के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उपयोग को लागू किया जाना चाहिए ताकि ऐसी पार्टियों के माध्यम से बिक्री वसूली के लिए समाधान हो सके।

   ग. कुछ गाड़ियों में खानपान सेवा को अनबंडलिंग/आंशिक अनबंडलिंग मॉडल के अन्तर्गत प्रबंधित कया जा रहा है, जिससे भोजन तैयार करने और भोजन परोसने के अनुबंध अलग–अलग हैं। कंपनी के प्रबंधन के विचार से भोजन एक निश्चित दर पर खरीदा जाता है और लाइसेंसधारी से कोई लाइसेंस शुल्क प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए कंपनी खानपान नीति के संदर्भ में भारतीय रेलवे को देय राजस्व के किसी भी हिस्से को देय नहीं हैं (भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच विभागीय खानपान मॉडल में 15:85 अनुपात और लाइसेंसधारी मॉडल के मामले में 40:60 के अनुपात में राजस्व का बंटवारा अपेक्षित है।) इसके अलावा, सीमित निविदा देने की प्रथा को पूर्ण–निविदा में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि, कम्पनी से जुड़े योग्य विक्रेताओं की संख्या बढ़ सके।

   घ. हमारी राय में, वर्तमान ईआरपी प्रणाली को अपग्रेड करने के साथ–साथ कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जिसके कारण लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने में रूकावटें होती हैं। इसके लिए विरासत लेन–देन की पहचान और समाधान की भी आवश्यकता होगी, जिसके बारे में कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय प्रणाली से डेटा के वर्तमान में ओरेकल में माइग्रेशन के बाद से वित्तीय लेनदेन परिचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित विरासत लेनदेन में रेलवे से/के लिए बकाया है।

   इसके अलावा, तृतीय पक्ष पार्टी एप्लिकेशन/पोर्टल्स के माध्यम से निष्पादित लेन–देन के बीच समाधान के साथ–साथ खातों की किताबों में पोस्ट की गई वित्तीय जानकारी के साथ मैनुअल रूप से डेटा नहीं रखा गया था और तदनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी पर निर्भरता रखी गई थी और परीक्षण के आधार पर सत्यापित किया गया था। हमारी राय में सभी तृतीय पक्ष पार्टी एप्लिकेशन/पोर्टल्स के बीच सूचना हस्तांतरण पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और सत्यापन के लिए दस्तावेज होना चाहिए।

   ङ. वित्तीय विवरणों में परिलक्षित बैंक शेष खातों की पुस्तकों के अनुसार कहा गया है और कंपनी के बैंक खातों में क्रिस्टलीकृत वित्तीय भुगतानों और प्राप्तियों की पोस्टिंग के अधीन हैं, लेकिन पुष्टिकरण/समाधान के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त लेन–देन का लेन–देन समाधान कम्पनी के इंटरनेट टिकटिंग विभाग में रेलवे की ओर से बढ़ी मात्रा में संभाली जा रही टिकटों की बुकिंग और रद्दीकरण के कारण कई बैंकों के साथ नहीं हो सका है। (नोट नं 38 देखें)

   च. एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत विक्रेताओं को देय भुगतान को पूरी तरह से पहचान और अलग नहीं किया गया है और 31 मार्च 2019 तक पूरी बकाया राशि एमएसएमई विक्रेताओं के अलावा अन्य व्यवसाय देय के अन्तर्गत दिखाई गई है। इसके अलावा, एमएसएमई विक्रेताओं ने पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट की और विलंबित भुगतान पर ब्याज प्रावधान को वर्ष के दौरान अन्य व्यापार भुगतानों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

   छ. जीएसटी के साथ–साथ क्रेडिट स्वीकार्यता के तहत देयताएं दाखिल किए गए रिटर्न के साथ समाधान के अधीन हैं। लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न के साथ वित्तीय लेनदेन और इस पर जीएसटी देयता का समाधान नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमें बताया गया है कि रेलवे के भुगतान पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, प्रतिपूर्ति दावे आदि सहित विभिन्न प्रावधानों के कारण देयता का आकलन किया जा रहा है और विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत लेखा परीक्षा के समापन से पहले उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

ज. हमारे मतानुसार कम्पनी द्वारा कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार लेखा संबंधी बही खातों को संजोकर रखा गया है। जैसा कि हमें उक्त बही खातों की जांच करने पर पता चला है।

झ. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट में इक्विटी में बदलाव विवरण लेखा के बही खातों के अनुरूप है।

ञ. हमारी राय में, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में उल्लिखित जारी किए गए नियम को छोड़कर संबंधित नियम के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है सिवाए निम्न बताए गए हैं;

i. भारतीय लेखाकरण मानक 31 के संबंध में संयुक्त उपक्रमों के लिए यथा अपेक्षित मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी मैसर्स रॉयल इंडियन रेल टूअर लिमिटेड के साथ चल रही मुकदमेबाजी के कारण वित्तीय लेखा 2010–11 से तैयार नहीं हो सके हैं और इसलिए कम्पनी न तो समेकित वित्तीय विवरण दे रही हैं और न ही संयुक्त कम्पनी के वित्तीय स्थिति का प्रकटन कर पा रही है।

कम्पनी के पास उपलब्ध कानूनी मत के आधार पर और संयुक्त उपक्रम करार को समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का मत है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड अपेक्षित राहत पाने के लिए मध्यस्थता वाले खण्ड का सहारा नहीं ले सकती है। इस समय इसके परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किए जा सकते। (नोट सं. 37.3 और 45 को देखें।

ii. आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसम्पत्तियों की व्यवस्था के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 37 के संबंध में।

वैट कमीशनर के दिनांक 23 मार्च 2006 के आदेशों में गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं को बिक्री समझकर वैट लगाया गया है। कम्पनी के तर्क को अपीलीय प्राधिकारी और माननीय उच्च न्यायलय ने स्वीकार नहीं किया है और माननीय उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका विचारधीन है। कम्पनी की दूरदर्शी नीति के रूप में वैट दायित्व प्रदान किया जा रहा है लेकिन संबंधित वैट इनपुट और उस समय के सेवा कर के भुगतान में से केवल एक ही कर लागू हो सकता है। ऐसा वैट इनपुट की राशि 11.19 करोड़ रू. है जो कि अन्य वर्तमान परिसम्पत्ति के रूप में वैधानिक प्राधिकारियों के पास बकाया बताई गई है। यदि कम्पनी के विरूद्ध निर्णय आता है तो पूर्ण वैट उत्तरदायित्व (कुल या शुद्ध आधार पर जो भी लगाया जाएगा) ब्याज सहित कम्पनी के द्वारा व्यय की पूरी राशि जमा करानी होगी और सेवा कर की वापसी के लिए अलग से दावा दायर करना होगा (नोट सं. 37.4 देखें)

ट. सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 164(2) की व्यवस्था और भारत की केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिनांक 05 जुलाई 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) लागू नहीं होता है।

ठ. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण का परिचालन प्रभावशीलता को अलग रिपोर्ट में अनुबंध 'ख' में दिया गया हैः

ड. अधिनियम के अनुच्छेद 143 (5) में अपेक्षित और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों पर हमारी रिपोर्ट अनुबंध 'ग' में देखें।

ढ़. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना और उपलब्ध कराई गई व्याख्याओं के अनुसारः—:

(क) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर बकाया मुकदमेंबाजी के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दिया है– (टिप्पणी संख्या 37.2, 37.3 और 37.4 देखें;)

(ख) कम्पनी डेरीवेटिव ठेके सहित किसी भी दीर्घकालीन ठेकों में शामिल नहीं हुए हैं।

(ग) कम्पनी द्वारा निवेशकों के शिक्षा और सुरक्षा निधि के लिए अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि का कोई अंतरण नहीं हुआ।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता. /–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2019

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध – 'क'

मैसर्स इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की समसंख्यक तारीख वाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारतीय लेखाकरण मानकों के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट के संदर्भ में रिपोर्ट है:

(i) (क) कंपनी, मात्रात्मक ब्यौरा और अचल परिसम्पत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रख रही है तथापि नम्बर वार पहचान उपलब्ध नहीं है।

(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान और नियमित अंतराल पर वर्ष में एक बार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक सत्यापन कराया जाता है। हमारे मतानुसार भौतिक सत्यापन का सविस्तार एवं औपचारिक किए जाने की आवश्यकता है। इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) अचल परिसम्पत्तियों की टाईटल डीड कम्पनी के नाम पर है।

(ii) (क) वस्तु सूची की भौतिक जांच उचित अंतराल पर कम्पनी द्वारा कराई जा रही है और वर्ष के दौरान वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। वस्तु सूची में परिभाषित मात्रा, मूल्य लिया गया और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर के तहत आने वाली किसी कंपनी, फर्म, सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी (एलएलपी) वाले या अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। अतः अनुच्छेद (iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(iv) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 के अधीन आने वाले निदेशकों और पार्टियों को धारा 186 के अन्तर्गत ऋण और अग्रिम नहीं दिया है अतः अनुच्छेद (iv) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(v) कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः अनुच्छेद (v) लागू नहीं होता है।

(vi) जैसी कि हमें सूचना एवं स्पष्टीकरण दिया गया है, कंपनी अधिनियम, की धारा 148 के उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी के लिए लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है, किन्तु कम्पनी के द्वारा इसको स्वैच्छिक रूप से रखा जा रहा है।

(vii) (क) कंपनी नियमित रूप से कटौती/उपार्जित अविवादित संवैधानिक देयताओं जिनमें आयकर, माल एवं सेवाकर और उपकर और अन्य सांविधानिक देयता जो भी लागू हो, को नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2019 को देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि का कोई भी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवाकर, उपकर और अन्य संवैधानिक देयता का बकाया नहीं था।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यथोचित प्राधिकारियों के समक्ष बकाया मामलों के कारण निम्नलिखित विवादास्पद राशि को प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है :–

कानून का नाम	बकाया प्रकृति	राशि	अवधि जिसके लिए राशि संबंधित है।	मंच जहाँ विवाद लम्बित है	टिप्पणी
सेवा कर	अचल सम्पत्तियों किराया	7902.16	01.04.07 से 30.06.2012	उत्पाद आयुक्त,	सुनवाई जारी है
वैट	गाड़ियों में खानपान सेवा पर वैट	8251.01	2008–09 से जून 2017	उच्चतम न्यायलय	सुनवाई जारी है
सेवा कर	सेनवेट क्रेडिट का डिसअलाउन्स	156.70	2004–05 से 2007–08	सीईएसटीएटी	सुनवाई जारी है
सेवा कर	अचल सम्पत्तियों किराया	394.48	07.07.07 से 30.06.2012	सीईएसटीएटी	सुनवाई जारी है
वैट	आईटीसी/एसेसमेन्ट का डिएलाउन्स	1428.75	2009–10 से 2015–16	स्पेशल ओएचए/उपायुक्त, बिक्रीकर/ट्रिब्यूनल	सुनवाई जारी है
सेवा कर	अचल सम्पत्ति किराया–बैडरॉल	724.13	जून 2007 से मार्च 2011	सीईएसटीएटी/ आयुक्त अपील	सुनवाई जारी है
सेवा कर	अचल सम्पत्ति किराया	1278.39	01.04.2007 से 31.03.2017	सीईएसटीएटी/ आयुक्त अपील	सुनवाई जारी है

कानून का नाम	बकाया प्रकृति	राशि	अवधि जिसके लिए राशि संबंधित है।	मंच जहाँ विवाद लम्बित है	टिप्पणी
वैट	आंकलन	504.17	2005–06 से 2008–09	संयुक्त आयुक्त अपील	सुनवाई जारी है
सेवा कर	कैब किराया, आऊटडोर खानपान, टूर ऑपरेटर, बस ऑग्जिलरी, अचल सम्पत्ति किराया	304.09	2007–08 से 2015–16	सीईएसटीएटी / आयुक्त अपील	सुनवाई जारी है
वैट	आंकलन	1103.14	2008–09 से 2012–2013	उच्च न्यायलय ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकारी	सुनवाई जारी है
सेवा कर	अचल सम्पत्ति किराया	302.29	01.04.2007 से 31.03.2016	सीईएसटीएटी / आयुक्त अपील	सुनवाई जारी है
वैट	आंकलन	222.12	2011–12 से 2012–13	ट्रिब्यूनल / अतिरिक्त आयुक्त	सुनवाई जारी है
प्रवेशकर	आंकलन	0.90	2011–12 से 2012–13	अतिरिक्त आयुक्त	सुनवाई जारी है
		22,572.33			
आयकर	स्क्रूटनी आंकलन	73.71		आयुक्त आयकर अपील	सुनवाई जारी है

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अुनसार कंपनी ने बैंकों से लिए गए ऋण की अदायगी के मामले में चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था से या कोई डिबेन्चर जारी करके ऋण नहीं लिया है।

(ix) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट सहित) के द्वारा कोई राशि नहीं जुटाई है। कंपनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

(x) कम्पनी के लेखों और रिकॉर्डो की हमारी जांच के दौरान सामान्यतः भारत में अपनाई जाने वाली लेखा परीक्षा पद्धति अपनाई गई है और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी पर और कम्पनी के द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई न ही प्रबंधन द्वारा ऐसा कोई मामला सूचित किया गया था।

(xi) दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनी होने पर लागू नहीं है। तद्नुसार आदेश का अनुच्छेद 3 (xi) लागू नहीं होता है।

(xii) कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है अतः आदेश का अनुच्छेद (xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पशटीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों, संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन की हमारी जांच में अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन जहां लागू है, किया गया है और लेखाकरण मानकों में अपेक्षित ऐसे लेन–देन का विवरण का स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखाकरण मानकों के वित्तीय विवरण में प्रकटन किया गया है।

(xiv) कम्पनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान बोनस शेयरों को जारी किया गया। (नोट सं. 13.1 देखें) और कम्पनी ने शेयरों का कोई प्राइवेट प्लेसमेन्ट नहीं किया है।

(xv) कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेन देन नहीं किया है। अतः आदेश का अनुच्छेद (xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) कम्पनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45–1ए के अधीन पंजीकृत करना अपेक्षित नहीं है।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता. /–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2019

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध – 'ख'

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के अर्न्तगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने **मैसर्स इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'')** के वित्तीय लेखाकरण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर 31 मार्च, 2019 को मौजूद कम्पनी के स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की वर्ष की लेखा परीक्षा आज की तारीख को समाप्त हुई।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है जो इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट के द्वारा वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्त नियंत्रण का लेखा परीक्षण पर दिशा निदेशों के नोट में कहा गया है, के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में, कपंनी की परिसम्पत्तियों और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिततओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाना, व्यावहारिक और भरोसेमंद निर्णय लेने एवं अनुमान तैयार करने और सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, जो लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावी रूप से परिचालित किए जा रहे थे, के तौर तरीके शामिल हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित इस जिम्मेदारी में समय पर भरोसेमंद वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कम्पनी के वित्तीय लेखाकरणों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर अपने लेखा परीक्षा पर मत व्यक्त करना है। हम अपनी लेखा परीक्षा इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा वितीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्त नियंत्रणों के गाईडेन्स नोट के अनुसार और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित मानी गई जो कि आंतरिक नियंत्रणों को लेखा परीक्षा ('गाईडन्स नोट') पर आवश्यक सीमा पर लागू दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू और दोनों ही इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकान्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी है। निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों और गाईडेन्स नोट के अुनसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और यह जानने के लिए आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बना कर लेखा परीक्षा करे कि वित्तीय विवरणों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण क्या पर्याप्त हैं, स्थापित है और अनुरक्षित किए जा रहे है और क्या ऐसे सभी नियंत्रण सभी प्रकार के तथ्यों के अनुसार हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी होती है कि वित्तीय लेखाकरण में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में पर्याप्तता और उनका प्रभावी रूप से परिचालन के साक्ष्य प्राप्त हो सके। वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में भारतीय लेखाकरण मानकों वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आपसी समझ बनानी, किसी तथ्यात्मक कमियों का मूल्यांकन और डिजायन की जांच एवं मूल्यांकन, जोखिम आंकलन पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी परिचालन पर आधारित है। इसके लिए चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करना है, जिसमें भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों में असत्य तथ्यों के जोखिम को धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मूल्यांकन करना शमिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा लेखा परीक्षा में मिले साक्ष्य नीचे दी गई हमारी टिप्पणी में निहित सीमाओं को छोड़कर पर्याप्त है और वित्तीय लेखाकरण पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर वे पर्याप्त है और लेखा परीक्षा मत तैयार करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कम्पनी का वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया डिजायन की है जो भरोसेमंद वित्तीय विवरणों के संबंध में आश्वस्त करती है और जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरित नियंत्रण में जो नीतियां और प्रक्रिया शामिल है उनमें (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का लेन–देन और विन्यास से संबंधित रिकॉर्डों का अनुरक्षण, उचित विवरण, शुद्धता और न्यायपूर्ण झलके (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेन–देन के रिकॉर्ड अपेक्षित वित्तीय विवरण को तैयार करने की अनुमति और भरोसेमंद आश्वासन और कम्पनी की प्राप्तियों और खर्चों को प्रबंधनों और निदेशकों के प्राधिकार पर ही, होना और (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में अनाधिकृत अधिग्रहण को रोकना या समय पर पता लगाने, प्रयोग करने, निपटान के संबंध में भरोसेमंद आश्वासन हैं जो कि भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं होने के कारण, सांठगांठ या नियंत्रण रखने में खराब प्रबंधन, त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण या धोखाधड़ी होना और पता नहीं लगना। वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी प्रकार का मूल्यांकन प्रदर्शन भी भविष्य की अवधि के लिए जोखिम हो सकता है क्योंकि स्थिति में बदलाव के कारण वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों के अनुपालन की मात्रा या पद्धति बिगड़ सकती है।

हमने प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कागज़ातों के द्वारा कम्पनी की परिचालन पद्धतियों और शामिल जोखिमों की संभावना की पहचान के लिए विस्तार से समीक्षा की है। कम्पनी के पूरे व्यापार को काफी हद तक शामिल करने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुभौगोलिक स्थानों पर होने के कारण जोखिम नियंत्रण उपायों की जांच कुछ चुने हुए स्थानों पर की गई। तथापि हमने उपरोक्त सीमाओं के वर्णन में कम्पनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लागू प्रकृति और लेखा परीक्षा जांच तक सीमित कर विचार किया है और यह सीमाएं कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं कर सकती है।

मत

हमारे मतानुसार शाखा स्तर पर पारम्परिक मैन्युअल नियंत्रण प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिम कारकों को कम करने के लिए सूचना प्रणाली आधारित नियंत्रणों और प्रथाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान उपयुक्त उपाय जिनमें तृतीय पक्षीय लेखा परीक्षा कराई गई है और कम्पनी के द्वारा जहां आवश्यक है वहां वित्तीय नियंत्रण को लागू और सुधार के लिए निवेदन किया गया है। विशेषकर जो वर्तमान ईआरपी प्रणाली से संबंध और अन्य पर निर्भर होने से उन्नयन और सुधार की आवश्यकता है। हमने कॉरपोरेट स्तर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रशिक्षण किया है और यह ऐसी आईटी सीमाओं के अधीन है, यह सैद्धान्तिक रूप से 31 मार्च 2019 प्रभावी परिचालित है, कम्पनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदण्डों को इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट ऑफ इण्डिया के द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर बताए गए गाइडेन्स नोट के अनुसार आन्तरिक आवश्यक नियंत्रण को आवश्यक घटक माना गया है।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता./–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2019

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध – 'ग'

अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत लागू दिशा–निर्देश।

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है?यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की प्रामणिकता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, तो बताएं।

   उत्तरः हां, तथापि ईआरपी सिस्टम (ओरेकल) का वर्तमान संस्करण, एकीकृत लेखा प्रणाली शुरू से अंत तक के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि अधिकांश जानकारी और गणना एक्सेल शीट्स या तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों में तैयार की जा रही है और मैन्युअल रूप से वित्तीय लेखा मॉड्यूल अपलोड/पोस्ट की जा रही है

   आईटी प्रणाली को एक समग्र उन्नयन की आवश्यकता है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार शामिल है, जैसे

   क. मास्टर डेटा पुनः संयोजन

   ख. विरासत लेनदेन का सामंजस्य

   ग. निष्क्रिय और निरर्थक बही खाते, लाभ केंद्र/विभाग,

   घ. एकीकरण मुद्दों में कर कोडों के साथ–साथ सबलेजर खाते की मैपिंग को सही करने और

   ङ. उपयोगकर्ता नियंत्रण और पर्याप्त कर्मचारी प्रशिक्षण

2. क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या ब्याजों को माफ करना ऋणों को बट्टेखाते में डालना आदि के बारे में कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।

   उत्तरः लागू नहीं

3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्त होने वाली को इसकी नियम और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।

   उत्तरः पिछले वर्षों में प्राप्त सरकारी अनुदान के संबंध में, इसे भारतीय लेखांकन मानक की लागू शर्तों के अनुसार लेखाकिंत किया गया है। वर्ष के दौरान कोई नया अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता./–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2019

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
I. परिसम्पत्तियां			
1 गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	14,704.91	15,564.37
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	4,037.71	765.26
(ग) सम्पत्ति निवेश	5	2,765.59	2,761.56
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	5A	754.80	656.39
(ड) वित्तीय परिसम्पत्तियां	6		
(i) निवेश	6.1	0.32	0.32
(ii) ऋण	6.2	239.17	205.88
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6.3	8.06	96.65
(ड़) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	7	8,171.99	6,362.27
(च) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	8	2,287.20	1,202.52
		32,969.76	27,615.22
2 चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सूचियां	9	788.87	740.60
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां	10		
(i) व्यापार प्राप्तियां	10.1	58,173.44	55,092.40
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10.2	46,006.95	49,315.89
(iii) बैंक अधिशेष (ii) उपर्युक्त को छोड़कर	10.3	67,996.60	34,071.36
(iv) ऋण	10.4	835.15	898.62
(v) अन्य	10.5	3,473.00	1,706.54
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	11	1,008.46	828.21
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	12	47,589.94	59,736.93
		225,872.41	202,390.55
कुल परिसम्पत्तियां		**258,842.17**	**230,005.78**
II. इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	16,000.00	4,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	90,701.88	90,536.86
		106,701.88	94,536.86
2 देयताएं			
(i) गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	15		
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	1,472.24	2,423.18
(ख) प्रावधान	16	4,616.09	5,846.98
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	17	581.01	693.45
		6,669.35	8,963.62
(ii) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	18		
(i) व्यापार देय	18.1		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया राशि		–	86.15
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		19,092.24	14,996.45
(ii) अन्य	18.2	60,742.92	51,070.06
(ख) अन्य चालू देयताएं	19	61,715.65	60,025.11
(ग) प्रावधान	20	1,375.34	327.54
(घ) चालू कर देयताएं (शुद्ध)	21	2,544.79	–
		145,470.94	126,505.31
कुल इक्विटी और देयताएं		**258,842.17**	**230,005.78**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
सीए. नितिन जैन	महेन्द्र प्रताप मल्ल	रजनी हसीजा	अजय श्रीवास्तव	सुमन कालरा
पार्टनर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	समूह महाप्रबंधक (वित्त)	कम्पनी सचिव
एम नं.: 506898	डीआईएनः 02316235	डीआईएनः 08083674	मुख्य वित्त अधिकारी	एम नं.: एफसीएस-9199

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 26 जुलाई, 2019

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

राशि (₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालनों से राजस्व (उत्पाद शुल्क सहित)	22	186,823.57	147,116.73
II	अन्य आय	23	8,877.69	7,357.92
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**195,701.26**	**154,474.65**
	खर्च			
	उपभोज्य सामग्री की लागत	24	9,331.13	9,529.34
	उत्पाद शुल्क	–	–	436.70
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	25	3,095.07	15,805.01
	तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, चल रहे कार्य और स्टॉक–इन–ट्रेड	26	(14.62)	(26.56)
	खानपान सेवाओं का खर्चा	27	63,191.55	23,266.58
	पर्यटन का खर्चा	28	30,900.81	30,520.42
	उत्पादन एवं प्रत्यक्ष खर्चा	29	6,126.54	6,714.52
	कर्मचारी हित खर्चा	30	19,505.80	19,215.15
	वित्त लागत	31	234.86	290.76
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	32	2,863.96	2,366.11
	अन्य खर्चा	33	16,612.64	12,983.48
IV	**कुल व्यय (IV)**		**151,847.74**	**121,101.50**
V	**आपवादिक एवं असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)**		43,853.52	33,373.15
VI	आपवादिक मदें		3,739.12	524.57
VII	**कर पूर्व लाभ (V+VI)**		**47,592.64**	**33,897.72**
VIII	कर खर्च :			
	(1) चालू कर	34	18,823.35	11,603.63
	(2) आस्थगित कर		(1,823.70)	342.14
IX	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ/हानि (VII-VIII)**		**30,592.99**	**21,951.95**
X	अविछिन्न परिचालनों से लाभ/हानि		–	–
XI	अविछिन्न परिचालनों के कर खर्च		–	–
XII	अविछिन्न परिचालनों से लाभ/हानि (X - XI)		–	–
XIII	**अवधि के लिए लाभ/हानि (IX + XII)**		**30,592.99**	**21,951.95**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत की गई मदें			
	(ii) कर से संबंधित मदों को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया।		–	–
	ख. (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की गई मदें		–	–
	– पोस्ट रोजगार लाभों के दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	35	39.98	632.82
	(ii) कर से संबंधित मदों को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया।		(13.97)	(219.01)
XV	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल सहित**		**30,619.00**	**22,365.76**
XVI	**प्रति इक्विटी अर्जित शेयर**			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (रू.)	36	19.12	13.72
	(2) डाईलुटिड (रू.)	36	19.12	13.72
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः** (अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (रू.)	36	–	–
	(2) डाईलुटिड (रू.)	36	–	–
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः** (निरंतर और अविछिन्न परिचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (रू.)	36	19.12	13.72
	(2) डाईलुटिड (रू.)	36	19.12	13.72

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग है।

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
सीए. नितिन जैन	महेन्द्र प्रताप मल्ल	रजनी हसीजा	अजय श्रीवास्तव	सुमन कालरा
पार्टनर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	समूह महाप्रबंधक (वित्त)	कम्पनी सचिव
एम नं.: 506898	डीआईएनः 02316235	डीआईएनः 08083674	मुख्य वित्त अधिकारी	एम नं.: एफसीएस-9199

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 26 जुलाई, 2019

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 के लिए कैश फ्लो का विवरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो			
कर पूर्व लाभ		**47,592.64**	**33,897.72**
निम्न के लिए समायोजना:–			
मूल्यहरास		2,863.96	2,366.11
फिक्स परिसम्पत्ति की बिक्री से लाभ		14.54	40.65
ब्याज आय		(5,088.18)	(4,568.12)
मुचुअल फंड से लाभांश आय		(637.28)	(388.89)
अन्य व्यापक आय		39.98	632.82
परिचालन पूंजी परिवर्तन से परिचालन लाभ	**(1)**	**44,785.66**	**31,980.29**
निम्न के लिए समायोजन:–			
वस्तुसूची में कमी/(वृद्धि)		(48.27)	(82.55)
व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)		(3,081.04)	(26,152.35)
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		88.59	(55.77)
अन्य प्रचलित वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(87.43)	3.29
प्रचलित कर परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(180.25)	–
अन्य प्रचलित परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		12,147.01	(22,275.82)
अन्य अप्रचलित कर परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(1,084.68)	330.51
वित्तीय परिसम्पत्तियों ऋण में कमी/(वृद्धि)		30.18	73.26
अन्य अप्रचलित वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(950.94)	(7,950.10)
अप्रचलित प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		(1,230.89)	(1,950.37)
अन्य अप्रचलित देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(112.43)	(139.61)
व्यापार देयताएं में कमी/(वृद्धि)		4,009.64	1,325.08
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)		9,672.87	15,170.65
अन्य प्रचलित देयताओं में कमी/(वृद्धि)		1,176.30	24,489.43
वर्तमान प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		1,047.80	188.48
	(2)	21,396.46	(17,025.88)
परिचालन से प्राप्त कैश	**(1+2)**	**66,182.12**	**14,954.41**
प्रदत्त आयकर		(16,278.56)	(12,591.79)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल कैश		**49,903.56**	**2,362.62**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो			
सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों के बिक्री/निपटान से		34.14	20.92
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद		(5,428.08)	(3,452.55)
ब्याज प्राप्तियां		3,409.15	4,450.24
लाभांश प्राप्तियां		637.28	388.89
अन्य बैंक में जमा राशि में बदलाव		(33,925.24)	2,613.14
निवेश गतिविधियों में लगाया गया शुद्ध नकद		**(35,272.75)**	**4,020.63**
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो			
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)		(17,939.75)	(5,679.06)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद		**(17,939.75)**	**(5,679.06)**
नकद और नकद समकक्ष (क+ख+ग) शुद्ध (वृद्धि)/कमी		(3,308.94)	704.19
अथशेष नकद और नकद समकक्ष		49,315.89	48,611.71
नकद और नकद समकक्ष समाधान		**46,006.95**	**49,315.89**
नकद और नकद सम कक्ष का समाधान			
नकद और नकद समावेशी के			
नकद हस्ते		33.88	55.61
चेक्स/ड्राफ्ट्स/हस्ते		41.07	8,090.93
बैंक में अधिशेष			
– चालू खाते में		43,772.73	30,978.92
– फ्लेक्सी खाते में		2,159.27	10,190.43
– तीन महिनों से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा			
तुलन–पत्र के अनुसार नकद और नकद सम कक्ष		**46,006.95**	**49,315.89**

टिप्पणियां 1. भारतीय चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स इन्सटीट्यूट द्वारा जारी कैश फ्लो विवरण भारतीय एएस–7 में निर्धारित की गई अप्रत्यक्ष विधि के तहत कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्षों के आंकड़ों का जहां भी आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुर्नव्यवस्थित/पुर्नसमूहित किया गया है।

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./–
सीए. नितिन जैन
पार्टनर
एम नं.: 506898

हस्ता./–
महेन्द्र प्रताप मल्ल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

हस्ता./–
रजनी हसीजा
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
डीआईएन: 08083674

हस्ता./–
अजय श्रीवास्तव
समूह महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
सुमन कालरा
कम्पनी सचिव
एम नं.: एफसीएस-9199

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 26 जुलाई, 2019

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष इक्विटी शेयर में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख रू.) में	राशि (लाख रू.) में
1 अप्रैल 2017 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रुपये का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)	400.00	4,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रू. का इक्विटी शेयर)	–	–
31 मार्च 2019 तक बैंक अधिशेष प्रत्येक 10 रुपये का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर	**400.00**	**4,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रू.) में

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
वर्ष के आरंभ में अधिशेष	38,491.70	35,342.18	73,833.88
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	–	–16.27	16.27
वर्ष के आरंभ में पुर्नःवर्णित बैंक अधिशेष	**38,491.70**	**35,358.45**	**73,850.815**
वर्ष के लिए लाभ	–	21,951.95	21,951.95
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	–	413.81	413.81
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**–**	**22,365.76**	**22,365.76**
प्रतिधारण आय से अन्तरण	3,500.00	–	3,500.00
इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान	–	(4,718.49)	(4,718.49)
लाभांश पर लाभांश कर पर इक्विटी शेयर को दिया भुगतान	–	(960.57)	(960.57)
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	–	(3,500.00)	(3,500.00)
जारी किए बोनस शेयर	–	–	–
वर्ष के अंत में अधिशेष	**41,991.70**	**48,545.16**	**90,536.86**

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स
फर्म रजि. सं.: **000272N**

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./–
सीए. नितिन जैन
पार्टनर
एम नं.: 506898

हस्ता./–
महेन्द्र प्रताप मल्ल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: **02316235**

हस्ता./–
रजनी हसीजा
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
डीआईएन: **08083674**

हस्ता./–
अजय श्रीवास्तव
समूह महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
सुमन कालरा
कम्पनी सचिव
एम नं.: एफसीएस-**9199**

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : **26 जुलाई, 2019**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष इक्विटी शेयर में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख रू.) में	राशि (लाख रू.) में
1 अप्रैल 2018 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रुपये का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)	400.00	4,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए का 12,00,00,000 इक्विटी शेयर)	1,200.00	12,000.00
31 मार्च 2019 तक बैंक अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपए का 16,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**1,600.00**	**16,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रू.) में

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
वर्ष के आरंभ में अधिशेष	41,991.70	48,779.25	90,770.95
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	–	(234.09)	(234.09)
भारतीय मानक लेखाकरण एएस–115 को ग्रहण करने के कारण	–	(514.24)	(514.24)
वर्ष के आरंभ में पुर्नःवर्णित बैंक अधिशेष	**41,991.70**	**48,030.92**	**90,022.62**
वर्ष के लिए लाभ	–	30,592.99	**30,592.99**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	–	26.01	26.01
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**–**	**30,619.00**	**30,619.00**
प्रतिधारण आय से अन्तरण	3,500.00	–	3,500.00
इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान	–	(14,880.92)	(14,880.92)
लाभांश पर लाभांश कर पर इक्विटी शेयर को दिया भुगतान	–	(3,058.83)	(3,058.83)
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	–	(3,500.00)	(3,500.00)
जारी किए बोनस शेयर		(12,000.00)	(12,000.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष	**45,491.70**	**45,210.16**	**90,701.87**

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स
फर्म रजि. सं.: **000272N**

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
सीए. नितिन जैन	महेन्द्र प्रताप मल्ल	रजनी हसीजा	अजय श्रीवास्तव	सुमन कालरा
पार्टनर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	समूह महाप्रबंधक (वित्त)	कम्पनी सचिव
एम नं.: 506898	डीआईएनः **02316235**	डीआईएनः **08083674**	मुख्य वित्त अधिकारी	एम नं.: एफसीएस-**9199**

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : **26 जुलाई, 2019**

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार लेखाकरण नीतियां (भा. ले.मा.)

1. कॉरपोरेट सूचना

रेल मंत्रालय द्वारा इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की स्थापना की गई है। आईआरसीटीसी अधिवासी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में 27 सितंबर, 1999 को रेलवे की पूरी खानपान और पर्यटन गतिविधियों को नए कॉरपोरेशन में जोड़ने के मूल उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ इन सेवाओं को व्यावसायिक और उन्नयन कर सकें। भारत में रेल आधारित पर्यटन राज्य एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और आतिथ्य उद्योग के साथ समन्वय से उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए विशिष्ट वाहन होगा। कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी–148 स्टेट्स्मैन हाऊस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001 पर स्थित है।

2. तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष पर और के लिए जिसे वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखाकरण मानकों, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम 2016 कम्पनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम 2017 और कम्पनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम 2018 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) मापन का आधार

कॉरपोरेशन परम्परागत ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के अन्तर्गत निम्न लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार का उपयोग कर रही और भारतीय लेखाकरण मानक में अपेक्षित निम्न मद का उचित मूल्य पर माप किया जा रहा है:

i. परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ii. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (वित्तीय साधन पर नीति देखें) को उचित मूल्य पर मापा गया है।

ग) अनुमान और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और कल्पनाओं की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन नीतियों के सिद्धांतों और वित्तीय विवरणों की तारीख में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि को प्रभावित करती है। ऐसे अनुमानों के उदाहरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधान आदि के अनुमानित उपयोगी जीवन शामिल हैं। वास्तविक अनुमान इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तन और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच में भविष्य में परिणाम अलग–अलग हो सकते हैं और परिणाम उस अवधि में पहचाने गए हैं जिनके परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हो चुके हैं।

घ) सभी वित्तीय सूचनाएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की जाती है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपए में दो दशमलव अंकों के साथ पूर्णांक किया जाता है, सिवाए जिसमें अन्यथा कहा गया हो।

ङ) वैधानिक भुगतान योग्य और वापसी योग्य को देयताओं को प्रचलित देयताएं को प्रचलित प्रकृति के कारण प्रचलित परिसम्पत्तियां कहलाती है।

च) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण अपरोक्ष विधि से तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना रोकड़ वाले लेन देन करने और विगत के आस्थगित अथवा प्रोद्भवन अथवा भविष्य में नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कम्पनी की परिचालन, वित्तपोषण और निवेश वाली गतिविधियों को अलग–अलग करके दर्शाया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से नकदी प्रवाह और नकद और नकद समकक्षों में हस्ते नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों के साथ मांग जमा, शुद्ध बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि मांग पर प्रतिदेय हो, को कंपनी के नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है

कम्पनी ने प्रभावी भारतीय लेखाकरण मानक 7 के संशोधनों को अपनाया है जिसमें एक संस्था को प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तन से उत्पन्न दोनों परिवर्तन शामिल हैं, अथशेष और इतिशेष के बीच समाधान

को तुलन–पत्र में वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं को शामिल करने के सुझाव को शामिल किया जाता है ताकि प्रकटन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। संशोधन को शामिल करने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ) विदेशी मुद्रा

i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक के साथ–साथ प्रस्तुतीकरण मुद्रा भी है।

ii) लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है मौद्रिक विदेशी मुद्रा संपत्ति और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि पर विनिमय की दरों में बदला या परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे लेनदेन के निपटारे के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय लाभ और हानि, वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं के बदलाव लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

ज) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण की लागत जिसमें इंस्टॉलेशन प्रभार और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं, में दर्ज किया जाता है बशर्तें ये मान्यता मानदंड को पूरा करते हैं।

ii) पहचान मानदंड पूरा होने पर प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत में रखते हैं बशर्तें ये मान्यता मापदण्ड को पूरा करते हैं।

iii) कंप्यूटर्स के मामले में कंप्यूटर के साथ खरीदे गए ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर की लागत कंप्यूटर के साथ पूंजीगत व्यय में की गई है, जबकि नियमित उन्नयन और वार्षिक रखरखाव प्रभार को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv) कार्यालय परिसर के लिए पट्टे पर ली गई इमारतों पर व्यय को लीजहोल्ड –ऑफिस डेवेलपमेंट के रूप में पूंजीगत व्यय में दर्ज किया गया है।

v) खानपान इकाइयों में रखे गए उपकरण और संयंत्रों को जहां है जैसा है, के आधार पर रखा जाता है। ऐसी संपत्तियों के मूल्य की अनुपलब्धता के कारण, भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते में ऐसी परिसंपत्तियों को 1/–रू. के प्रति मद के नाम मात्र की कीमत पर इनकी गणना की जाती है।

vi) लक्जरी पर्यटन ट्रेन को पूंजीगत और फिक्स्ड परिसम्पत्ति अनुसूची में ''लग्ज़री पर्यटक ट्रेन'' के रूप में दिखाया गया है, इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान को सरकारी अनुदान मानने पर नीति देखें।

vii) परिसंपत्ति की लागत से बिक्री और संचित मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरणों में मान्यता दी गई है।

झ) मूल्यह्रास और परिशोधनः –

(क) मूल्यह्रास कुछ वस्तुओं को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अर्न्तगत यथाविनिर्दिष्ट जीवन काल के अनुसार दिया जाता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में शामिल नहीं कुछ परिसम्पत्तियों की सूची नीचे दी गई हैः–

विवरण	उपयोगी जीवन काल
रेलवे भूमि परिसर पर रेल नीर प्लांटों के अतिरिक्त सिविल कार्यों पर हुए व्ययों को लीज़होल्ड सुधार के रूप में गणना की गई है और मूल्यह्रास दस वर्ष की अवधि रखी गई है।	10 वर्ष
रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट 30 वर्ष की अवधि की लीज़ पर है और इसका मूल्यह्रास वहीं अवधि है।	30 वर्ष
आईआरसीटीसी ने रेल नीर प्लांट नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ की स्थापना के लिए रेलवे भूमि को लीज़ आधार पर लिया है। जिसके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा लीज़ अवधि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे की नीति के अनुसार अधिकतम लीज़ अवधि 35 वर्ष है और जिसे आगे और 35 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अतः नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ के रेल नीर प्लांटों का मूल्यह्रास तद्नुसार निर्धारित किया गया है।	35 वर्ष

(ख) मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए तैयार होने की तारीख से यथा–अनुपात के आधार पर गणना की जाती है। मूल्यह्रास वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री, खारिज़ और क्षति होने की तारीख तक दी जाती है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग–अलग हिस्सों की मदों का अलग–अलग मूल्यह्रस हो सकता है, यदि मद की कुल लागत पार्ट्स की लागत का महत्वपूर्ण भाग है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है और यह इनहाउस तकनीकी विशेषज्ञ के अनुमान और प्रमाण पत्र के आधार पर है।

(घ) पट्टेधारक कार्यालय परिसरों के संबंध में कार्यालय विकास और पट्टेदार भूमि (जिसके लिए पट्टा समझौते मौजूद है) का पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के दौरान लिया गया है। रेलवे भूमि पर स्थित परिसर पर सिविल कार्य पर खर्च (जिसके लिए कोई पट्टा समझौते मौजूद नहीं है) को लीज़होल्ड सुधार के रूप में दिखाया गया है और इसकी मूल्यह्रास अवधि दस वर्ष है।

(ङ) मूल्यह्रस के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

(च) मूल्यह्रस की गणना मूल्यह्रस राशि अर्थात् मूल्य में इसके अवशिष्ट मूल्य घटाकर की जाती है।

(छ) पट्टेदार भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के संबंध में मूल्यह्रास भूमि के पट्टे के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कम्पनी अधिनियम की अनुसूचि के अनुसार निम्नानुसार हैः

विवरण	उपयोगी जीवन काल
संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष
कम्प्यूटर	03 वर्ष
नेटवर्क एवं सर्वर	06 वर्ष
एयरकंडीशनर	10 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	05 वर्ष
भवन, रेल नीर संयंत्र भवन के अलावा	35 वर्ष
रेल नीर संयंत्र भवन	40 वर्ष
सोलर पावर संयंत्र और विद्युत सबस्टेशन	25 वर्ष
डीजीसैट, वाटर ब्लोइंग मशीन, कम्प्रेसर	10 वर्ष
संयंत्र के लिए एयरकंडीशनर और चिल्लर्स	05 वर्ष
मूर्त परिसम्पत्तियां	04 वर्ष
संस्थापन एवं उपकरण	10 वर्ष
लग्ज़री टूरिस्ट गाड़ी	15 वर्ष

ञ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर / पूंजीगत अग्रिम–

चालू पूंजीगत कार्यों में ऐसी परिसम्पत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों (पीपीई) की कीमत जो उनके वास्तविक उपयोग के लिए तैयार नहीं हुई है और परिसम्पत्ति की कीमत को तुलनपत्र की तिथि से पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता है, को शामिल किया गया है, पी. पी. ई. अधिग्रहण के लिए भुगतान किए अग्रिमों को अप्रचलित वर्तमान परिसम्पत्तियों के अधीन पूंजीगत अग्रिम में दिखाया गया है।

ट) अमूर्त परिसम्पत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेन्स, वेब पोर्टल, पर्यटन पोर्टल आदि अधिग्रहण हेतु किए गए भुगतान पर रिकार्ड की जाती है और अमूर्त पसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु 4 वर्ष मानी गई है।

ठ) संयुक्त व्यवस्था में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इन्सट्रुमेन्ट में निवेश की लागत भारतीय लेखाकरण मानक–27 अलग वित्तीय विवरणों में दी जाती है।

ड) निवेश गुण

क) निवेश गुण लागत मूल्यह्रास के शुद्ध संचित और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर दिखाया जाता है।

ख) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर निवेश की संपत्ति के भवन के मूल्यह्रास घटक को कम करता है।

ग) निवेश परिसंपत्तियों की मान्यता तब हटा दी जाती है जब उनका निपटान किया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लेते हैं और उनके निपटारे से कोई भविष्य में आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। शुद्ध निपटान प्राप्ति के बीच का अंतर और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि मान्यता हटाने की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

ढ) चालू और गैर चालू परिसम्पत्तियों के लिए परिचालन चक्र

कम्पनी ने परिसम्पत्तियों और देयताओं को वर्तमान वर्गीकृत किया है जो रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अन्दर वसूले जाने की संभावना है और अन्य परिसम्पत्तियों और देयताओं को निवर्तमान में वर्गीकृत किया गया है।

ण) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

क. प्रावधानः –

देयताएं के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित परिणाम का उपयोग करके मापा जा सकता है जबः

(क) पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो।

(ख) दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; तथा

(ग) दायित्व की मात्रा विश्वसनीय अनुमान से लगाया जा सकता है। किसी प्रावधान को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति केवल तब ही पहचानी जाती है जब यह वास्तव में निश्चित है, कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

जिस प्रावधान में 12 महीनों से अधिक में निपटान होने की आशा है, को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो कि दायित्वों के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। समय अधिक लगने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ख. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

(क) निम्नलिखित देयताओं का प्रकटन निम्न मामलों में किया जाता हैः

i. पूर्व घटना के परिणामस्वरूप स्वरूप उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है तो दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या

ii. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है; या

iii. एक संभव दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ हो।

(ख) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन वहां किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव हो।

(ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधानों की आवश्यकता होती है और आकस्मिक देयताओं की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयताओं के निपटान पर संभावित बहिर्वाह के अनुमान के अनुसार अनुमानित प्रावधानों का शुद्ध है।

त) राजस्व मान्यता : –

कॉरपोरेषन खानपान सेवाओं सर्विस (चल और स्थैतिक दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल सेवाएं, चालू यूनिटों में सेवाएं विभागीय खानपान केटरिंग यूनिटों के परिचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा, स्थैतिक खानपान स्टालों, ऑटोमेटिक वेन्डिंग मशीानों, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क–139 कॉल सेन्टर का प्रबंधन विख्यात टुअर आपरेटरों के माध्यम से पैकेज की व्यवस्था संपूर्ण टुअर पैकेजों का प्रबंधन, रेलनीर–बोतलबंद पानी के विनिर्माण एवं वितरण आदि के व्यवसाय में है।

क) भारतीय लेखाकरण मानक 115 में निर्धारित पांच–कदमों के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की मान्यता दे रही है।

(i) ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचान – एक अनुबंध को दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और हर अनुबंध के मानदंडों को निर्धारित करता है जो मिलना चाहिए।

(ii) अनुबंध में कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान : ग्राहक को माल या सेवा हस्तांतरण करने के लिए ग्राहक के साथ अनुबंध एक कार्यनिष्पादन दायित्व वादा है।

(iii) लेन–देन मूल्य का निर्धारण : लेन–देन का मूल्य वह विचारणीय राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में अधिकार होगा।

(iv) अनुबंध में कार्यनिष्पादन दायित्वों के लिए लेन–देन का मूल्य आवंटित करना : एक अनुबंध जिसमें एक से अधिक कार्यनिष्पादन दायित्व हैं, के लिए कंपनी प्रत्येक कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है जिसमें उस राशि को दर्शाया जाता है जिसके बदले में कंपनी प्रत्येक कार्यनिष्पादन दायित्व को संतोषजनक रूप से पूरा करने के बदले में हकदार होता है।

(v) जब कंपनी किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके कार्यनिष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो इसे राजस्व में मान्यता दी जाती है। जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है तो परिसंपत्ति हस्तांतरित मानी जाती है।

कार्यनिष्पादन दायित्व संतोषजनक है और राजस्व ओवरटाइम को मान्यता तभी होगी यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) कार्यनिष्पादन एक वैकल्पिक उपयोग के साथ परिसंपत्ति नहीं बनती है और कार्यनिष्पादन पूरा होने की तिथि को भुगतान के लिए एक लागू योग्य अधिकार है।

ख) कार्यनिष्पादन ऐसी परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक उस संपत्ति को नियंत्रित या संवर्धित करता है।

ग) ग्राहक एक साथ प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता और उपभोज्य करता है।

कार्यनिष्पादन दायित्वों जहां उपरोक्त शर्तों में से किसी एक की पूर्ति नहीं की जाती है तो उस समय राजस्व को उस बिंदु पर मान्यता दी जाती है जिस पर कार्यनिष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है। जब कार्यनिष्पादन की बाध्यता वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं को वितरित करके संतुष्ट होती है तो यह कार्यनिष्पादन द्वारा अर्जित विचार की राशि पर एक अनुबंध आधारित संपत्ति बनाता है। जहां एक ग्राहक से प्राप्त विचार की राशि राजस्व से अधिक है मान्यता प्राप्त यह एक अनुबंध देयता को जन्म देता है।

राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो अनुबंध की निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और करों और शुल्क को छोड़कर होता है।

राजस्व को उसी सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह संभावित है कि आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और यदि लागू राजस्व और लागत को मजबूती से मापा जा सकता हो।

i. **बिक्री**

रेलनीर–बोतलबंद पीने के पानी, खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री की पहचान जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, में जाती है और जहां लागू है, वहां भारतीय लेखाकरण मानक 18 के अनुसार वैट आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर–डिपो और अंतर–यूनिट अंतरण षामिल नहीं होते हैं।

ii. **इंटरनेट टिकटिंग से आय :–**

इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट www.irctc.co.in के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है और तद्नुसार रेलवे के शेयर को खर्च दिखाया जाता है।

iii. **खानपान सेवाओं से आय :–**

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि गाड़ियों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी केटरिंग सर्विस से अपनी आय की पहचान निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती हैः–

- **ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं से आय :**

  कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी, दुरंतों और षताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रोद्भवन के आधार पर भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गई खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखा में लिया जाता है।

- **कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :–**

  कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :–

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन शुल्क और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क
2.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना।	ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स शुल्क।
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना	(i) आईआरसीटीसी की पूर्व की नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क। (ii) ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क।
4.	रेलवे स्टेशनों पर वाटर वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	वाटर वैंडिंग मशीन शुरू करने की तिथि से निर्धारित वार्शिक लाइसेंस शुल्क।
5.	रेलवे स्टेशनों पर स्थैतिक यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित लाइसेंस शुल्क। (ii) ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स शुल्क।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस शुल्क।
7.	खानपान नीति 2017 के अनुसार खानपान यूनिट सौंपने का लाइसेन्स शुल्क	रेलवे द्वारा एकत्रित 60 प्रतिशत वार्षिक लाइसेन्स शुल्क को आय के रूप में माना गया।
8.	देरी से भुगतान यदि कोई है, पर जुर्माना, दण्ड और ब्याज	देरी से भुगतान यदि कोई है पर जुर्माना, दण्ड और ब्याज को लाइसेन्सधारी और वैन्डरों से प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है।

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई है/लेखा–जोखा किया गया है :–

➢ **कन्सेशन शुल्क** : राजस्व की पहचान से संबंधित भारतीय लेखाकरण मानक 115 में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कंट्रैक्ट की अवधि में आय की पहचान मासिक यथा अनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक–बारगी कन्सेशन शुल्क (असमाप्त कन्सेशन शुल्क) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ियों को रद्द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण गाड़ियों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

➢ **उपयोगकर्ता प्रभार** : फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारियों द्वारा देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को तब तक प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक कि परियोजना परिचालन में है।

➢ **लाइसेंस शुल्क:**

(क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्शिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक कि परियोजना परिचालन में है।

(ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाओं की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ग) लाइसेंस शुल्क को पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंध और हस्तांतरण करने के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

➢ **ठेकों को जब्त करने से प्रोद्भूत आय :** निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय की पहचान निम्नलिखित अनुसार की गई है :–

i. ठेका समाप्त किये जाने की तारीख तक, कन्सेशन शुल्क के संबंध में आय की पहचान कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर तथा लाइसेंस शुल्क के मामले में उस अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर की जाती है जिस अवधि में गाड़ी का परिचालन हुआ है।

ii. **अन्य आय :** ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्श के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।

iv. पैकेज टुअर से आय :–

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टूरों के अधीन विशेष गाड़ियों, विशेष चार्टरों कोच और शायिकाओं की बुकिंग और एयर टिकट बुक करते हैं। कॉरपोरेशन ग्रुप आधारित विदेशी टूर भी बुक रही है। विशेष गाड़ियों/चार्टरों कोच से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराये के एक निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। वैल्यू एडिड टूरों के मामले में, आय में किराया, ब्लाक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराये के निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन के सेवा प्रभार सम्मिलित होते हैं।

संपूर्ण टुर पैकेजों, बौद्ध सर्किट विशेष गाड़ियों और भारत दर्शन गाड़ियों के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर जीएसटी को छोड़कर कुल रकम शामिल होती है।

v. एकीकरण प्रभार

आरक्षित रेल ई–टिकटिंग सेवा के लिए आईआरसीटीसी के साथ पंजीकरण और एकीकरण के लिए आईआरसीटीसी को प्रमुख सेवा प्रदात्ता द्वारा देय एकीकरण शुल्क को ठेके की अवधि के दौरान मान्यता दी गई है, जिसमें अनुबंध के पक्षकारों ने लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व प्रस्तुत किए हैं।

vi. वाटर वेन्डिंग मशीनें

कम्पनी वाटर वेडिंग मशीनों के लिए लाइसेंन्सधारी के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही में है और मध्यस्थता के अंतरिम आदेश के अनुसार राजस्व को मान्यता प्रोदभवन के आधार पर वाटर वेडिंग मशीनों के शुरू होने की तिथि के आधार पर लाइसेन्सधारी के साथ एक क्लस्टर व्यवस्था के अन्तर्गत पहली वाटर वेन्डिंग मशीन के चालू होने की तिथि से राजस्व की तत्काल मान्यता दी गई है।

vii. टीडीआर सहित सावधि जमा राषियों पर ब्याज से आय

सावधि जमा टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

viii. ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस :–

विदेश व्यापार नीति–2009–2014 के अनुसार 'सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) के अन्तर्गत एक गैर हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस प्राप्त किया गया है। उक्त लाइसेंस का प्रयोग कुछ निर्धारित मदों के लिए सीमा और आयात शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अनुसार अब 'सर्वड फ्रॉम इंडिया' स्कीम को सर्विस एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम में बदल दिया है।

विदेश व्यापार नीति 2018–2020 के अन्तर्गत सर्विस 'एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया' (एसईआईएस) से जारी ड्यूटी बीजक बिना रोक टोक के हस्तांरणीय होगा और इंडिया स्कीम के अन्तर्गत निर्यात के लिए जारी बीजक को सीमाकर, उत्पाद शुल्क और सेवाकर के भुगतान हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

ड्यूटी क्रेडित पात्रता संबंधित विभाग से अनुमोदन के पश्चात प्राप्तियों में लेखा–जोखा रखा जाता है और लंबितों को आकस्मिक परिसम्पत्तियों के रूप में दिखाया जाता है।

थ) व्यय :–

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे जो कि निष्चित नहीं हैं, निष्चित हो जाने पर लेखा में लिए जाते हैं।

(i) रेलनीर–बोतल बंद पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :

व्यय को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :

व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) भुगतान किया गया खानपान प्रभार

(क) ऑनबोर्ड केटरिंग प्रभार :

ठेकेदार को भुगतान किए गए केटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस शुल्क :–

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय के निम्नलिखित अनुसार मान्यता/लेखा–जोखा किया गया है:

भुगतान की गई कन्सेशन शुल्क : ऑन बोर्ड केटरिंग ठेका के संबंध में भारतीय रेलवे को देय कन्सेशन शुल्क की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन शुल्क के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि गाड़ियों के लिए ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ी रद्द/समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार : फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जिस अवधि तक परियोजना परिचालन में है।

भुगतान की गई लाइसेंस शुल्क:

(क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है। जब तक कि परियोजना परिचालन में है।

ख) भारतीय रेल को देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

- **पर्यटन व्यय :**

  भारतीय रेल द्वारा ली जाने वाली टिकट की कीमत, अन्य प्रभार, यदि कोई हो, और विशेष गाड़ी/कोच चार्टर/ बर्थ बुक कराने पर सेवा प्रभारों की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

  पूरे टूर पैकेज और बौद्ध सर्किट विशेष गाड़ी के मामले में, भारतीय रेल द्वारा ली गई टिकट की कीमत, सेवा प्रभार अन्य प्रभार यदि कोई हो, सड़क यात्रा व्यय और आवास एवं भोजन प्रभार आदि की गणना की प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

द) पट्टों –

जहां कंपनी पट्टेदार है:

वित्त पट्टा

जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पट्टें पर हैं के सभी जोखिमों और स्वामित्व के प्रतिफलों को वस्तुतः हस्तांतरित कर दिए गए हैं, को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे पर ली गई संपत्ति के उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान

मूल्य पर जो भी कम हो, पट्टे की स्थापना पर वित्तीय पट्टों का पूंजीकरण किया जाता है। संबंधित किराये को दायित्वों, वित्त प्रभार का शुद्ध, उचित रूप में उधार या अन्य वित्तीय देनदारियों में शामिल हैं। प्रत्येक पट्टा भुगतान के दायित्वों और वित्त लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त लागत पट्टे की अवधि में लाभ या हानि के लिए प्रभारित किया जाता है, जब तक कि वह सीधे योग्य परिसंपत्ति के कारण नहीं हो, इस स्थिति में वे उधार लेने की लागत नीति के अनुसार पूंजीकृत होते हैं। आकस्मिक किराया उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। पट्टेदार संपत्ति परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के अनुसार मूल्यह्रास होता है।

परिचालन लीज

पट्टे पर जहां पट्टादाता अप्रभावी रूप से पट्टे की शर्तों में सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभ को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतानों को लाभ और हानि के विवरण में पट्टा अवधि में सीधे–रेखा के आधार पर खर्च के रूप में पहचाना जाता है, इसके अलावा, जहां लीज भुगतान अपेक्षाकृत सामान्य मुद्रास्फीति के साथ–साथ अपेक्षित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है।

जहां कंपनी पट्टादाता हैः

वित्त पट्टा

ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पट्टे पर है, व सभी जोखिमों और स्वामित्व के प्रतिफल हस्तांतरित कर दिए गए हैं को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों के अन्तर्गत पट्टों से प्राप्त राशि को कम्पनी के पट्टों से शुद्ध निवेश में प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधि के लिए आबंटित किया जाता है ताकि, पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिम्बित किया जा सके।

परिचालन पट्टा

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टों को परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के अधीन परिसम्पत्तियों में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत शामिल हैं, इसमें शामिल मूल्यह्रास को लाभ और हानि के विवरण में एक खर्चे के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। पट्टे की आय को लाभ और हानि के विवरणों में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय जहां पट्टा भुगतान अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए संरचित हैं।

ध) परिसम्पत्तियों की हानिः –

'परिसंपत्तियों की हानि' पर भारतीय लेखाकरण मानक 36 में नकदी अर्जित इकाइयों में परिसंपत्तियों की हानि के रूप में परिभाशित की पहचान तुलन–पत्र की तारीख में उपलब्ध रकम के साथ–साथ उसके बाद वसूली योग्य राशि और आस्तियों की हानि यदि कोई हो को लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्रदान की है। बाद में उलट जाने की जरूरत है, उत्क्रमण के वर्ष के लिए जिम्मेदार है। परिसम्पत्तियों की हानि यदि बाद में वापस की जाती है तो उसे वापिस वर्ष में लेखा में लिया जाता है।

न) उधार लागतः–

संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष और विशिष्ट उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। एक क्वालीफाइंग परिसंपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो उसके इच्छित उपयोग के लिए निर्धारित समय पर तैयार हो जाती है। अन्य सभी उधार की लागत उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसमें उन्हें खर्च किया है।

प) कर्मचारी लाभः –

(क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीने के भीतर पूरी तरह से देय सभी कर्मचारी लाभ अल्पावधि कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। लाभ, जैसे कि वेतन, मजदूरी, और अल्पकालिक मुआवजे की अनुपलब्धता आदि, उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभः

लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व, जैसे दीर्घकालिक मुआवजा अनुपलब्धता, अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी को उसी तरीके से मान्यता प्राप्त है, जैसा कि (ग) (ii) में उल्लिखित परिभाशित लाभ योजनाओं के मामले में है।

(ग) सेवा के पश्चात् के लाभ

(i) **परिभाषित योगदान योजनाः** कंपनी भविष्य निधि योजना में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्धारित योगदान प्रदान करती है। योजनाओं के तहत भुगतान/देय योगदान उस अवधि के दौरान पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) **परिभाषित लाभ योजनाः** कंपनी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का अधिकार इस शर्त पर की कर्मचारी सेवा में सेवानिवृत्ति की उम्र तक और न्यूनतम सेवा अवधि तक सेवा की है। परिभाशित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किए गए एक ही लेखा पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अनुमानित लागत रोजगार की अवधि में अर्जित की जाती है।

(iii) ग्रैच्युटी सेवा के पश्चात् परिभाशित लाभ योजना है। तुलनपत्र में देयताओं की पहचान पत्र की तारीख में परिभाशित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य का योजना संपत्तियों से घटाते हैं। परिभाशित लाभ दायित्व को परिलक्षित इकाई क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा गणना की जाती है।

(iv) परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में अभिज्ञ समायोजन और बीमांकिक अवधारणाओं में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न लाभ और हानि का पुर्नःमापन उन अन्य अवधियों में पहचाने जाते हैं। जिस अवधि में सीधे रूप से अन्य व्यापक आय में वे हुए हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में आय में शामिल रखा गया है।

(घ) विदेशी सेवा अंशदान के प्रति प्रावधान/देयताएं – पेंशन और छुट्टी वेतन, प्रतिनियुक्ति /डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए सरकारी नियमों और विनियमों के मामले में किए गए हैं और प्रोद्भवन के आधार पर लाभ या हानि के विवरण मं प्रभारित किए जाते है।

फ) वस्तुसूचियांः

(i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और षुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर (आईटीसी का षुद्ध, जहां कहीं लागू हो) षामिल होते हैं और वह फीफो के आधार पर घटित होता है।

(iii) तैयार माल और कार्य प्रगति पर है, में कच्चा माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निष्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथा लागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, षामिल है।

(iv) पैक्ड मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फीफो के आधार पर लागत या एनआरवी पर किया जाता है।

ब) कराधान :–

(क) वर्तमान आयकर : –

(i) करों में वर्तमान आयकर सहित कर लागू दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है।

(ii) टैक्स की दरें और कर कानून से जो राशि की गणना की जाती है वे उन देशों में रिपोर्टिंग की तिथि पर, जो अधिनियमित या वैध रूप से अधिनियमित होते हैं, जहां कंपनी चल रही है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।

(iii) वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर संपत्ति और देनदारियों से कर वसूल करने की अपेक्षा की गई राशि या कराधान प्राधिकरणों को भुगतान किया जाता है अतिरिक्त करों के लिए दायित्व, यदि कोई हो, कर निर्धारण पूरा होने पर दिया/भुगतान किया जाता है।

(iv) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

(ख) आस्थगित कर

कॉरपोरशन ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक–12 'आय कर' में जारी आस्थगित करों के अनुसार लेखाकरण किया है।

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति और देनदारियों को अस्थायी मतभेदों के लिए पहचाना जाता है जो कि अधिनियमित टैक्स दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है या रिपोर्टिंग तिथि पर वस्तुतः अधिनियमित किए गए हैं।

ii. आस्थिगित आयकर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यहां संभवत हैः कर योग्य लाभ कटौतियों अस्थाई अन्तर पर उपलब्ध होगा और उपयोग नहीं कर जमा आगे बढ़ा और उपयोग नहीं कर हानियों का उपयोग किया जाएगा।

iii. आस्थगित आयकर संपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह संभव नहीं है कि आस्थगित आय कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

भ) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण करने में, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ मानता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर डायल्युटिड आय का निर्धारण करने में, इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डायल्युटिड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित की जाती है।

म) अनुदान

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान देयताओं में आस्थगित आय के रूप में शामिल हैं और संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के लिए जमा किया जाता है और अन्य आय में रखा जाता है।

ii. राजस्व व्यय से संबंधित अनुदान संबंधित खर्चों में समायोजित किया जाता है। राजस्व और पूंजी अनुदान का अप्रयुक्त भाग दायित्व के रूप में दिखाया गया है।

iii. गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति के रूप में सरकारी अनुदान उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और तुलन–पत्र में अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके रखा जाता है।

य) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद समकक्ष में नकद और बैंक बैलेंस, चैक, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली मांग जमा, जो कि मूल्य में परिवर्तन और शद्ध बैंक ओवर ड्राफ्टों का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

कक) वित्तीय साधन : –

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय साधनों को अपने उचित मूल्य में अधिक या कम लेनदेन की लागत से मान्यता प्राप्त है जो कि प्रत्यक्ष अधिग्रहण या वित्तीय साधनों के जारी होने के कारण हो सकते हैं।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, अगर ये वित्तीय संपत्ति एक ऐसे व्यवसाय में प्रयोग होती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत शर्तों को निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उजागर करना है जो केवल पूरी तरह से मूलधन और मूलधन पर ब्याज के बकाया का भुगतान करना है। प्रभावी ब्याज दर विधि में कम हानि, यदि कोई हो, का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया गया है।

निम्नलिखित वित्तीय संपत्ति का परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है:–

(i) प्रतिभूति जमा

(ii) रिटेंशन मनी

(iii) नकद और नकद समकक्ष

(iv) अन्य वित्तीय साधनों के साथ समायोज्य अग्रिम

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाती हैं यदि ये वित्तीय संपत्ति एक ऐसे व्यवसाय में प्रयोग होती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तों दोनों के द्वारा निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह बनता है, को बकाया मूलधन और मूलधन पर ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधानों को पहले और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधियों अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, नुकसान हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पीएंडएल में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता हटाने संचयी लाभ या हानि को इक्विटी को पहले ओसीआई में मान्यता को पी एंड एल में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

फवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो कि वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में नहीं पूरा करती है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को परिलक्षित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफओवीटीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसी मानदंडों को पूरा करती है। यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर सकता है

एफ.वी.टी.पी.एल श्रेणी में शामिल वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें पीएंडडी के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन हैं।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देनदारियों, प्रतिभूति जमा, प्रतिदेय अग्रिम और रिटेंशन मनी को प्रदत्त परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं में शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया गया है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी भी वित्तीय देनदारियों को परिलक्षित नहीं किया है।

मान्यता हटाना

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी जोखिमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल है, को स्थानांतरित करता है।

वित्तीय दायित्व

जब देयताओं के अन्तर्गत दायित्व की बाध्यता खारिज या रद्द या समाप्त की जाती है तो वित्तीय देयता की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से हटाकर उसी ऋणदाता से बदल मौजूदा दायित्वों की शर्तों को काफी हद तक संशोधित करके बदल दिया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त माना जाता है और एक नई देयताओं के रूप में मान्यता में माना जाता है और नई देयता के मान्यता और संबंधित कैरिंग राशि में अंतर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करते हुए हानि भत्ते को मान्यता देती है जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य नहीं हैं। महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के साथ व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ईसीएल को 12–महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, जिस स्थिति में उन्हें जीवनकाल ईसीएल में मापा जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर नुकसान भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक ईसीएल (या उलट) की राशि को मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसे लाभ और हानि खाते के विवरण में हानि लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

खख) उचित मान मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या भुगतान करने के लिए भुगतान किया

जाता है। उचित मूल्य माप अनुमान पर आधारित है जो कि परिसंपत्ति को बेचने के लेन–देन या दायित्वों का स्थानांतरण निम्न हैं:–

- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, संपत्ति या दायित्व के लिए सबसे लाभप्रद बाजार

कंपनी को प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग संपत्ति या दायित्वों के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने उनके आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी वैल्यूएशन तकनीकों का उपयोग, करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनत्मक इनपुट के उपयोग को अधिकतम करके और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करते हैं।

परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए जो उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। निम्न स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार करते हैं जो सम्पूर्ण रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजित) बाजार मूल्य

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकों जिसके लिए न्यूनतम मूल्य इनपुट उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण सबसे कम स्तर का इनपुट अप्रभावी है।

परिसम्पत्तियों और देयताओं पर वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार में पहचाने जाते हैं, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण का क्या फिर से मूल्यांकन (निम्न स्तर इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए सम्पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है) अनुक्रम स्तरों के बीच प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया गया है

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में झुकाव का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के मुताबिक पुनः मापन या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी अनुबंधों और अन्य संबंधित दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में नवीनतम मूल्यांकन में प्रमुख लागू इनपुट का सत्यापन करके जानकारी को स्वीकार करने में करती है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि प्रासंगिक बाह्य स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन और देयता में परिवर्तन क्या उचित है।

उचित मूल्य प्रकटन के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों को प्रकृति, विशेशताओं और परिसंपत्तियों या दायित्वों के जोखिम और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर निर्धारित किया है जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।

गग) हाल ही की लेखाकरण घोषणा

मानक जारी किंतु प्रभावी नहीं

भारतीय लेखाकरण मानक 116 पट्टें

कम्पनी मामलों के मंत्रालय ने 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखाकरण मानक 116 पट्टों के लिए अधिसूचित किया था। मानक में मान्यता, माप, प्रस्तुतिकरण और पट्टों के प्रकटीकरण के लिए अतिरिक्त/नए सिद्धांतों को निर्धारित किया है। भारतीय लेखाकरण मानक 116 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टाधारी और पट्टेदार प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें जो ईमानदारी से उन लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता हो। नया पट्टा मानक सभी संस्थाओं के लिए लागू है और भारतीय लेखाकरण मानक के पिछले सभी मान्यता को हटाकर सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

भारतीय लेखाकरण मानक 116 की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी को 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष द्वारा मानक अपनाने की आवश्यकता है। कंपनी वर्तमान में भारतीय लेखाकरण मानक 116 पट्टों की आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

नोट– 3 सम्पत्ति, संयंत्रों और उपकरण

राशि (लाख रु. में)

विवरण	लीज़होल्ड लैण्ड	फ्रीहोल्ड लैण्ड	लीज़होल्ड भूमि पर फ्लैट	लीज़होल्ड सुधार	भवन फैक्ट्री लीज होल्ड	भवन कार्यालय लीज़ होल्ड	संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत लगाना एवं उपकरण	कम्प्यूटर	एयर कंडीशनर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं स्थापना	लग्ज़री पर्यटन गाड़ियां	कुल
सकल आगे बढ़ाई राशि														
31 अप्रैल 2017 को	**1,225.82**	**1,296.31**	**951.87**	**1,301.80**	**2,462.07**	**169.61**	**5,626.61**	**531.53**	**7,911.23**	**482.95**	**1,795.49**	**673.83**	**5,112.55**	**29,541.68**
जुड़ी	311.70	–	–	20.40	10.78	8.73	307.64	1.56	1,231.96	10.12	98.84	25.22	1.53	2,028.48
निपटान/समायोजन	28.92	435.74	–	139.75	–	–	115.18	–	975.17	11.99	262.62	135.22	4.42	2,109.01
31 मार्च 2018 को	**1,508.60**	**860.57**	**951.87**	**1,182.45**	**2,472.85**	**178.34**	**5,819.07**	**533.09**	**8,168.02**	**481.08**	**1,631.71**	**563.83**	**5,109.66**	**29,461.15**
जुड़ी	**122.98**	**–**	**–**	**568.60**	**–**	**3.54**	**330.22**	**3.89**	**351.79**	**12.66**	**135.32**	**59.16**	**21.24**	1,609.40
निपटान/समायोजन	**–**	**–**	**–**	**–**	**34.17**	**–**	**25.63**	**–**	**69.21**	**1.28**	**22.55**	**1.51**	**–**	154.35
31 मार्च 2019 को	**1,631.58**	**860.57**	**951.87**	**1,751.05**	**2,438.68**	**181.88**	**6,123.66**	**536.98**	**8,450.60**	**492.46**	**1,744.48**	**621.48**	**5,130.90**	**30,916.18**
संचित मूल्यह्रास और हानि														
01 अप्रैल 2017 को	**2.66**	**–**	**168.94**	**779.52**	**361.67**	**30.48**	**1,756.58**	**265.34**	**5,395.24**	**259.91**	**1,488.87**	**483.38**	**2,771.15**	**13,763.75**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	3.73	–	29.99	83.05	65.84	12.86	167.03	34.01	849.35	33.27	89.00	27.19	320.44	1,715.76
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
निपटान/समायोजन	–	–	–	132.57	–	–	109.75	–	952.19	11.07	244.69	128.97	3.52	1,582.76
31 मार्च 2018 को	**6.39**	**–**	**198.93**	**730.04**	**427.51**	**43.34**	**1,813.86**	**299.35**	**5,292.40**	**282.11**	**1,333.18**	**381.60**	**3,088.07**	**13,896.79**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	**5.18**	**–**	**29.99**	**92.74**	**66.00**	**13.10**	**915.91**	**34.32**	**805.34**	**30.35**	**80.38**	**28.44**	**318.41**	2,420.16
हानि														
निपटान/समायोजन	**–**	**–**	**–**	**20.99**	**–**	**–**	**18.75**	**–**	**48.75**	**0.84**	**15.07**	**1.27**	**–**	105.67
31 मार्च 2019 को	**11.57**	**–**	**228.92**	**801.79**	**493.51**	**56.44**	**2,711.02**	**333.67**	**6,048.99**	**311.62**	**1,398.49**	**408.77**	**3,406.48**	**16,211.28**
शुद्ध आगे बढ़ी कीमत														
31 मार्च 2019 को	**1,620.01**	**860.57**	**722.95**	**949.26**	**1,945.17**	**125.45**	**3,412.64**	**203.31**	**2,401.61**	**180.84**	**345.99**	**212.71**	**1,724.41**	**14,704.91**
31 मार्च 2018 को	**1,502.21**	**860.57**	**752.94**	**452.41**	**2,045.34**	**135.01**	**4,005.21**	**233.74**	**2,875.62**	**198.97**	**298.53**	**182.23**	**2,021.58**	**15,564.37**

नोट : 3.1 कम्पनी ने वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान एक पैन इण्डिया लग्ज़री पर्यटन गाड़ी को अधिग्रहण किया जिसका कुल लागत 5,046.57 लाख रु. थी। पर्यटन मंत्रालय ने 1,237 लाख रु. की सब्सिडी दी जिसे आस्थगित अनुदान में मान्यता दी गई और मूल्यह्रास के अनुपात को किश्तों में चुकता किया गया।

नोट सं. 4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि (लाख रु. में)

विवरण	रेल नीर संयंत्र, विजयवाडा (ए.पी.)	कॉरपोरेट कार्यालय, गुरूग्राम	रेल नीर संयंत्र संक्रेल	रेल नीर संयंत्र, भूसावल (महाराष्ट्र)	रेल नीर संयंत्र, मसूरी/हापुड़	रेल नीर संयंत्र, सनद	रेल नीर संयंत्र, मनदीप	अन्य	रेल नीर संयंत्र– ऊना (हि.प्र.)	रेल नीर संयंत्र जबलपुर	रेल नीर संयंत्र जागी रोड (गुना)	रेल नीर संयंत्र, नागपुर (महाराष्ट्र)	कुल
1 अप्रैल 2017 को अथशेष	–	1,536.56	–	–	–	–	–	146.36	–	–	–	–	1,682.92
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	56.00	760.34	197.77	–	282.84	–	176.27	18.53	–	–	–	–	1,491.75
समायोजन	–	2,296.90	–	–	–	–	–	112.51	–	–	–	–	2,409.41
1 मार्च 2018 को अथशेष	**56.00**	**–**	**197.77**	**–**	**282.84**	**–**	**176.27**	**52.38**	**–**	**–**	**–**	**–**	**765.26**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	–	–	383.99	130.14	598.18	671.92	547.61	176.43	42.00	284.03	488.51	14.50	3,337.30
समायोजन	56.00	–	–	–	–	–	–	8.85	–	–	–	–	64.85
31 मार्च 2019 को अथशेष	**–**	**–**	**581.76**	**130.14**	**881.02**	**671.92**	**723.88**	**219.96**	**42.00**	**284.03**	**488.51**	**14.50**	**4,037.71**

नोट :– 4.1 (i) रेल नीर संयंत्रों के अलावा रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों में किए गए सिविल कार्य के व्यय को लीज़ में सुधार के रूप में माना गया है और इसमें 10 साल की अवधि में मूल्यहरास हुआ है।

(ii) रेलवे की भूमि पर 30 वर्ष की अवधि के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण लीज़ पर किया गया है और उसी अवधि में मूल्यहरास हुआ है।

नोट :– 4.2 आईआरसीटीसी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ में रेल नीर संयंत्रों की स्थापना के लिए रेलवे से भूमि लीज पर ली है, जिसकी लीज़ अवधि रेलवे के प्राधिकारियों ने द्वारा तय नहीं की गई। रेलवे की नीति के अनुसार लीज़ की अधिकतम समय सीमा 35 वर्ष तक हो सकती है जो कि आगे 35 वर्ष के लिए नवीकरणीय होगी। नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ में रेल नीर संयंत्रों की बिल्ड़िंगों का मूल्यह्रास को सीधे रूप में वित्तीय पॉलिसी का निरंतर पालन किया है। आईआरसीटीसी ने रेलवे द्वारा प्रदान की गई लीज़ की अधिकतम समयसीमा की पुष्टि के लिए रेलवे को लिखा है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

नोट :– 4.3 वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान निगम ने सीडब्ल्यूआईपी से निवेश सम्पत्ति 2,296.90 स्थानांतरित किए गए हैं!

नोटः– 5 – निवेश सम्पत्ति

राशि (लाख रु. में)

विवरण	गुड़गांव में भूमि	गुड़गांव में निर्माणाधीन भवन	निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष	–	–	–
वर्ष के दौरान जोड़	464.66	2,296.90	**2,761.56**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2018 को अथशेष	**464.66**	**2,296.90**	**2,761.56**
वर्ष के दौरान जोड़	–	29.15	**29.15**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2019 को इतिशेष	**464.66**	**2,326.05**	**2,790.71**
परिशोधन और हानि			
01 अप्रैल 2017 को अथशेष	–	–	–
वर्ष के दौरान परिशोधन	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2018 को इतिशेष	–	–	–
वर्ष के दौरान परिशोधन	–	25.12	25.12
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2019 को इतिशेष	–	**25.12**	**25.12**
शुद्ध आगे बढ़ाई वेल्यू			
31 मार्च 2019 को	**464.66**	**2,300.93**	**2,765.59**
31 मार्च 2018 को	**464.66**	**2,296.90**	**2,761.56**
01 अप्रैल 2017 को	–	–	–

नोटः 5.1 — 31 मार्च, 2019 को निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 7457.00 लाख रुपये है, जो एक मौजूदा बाजार दरों को अपनाने के द्वारा मूल्यवान भूमि और भवन विधि के आधार पर पंजीकृत है।

नोट - 5ए - अमूर्त परिसम्पत्तियां

राशि (लाख रु. में)

विवरण	सॉफटवेयर	लाइसेन्स	कुल
01 अप्रैल 2017 को इतिशेष	**2,836.81**	**1,382.89**	**4,219.70**
वर्ष के दौरान जोड़	44.83	–	44.83
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	54.23	8.53	62.76
31 मार्च 2018 को इतिशेष	**2,827.41**	**1,374.36**	**4,201.77**
वर्ष के दौरान जोड़	**446.37**	**70.71**	517.08
वर्ष के दौरान /निपटान समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2019 को इतिशेष	**3,273.78**	**1,445.07**	**4,718.85**
परिशोधन और हानि			
01 अप्रैल 2017 को इतिशेष	**1,603.22**	**1,354.55**	**2,957.77**
वर्ष के दौरान परिशोधन	639.96	10.39	650.35
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-54.22	-8.53	-62.75
31 मार्च 2018 को इतिशेष	**2,188.95**	**1,356.41**	**3,545.37**
वर्ष के दौरान परिशोधन	**407.36**	**11.31**	418.67
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2019 को इतिशेष	**2,596.32**	**1,367.72**	**3,964.05**
शुद्ध आगे बढ़ाई वेल्यू			
31 मार्च 2019 को	**677.45**	**77.35**	**754.80**
31 मार्च 2018 को	**638.45**	**17.95**	**656.39**
01 अप्रैल 2017 को	**1,233.59**	**28.34**	**1,261.92**

नोटः– 6 वित्तीय परिसम्पत्तियां – अप्रचलित

नोटः– 6.1 अप्रचलित निवेश

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
क. संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों पर निवेश		
रॉयल इण्डियन रेल टूअर्स लि. के प्रत्येक 10/–रू. 25,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को 25,00,000 10/– रू. प्रत्येक इक्विटी शेयर)	250.00	250.00
घटाएं : निवेश के मूल्य में हानि	(250.00)	(250.00)
ख. अन्य निवेश		
एनएससी 8वें इश्यू पर निवेश	0.20	0.20
जोड़ें : उपार्जित ब्याज	0.12	0.12
कुल निवेश	**0.32**	**0.32**

नोटः– 6.1 क – कुल अप्रचलित निवेश

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
बिना निवेश वाले निवेश की कुल राशि	250.00	250.00
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	(250.00)	(250.00)
निवेश का कुल उचित मूलय	–	–

नोटः–6.2 ऋण

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
प्रतिभूति जमा	239.17	205.88
कुल	**239.17**	**205.88**

नोटः– 6.3 अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसम्पत्तियां

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
परिपक्वता के लिए 12 महीने से अधिक सावधि जमा जो मार्जिन मुद्रा या उधार प्रतिभूति गारंटी या अन्य जिम्मेदारी और बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी ली गई	8.06	96.65
कुल	**8.06**	**96.65**

नोटः– 7 आस्थगित कर

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को	31मार्च 2017 को
क. आस्थगित कर देयताएं			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	777.38	1,011.01	1,038.16
आस्थगित कर देयताओं का योग	**777.38**	**1,011.01**	**1,038.16**
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां			
कर्मचारी लाभ	2,093.65	2,136.88	2,740.45
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	–	–	–
संदिग्ध कर्ज	2,979.54	1,354.71	1,353.63
संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	3,788.83	3,795.17	3,780.98
निवेश	87.36	86.52	86.52
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	**8,949.38**	**7,373.28**	**7,961.58**
शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पतियों	**8,171.99**	**6,362.27**	**6,923.41**

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों / (देयताओं) का संचलन राशि (लाख रु. में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ	संदिग्ध ऋण	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	कुल
1 अप्रैल 2017 को अथशेष	**(1,038.16)**	**2,740.45**	**1,353.63**	**3,780.98**	**86.52**	**6,923.41**
वर्ष 2017–18 के दौरान प्रभारित / (जमा)						
लाभ एवं हानि के लिए	27.15	(384.56)	1.08	14.19	–	**(342.14)**
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(219.01)	–	–	–	**(219.01)**
31 मार्च 2018 को इतिशेष	**(1,011.01)**	**2,136.88**	**1,354.71**	**3,795.17**	**86.52**	**6,362.27**
वर्ष 2018–19 के दौरान प्रभारित / (जमा)						
लाभ एवं हानि के लिए	233.63	(29.26)	1,624.83	(6.34)	0.84	**1,823.70**
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(13.97)	–	–	–	**(13.97)**
31 मार्च 2019 को इतिशेष	**(777.38)**	**2,093.65**	**2,979.54**	**3,788.83**	**87.36**	**8,171.99**

नोट :- 8 - अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियां

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
क) अग्रिम पूंजी		
फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए (संदर्भ नोट :– 57) भारतीय रेल को अग्रिम पूंजी	211.43	211.43
फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए (संदर्भ नोट :– 57) रेल विकास निगम लिमिटेड को अग्रिम पूंजी	780.00	342.00
फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए (संदर्भ नोट :– 57) एयर इण्डिया को अग्रिम पूंजी	653.00	–
भुवनेश्वर में बजट होटल की भूमि के लिए अग्रिम पूंजी	61.48	61.48
ख. अन्य		
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा	574.72	567.83
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	6.57	19.78
कुल	**2,287.20**	**1,202.52**

*यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 9 - सूची

(जैसा कि लिया गया, मूल्य और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित) राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
कच्चा माल	329.99	296.36
कार्य प्रगति पर	64.55	59.54
तैयार माल	377.53	366.33
व्यापार माल – पैक्ड (पीडी) मदें	16.80	18.37
लागत के निचले स्तर पर कुल सूची और शुद्ध वसूली मूल्य	**788.87**	**740.60**

नोट :- 10 - वित्तीय परिसम्पत्तियां

नोट : 10.1 व्यापार प्राप्तियां

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
उचित समझा असुरक्षित	55,652.64	51,430.02
उधार जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी	10,971.44	7,514.35
घटाएः अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(8,450.64)	(3,851.97)
कुल व्यापार प्राप्तियां	**58,173.44**	**55,092.40**

नोट :- 10.2 - नकद और नकद समकक्ष

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
नकदी हस्ते	33.88	55.61
चैक/ड्राफ्ट हस्ते	41.07	8,090.93
बैक में अधिशेष		
–चालू खाते में	43,772.73	30,978.92
–फ्लेक्सी चालू खाते में	2,159.27	10,190.43
कुल	**46,006.95**	**49,315.89**

नोट :- 10.3 - नकद और नकद के समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अधिशेष

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
परिपक्वता के लिए तीन महीने या उससे अधिक परंतु 12 महीने से कम सावधि जमा (संदर्भ नोट 55)	67,842.74	33,836.02
बैंक गारंटी के लिए मार्जिन राशि	153.86	235.34
कुल	**67,996.60**	**34,071.36**

नोट :- 10.4 - ऋण

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
प्रतिभूति जमा	835.15	898.62
कुल	**835.15**	**898.62**

नोट :- 10.5 - अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
प्रोद्भुत ब्याज परंतु सावधि और फिक्स जमाओं पर देय नहीं	3,100.12	1,421.09
अन्य अग्रिम एवं प्राप्तियां	372.88	285.45
कुल	**3,473.00**	**1,706.54**

नोट :- 11- :– अन्य प्रचलित कर परिसम्पत्तियां

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 को
आयकर वापसी	1,008.46	391.47
आयकर के लिए प्रावधान (टीडीएस एवं अग्रिम कर का शुद्ध)	–	436.74
कुल	**1,008.46**	**828.21**

नोट :- 12 - अन्य प्रचलित परिसम्पत्तियां

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 का
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य अग्रिम	2,998.08	1,998.94
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(75.98)	(62.48)
सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष	3,722.36	3,764.86
रेलवे के पास जमा अन्य	39,354.67	53,753.10
''सर्वड फरोम इंडिया स्कीम'' के तहत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स	–	2.61
अन्य		
प्रदत्त व्यय*	1,572.75	263.75
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन**	18.06	16.15
कुल	**47,589.94**	**59,736.93**

* लाइसेन्सी से एकत्रित अग्रिम लाइसेन्स शुल्क में रेलवे शेयर शामिल हैं।

***यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 13 - इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31मार्च 2018 का
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक 10 रू. मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर	25,000.00	5,000.00
(31 मार्च 2018 प्रत्येक 10 रू. की दर से 5,00,00,000 शेयर)	25,000.00	5,000.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10 रू. मूल्य के 16,00,00,000 इक्विटी शेयर	16,000.00	4,000.00
(31 मार्च 2018 एवं प्रत्येक 10 रू. की दर से 4,00,00,000 शेयर)		
	16,000.00	4,000.00

नोट :- 13.1 - इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयरपूंजी का समाधान

	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्या लाखों में	राशि (लाख रु. में)	शेयरों की संख्या लाखों में	राशि (लाख रु. में)
जारी सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के प्रारंभ में बकाया	400.00	4,000.00	400.00	4,000.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (बोनस)	1,200.00	1,200.00	–	–
जारी/सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के अंत में बकाया	**1,600.00**	**16,000.00**	**400.00**	**4,000.00**

नोट 13.2 - शेयरों से संबंधित अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध

कम्पनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10 रू. प्रतिशेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रतिशेयर के बदले एक मतदान का अधिकार है। अंतरिम लाभांश को छोड़कर, बोर्ड के निदशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर अनुमोदन आगामी आम सभा की बैठक में लिया जाना है। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं हैं, अतः तरलता की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्ति को प्राप्त करने की पात्रता है।

नोट :- 13.3

कम्पनी में संकलित शेयर के 5 प्रतिशत से अधिक के हिस्से के शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण

राशि (लाख रु. में)

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्या लाखों में	होल्डिंग का %	शेयरों की संख्या लाखों में	होल्डिंग का %
इक्विटी शेयर				
रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं इसके नामित	1,600.00	100%	400.00	100%
कुल	**1,600.00**	**100%**	**400.00**	**100%**

नोट :- 13.4

पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरी तरह से बोनस के माध्यम से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	1,200.00	–	200.00	–	–
कुल	**1,200.00**	**–**	**200.00**	**–**	**–**

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
नोट :- 14		
अन्य इक्विटी		
सामान्य आरक्षित	45,491.70	41,991.70
प्रतिधारित आय	45,210.18	48,545.16
कुल	**90,701.88**	**90,536.86**
नोट :- 14.1		
सामान्य आरक्षित		
अथशेष	41,991.70	38,491.70
जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	3,500.00	3,500.00
इतिशेष	**45,491.70**	**41,991.70**
नोट :- 14.2		
प्रतिधारित आय		
अथशेष	48,545.16	35,358.45
घटाएंः भारतीय मानक लेखा मानक – 115	(514.24)	–
जोड़ें: लाभ एवं हानि के विवरण के अन्तरण के दौरान लाभ	30,592.99	21,951.95
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व शुद्ध के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय के कारण प्रभाव	26.01	413.82
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(14,880.92)	(4,718.49)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश कर का भुगतान	(3,058.82)	(960.57)
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	(3,500.00)	(3,500.00)
	57,210.18	48,545.16
घटाएंः जारी बोनस शेयर	(12,000.00)	–
इतिशेष	**45,210.18**	**48,545.16**

प्रस्तावित और वितरित किय गया राशि (लाख रु. में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
इक्विटी शेयरों पर घोषित और भुगतान किया गया नकद लाभांश		
वर्ष 2018–19 के दौरान अंतिम लाभांश : 22.24 रू. प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 11.80 प्रति शेयर)	8,880.92	4,718.49
वर्ष के दौरान चुकाया गया अंतरिम लाभांश (वित्त वर्ष 2018–19 3:75 रू. प्रति शेयर	6,000.00	–
अन्तिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	3,058.82	960.57
	17,939.74	**5,679.06**
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश*		
31 मार्च 2019 को लाभांश 8.62 रू. प्रति शेयर (31 मार्च 2018 को 22.24 रू. प्रतिशेयर)	12,237.19	8,880.92
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	2,515.39	1,807.98
	14,752.59	**10,688.90**

*इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) शेयरधारकों के द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है और इसे 31 मार्च 2019 तक उत्तरदायी नहीं माना गया है।

नोट :- 15 वित्तीय देयताएं – अप्रचलित राशि (लाख रु. में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
नोट :- 15.1		
अन्य		
प्रतिभूति जमा	1,472.24	2,423.18
कुल	**1,472.24**	**2,423.18**
नोट :- 16		
प्रावधान – अप्रचलित		
कर्मचारी लाभांश के लिए प्रावधान		
सेवानिवृत्ति लाभ (संदर्भ नोट :–42)	4,616.09	5,846.98
कुल	**4,616.09**	**5,846.98**
नोट : - 17		
अन्य अप्रचलित देयताएं		
आस्थगित अनुदान	275.54	371.90
प्रतिभूति जमा का स्थगित भाग*	305.47	321.55
कुल	**581.01**	**693.45**

* यह आरंभिक मान्यता और व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के अंतर के बीच परिशोधन के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 18 वित्तीय देयताएं–प्रचलित

नोट :- 18.1 व्यापार देय

एमएसएमई (नोट सं. 66 देखें) को देय	0.00	86.15
अन्य को देय		
माल के लिए	2,871.07	2,241.00
सेवा के लिए	16,221.17	12,755.45
कुल	**19,092.24**	**15,082.60**

नोट :- 18.2

अन्य वित्तीय देयताएं

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्रतिभूति जमा	11,008.62	8,549.53
बयाना राशि जमा	2,469.49	1,944.32
इंटरनेट टिकटिंग के लिए वापसी योग्य	1,733.94	1,311.05
अन्य को देय के लिए – खर्चे का प्रावधान	41,713.02	36,722.58
अग्रिम लीज़ किराया	1,741.50	1,741.50
अग्रिम धन वापसी योग्य (राज्य तीर्थ)	2,076.35	801.08
कुल	**60,742.92**	**51,070.06**

नोट : - 19

अन्य प्रचलित देयताएं

क) अग्रिम में प्राप्त आय		
असमाप्त छूट शुल्क	657.25	1.87
असमाप्त लाइसेन्स शुल्क	11,313.73	16,622.72
असमाप्त उपभोक्ता प्रभार	39.60	38.63
अग्रिम प्राप्त	7,140.02	4,903.41
	19,150.60	21,566.63
ख) अन्य		
रॉलिंग जमा	25,886.51	22,720.66
वैट के लिए प्रावधान (सेवा कर का शुद्ध) (संदर्भ नोट :– 37.4)	8,251.01	8,251.01
देय कर (वैधानिक देयताएं)	2,591.56	2,591.56
प्रतिभूति जमा का आस्थगित भाग*	115.77	151.80
वैधानिक बकाया	5,623.84	4,647.09
आस्थगित अनुदान	96.36	96.36
कुल	**61,715.65**	**60,025.11**

* यह आरंभिक मान्यता और व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के अंतर के बीच परिशोधन के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट : - 20

प्रावधान–प्रचलित

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (संदर्भ नोट :–42)	1375.34	327.54
कुल	**1,375.34**	**327.54**

नोट : - 21

प्रचलित कर देयताएं

आयकर के लिए प्रावधान (शुद्ध अग्रिमकर और टीडीएस)	2,544.79	–
आयकर के लिए प्रावधान (शुद्ध अग्रिमकर और टीडीएस)	**2,544.79**	**–**

नोट :- 22 - परिचालन से राजस्व

राशि (लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)				
रेलनीर (पैक किया हुआ पीने का पानी)	17,202.28		16,225.25	
विभागीय खानपान				
–फूड एंड बेवरेज की बिक्री	2,952.94		26,443.99	
गैर–रेलवे व्यवसाय				
–खानपान से आय	552.52		866.98	
–अन्य सेवाओं से आय	13.00		2.26	
	20,720.74		**43,538.48**	
कुल–उत्पादों की बिक्री		**20,720.74**		**43,538.48**
ख. सेवा की बिक्री				
i) इंटरनेट टिकटिंग				
कॉल सेन्टर – लाइसेन्स शुल्क से आय	21.17		135.24	
प्रचार से प्राप्त आय/एसबीआई को–ब्रैन्डिड एवं लॉयल्टी कार्ड्स	9,923.77		10,280.37	
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे इत्यादि से प्राप्त आय	4,399.09		1,240.10	
भारतीय रेल– अर्जित सेवा प्रभार	5.85		5.54	
सेवा प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति (संदर्भ सं. 58)	8,800.00		8,000.00	
(क)	**23,149.88**		**19,661.25**	
ii) लाइसेन्स खानपान सेवाएं से आय				
प्रदान की गई व्यापक सेवाओं और खानपान से आय राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान एवं अन्य सेवाएं	51,613.15		16,782.74	
कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क इत्यादि से आय				
कंसेशन शुल्क से आय	2,604.52		377.32	
लाइसेन्स शुल्क से आय	38,203.33		21,620.00	
उपभोक्ता प्रभार से आय–फूड प्लाजा	51.50		88.93	
लाइसेन्स शुल्क से आय–फूड प्लाजा (संदर्भ नोट सं. 56)	6,389.59		5,207.57	
(ख)	**98,862.09**		**44,076.55**	
iii) पर्यटन				
यात्रा एवं पर्यटन राजस्व	38,017.61		35,025.63	
उपभोक्ता प्रभार से आय–रेल यात्री निवास	141.03		131.80	
लाइसेन्स शुल्क से आय–रेल यात्री निवास	389.96		169.72	
महाराजा एक्सप्रेस – राजस्व	5,382.75		4,381.92	
(ग)	**43,931.35**		**39,709.07**	
कुल– सेवा की बिक्री (क+ख+ग)		**165,943.32**		**103,446.87**
अन्य परिचालन आय				
स्क्रैप बिक्री – रेल नीर	40.62		28.33	
स्क्रैप बिक्री – विभागीय खानपान	12.83		1.59	
स्क्रैप बिक्री – गैर – रेलवे खानपान	0.89		0.37	
लाइसेन्स फी – रेल नीर	105.17		101.09	
	159.51		**131.38**	
		159.51		**131.38**
परिचालन से राजस्व (सकल)		**186,823.57**		**147,116.73**

नोट :- 23 - अन्य आय

राशि (लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज आय					
एफडीआर एवं टीडीआर पर ब्याज से आय (सकल)		5,088.18		4,568.12	
ब्याज आय – अन्य		107.29		7.41	
मुचुअल फंड से लाभांश आय		637.28		388.89	
	(क)	**5,832.75**		**4,964.42**	
अन्य गैर – परिचालनिक आय					
काऊन्टरमेंन्डिंग प्रभार एवं जमा प्रतिभूति जब्त		29.10		232.34	
संविदाओं को जब्त करने पर अर्जित आय		13.43		16.92	
निविदा फॉर्म की बिक्री		3.11		5.81	
विदेशी मुद्रा के उतार–चढाव से आय		–		2.11	
पूंजी अनुदान की ऋण मुक्ति		96.36		96.36	
आस्थगित प्रतिभूति जमा – देयता से ऋणमुक्ति से आय		160.48		307.12	
प्रतिभूति जमा पर छूट हटाने से ब्याज आय		18.39		17.91	
ठेकों पर जुर्माना/दण्ड से प्राप्त आय		1,103.85		986.65	
''सर्वड फरोम इण्डिया'' के तहत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स के अन्तर्गत आय		98.84		72.82	
यात्रा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति		1,068.00		–	
विविध आय		453.38		655.46	
	(ख)	**3,044.94**		**2,393.50**	
कुल	(क+ख)		**8,877.69**		**7,357.92**

नोट :- 24
उपयोग की गई सामग्री की लागत

रेल नीर (बोतल बंद पीने का पानी)					
अथशेष स्टॉक		254.94		189.30	
जोड़े : खरीद और खर्च		7,762.28		7,397.29	
		8,017.22		**7,586.59**	
घटाए : इतिशेष स्टॉक		263.46		254.94	
	(क)	**7,753.76**		**7,331.65**	
खानपान					
अथशेष स्टॉक		41.43		51.08	
जोड़ें : खरीद और व्यय		1,602.46		2,188.04	
		1,643.89		2,239.12	
घटाएं : इतिशेष स्टॉक		66.52		41.43	
	(ख)	**1,577.37**		**2,197.69**	
कुल	(क+ख)		**9,331.13**		**9,529.34**

नोट :- 25 - स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
पैक्ड/तैयार भोजन का पुनः बिक्री के लिए खरीद	2,829.38		15,460.49	
खरीद – गैर – रेलवे खानपान	265.69		344.52	
	3,095.07		15,805.01	
कुल		**3,095.07**		**15,805.01**

नोट :- 26
तैयार सामान की वस्तु सूची में बदलाव, कार्यप्रगति और व्यापार के लिए स्टॉक

रेल नीर (बोतलबंद पीने का पानी)				
अथशेष स्टॉक	356.51		272.51	
कार्य प्रगति पर	59.54		59.44	
	416.05		**331.95**	
इतिशेष स्टॉक				
तैयार माल	358.97		356.51	
कार्य प्रगति पर	64.55		59.54	
कुल	**423.52**	**(7.47)**	**416.05**	**(84.10)**
विभागीय खानपान				
अथशेष स्टॉक				
तैयार माल	2.22		7.08	
पैक्ड मदें	17.05		65.08	
इतिशेष स्टॉक	**19.27**		**72.16**	
तैयार माल	1.40		2.22	
पैक्ड मदे	16.80		17.05	
	18.20		**19.27**	
		1.07		**52.89**
महाराजा एक्सप्रेस				
अथशेष स्टॉक				
तैयार माल	8.93		13.58	
इतिशेष स्टॉक				
तैयार माल	**17.15**	**(8.22)**	**8.93**	**4.65**
तैयार माल में (कमी)/वृद्धि		**(14.62)**		**(26.56)**

नोट :- 27- लाइसेन्स खानपान सेवाओं का खर्च

प्रदान की गई व्यापक सेवाएं और खानपान सेवाओं का खर्च				
ऑनबोर्ड खानपान एवं अन्य प्रभार – राजधानी एवं शताब्दी/प्रीमीयम गाड़ियां	44,822.15		15,157.97	
	44,822.15		**15,157.97**	
कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क इत्यादि खर्च				
कंसेशन शुल्क	1,041.82		150.93	
लाइसेन्स शुल्क	14,728.74		5,823.51	
उपभोक्ता प्रभार – फूड प्लाजा	20.60		35.57	
लाइसेन्स शुल्क –फूड प्लाजा	2,555.84		2,097.75	
रेलवे भूमि का लाइसेन्स शुल्क – फूड प्लाजा	22.40		0.85	
	18,369.40		**8,108.61**	
		63,191.55		**23,266.58**

नोट :- 28 - पर्यटन के खर्च

राशि (लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
यात्रा एवं पर्यटन खर्च		26,975.77		26,293.46	
लाइसेन्स शुल्क – रेल यात्री निवास		155.99		62.20	
उपभोक्त प्रभार – रेल यात्री निवास		56.41		58.41	
रेलवे भूमि का लाइसेन्स शुल्क का भुगतान–रेल यात्री निवास		0.04		0.04	
मरम्मत एवं अन्य प्रभार		284.95		369.13	
महाराजा एक्सप्रेस के खर्च		3,427.65		3,737.18	
		30,900.81		**30,520.42**	
			30,900.81		**30,520.42**

नोट :- 29 - विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष कर

विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
रेल नीर (बोतलबंद पीने का पानी)					
– प्रचालन एवं रखरखव प्रभार		1,414.47		1,173.93	
– लाइसेन्स शुल्क रेलवे भूमि		222.21		199.58	
– विद्युत एवं ईंधन		983.82		826.96	
– रख–रखाव एवं मरम्मत–संयंत्र एवं मशीनरी		23.03		84.81	
– रख–रखाव एवं मरम्मत–अन्य		101.69		73.93	
– अन्य प्रत्यक्ष खर्च		11.80		58.43	
	(क)	**2,757.02**		**2,417.64**	
विभागीय खानपान					
– आगत लदान और उतरान भाड़ा –खानपान		116.02		58.85	
– भोजन निरीक्षण खर्च		52.06		8.33	
– ईंधन		112.71		237.14	
– ऑनबोर्ड सेवा प्रभार		–		744.04	
– अन्य प्रत्यक्ष खर्च		195.93		80.62	
	(ख)	**476.72**		**1,128.98**	
इंटरनेट टिकटिंग					
– रख–रखाव एवं अन्य प्रभार		2,486.52		2,853.88	
– रद्दीकरण प्रभार		21.29		7.26	
– रेलवे शेयर (नोट सं.–56 में उल्लेख)		2.93		2.77	
– इंटरनेट उपयोग प्रभार		95.63		108.69	
– मैसेजों पर खर्च		286.43		195.30	
	(ग)	**2,892.80**		**3,167.90**	
कुल	**(क+ख+ग)**		**6,126.54**		**6,714.52**

नोट :- 30 - कर्मचारी हित खर्च

विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारी हित खर्च					
वेतन, मजदूरी एवं बोनस		16,735.35		15,236.32	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		2,203.61		2,611.92	
उपादान	463.52		1,302.48		
कर्मचारी कल्याण खर्च		103.32		64.43	
		19,505.80		**19,215.15**	
			19,505.80		**19,215.15**

नोट :- 31 - वित्तीय लागत

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज खर्च	0.23		4.27	
प्रतिभूति जमा पर छूट की अनदेखी	234.63		286.49	
	234.86		**290.76**	
		234.86		**290.76**

नोट :- 32
मूल्सह्रास एवं ऋणमुक्ति लागत

मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (संदर्भ नोट–3 एवं 5)	2,445.29		1,715.76	
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (संदर्भ नोट–5ए)	418.67		650.35	
	2,863.96		**2,366.11**	
		2,863.96		**2,366.11**

नोट :- 33 - अन्य निवेश

विद्युत एवं पानी	330.97	266.64
कार्यालय किराया	1,224.33	2,499.61
कर्त्तव्य, दरें और कर	34.31	46.37
मरम्मत एवं अन्य	911.56	956.68
बीमा	41.50	36.37
यात्रा खर्च	858.71	690.06
वाहन खर्च	209.92	188.80
निदेशक बैठक शुल्क	14.85	8.41
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट सं. 33.1 देखें)	11.65	14.25
लागत लेखा परीक्षा शुल्क	2.75	2.75
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	7.84	4.42
विधि एवं व्यावसायिक शुल्क	696.18	294.94
सम्प्रेषण खर्च	179.52	202.46
ग्राहक संतुष्ट सर्वे पर खर्च	285.77	272.03
माल जावक एवं सीएफए प्रभार	3,221.36	2,647.14
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व	688.30	553.26
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	106.20	110.87
डिजीटलीकरण व्यय (यात्रा बीमा)	927.57	2,387.61
विज्ञापन खर्च	438.79	527.00
व्यवसाय विकास/विपणन व्यय	932.22	223.87
वेन्डर कमिशन	64.08	293.27
एमएसएमई पर ब्याज	–	8.22
सुरक्षा खर्च	240.79	229.10
विदेशी विनिमय उतार चढाव से लाभ	7.87	–
स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री से घाटा	14.54	40.65
संदिग्ध एवं अग्रिम ऋणों के लिए प्रावधान	4,612.16	–
विविध खर्च	548.90	478.70
कुल	**16,612.64**	**12,983.48**

नोट :- 33.1 - लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षाकों को लेखा परीक्षक के रूप में भुगतान का विवरण		
ऑडिट शुल्क	7.70	7.15
ऑडिट शुल्क कर	2.75	2.48
अन्य क्षमता में		
कम्पनी के कानूनी मामले	–	–
व्यय की प्रतिपूर्ति	1.20	4.62
कुल	**11.65**	**14.25**

नोट :- 33 - आपवादिक मदें

अतिरिक्त बकाया लिखित प्रावधान	107.12	524.57
यात्रा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति*	3,632.00	–
कुल	**3,739.12**	**524.57**

* वित्त वर्ष 16–17 और 17–18 के लिए यात्रा बीमा प्रीमियम रेलवे यात्रियों को बीमा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे से प्राप्त दावे का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 34 - आयकर खर्च

प्रचलित आयकर :		
प्रचलित आयकर प्रभार	18,823.35	11,603.63
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	(1,823.70)	342.14
कुल	**16,999.65**	**11,945.77**
अन्य व्यापक आय में आयकर खर्च		
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	13.97	219.01
	13.97	**219.01**
कर व्यय और लेखा लाभ के बीच समाधानः		
निरंतर परिचालन से कर पूर्व लेखा लाभ	47,632.62	34,530.54
कर पूर्व लेखा लाभ	**47,632.62**	**34,530.54**
भारत की सांविधिक आय कर दर 34.944 %	16,644.74	11,950.33
कर योग्य आय की गणना कटौती योग्य नहीं (कर योग्य) में कर योग्य राशि का प्रभाव		
जोड़ें : भारतीय मानक लेखाकरण में आयकर में समायोजन की अनुमति नहीं है	230.21	(7.10)
देरी से कर जमा कराने पर ब्याज का भुगतान	46.11	32.86
सीएसआर व्यय	240.52	191.47
पूर्व अवधि की व्यय एवं खर्च	–	88.93
एमएसएमई पर ब्याज	–	2.84
छूट प्राप्त आय	(171.83)	(94.57)
दरों में बदलाव और अन्य मदों पर असर	23.86	–
	368.87	**214.45**
प्रभावी आयकर दरों पर	**17,013.62**	**12,164.78**
लाभ और हानि के विवरणों पर दिखाए गए आयकर खर्च (सतत् परिचालन से संबंधित)	17,013.62	12,164.78
प्रभावी आयकर दरों पर	**35.72%**	**35.23%**

नोट :- 35 - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन		
–उपादान	29.00	699.71
–छुट्टी यात्रा रियायत	10.98	(66.89)
कुल	**39.98**	**632.82**
निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन पर कर	(13.97)	(219.01)
कुल	**(13.97)**	**(219.01)**

नोट :- 36 - प्रतिशेयर आय (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	(प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
निरंतर परिचालन से	19.12	13.72
रूके हुए परिचालन से	–	–
ईपीएस कम करना		
निरंतर परिचालन से	19.12	13.72
रूके हुए परिचालन से	–	–

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
36.1 प्रति शेयर बुनियादी आय		
प्रति शेयर मूल्य आय की गणना में इस्तेमाल होने वाली इक्विटी शेयर की औसत आय और भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान प्रतिशेयर आय को वर्ष के दौरान बोनस शेयर जारी करने के लिए समायोजन के बाद पुनः पेश किया गया है।		
कम्पनी के इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ		
निरंतर परिचालन से	30,592.99	21,951.95
रूके हुए परिचालन से	–	–
प्रति शेयर की मूल आय की गणना में प्रयोग की गई आय	**30,592.99**	**21,951.95**
प्रति शेयर मूल्य आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	1,600.00	1,600.00
36.2 प्रति शेयर कम की गई आय		
प्रतिशेयर कम की गई आय की गणना में इस्तेमाल होने वाली इक्विटी शेयर की औसत भारित संख्या		
कम्पनी के इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ		
निरंतर परिचालन	30,592.99	21,951.95
रूके परिचालन से		
निरंतर परिचालन से प्रतिशेयर कम की गई आय की गणना में इस्तेमाल आय	**30,592.99**	**21,951.95**
प्रति इक्विटी शेयर की प्रति शेयर कम की गई आय को औसतन भारित संख्या में समाधान की गणना में इस्तेमाल प्रतिशेयर मूल आय निम्न हैं:		
प्रतिशेयर बुनियादी संख्या के उद्देश्य के लिए भारित औसत शेयर	1600.00	1600.00
डाईल्युशन का प्रभावः	–	–
शेयरों की प्रति शेयर की कमाई के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	**1600.00**	**1600.00**
प्रतिशेयर डाईल्युटिड आय		

नोट :- 37 - प्रावधन, आकस्मिक देयताए और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

नोट :- 37.1- प्रावधान

भारतीय लेखाकरण मानक–37 के प्रावधान के आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों के अनुसरण में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में किए गए प्रावधान से संबंधित प्रकटीकरण

राशि (लाख रु. में)

विवरण	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		पेन्शन के लिए प्रावधान		छुट्टी के बदले नकद भुगतान का प्रावधन (सेवानिवृत्त लाभ)		उपादान के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अथ शेष	3,851.97	3,848.84	62.48	62.48	812.45	2940.94	246.88	72.26	684.91	874.65
जोड़	4,598.66	3.13	13.50	–	54.45	723.22	390.93	710.52	434.53	582.2
उपयोग / योगदान	–	–	–	–	(764.37)	(2,851.71)	(443.60)	(535.90)	(160.00)	(775.27)
समायोजन / रिवर्सल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.33
इति शेष	**8,450.63**	**3,851.97**	**75.98**	**62.48**	**102.53**	**812.45**	**194.21**	**246.88**	**959.44**	**684.91**

विवरण	विकल्प देने वालों के लिए पेन्शन का प्रावधान		सेवानिवृति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान		अर्द्धवेतन छुट्टी के लिए प्रावधान		छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अथ शेष	1,588.60	1,711.62	1,044.16	857.67	1,658.12	1401.9	139.39	59.50
जोड़	–	–	200.98	186.49	185.25	261.24	15.86	88.53
उपयोग / योगदान	–	–	–	–	–	–	–	–
समायोजन / रिवर्सल	(81.65)	(123.02)	–	–	(2.38)	(5.02)	(13.08)	(8.64)
इति शेष	**1,506.95**	**1,588.60**	**1,245.14**	**1,044.16**	**1,840.99**	**1,658.12**	**142.17**	**139.39**

टिप्पणी:

(i) संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता हैं।

(iii) पेशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए (आईआरसीटीसी –रेलवे के बीच) मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेने वालों के लिए प्रावधान किया गया है ताकि, आईआरसीटीसी की पेंशन देयता के अंतर के 100 प्रतिशत परिवर्तन का पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सकें। इससे पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचा जा सकेगा। मानिद प्रतिनियुक्ति विकल्पों के लिए छुट्टी के बदले नकद भुगतान में 21.66 लाख रु. का प्रावधान शामिल है।

नोटः— 37.2: आकस्मिक देयताएं (प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रमाणिकृत और प्रमाणित)

निगम के विरूद्ध दावों को ऋण स्वीकार नहीं **राशि (लाख रु. में)**

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क.	सेवा कर	8,470.66	8,445.54
ख.	वैट एवं अन्य कर	3,259.08	2,577.60
ग.	अन्य	4,949.36	6,465.09
	कुल	**16,679.10**	**17,488.23**

नोट :— 37.3

10.12.2008 को किए गए संयुक्त उपक्रम समझौते के कारण रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) का गठन कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था जिसमें आईआरसीटीसी एंव कॉक्स एंड किंग्स इसके शेयरधारी थे।

23 कोचों की एक लग्ज़री गाड़ी को आईआरसीटीसी ने निर्माण, निधि दे और साज—सज्जा के द्वारा तैयार करके रॉयल रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को परिचाालन के लिए तदर्थ आधार पर सौंपा गया था और इसका नाम महाराजा एक्सप्रेस रखा गया था। यह गाड़ी मार्च 2010 से अप्रैल 2011 तक चलाई गयी थी । इस अवधि के दौरान यह देखा गया कि गाड़ी परिचालन से संबंधित पक्षों के बीच विभिन्न समझौतों को अंतिम रूप नहीं देने दिया गया जिसमें गाड़ी के लिए लीज़ समझौता और भारतीय रेल के बीच समझौता ज्ञापन भी शामिल था। इसके अलावा देय कर्षण प्रभार आदि का भी भुगतान नहीं किया गया। अंततोगत्वा, आईआरसीटीसी ने 12.08.2011 को कॉक्स एंड किंग्स के साथ समझौते को समाप्त कर दिया और इस गाड़ी को आरआईआरटीएल से वापस भी ले लिया।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायलय में एक याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायलय की खंड पीठ द्वारा आईआरसीटीसी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कॉक्स एंड किंग्स ने उच्चतम न्यायलय की शरण ली। इस मामले पर उच्चतम न्यायलय ने आईआरसीटीसी के पक्ष में निर्णय दिया, साथ ही यह टिप्पणी भी दी कि दोनों पक्ष अपने विवादों को सुलझाने के लिए पंचाट अधिकरण की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंचाट अधिकरण के समक्ष कॉक्स एंड किंग्स की प्रार्थना संयुक्त उपक्रम समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए है।

कंपनी के पास उपलब्ध कानूनी राय और संयुक्त उपक्रम समझौते के समाप्त होने के मद्देनज़र आईआरसीटीसी का यह मानना है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड मांगी गई राहत के सम्बन्ध में पंचाट का लाभ नहीं उठा सकती। आई आर सी टी सी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।

आईआरसीटीसी कॉक्स एंड किंग्स के इस दावे को नहीं मानती कि संयुक्त उपक्रम समझौते और परिणामतः वित्तीय प्रभाव को फिर से शुरू किया जाए जो कि इस समय आंका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 397 और 398 के अंतर्गत कॉक्स एंड किंग्स तथा इसके अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है, जो न्यायाधीन है।

नोट :— 37.4 भारत के उच्चतम न्यायलय के समक्ष दायर वैट मामला

कॉरपोरेशन उन गाड़ियों में ऑनबोर्ड केटरिंग सेवाओं के लिए सेवाकर का भुगतान करता रहा है जिनके रेलवे किराए में खानपान प्रभार शामिल होते हैं। वैट कमिश्नर ने अपने 23.03.2006 के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(जेडसी) (vii) की धारा 2 के अर्थो के भीतर गाड़ियों में ऑनबोर्ड केटरिंग सेवा को वस्तुओं की बिक्री माना है।

आईआरसीटीसी ने वैट के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की। अधिकरण ने अपने 07.09.2006 के आदेश द्वारा अपील पर केन्द्रीय अधिनियम के संबंध में टिप्पणी देते हुए यह कहा कि यह कार्य कमिशनर न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कर केवल उन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लगेगा जो राज्य से बाहर एक से दूसरे राज्य के भीतर होता है।

आईआरसीटीसी ने माननीय उच्च न्यायलय, दिल्ली में उक्त आदेश के विरूद्ध रिट याचिका दायर की जिसमें यह प्रार्थना थी कि आईआरसीटीसी सेवाओं पर दिल्ली के वैट अधिनियम 2004 के अन्तर्गत वैट नहीं लगाया जा सकता और यह कि कॉरपोरेट की ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं मुख्य रूप से वे हैं जिनमें भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं और वे केवल सेवाकर के दायरे में ही आता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय वैट के आयुक्त के निर्णय को बरकरार रखा और आईआरसीटीसी की याचिका खारिज़ कर दी। माननीय उच्च न्यायलय ने कहा कि कॉरपोरेशन को वैट देना होगा। बहरहाल, वे पहले से भुगतान किए जा चुके सेवाकर की वापसी ले सकता है।

इस निर्णय के पश्चात् कॉरपोरेशन ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय के 19.07.2010 को पारीत निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका दायर की 2010 की विशेष अनुमति याचिका सं. 25292—25319 स्वीकार कर ली गई है और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायलय ने वैट प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग की वसूली पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम निदेश जारी कर दिए गए हैं। चूंकि मामला न्यायधीन है और कॉरपोरेशन को इस समय वैट का भुगतान नहीं करना है। तथापि, कॉरपोरेशन ने अपनी विवेकसम्मत लेखाकरण नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2017—18 (30 जून 2017) के लिए पूरे भारत में 8251.01 लाख रूपए बिक्री से घटाकर अपने सेवा कर की वैट देयता के लिए व्यवस्था की है। परिणामस्वरूप वैट इनपुट ग्राहयता को सरकारी प्राधिकारी के पास शेष दिखाया गया है।

नोट :— 37.5 आकस्मिक परिसम्पत्तियां

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	मध्यस्ता	विवरण	अपीलीय प्राधिकरण	पारितोषित राशि
1	फूड वर्ल्ड	ट्रेनों 2859—60 आर गाड़ी नं. 2975 में लाइसेन्स से पुरस्कार	सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी लम्बित	148.00
2	ए.के रॉय विरूद्ध आईआरसीटीसी	2577—78, 5279—80, 2395—96, 9165/66/67—68, 2555—56,2569—70, 2213—14,2203—04, 2061—62, 2209—10, 1043—44	पटियाला हाऊस कोर्ट में लम्बित	21.95
3	सीकेके कैटरर्स	वसूली के लिए मुकदमा	मुकदमा लम्बित	102.00
4	माँ तारा ट्रेडर्स	सीएफए से राशि से रिकवरी	मध्यस्था लम्बित	534.00
5	विवसवन होटल	गाड़ी सं. 2621—22 और 2723—24 से लाइसेन्सी शुल्क की वसूली	आपत्ति खारीज	103.40 1,561.32
6	रेलवे	यात्री फीड बैक प्रणाली	लागू नहीं	546.00
7	ड्यूटी क्रेडिट पात्रता	विदेशी व्यापार नीति 2015—2020 के अनुसार ड्यूटी क्रेडिट पात्रता		

नोट :— 38 भुगतान के माध्यम (गेटवेज)

कपंनी इंटरनेट के जरिए रेलवे आरक्षण का कार्य करती है जिसके लिए पांच भुगतान गेटवेज़ और लगभग सभी बैंकों के पैंतीस से अधिक नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी खातों मे बड़ी मात्रा में लेन—देन होता है और टिकटों की बुकिंग दिन प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2018—19 के लिए लेन—देन वार समाधन कर लिया गया है। तथापि आईआरसीटीसी के वर्ष 2018—19 से पहले के डाटा साइकल और संबंधित बैंकों के डाटा साइकल में आपस में तुलनात्मक मेल न होने की वजह से अभी भी कुछ अंतर मौजूद है। इस मामले को संबंधित बैंकों के साथ उठाया गया है और उन्हें कहा गया है कि वे अपना डाटा तुलनात्मक स्वरूप में भेजे, ताकि, मौजूद अंतर को समाप्त किया जा सके।

नोट :— 39 व्यापार प्राप्तियां

क. **रेलवे अधिशेष** व्यापार प्राप्ति, व्यापार देयता, अग्रिम भुगतान और प्रतिभूति जमा के रूप में रेलवे बकाया रेलवे से समाधान और पुष्टि की शर्त पर है और इसमें रेलवे से खानपान संभालने से पिछले बकाया भी शामिल हैं। कम्पनी ने रेलवे से बकाया की पहचान और पृथक करने की प्रक्रिया शुरू की है।

ख. **तृतीय पार्टी अधिशेष** तृतीय पार्टियों से बकाया के समाधान का काम विभिन्न पार्टियों से पुष्टिकरण के द्वारा किया जा रहा है। प्रबंधन को समाधान प्रक्रिया के लिए नीति और कार्यप्रणाली का उपाय किया जाना और सुनिश्चित किया जाए कि समाधान और पुष्टिकरण नियमित किया जाए। व्यापार प्राप्तियां की पुष्टि और समाधान होने तक कॉरपोरेशन ने 4051.30 लाख रू. (31 मार्च 2018 को 3.13 लाख रू.) उन प्राप्तियों के लिए रखने का निर्णय किया है जिन का प्रबंधन को वसूली का संदेह है।

नोट :– 40 पूंजीगत वचनबद्धता

पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले ठेकों की बाकी अनुमानित राशि और जिनकी व्यवस्था थी 31 मार्च 2019 को 5722.77 लाख रूपए नहीं की गई है जबकि पिछले वर्ष 31 मार्च 2018 को इसके लिए राशि 8318.33 लाख रूपए थी।

नोट :– 41

प्रबंधन के विचार से चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है तथापि, रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होने वाली राशियां और व्यवसाय से देय राशियां, जैसी कि तुलन पत्र में दर्शायी गई हैं, पुष्टीकरण के अध्ययधीन हैं।

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं / परिभाषित अंशदान योजना का सामान्य विवरण :–

(i) **उपादान :** उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से सेवा छोड़ने पर देय है। 20 लाख रुपए के उपादान की उच्चतम सीमा के संबंध में बीमांकात्मक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। बीमांकात्मक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए कर दिया चाहे उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।

(ii) **छुट्टियों का नकदीकरण :** उन पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्जित छुट्टी एकत्र की है, सेवा छोड़ने पर देय है। छुट्टी का वेतन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जैसाकि तुलन पत्र तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बनाया जाता है।

(iii) **अर्धवेतन छुट्टी :** पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्धवेतन छुट्टी एकत्र कर ली है उन्हें उनके लिए तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन पर अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान किया जाता है।

(iv) **छुट्टी यात्रा रियायतः** (एलटीसी) पात्र कर्मचारियों को तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन पर छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान किया जाता है।

(v) **भविष्य निधि :** कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12 प्रतिशत और कॉरपोरेशन के समतुल्य अंशदान को जो भविश्य निधि के लिए दिया जाता है इसको लेखा जोखा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है भविष्य निधि के लिए कॉरपोरेशन का अंशदान राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

(vi) **इतर सेवा अंशदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए देय इतर सेवा अंशदान प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी हित'' पर भारतीय लेखाकरण मानक–19 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

(vii) **राष्ट्रीय पेंशन योजनाः** एनपीएस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित योगदान योजना है। ऐसी योजना के तहत देय मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत योगदान के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, तो कंपनी इस योजना को व्यय के रूप में देय योगदान को पहचानती है।

(क) बीमांकिक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	7.80%	7.37%
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2006–08) (विधिवत शोधित)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2006–08) (विधिवत शोधित)
(iii)	परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित वापसी	8.30%	8.30%
(iv)	वेतन वृद्धि	10%	10%
(v)	उन्मूलन दर	2%	2%
(vi)	बीमांकात्मक मूल्यांकन में विचार की गई भावी देयता वृद्धियों के अनुमान में, मुद्रा स्फीति दर, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को लेते हैं।		

(ख) बीमांकिक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकात्मक विधि का प्रयोग सेवानिवृत्ति, सेवाकाल में मृत्यु और निकासी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सर्विस में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(ग) नियोक्ता व्यय के अवयव राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान'		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	चालू सेवा लागत	410.11	380.90	379.42	396.74	192.01	198.00	15.97	17.26
(ii)	पिछली सेवा लागत	–	836.31						
(iii)	संक्षेप लागत	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv)	समापन लागत	–	–	–	–	–	–	–	–
(v)	कुल सेवा लागत	410.11	1,217.21	379.42	396.74	192.01	198.00	15.97	17.26
	शुद्ध ब्याज लागत								
(vi)	डीबीओ पर ब्याज खर्च	266.28	199.58	253.25	186.25	129.33	103.32	10.87	4.39
(vii)	ब्याज (प्लान परिसम्पत्तियों पर आय)	(212.86)	(134.87)	(239.12)	(186.04)				
(viii)	कुल शुद्ध ब्याज	53.42	64.71	14.13	0.21	129.33	103.32	10.87	
(ix)	तात्कालिक स्वीकृत लाभ/हानि अन्य दीर्घावधि के लाभ			(2.60)	313.58	(136.10)	(40.08)	(10.98)	
(xi)	**लाभ और हानि को शामिल कर तय लाभ लागत**	**463.53**	**1,281.92**	**390.95**	**710.52**	**185.24**	**261.24**	**15.86**	**21.65**

(घ) तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों/दायित्वों की स्वीकृति

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	जनसांख्यिकी अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओं में बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii)	वित्तीय अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओं में बीमांकिक (लाभ)/हानि	95.22	(1,262.92)	84.97	(5,385.84)	42.42	(2,614.65)	4.10	(25.29)
(iii)	डीबीओं पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(124.02)	579.28	–	5,079.55	(178.53)	2,574.57	(15.08)	92.19
(iv)	छूट दर की तुलना में योजना परिसम्पत्तियों (से अधिक)/से कम	(0.20)	(16.07)	28.97	7.29	–	–	–	–
(v)	ओसीआई में कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि शामिल	(29.00)	(699.71)	–	–	–	–	(10.98)	66.89
(vi)	लाभ एवं हानि और ओसीआई में (निर्धारित लाभ लागत) स्वीकृत कुल लागत	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii)	लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल लागत	–	1,281.92	390.95	710.52	185.24	261.24	–	21.65
(viii)	ओसीआई में स्वीकृत प्रभावित पुनर्मापन	(29.00)	(699.71)	–	–	–	–	(10.98)	66.89
(ix)	कुल आस्थगित लाभ लागत	(29.00)	582.21	390.95	710.52	185.24	261.24	(10.98)	88.54

(ङ) तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों/दायित्वों की स्वीकृति राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,027.70	3,413.84	3,548.83	3,246.81	1,840.99	1,658.12	142.17	139.39
(ii)	प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	3,068.26	2,728.93	3,376.29	3,065.60	–	–	–	–
(iii)	वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष/हानि)	(959.44)	(684.91)	(172.54)	(181.21)	(1,840.99)	(1,658.12)	(142.17)	(139.39)
(iv)	अस्वीकृत पिछली सेवा लागत	–	–	–	–	–	–	–	–
(v)	तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियो/दायित्वों की स्वीकृति	(959.44)	(684.91)	(172.54)	(181.21)	(1,840.99)	(1,658.12)	(142.17)	(139.39)
(vi)	वर्तमान मूल्य की नकदी का दायित्व	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii)	प्राप्त दयित्वों का वर्तमान मूल्य	–	–	–	–	–	–	–	–
	प्रचलित देयताएं	**959.44**	**684.91**	**172.54**	**181.21**	**101.19**	**80.58**	**142.17**	**48.16**
	अप्रचलित देयताएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**1,739.80**	**1,577.55**	**–**	**91.23**

(च) अवधि की समाप्ति में दायित्वों में परिवर्तन राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	मूल्य का आस्थगित लाभ का वर्तमान मूल्य	3,413.84	2,708.03	3,246.81	2,527.11	1,658.12	1,401.90	139.39	59.50
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	410.11	380.90	379.42	396.74	192.01	198.00	15.97	17.26
(iii)	ब्याज लागत	266.28	199.58	253.25	186.25	129.33	103.32	10.87	4.39
(iv)	प्लान संशोधन	–	–	–	–	–	–	–	–
(v)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi)	संक्षेप	–	836.31	–	–	–	–	–	–
(vii)	समझौता	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(28.79)	(683.64)	(31.57)	306.28	(136.10)	(40.07)	(10.98)	66.89
(ix)	भुगतान किया गया लाभ	(33.73)	(27.33)	(299.07)	(169.58)	(2.37)	(5.03)	(13.08)	(8.64)
(x)	निर्धारित लाभ का (इतिशेष) वर्तमान मूल्य	4,027.70	3,413.84	3,548.83	3,246.80	1,840.99	1,658.12	142.17	139.39

(छ) प्लान परिसम्पत्तियों के मूल्य के अथशेष और इतिशेष का समाधान राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान'		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	अवधि के शुरू में प्लान परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य	2,728.93	1,830.05	3,065.60	2,524.31	–	–	–	–
(ii)	अधिग्रहण समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii)	प्लान परिसम्पत्तियों पर निर्धारित वापसी	212.86	134.87	–	–	–	–	–	–
(iv)	योगदान	160.00	775.27	106.14	362.54	2.37	–	13.08	8.64
(v)	भुगतान किया	(33.73)	(27.33)	(5.59)	–	–	–	–	–
(vi)	प्लान परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	0.20	16.07	210.14	178.75	(2.37)	–	(13.08)	(8.64)
(vii)	अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	3,068.26	2,728.93	3,376.29	3,065.60	–	–	–	–

(ज) अन्य व्यापक आय में राशि की स्वीकृति — राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	ओसी अथशेष (संचयी अस्वीकृत हानियां/(लाभ)	(205.20)	494.51	–	–	–	–	–	–
(ii)	डीबीओ पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(28.79)	(683.64)	(31.58)	306.28	136.10	40.07	(10.98)	66.89
(iii)	परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(0.21)	(16.07)	28.98	7.29	–	–	–	–
(iv)	संयची हानि (लाभ) ऋणमुक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–
(v)	ओसीआई में शुद्ध वृद्धि	(29.00)	(699.71)	(2.60)	313.57	136.10	40.07	(10.98)	66.89
(vi)	पूर्व सेवा लागत दर ऋणमुक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii)	अन्य व्यापाक आय में कुल स्वीकृति	(234.20)	(205.20)	–	–	–	–	(10.98)	66.89

(झ) तुलन–पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों/देयताओं की स्वीकृति — राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(i)	प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध तुलन पत्र परिसम्पत्तियां/देयताएं	(684.91)	(877.98)	(181.21)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	(139.39)	59.50
(ii)	अवधि के प्रारंभ में स्वीकृत संचयी ओसीआई/हानि	(205.20)	494.51	–	–	–	–	–	–
(iii)	प्रारंभ में समायोजन से पहले (उपार्जित)/पूर्व भुगतान लागत	(890.11)	(383.47)	(181.21)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	(139.39)	59.50
(iv)	अवधि के लिए शुद्ध आवधिक लाभ (लागत)/आय	(463.52)	(1,281.92)	(390.95)	(710.52)	(185.24)	(261.24)	(15.86)	(88.54)
(v)	नियोक्ता का योगदान	160.00	775.27	399.61	532.12	2.38	5.03	13.08	8.64
(vi)	अवधि के अंत में समायोजन से पहले (उपार्जित)/पूर्व भुगतान लाभ	(1,193.63)	(890.12)	(172.55)	(181.20)	(1,840.99)	(1,658.12)		
(vii)	अवधि के अंत में स्वीकृत संचित अन्य व्यापक आय/हानि राशि	(234.19)	(205.20)	–	–	–	–	–	–
(viii)	अवधि के अंत में स्वीकृत शुद्ध तुलन पत्र परिसम्पत्तियां/(देयताएं)	(959.44)	(684.91)	(172.55)	(181.20)	(1,840.99)	(1,658.12)	(142.17)	(139.39)

(ज) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपादान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ञ. संवेदनशील विश्लेषण राशि (लाख रु. में)

विवरण	अनुमानों पर बदलाव	उपादान दायित्वों पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	अर्धवेतन छुट्टी पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव
छूट दर	0.50% प्रतिशत की कमी	-305.64	-272.76	-136.28	-2.34
	0.50% प्रतिशत की वृद्धि	341.20	304.39	151.77	2.37
वेतन वृद्धि दर	0.50% प्रतिशत की कमी	137.68	296.11	147.65	2.38
	0.50% प्रतिशत की वृद्धि	-162.75	-268.39	-134.10	-2.35

उपरोक्त संवेदनशील विश्लेषण धारणा में परिवर्तन के आधार पर होता है जबकि अन्य सभी मान्यताओं को निरंतर रखा जाता है। व्यवहार में ऐसा होने की संभावना नहीं होती है और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यवाही मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी स्थिति (अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि) को वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

नोट :– 43

वर्ष 2018–2019 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

नोट :–44 संबंधित पार्टी प्रकटन

भारतीय लेखांकन मानक–24 संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुसार संबंधित पार्टी का नाम नीचे दिया गया है:–

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	(i) श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ii) श्री वी. श्रीराम, निदेशक (खानपान सेवाएं) (iii) श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (18.05.2018 से नियुक्त) (iv) श्री प्रशांत कुमार बलसावर (नामित निदेशक) (25.05.2018 से पद छोड़ा) (v) श्रीमती स्मिता रावत (नामित निदेशक) (vi) श्री नीरज शर्मा (नामित निदेशक) (12.07.2018 से नियुक्त) (vii) श्री रबी नारायण बोहिदर (स्वतंत्र निदेशक) (viii) डॉ. धीरज शर्मा (स्वतंत्र निदेशक) (ix) सुश्री कनक अग्रवाल (स्वतंत्र निदेशक) (x) प्रो. सचिन चतुर्वेदी (स्वतंत्र निदेशक) (xi) श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमुरती (स्वतंत्र निदेशक) (xii) सुश्री सरिता देशपाण्डे (स्वतंत्र निदेशक) (xiii) श्री अजय श्रीवास्त (सीएफओ) (xiv) सुमन कालरा (कम्पनी सचिव)

संबंधित पार्टी और निगम के बीच लेनदेन का विवरण, जैसा कि लेखाकरण मानक में नीचे दिया गया है

नोट :– 44.1 संयुक्त उपक्रम के साथ लेन–देन

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i)	निवेश	250.00	250.00
(ii)	निवेश के मूल्य में क्षति	250.00	250.00
(iii)	अग्रिम लीज़ किराया	1,741.50	1,741.50
(iv)	लीज किराया प्राप्तियां	269.08	269.08
(v)	व्यवसाय प्राप्तियां	(1,471.71)	(1,471.71)

आईआरसीटीसी के शेयर के निवेश मूल्य में क्षति अर्थात् 250.00 लाख रूपए का आरआईआरटीएल के लिए संचयी हानि को इसके शुद्ध मूल्य से हटा दिया गया, इसके अलावा, आरआईआरटीएल के 2011–12 से 2018–19 के तुलन पत्रों को अंतिम रूप मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स (इण्डिया) लि. के साथ बकाया विवाद नहीं सुलझाने के कारण नहीं दिया गया है।

नोट : 44.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ लेन–देन

वर्ष के दौरान निवेश को और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्न था

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लधु अवधि के लाभ	275.34	259.58
सेवा के पश्चात लाभ	23.16	20.49
अन्य दीर्घ अवधि के लाभ	–	–
	298.50	**280.07**

नोट :– 44.3 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त लेनदेन के अलावा, कम्पनी अन्य सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये निम्न तक सीमित नहीं हैः–

सरकार का नाम : रेल मंत्रालय के माध्यम से, भारत सरकार (कम्पनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)
रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा इंक (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
क्रिस (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन :–

राशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	पार्टी	लेन देन की प्रकृति	2018-19
1	क्रिस	इंटरनेट टिकटिंग की परिसम्पत्तियों की खरीद, मरम्मत, रखरखाव और विकास पर व्यय	1191.9
2	रेलवे	राजधानी / शताब्दी / प्रीमीयम गाड़ियों में खानपान सेवा एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं तथा ऑनबोर्ड खानपान एंव अन्य सेवाओं से आय	51,613.15
3	रेलवे	लाइसेन्सी खानपान सेवाओं पर रेलवे शेयर	18,369.40
4	रेलवे	इंटरनेट टिकटिंग सेवाओं पर प्रभारों पर रेलवे का शेयर	2.93
5	रेलवे	महाराजा एक्सप्रेस गाड़ी पर ढुलाई प्रभार	817.38
6	रेलवे	यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति	4,700.00
7	रेलवे	रेलवे से इंटरनेट टिकटिंग के लिए सेवा प्रभारों के बदले प्रतिपूर्ति	8,800.00

अन्य प्रकटन :

- आरवीएनएल को फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए 780 लाख रू. का पूंजीगत अग्रिम
- रेल मंत्रालय का फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए 211.43 लाख रू. का पूंजीगत अग्रिम
- एयर इंडिया लिमिटेड के 06 फ्लैट के खरीद के संबंध में एयर इंडिया लिमिटेड 653 लाख रू. का पूंजीगत अग्रिम
- इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में रेल मंत्रालय के पास 39354.12 लाख रू जमा किए।

ये लेनदेन कम्पनी के सामान्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

नोट :- 45 संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिर्पोटिंग

कम्पनी ने कॉक्स एण्ड किंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर 50–50 भागीदारी के साथ रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड, संयुक्त उपक्रम के रूप में दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया है। हालांकि, इक्विटी शेयर के बीच मुद्दों के कारण आईआरसीटीसी ने दिनांक 12 अगस्त 2011 को कॉक्स एण्ड किंग्स से समझौता वापस ले लिया और आरआईआरटीएल से गाड़ियां वापस ले ली।

निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी में स्वामित्व हित का कॉरपोरेशन का शेयर, परिसंपत्तियाँ, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं, पूंजी प्रतिबद्धताएं दोनों पक्षों के बीच विवाद के चलते उनके लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 31 मार्च 2019 को उपलब्ध नहीं हैं। जिसके कारण भारतीय लेखा मानक 110 के अनुरूप अपेक्षित समग्रित वित्तीय विवरण नहीं बना है।

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अलग हैं।

क्र. सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	कम्पनी के स्वामितव हित का प्रतिशत	परिसम्पत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
1.	आरआईआरटीएल	50%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

नोट :- 46 परिसम्पत्तियों की क्षति

कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2019 को कॉरपोरेशन की सम्पत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों और अमूर्त कैरिंग की रकम में हानि के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन परिसंपत्तियों संयंत्र एवं उपकरणों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रबंधन की राय है कि महाराजा एक्सप्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से कम्पनी आने वाले वर्षों में पर्याप्त नकदी प्रवाह के लिए सक्षम होगी जो कि गाड़ी के उपयोग में स्थाई परिसम्पत्ति के रूप में पूर्णत पूंजीकरण को प्रतिस्थापित कर देगा इसलिए हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

नोट :- 47

लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित स्थैतिक केटरिंग स्टालों जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया था। रेल मंत्रालय के निदेश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने स्थैतिक केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है। तथापि, आईआरसीटीसी और केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों के बीच इस संबंध में कोई लिखित संविदा मौजूद नहीं है।

यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में कॉरपोरेशन में अनिश्चितताएं हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्धारित पुरानी लाइसेंस या लाइसेंसी शुल्क से वास्तव में प्राप्त राशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर कॉरपोरेशन ने ऐसे लाइसेंसधारक केटरिंग स्टालों में भारतीय लेखाकरण मानक (एएस–18) राजस्व के अनुसार आय माना है।

नोट :- 48 निम्नलिखित के संबंध में वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी द्वारा सीआईएफ आधार पर आकलित आयात का मूल्य है।

राशि (लाख रु. में)

विवरण	2018-19	2017-18
पूंजीगत माल	शून्य	1014.32

नोट :- 49 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (लाख रु. में)

खर्चे की प्रकृति	2018-19	2017-18
निदेशकों का विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय	19.27	7.40
अन्य अधिकारियों की विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय	47.6	26.03
कुल	**66.87**	**33.43**

नोट :- 50 विदेशी मुद्रा में आय

राशि (लाख रु. में)

विवरण	2018-19	2017-18
अन्य आय	3354.32	3758.59

नोट :- 51 लीज

(i) **परिचालन लीज़** : विभिन्न कार्यालयों के संबंध में कम्पनी की लीज़ व्यवस्थाएं परिचालन लीज़ की प्रकृति की है। लीज़ समझौतों के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण को उनके लिए किराए को प्रभारित किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित कुल राशि 1224.33 लाख रूपए है (पिछले वर्ष यह 2499.61 लाख रूपए थी)।

(ii) **वित्त लीज़** : कंपनी ने रेल नीर संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर 90/99 वर्षों की लीज अवधि के लिए लीजहोल्ड भूमि अधिग्रहण की है। 31 मार्च, 2019 को कुल पूंजीकृत मूल्य 1631.58 लाख रुपये है। (पिछले वर्ष यह 1508.60 लाख रूपए थी)।

नोट :- 52 ड़यूटी क्रेडीट लाइसेन्स

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ''सर्वड फरोम इंडिया स्किम'' के अन्तर्गत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स के लिए ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस का उपयोग 98.84 लाख (पिछले वर्ष 139.96 लाख) के लिए किया गया है।

नोट :- 54 सीएसआर खर्च

(क) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 688.29 लाख रूपए है।

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार हैः–

राशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना शेष	कुल
(i)	स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत खर्च	168.10	–	168.10
(ii)	नमामि गंगे अभियान के अन्तर्गत खर्च	168.10	–	168.10
(iii)	शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च	113.31	–	113.31
(iv)	स्वास्थ्य, सामाजिक उत्थान एवं पर्यावरण पर खर्च	137.65	–	137.65
(v)	अन्य	101.13	–	101.13
	कुल	**688.30**	**–**	**688.30**

नोट :–54 पूर्व अवधि की मदें

54.1 पूर्व अवधि की मदों का लेन–दने निम्न प्रकार है।

राशि (लाख रु. में)

प्रकृति	2018-19
लाइसेन्स शुल्क से आय	657.21
लाइसेन्स शुल्क–फूड प्लाजा से आय	(39.79)
स्क्रैप बिक्री रेल नीर	(21.21)
''सर्वड फरोम इण्डिया स्किम'' के अन्तर्गत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स से आय	(240.44)
विज्ञापन/एसबीआई को–ब्रैंडिड कार्ड एवं लॉयल्टी कार्ड से आय	6.81
यात्रा एवं पर्यटन राजस्व	(418.74)
रेल नीर की बिक्री से आय	114.48
व्यवसाय विकास/विपणन खर्च	(28.37)
यात्रा एवं पर्यटन खर्च	(11.00)
खानपान सेवाओं का खर्च	(277.38)
पर्यटन का खर्च	(49.20)
यात्रा एवं पर्यटन राजस्व	73.53
कुल	**(234.09)**

54.2 लाभ पर प्रभाव के साथ पूर्व अवधि के लेन देन का सुधार

54.2.1 तुलन पत्र मद पर प्रभाव इस प्रकार हैः राशि (लाख रु. में)

लाइन मद	2017-1801	अप्रैल 2017 की अवधि से पहले	कुल
वर्तमान व्यापार प्राप्तियां	298.76	73.53	372.29
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स	(240.44)	–	(240.44)
कुल परिसम्पत्तियां	**58.32**	**73.53**	**131.85**
वर्तमान व्यापार देय	–	39.37	39.37
अन्य वित्तीय देयताएं	308.69	17.89	326.58
कुल देयताएं	**308.69**	**57.26**	**365.95**
शुद्ध परिसम्पत्तियां (इक्विटी)	**-250.37**	**16.27**	**(234.09)**

54.2.2 लाभ एवं हानि का विवरण पर प्रभाव राशि (लाख रु. में)

प्रकृति	1017-18
लाइसेन्स शुल्क से आय	657.21
लाइसेन्स शुल्क–फूड प्लाजा से आय	(39.79)
स्क्रैप बिक्री – रेल नीर	(21.21)
''सर्वड फरोम इण्डिया स्कीम'' के अन्तर्गत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स	(240.44)
विज्ञापन/एसबीआई को–ब्रैंडिड कार्ड एवं लॉयल्टी कार्ड से आय	6.81
यात्रा एवं पर्यटन राजस्व	(418.74)
रेल नीर की बिक्री से आय	114.48
कुल राजस्व	**58.32**
पर्यटन पर खर्च	45.23
खानपान सेवाओं पर खर्च	263.46
कुल खर्च	**308.69**
कर पूर्व लाभ	**(250.37)**

54.2.3 प्रति शेयर अर्जन में मूल अवधि त्रुटियों का प्रभाव (मूल और डाईल्यूटिड) राशि (लाख रु. में)

वर्ष	2018-19	2017-18
इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ पर प्रभाव (लाख रू. में)	234.09	(250.37)
इक्विटी शेयर का भारित औसत नग (लाख रू. में)	1,600.00	1,600.00
प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूल और डाइल्यूटिड)	0.15	-0.16

नोट :– 55 नकद एवं नकद समकक्ष

आईआरसीटीसी ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से 11,200 लाख की सावधि जमा पर 10,000 लाख का ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाया है। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लाभ के लिए इस अवधि में फिक्सडिपोजिट की दर से 0.25 प्रतिशत ब्याज दर अधिक होगी। सावधि जमा दावा करने योग्य है।

नोट :– 56 रेलवे शेयर

लाईसेन्स फीस/सेवा प्रभारों को सकल मूल्य दिखाया गया है और भारतीय रेलवे को समरूप शेयर भुगतान/देय को नोट सं. 27,28, एवं 29 के अधीन दिखाया गया है।

नोट :– 57 फ्लैटों एवं भूमि के लिए पूंजीगत अग्रिम

निम्नलिखित राशि का भुगतान फ्लैटों के आंबटन जो कि आज की तारीख तक बकाया हैः–

–211.43 2002–03/2006–07 में भारतीय रेलवे को किया गया भुगतान

–342.00 लाख रू. वित्तीय वर्ष 2010–11 में रेल विकास निगम लिमिटेड को

–वित्त वर्ष 2018–19 के लिए नई दिल्ली, सफदरजंग रेलवे स्टेशन के नजदीक आरवीएनएल को 438 लाख रू. टाईप–5/टाइप–6 के फ्लैट हेतु।

–एयर इंडिया लिमिटेड को 653 लाख रू. एयर इंडिया लिमिटेड के 6 फ्लैट खरीदने हेतु।

नोट :– 58

क. सेवा प्रभार के रूप में इंटरनेट टिकट के लिए रेलवे से प्रतिपूर्ति

भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से सार्वजनिक हित के लिए ऑनलाइन ट्रेन टिकटों की बुकिंग के लिए यात्रियों से आईआरसीटीसी द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसलिए, आईआरसीटीसी यात्रियों से सेवा शुल्क के रूप में कोई राशि नहीं ले रहा है। आईआरसीटीसी सर्वर के उन्नयन और रखरखाव लागत, सर्वर और अन्य आकस्मिक लागत को बनाए रखने के लिए नियुक्त जनशक्ति जैसे परिचालन खर्च कर रहा है। आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय को किए गए व्यय का विवरण भेजा है और मंत्रालय ने यात्रियों को ई–टिकट सुविधाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा किए गए परिचालन लागत के लिए 88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

ख. रेलवे से यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति

रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने जनहित में आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों से 31 अगस्त, 2018 तक बीमा सेवा के लिए लिए गए बीमा शुल्क को माफ कर दिया था। इस अवधि के लिए, रेलवे ने यात्रियों को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा किए गए परिचालन लागत के लिए रु 47 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की है।

नोट :– 59

कंपनी को पर्यटन मंत्रालय से 12 करोड़ रुपये तीन ग्लास कोचों के विनिर्माण की लागत के आधार पर प्राप्त हुए थे जिसमें से शेष राशि 1.21 करोड़ रू. पर्यटन मंत्रालय को वापस किए जाने हैं।

नोट :–60 खण्डवार रिपोर्टिंग

कॉरपोरेट नियोजन के सीओडीएम एवं प्रबंधक ने कम्पनी के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति, संगठनात्मक ढांचे और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय निष्पादन की जांच की है और इसके व्यवसाय की पांच रिपोर्टें की जाने वाले क्षेत्रों की पहचान निम्न प्रकार की हैं:–

- खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन
- राज्य तीर्थ
- इंटरनेट टिकटिंग

कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता हैं, जैसाकि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्र से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आबंटित किया जाता है जिनकी अलग–अलग रूप से क्षेत्रों से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आबंटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्ययों को अनाबंटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनाबंटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आबंटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनाबंटीय आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनाबंटीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए खण्डवार परिणाम

राशि (लाख रु. में)

विवरण	लाइसेन्सी खानपान		रेल नीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय खानपान		विलोपन		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व														
आय	102,978.46	45,608.92	680.98	437.41	23,905.39	20,432.13	25,273.58	18,634.46	19,457.49	21,059.00			172,295.89	106,171.92
बिक्री (बिक्रीकर छोड़कर)	3,532.18	27,315.19	17,348.07	16,253.58									20,880.25	43,568.77
अंतर – खंडवार बिक्री			1,556.00	1,331.01							(1,556.00)	(1,331.01)	–	–
रेल यात्री निवास और रेलवे होटल							530.99	301.52					530.99	301.52
बिक्री/आय (बेडरॉल एवं सफाई)	–	–							–	–			–	–
कुल राजस्व	**106,510.64**	**72,924.11**	**18,029.05**	**16,690.99**	**23,905.39**	**20,425.32**	**25,804.57**	**18,935.98**	**19,457.49**	**21,059.00**	**–**	**–**	**193,707.13**	**150,042.21**
खण्डवार परिणाम	**19,108.06**	**12,568.11**	**3,346.91**	**3,342.64**	**16,300.15**	**10,079.71**	**2,862.86**	**(1,226.25)**	**4,915.89**	**4,753.01**	**–**	**–**	**46,533.87**	**29,617.30**
अनांबटित कॉरपोरेट आय													–	–
अनांबटित कॉरपोरेट खर्च													–	–
संचालन लाभ	**19,108.06**	**12,568.11**	**3,346.91**	**3,342.64**	**16,300.15**	**10,079.71**	**2,862.86**	**(1,226.25)**	**4,915.89**	**4,753.01**	**–**	**–**	**46,533.87**	**29,617.30**
ब्याज और अन्य आय			–	–									5,725.46	4,957.01
आयकर													17,013.62	12,164.77
साधारण कार्यकलापों से लाभ	**19,108.06**	**12,568.11**	**3,346.91**	**3,342.64**	**16,300.15**	**10,079.71**	**2,862.86**	**(1,226.25)**	**4,915.89**	**4,753.01**	**–**	**–**	**35,245.70**	**22,409.54**
पूर्व अवधि लाभ (–)/व्यय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–
खाते डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	4,356.04	–	0.61	3.13	171.54	–	83.97	–	–	–	–	–	4,612.16	3.13
बेची गई परिसम्पत्तियों से (लाभ)/हानि	13.15	13.18	6.13	1.48	(5.96)	21.36	1.23	4.63			–	–	14.54	40.65
ब्याज खर्च	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–
शुद्ध लाभ	**14,738.87**	**12,554.93**	**3,340.17**	**3,338.03**	**16,134.57**	**10,058.35**	**2,777.66**	**(1,230.87)**	**4,915.89**	**4,753.01**	**–**	**–**	**30,619.00**	**22,365.76**
अन्य सूचना														
खण्डवार परिसम्पत्ति	22,287.19	19,893.18	12,907.07	11,520.64	197,147.56	175,970.61	8,549.19	7,630.87	–	–	–	–	240,891.02	215,015.29
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसम्पत्तियां													8,770.70	7,828.58
कुल परिसम्पत्तियां	**22,287.19**	**19,893.18**	**12,907.07**	**11,520.64**	**197,147.56**	**175,970.61**	**8,549.19**	**7,630.87**	**–**		**–**	**–**	**249,661.72**	**222,843.87**
खण्डवार देयताएं	67,187.57	60,811.32	3,725.78	3,372.19	64,071.05	57,990.57	6,084.24	5,506.83	–	–	–	–	141,068.64	127,680.93
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएं													8,200.28	7,422.05
कुल देयताएं	**67,187.57**	**60,811.32**	**3,725.78**	**3,372.19**	**64,071.05**	**57,990.57**	**6,084.24**	**5,506.83**	**–**	**–**	**–**	**–**	**149,268.92**	**135,102.98**
पूंजीगत व्यय	133.31	251.83	174.17	261.83	357.45	1,168.84	1,490.69	390.82	–	–	–	–	2,155.62	2,073.32
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च													–	–
कुल पूंजीगत खर्च	**133.31**	**251.83**	**174.17**	**261.83**	**357.45**	**1,168.84**	**1,490.69**	**390.82**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2,155.62**	**2,073.32**
मूल्यह्रास	247.74	189.81	1,037.24	297.96	1,183.88	1,491.04	395.09	387.29	–	–	–	–	2,863.95	2,366.11
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यह्रास													–	–
कुल मूल्यह्रास	**247.74**	**189.81**	**1,037.24**	**297.96**	**1,183.88**	**1,491.04**	**395.09**	**387.29**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2,863.95**	**2,366.11**

नोट: 1. आईआरसीटीसी को भोजन तैयारी और भोजन वितरण को अनबंडल करने का शासनादेश दिया गया इसलिए विभागीय और लाइसेन्स क्षेत्र को एकीकृत किया गया (खानपान में विभागीय गैर–रेलवे खानपान एवं लाइसेन्सी खानपान शामिल है।

2. अंतर खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नही लिया गया है।

3. आंकड़ों, यथा आवश्यक पुनःव्यवस्थित/पुनःग्रुप और पुनः वगीकृत किया गया है, ताकि जहां आवश्यक हो उनका वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से मिलान किया जा सके।

नोट नं 61 ग्राहकों के साथ ठेकों से प्राप्त राजस्व के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक–115 के संबंध में प्रकटीकरण

क) राजस्व का विसमूहन

(i) नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंध से कंपनी के राजस्व की असहमति है। उत्पादों के प्रकार और सेवाकर

राशि (लाख रु. में)

सेवा या वस्तु का प्रकार	**31 मार्च 2019 समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 समाप्त वर्ष के लिए**
उत्पाद की बिक्री	20,720.74	43,538.48
सेवा की बिक्री		
i) इंटरनेट टिकटिंग	23,149.88	19,661.25
ii) खानपान सेवाओं से आय	51,613.15	16,782.74
iii) रियायत शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, आदि से आय	47,248.94	27,293.81
iv) पर्यटन	43,931.35	39,709.07
v) अन्य परिचालन आय	159.51	131.38
कुल	**186,823.57**	**147,116.73**

(ii) नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंध से कंपनी के राजस्व की असहमति है। खण्डवार **राशि (लाख रु. में)**

क्षेत्रवार	**31 मार्च 2019 समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 समाप्त वर्ष के लिए**
खानपान	106,510.64	72,924.11
रेल नीर	18,029.05	16,690.99
इंटरनेट टिकटिंग	23,905.39	20,425.32
पर्यटन	25,804.57	18,935.98
राज्य तीर्थ	19,457.49	21,059.00
कुल	**193,707.13**	**150,035.40**

(ख) खण्डवार रिपोर्ट से राजस्व 1,93,707.05 (वित्त वर्ष 17–18 में 1,49,942 लाख रू.)

(ग) कम्पनी ने आवेदन भारतीय मानक लेखा 115 (ग्राहकों के अनुबंध से राजस्व) के लिए संशोधित प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण लागू किया है। 01 अप्रैल 2018 तक 514.24/–लाख रूपये का प्रभाव बरकरार रखा है।

विवरण	**राशि**
प्रतिधारित आय 01–04–2018 तक	48,545.16
भारतीय लेखा मानक 115 का प्रभाव : कम	-514.24
घोषित प्रतिधारित आय 01–04–2018	48,030.92

आरक्षित रेल ई–टिकटिंग सेवा के लिए आईआरसीटीसी के साथ पंजीकरण और एकीकरण के लिए आईआरसीटीसी को प्रिंसीपल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा देय एकीकरण शुल्क को अनुबंध अवधि के दौरान मान्यता दी गई है, जिसमें अनुबंध के पक्षकारों ने लागू करने योग्य अधिकार और दायित्वों को प्रस्तुत किया है।

(घ) अनुबंध अधिशेष **राशि (लाख रु. में)**

	31 मार्च 2019	**31 मार्च 2018**
व्यापार प्राप्ति (नोट 10.1)	58,173.44	55,092.40
अनुबंध परिसम्पत्तियां	–	–
अनुबंध देयताएं (नोट 19)	19,150.60	21,566.63

(i) व्यापार प्राप्तियां गैर–ब्याजयुक्त होती है और ग्राहक प्रोफाइल में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

(ii) अनुबंध की परिसंपत्ति उस अवधि के लिए पहचानी जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले कंपनी के अधिकार पर विचार करने के लिए सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि संलग्न शर्त यानी भविष्य की सेवा की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत है अर्थात् भविष्य की सेवाएं जिनमें बिल बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है।

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध परिसम्पत्तियां	–	–
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसम्पत्तियां*	–	–

(iii) अनुबंध देयताएं ग्राहकों से अग्रिम के रूप में असमाप्त होने वाले रियायत शुल्क असमाप्त लाइसेंस शुल्क, असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क, असमाप्त एकीकरण शुल्क और पैकेज टूर के रूप में प्राप्त राशि का प्रतिनिधित्व करती है,

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयताएं	21,566.63	–
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं*	19,150.60	21,566.63

* अनुबंध देयताएं में बढ़ोत्तरी ग्राहकों से अग्रिम के रूप में असमाप्त होने वाले रियायत शुल्क असमाप्त लाइसेंस प्रभार, असमाप्त उपयोगकर्ता प्रभार, असमाप्त एकीकरण प्रभार और पैकेज टूर के रूप में प्राप्त राशि के कारण है।

नोट :– 62 पूंजी प्रबंधन

कम्पनी का उद्देश्य अपनी पूंजी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रबंध करना और संबंधित शेयरधारकों को अधिक से अधिक शेयर रिटर्न प्रदान करने का उत्तरदायित्व है जिससे अन्य हितधारकों को भी लाभ दे सकें। कम्पनी के पास 31 मार्च 2019 से कोई भी उधारी नहीं है।

इसके अलावा, कम्पनी इसके पूंजीगत ढ़ांचे को चलाने और वित्तीय करारों की आवश्यकता के लिए इसकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा समायोजन करती है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रबंधन की पूंजीगत प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

नोट :– शुद्ध मूल्य मापन

(i) श्रेणी के अनुसार साधन

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2018 को		
	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) निवेश	–	–	0.32	–		0.32
(ii) प्रतिभूति जमा	–	–	1,074.32	–		1,104.50
(iii) व्यापार प्राप्य	–	–	58,173.44	–		54,720.11
(iv) नकद और नकद समतुल्य	–	–	46,006.95	–		49,315.89
(v) नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक अधिशेष	–	–	67,996.60	–		34,071.36
(vi) अन्य	–	–	3,481.06	–		1,803.19
	–	**–**	**176,732.69**	**–**		**141,015.37**
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां						
वित्तीय देयताएं						
(i) प्रतिभूति जमा	–	–	14,950.35	–		12,917.03
(ii) व्यापार प्राप्य	–	–	19,092.24	–		15,043.24
(iii) अन्य	–	–	47,264.81	–		39,448.55
कुल वित्तीय देयताएं	**–**	**–**	**81,307.40**	**–**		**67,408.82**

***लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य**
****अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य**

(ii) सम्पत्ति और देनदारियां जो कि परिशोधित लागत पर मापी जाती है उनके उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है। **राशि (लाख रु. में)**

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
प्रतिभूति जमा	1,074.32	1,109.13	1,104.50	1,162.78
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**1,074.32**	**1,109.13**	**1,104.50**	**1,162.78**
वित्तीय देयताएं				
प्रतिभूति जमा	14,950.35	15,030.61	12,917.03	10,985.68
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**14,950.35**	**15,030.61**	**12,917.03**	**10,985.68**

क. व्यापार प्राप्तियां, व्यापार भुगतान, लघु अवधि प्रतिभूति जमा, नकद और नकद समतुल्य और अन्य लघु अवधि की प्राप्तियां और अन्य देनदारियों की तुलना में उनकी लघु प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

ख. दीर्घकालिक प्रतिभूति जमा राशियों का उचित मूल्य वर्तमान सावधि जमा के बाजार दरों का उपयोग कर कैश फ्लों की गणना के आधार पर किया जाता है। गैर लक्ष्यों के इनपुट में शामिल करने के कारण इन्हें स्तर–3 के अनुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उचित मूल्य का अनुक्रम

स्तर 1 चिन्हित परिसम्पत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजार में उदृधत मूल्य (असंयोजित)

स्तर 2 – उद्धत मूल्य के अलावा इनपुट स्तर 1 में जो कि परिसम्पत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (जो कि मूल्य के रूप में) लिया जाता है या तो या अप्रत्यक्ष (जो कि कीमतों से उत्पन्न) अप्रत्यक्ष रूप सें शामिल किया जाता है।

स्तर 3 – परिसम्पत्तियों और देनदारियों के लिए इनपुट जो कि बाजार मूल्य के अवलोकन योग्य नहीं होते हैं। (गैर अवलोकल योग्य इनपुट)

निम्नतालिका में उचित मूल्य माप पदानुक्रम, वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य जिसमें पुनरावृत्ति के आधार पर और परिशोधित लागत पर के आधार पर मापा जाता है,

31 मार्च 2019 तक वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम

राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिशोधित मूल्य दर मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गयाः				
प्रतिभूति जमा	–	–	1,109.13	1,109.13
	–	–	1,109.13	1,109.13

31 मार्च 2019 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन परिशोधित मूल्य माप अनुक्रम

राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताओं परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गयाः				
प्रतिभूति जमा	–	–	15,030.61	15,030.61
	–	–	15,030.61	15,030.61

31 मार्च 2018 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन परिशोधित मूल्य माप अनुक्रम

राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताओं परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	–	–	1,162.78	1,162.78
	–	–	1,162.78	1,162.78

31 मार्च 2018 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन परिशोधित मूल्य माप अनुक्रम

राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताओं परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	–	–	10,985.68	10,985.68
	–	–	10,985.68	10,985.68

नोट :– 64 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के कार्यो को वित्तपोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकद समकक्ष हैं जो अपने ऑपरेशनों से सीधे प्राप्त होते हैं।

कम्पनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम का प्रकटन करती कम्पनी के वित्तीय जोखिम गतिविधियों को विनियोजित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और वित्तीय नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिम की पहचान, माप और प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मण्डल इन जोखिमों में प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और उनसे सहमत जोखिमों का जो नीचे संक्षेप में विवरण दिया गया है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो कि बाजार की कीमतों में होने वाले बदलावों के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के कैश प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव कर देता है बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो कि भविष्य में वित्तीय साधनों के कैश प्रवाह के उचित मूल्य बाजार के ब्याज दर में बदलाव के कारण उतार–चढ़ाव होता है। कम्पनी, कम्पनियों की नीतियों और जोखिम के उद्देश्य के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करती है ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधानों में बैंकों के साथ जमा राशि शामिल हैं। इन वित्तीय उपकरणों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय साधनों की अवधि के लिए है।

ii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचालन करती है और विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम की संभावना रहती है कंपनी किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम को रोक नहीं लगा सकती है।

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी का वित्तीय हानि का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिद्वंद्वी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी को वित्तीय प्राप्तियां, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय सस्थानों के साथ जमा सहित वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वाहक मूल्य के बराबर है। काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में घाटे को रोकने के लिए है। कंपनी अपने वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षियों की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

ग) वित्तीय उपरकण एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ शेष राशि से क्रेडिट जोखिम कंपनियों की नीति के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर प्रतिपक्ष के साथ अनुमोदित किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी और वे देय रह जाते हैं। कंपनी यथासंभव सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, क्योंकि जब भी देय हो, तो इसकी हमेशा देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों के तहत, अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा के जोखिम के बिना रहेगी।

नोट 65 :– अनुमान क्रेडिट हानि के लिए भत्ते

राशि (लाख रु. में)

विवरण		तीन वर्ष तक	3 से अधिक तक किंतु 5 से कम	5 वर्ष से अधिक	डाईल्यूटिड
भारत सरकार	सकल आगे बढाई राशि	24,640.83	1,552.81	2,476.28	3,215.13
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	0%	50%	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि हानि के लिए भत्ते की व्यवस्था	–	–	1,238.14	3,215.13
	व्यापार प्राप्तियों के लिए सकल आगे बढाई राशि	24,640.83	1,552.81	1,238.14	–
गैर–सरकारी	सकल आगे बढाई राशि	29,459.01	188.99	2,281.84	2,809.20
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	25%	50%	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि हानि के लिए भत्ते की व्यवस्था	–	47.25	1,140.92	2,809.20
	व्यापार प्राप्तियों के लिए आगे बढाई सकल राशि	29,459.01	141.74	1,140.92	–

नोट 66 :– आंकलन एवं अनुमान

निम्नलिखित में से प्रमुख अनुमान भविष्य में चिंता के कारक हैं और रिर्पोटिंग अवधि के अंत में आंकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत हैं जिनकी अगली वित्तीय वर्ष के साथ परिसम्पत्तियों और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप मूल्यांकन प्रक्रिया

डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन की तकनीकों का उपयोग वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को मापने में किया जाता है। जहां तक संभव हो वहां इन तरीकों की जानकारी को प्रत्यक्ष बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां तक संभव न हो उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए एक परिमाण निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे विचारशील इनपुट शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

आस्थगित परिसम्पत्तियां उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिससे हानि के विरूद्ध उपयोग महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के उपयोग से किया जा सकता है। आस्थगित कर सम्पत्ति की पहचान करने के लिए अपेक्षित संभावित समय और भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ स्तर दोनों को आधारित माना जा सकता है।

ग) परिभाषित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं शामिल होती है जो कि भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, इन मान्यताओं में परिवर्तन के लिए एक परिभाषित लाभ दायित्व अत्यन्त संवेदनशील है। प्रत्येक अनुमानों की रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

घ) सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन काल

नोट 2 (एन) में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन काल दिया गया है। सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन काल कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धी और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल हैं। कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन काल की समीक्षा करती है।

कम्पनी अपने रेलनीर संयंत्र और मशीनरी की मूल्यह्रास की गणना रेलनीर संयंत्रों की उपयोगी जीवनकाल के रूप में कम्पनी अधिनियम 2013 के शैड्यूल II के अनुसार 25 वर्ष यह मानकर कि ये निरंतर प्रक्रिया संयंत्र हैं। कम्पनी इन स्थाई परिसम्पत्तियों की उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है और इसका तकनीकी मूल्यांकन भी करवाती है। तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम पर विचार करते हुए इसके उपयोगी जीवनकाल को बदल दिया जाता है तदनुसार वित्त वर्ष 2018–19 के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्यह्रास को नए उपयोगी जीवनकाल के अनुसार बदला गया है।

नोट :– 67 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्योगों का क्रय

सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बकाया का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है।

राशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क	वर्ष के अंत में भुगतान के लिए शेष मूल धन राशि और ब्याज निर्धारित तिथि के बाद भुगतान किए भी शामिल हैं।	–	86.15
ख	वर्ष के दौरान देरी के लिए उपार्जित ब्याज और भुगतान	–	8.22
ग	वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और बकाया भुगतान	–	17.02
घ	आगामी वर्ष में भी लगने वाले ब्याज की राशि और बकाया भुगतान होना	–	–

नोट :– 68 टिकट जमा रसीद वापसी मामले

भारतीय रेलवे से प्राप्त होने के बाद टीडीआर रिफंड कम्पनी के द्वारा यात्रियों को दिया जाता है। 31 मार्च 2019 तक, लंबित मामलों की संख्या 33614 है जिसका मूल्य 366.97 लाख रूपए था।

नोट :– 69 पीपीपी मॉडल पर आधारित रेल नीर संयंत्र

कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर पीपीपी मॉडल आधरित 11 रेल नीर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। 11 में से, 02 संयंत्र अमेठी (यूपी) में और पारासल्ला (केरल) में पहले ही स्थापित हैं और अन्य 9 रेलनीर संयंत्र आगामी वर्षों में शुरू हो जाएंगे। इन संयंत्रों के लिए, निगम द्वारा ठेकेदारों को संबंधित संयंत्र ऑपरेटरों के साथ अनुबंध समझौते के अनुसार पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।

नोट :– 70

कम्पनी ने सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रित सहित (संदर्भ नोट सं. 3,4,5ए और 8) (पिछले वर्ष 5861.96 लाख) कुल 6554. 77 लाख रू. व्यय किए।

नोट :– 71

कंपनी मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार पूर्व रेल मंत्री सहित आईआरसीटीसी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध सीबीआई जांच के संबंध में किसी भी वित्तीय उत्तरदायित्व का पुर्वानुमान नहीं करती है।

नोट :– 72

नोट 19 और नोट 12 के अन्तर्गत जीएसटी का देय और जीएसटी का भुगतान क्रमशः अलग–अलग किया गया है।

नोट :– 73

आधिकारिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारी की वास्तविक कठिनाइयों से बचने के लिए कर्मचारियों को अग्रिमों का भुगतान किया जाता है। बाद में कर्मचारियों को खर्च की अलग से प्रतिपूर्ति की जाती है। तथापि, अग्रिम गैर–वापसी योग्य हैं जब तक कि रोजगार छूट नहीं जाता है और इसे वर्तमान प्रकृति के रूप में माना समझा जाता है।

नोट :– 74

आईआरसीटीसी ने निजी पार्टियों ''ऑपरेटर'' आईआरसीटीसी के स्वामित्व वाली भूमि पर वाटरट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना (बिल्डिंग एवं प्लाट मशीनरी) परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है, जबकि आईआरसीटीसी रेलनीर प्रापण, सीएफए तथा परिवहन सेवा देगा समझौते की शर्तें में व्यवस्था है कि अनुबंध की अवधि के अंत में, भवन के साथ संयंत्र में लगाई गई संपत्ति को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। चूंकि इस तरह के ओ एंड एम ठेके के लिए अनुबंध हेतु निविदा दी जाती है और व्यावसायिक बोलियों के आधार पर चयन किया जाता है। भवन और संयंत्र और परम्परावादी दृष्टिकोण से परिसंपत्तियों की लागत के बारे में अतिरिक्त विचार का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी के अभाव में मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार इस तरह की परिसंपत्तियों की गणना टेकओवर अधिग्रहण के समय तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लेखा खातों में दर्ज की जाएगी।

नोट :– 75

नोट संख्या 27 के अनुसार लाइसेंस शुल्क में वाटर वेंडिंग मशीनों पर प्राप्त लाइसेंस शुल्क में 25% रेलवे शेयर (15% परिपत्र 36/2015 के अनुसार) के आकस्मिक प्रावधान शामिल हैं, जो कि खानपान नीति 2017 के तहत रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण लंबित है।

नोट :– 76 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल ने दिनांक 26 जुलाई, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म लिमिटेड,** नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबधंन की जिम्मेवारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर, अधिनियम, की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2019 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,** नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की, धारा 143 (6)(क) के अतंर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर मैंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत जिस पर कोई टिप्पणी दिए जाने की संभावना हो या जो सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से।

हस्ता./–
(बी.आर. मण्डल)
प्रमुख निदेशक, लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 अगस्त, 2019

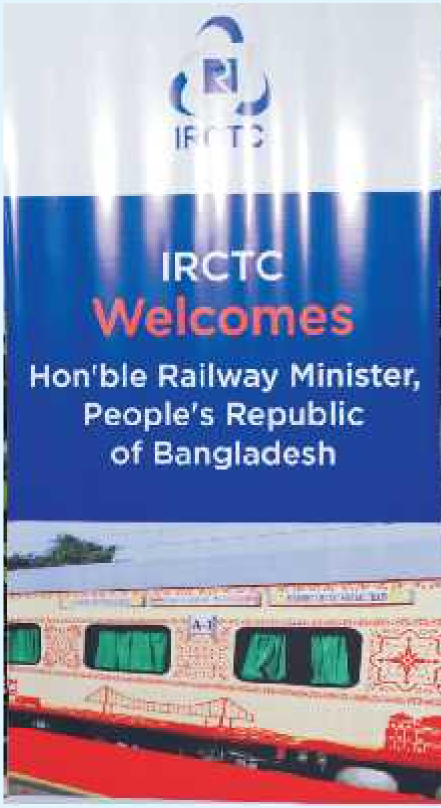
IRCTC
IRCTC
Welcomes
Hon'ble Railway Minister,
People's Republic
of Bangladesh

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2018-2019

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय
11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23311263-64, फैक्स : 011-23311259
सीआईएन : U74899DL1999GOI101707

Printed & Designed by : Vijaylakshmi Printing Works Pvt. Ltd., E-mail : vpwpl.1972@gmail.com